वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2015 - 16

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

उल्लेखनीय तथ्य
Highlights

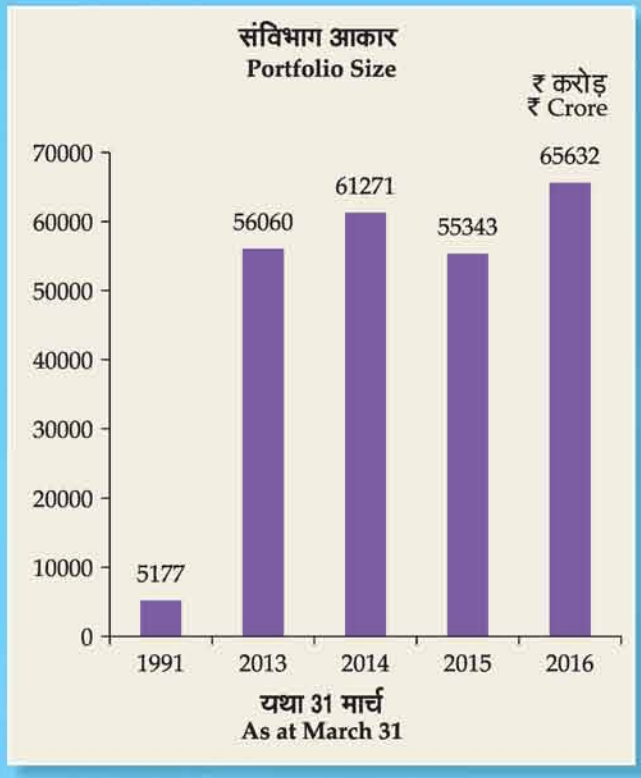

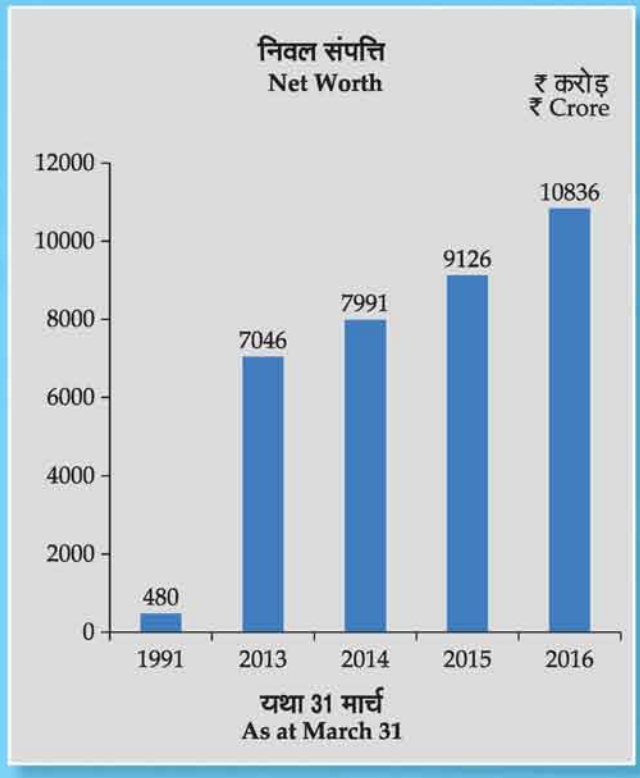

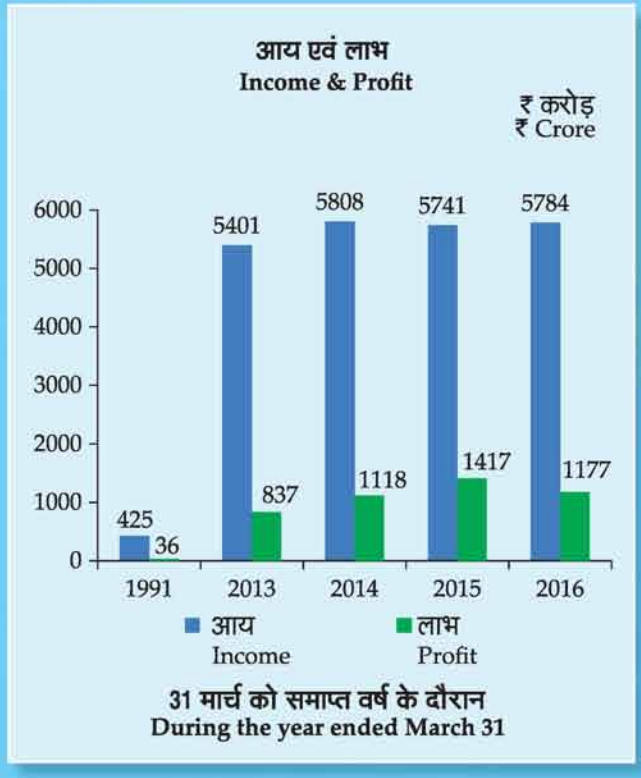

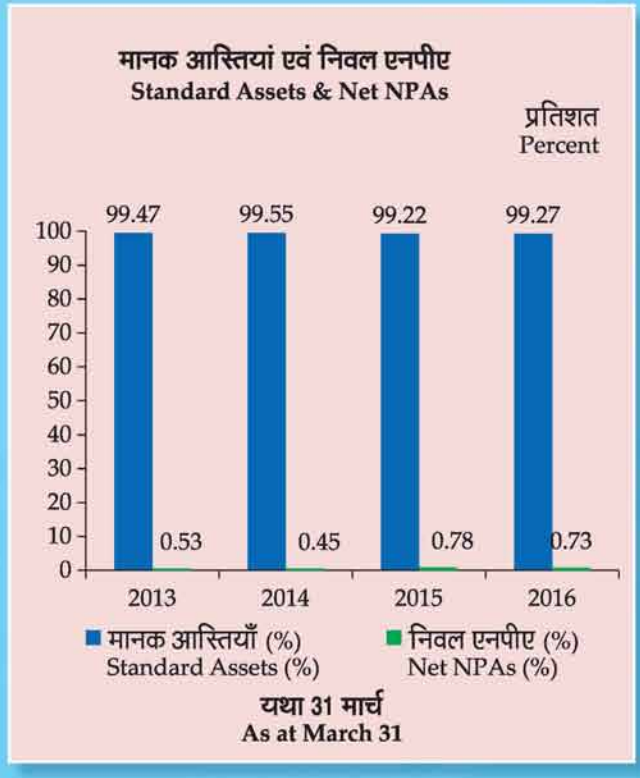

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
Small Industries Development Bank of India

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30(5) के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट 19 जुलाई, 2016 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत।

Report of the Board of Directors for the year ended March 31, 2016 submitted to the Central Government on July 19, 2016 in terms of Section 30 (5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

विषय-सूची
Contents

प्रेषण पत्र	Letter of Transmittal
निदेशक-मंडल	Board of Directors
निदेशकों की समितियाँ	Committees of Directors
प्रगति एक दृष्टि में	Progress at a Glance
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	CMD's Statement
निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report

अध्याय
CHAPTERS

अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण	1	Economy and Micro, Small and Medium Enterprises – Performance and Outlook
व्यवसाय संबंधी रणनीतिक पहलकदमियाँ	2	Strategic Business Initiatives
समग्र व्यवसाय परिचालन	3	Overall Business Operations
वित्तीय समावेशन एवं दीर्घकालिक संवृद्धि	4	Financial Inclusion and Sustainable Growth
सिडबी की सहायता का प्रभाव	5	Impact of SIDBI's Assistance
प्रबन्धन एवं निगमित अभिशासन	6	Management and Corporate Governance
सिडबी की सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ	7	Subsidiaries and Associate Organisations of SIDBI
तुलन-पत्र एवं लेखा-विवरण	8	Balance Sheet & Statement of Accounts
सिडबी का अंकेक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (परिशिष्ट- I)		Audited Balance Sheet along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI (Appendix – I)
सिडबी और इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं का समेकित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (परिशिष्ट- II)		Consolidated Balance Sheet along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI including its associates and subsidiaries (Appendix – II)

प्रेषण-पत्र
Letter of Transmittal

19 जुलाई, 2016

सचिव
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

सिडबी के वित्तीय वर्ष 2015-16 के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ एतद्द्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ-

(1) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति

(2) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के काम-काज के संबंध में निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की प्रति

भवदीय,

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्नकः यथोपरि

July 19, 2016

The Secretary,
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.

Dear Sir,

Annual Accounts and Report of the Board on the working of SIDBI – FY 2015-16

In accordance with the Provisions of Section 30 (5) of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, I forward herewith the following documents :

(1) Copy of Annual Accounts of Small Industries Development Bank of India for the year ended March 31, 2016 and

(2) A copy of the Report of the Board on the working of Small Industries Development Bank of India during the year ended March 31, 2016.

Yours faithfully,

(Dr. Kshatrapati Shivaji)
Chairman & Managing Director

Encl.: as above

सिडबी का निदेशक मंडल (यथा 31 मार्च 2016)
Board of Directors of SIDBI (As on March 31, 2016)

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी
Dr. Kshatrapati Shivaji

श्री अजय कुमार कपूर
Shri Ajay Kumar Kapur

श्री मनोज मित्तल
Shri Manoj Mittal

श्री सत्यानंद मिश्रा
Shri Satyananda Mishra

श्री सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी
Shri Surendra Nath Tripathi

श्री जे.चन्द्रशेखरन
Shri J. Chandrasekaran

श्री पंकज जैन
Shri Pankaj Jain

श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन
Shri S.K.V. Srinivasan

श्री एस.हरिहरन
Shri S. Hariharan

श्रीमती स्मिता भारद्वाज
Smt. Smita Bharadwaj

श्री आर. रामचंद्रन
Shri R. Ramachandran

हमारे पथ-प्रदर्शक (स्थापना से लेकर 2016 तक)
Our Leaders (Since inception till 2016)

स्व. श्री एस एस नाडकर्णी (अध्यक्ष)
(अप्रैल 02, 1990 – सितम्बर 18, 1993)
Late Shri S S Nadkarni (Chairman)
(April 02, 1990 – September 18, 1993)

श्री आर एस अग्रवाल (प्रबन्ध निदेशक)
(अप्रैल 02, 1990 – मार्च 03, 1995)
Shri R S Agrawal (Managing Director)
(April 02, 1990 – March 03, 1995)

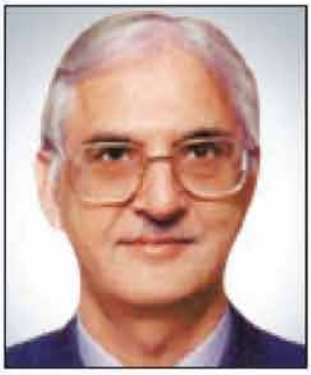

श्री एस एच खान (अध्यक्ष)
(दिसम्बर 02, 1993 – जून 30, 1998)
Shri S H Khan (Chairman)
(December 02, 1993 – June 30, 1998)

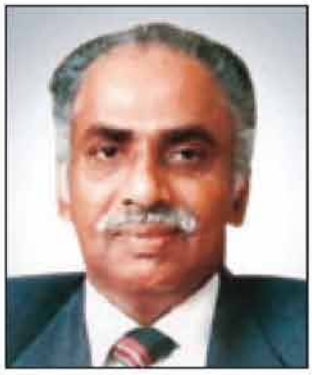

श्री के आर पिल्लै (प्रबन्ध निदेशक)
(मार्च 08, 1995 – जुलाई 20, 1995)
Shri K R Pillai (Managing Director)
(March 08, 1995 – July 20, 1995)

डॉ. शैलेन्द्र नारायण (प्रबन्ध निदेशक)
Dr. Sailendra Narain (Managing Director)
(अगस्त 03, 1995 - मार्च 26, 2000)
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(Chairman & Managing Director)
(मार्च 27, 2000 - जुलाई 31, 2000)

श्री जी पी गुप्ता (अध्यक्ष)
(जुलाई 01, 1998 – मार्च 26, 2000)
Shri G P Gupta (Chairman)
(July 01, 1998 – March 26, 2000)

श्री एस एस कोहली (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(अगस्त 01, 2000 – जनवरी 30, 2001)
Shri S S Kohli (Chairman & Managing Director)
(August 01, 2000 – January 30, 2001)

हमारे पथ-प्रदर्शक (स्थापना से लेकर 2016 तक)
Our Leaders (Since inception till 2016)

श्री पी बी निम्बालकर (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(जनवरी 31, 2001 – फरवरी 28, 2003)
Shri P B Nimbalkar (Chairman & Managing Director)
(January 31, 2001 – February 28, 2003)

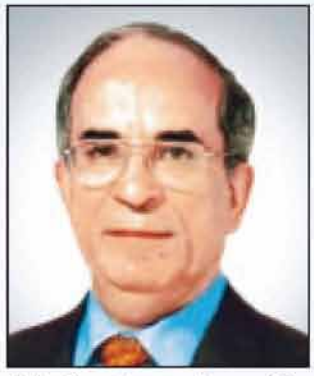

श्री वी के चोपड़ा (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(जुलाई 16, 2003 – दिसम्बर 08, 2004)
Shri V K Chopra (Chairman & Managing Director)
(July 16, 2003 – December 08, 2004)

श्री एन बालसुब्रमण्यन (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(दिसम्बर 30, 2004 – सितम्बर 30, 2006)
Shri N Balasubramanian
(Chairman & Managing Director)
(December 30, 2004 – September 30, 2006)

श्री आर एम मल्ला (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(जुलाई 11, 2007 – जुलाई 08, 2010)
Shri R. M. Malla
(Chairman & Managing Director)
(July 11, 2007 – Jully 08, 2010)

श्री सुशील कुमार मुहनोत (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(अप्रैल 04, 2011 – नवम्बर 08, 2013)
Shri Sushil Kumar Muhnot
(Chairman & Managing Director)
(April 04, 2011 – November 08, 2013)

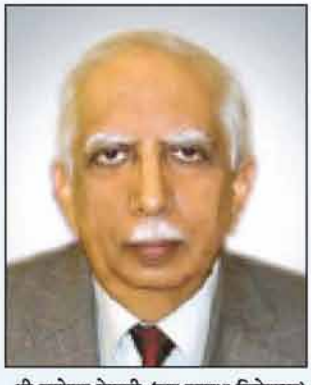

श्री राकेश रेवारी (उप प्रबन्ध निदेशक)
(अक्तूबर 23, 2006 – जुलाई 12, 2007)
(जुलाई 26, 2010 – अप्रैल 03, 2011)
Shri Rakesh Rewari (Deputy Managing Director)
(October 23, 2006 – July 12, 2007)
(July 26, 2010 – April 03, 2011)

श्री एन के मैनी (उप प्रबन्ध निदेशक)
(नवम्बर 22, 2013 – मार्च 11, 2014)
Shri N. K. Maini (Deputy Managing Director)
(November 22, 2013 – March 11, 2014)

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)
(मार्च 02, 2015 से यथातिथि)
Dr. Kshatrapati Shivaji (Chairman & Managing Director) (March 02, 2015 – till date)

निदेशकों की समितियाँ (यथा 31 मार्च 2016)
Committees of Directors (As on March 31, 2016)

कार्यपालक समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री एस.हरिहरन
श्री सत्यानंद मिश्रा

लेखा-परीक्षा समिति

श्री सत्यानंद मिश्रा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री एस.के.वी.श्रीनिवासन
श्री एस.हरिहरन
श्री आर.रामचंद्रन

जोखिम प्रबन्धन समिति

श्री आर.रामचंद्रन, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री एस.के.वी.श्रीनिवासन
श्री जे. चन्द्रशेखरन

उच्च राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री एस.के.वी.श्रीनिवासन
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री एस. हरिहरन

Executive Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri J. Chandrasekaran
Shri S. Hariharan
Shri Satyananda Mishra

Audit Committee

Shri Satyananda Mishra, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri Pankaj Jain
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri S. Hariharan
Shri R. Ramachandran

Risk Management Committee

Shri R. Ramachandran, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri J. Chandrasekaran

Special Committee to Monitor Large Value Frauds

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri Pankaj Jain
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri J. Chandrasekaran
Shri S. Hariharan

निदेशकों की समितियाँ (यथा 31 मार्च 2016)
Committees of Directors (As on March 31, 2016)

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

श्री सत्यानंद मिश्रा, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री एस.के.वी.श्रीनिवासन
श्री पुष्पिंदर सिंह (बाह्य विशेषज्ञ)

Information Technology Strategy Committee

Shri Satyananda Mishra, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri Pushpinder Singh (External Expert)

ग्राहक सेवा समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री एस.हरिहरन

Customer Service Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri J. Chandrasekaran
Shri S. Hariharan

मानव संसाधन संचालन समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री जे. चन्द्रशेखरन
श्री सत्यानंद मिश्रा
डॉ. चित्रा राव (बाह्य विशेषज्ञ)

HR Steering Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri Pankaj Jain
Shri J. Chandrasekaran
Shri Satyananda Mishra
Dr. Chitra Rao (External Expert)

वसूली समीक्षा समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी
श्री अजय कुमार कपूर
श्री मनोज मित्तल
श्री पंकज जैन
श्री एस.के.वी.श्रीनिवासन
श्री आर.रामचंद्रन

Recovery Review Committee

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Ajay Kumar Kapur
Shri Manoj Mittal
Shri Pankaj Jain
Shri S.K.V. Srinivasan
Shri R. Ramachandran

निदेशकों की समितियाँ (यथा 31 मार्च 2016)
Committees of Directors (As on March 31, 2016)

इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष
श्री सत्यानंद मिश्रा
श्री आर.रामचंद्रन

Review Committee on Wilful defaulters & Non-cooperative borrowers

Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman
Shri Satyananda Mishra
Shri R. Ramachandran

पारिश्रमिक समिति

श्री पंकज जैन
श्री एस.हरिहरन
श्री सत्यानंद मिश्रा

Remuneration Committee

Shri Pankaj Jain
Shri S. Hariharan
Shri Satyananda Mishra

मिशन
Mission

एमएसएमई के लिए ऋण-प्रवाह सुगम व सुदृढ़ बनाना और एमएसएमई पारितंत्र के वित्तीय एवं विकासपरक, दोनों प्रकार के अन्तरालों की पूर्ति करना।

To facilitate and strengthen credit flow to MSMEs and address both financial and developmental gaps in the MSME eco-system.

प्रगति एक दृष्टि में
Progress at a Glance

(₹ करोड़ / crore)

यथा 31 मार्च / As on March 31	1991	2013	2014	2015	2016
बकाया संविभाग / Outstanding Portfolio	5176.8	56,059.8	61270.7	55342.6	65632.1
पूँजी / Capital - अधिकृत / Authorised	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
- प्रदत्त / Paid-up	450.0	450.0	450.0	450.0	487.0
आरक्षितियाँ एवं निधियाँ / Reserves and Funds	44.9	7,053.3	8,042.3	9329.6	11108.3
कुल आय (प्रावधान-पश्चात्) / Total Income (Net of provisions)	425.1	4,557.6	5186.0	5938.5	5559.5
निवल लाभ / Net Profit	35.6	837.4	1,118.3	1417.1	1177.5
शेयरधारकों को लाभांश / Dividend to Shareholders	5.0	112.5	112.5	112.5	94.7
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%) Return on Avg. Outstanding Portfolio (%)	0.7	2.3	2.7	3.8	2.9
निवल बकाया संविभाग के प्रतिशत के रूप में मानक आस्तियाँ Standard Assets as percentage of net outstanding portfolio	100	99.47	99.55	99.22	99.27
पूँजी व जोखिम आस्ति का अनुपात (%) Capital to Risk Assets Ratio (%)	13.9	28.1	30.75	36.69	29.86

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य
Chairman and Managing Director's Statement

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिडबी का निदेशक-मण्डल और प्रबन्धन-दल स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। मैं हर्ष-पूर्वक सूचित करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2015-16 आपके बैंक के लिए काफी घटना-प्रधान रहा। इस दौरान बहुत-से कार्यनीतिक व्यावसायिक प्रयास किए गए, तुलन-पत्र तथा व्यावसायिक कार्य-निष्पादन में ज़ोरदार वृद्धि हुई और आपके बैंक को बहुत-से पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि आपके बैंक के तुलनपत्र के आकार में 25.7% की वृद्धि हुई और वह ₹ 75,000 करोड़ के मुकाम को पार करता हुआ 31मार्च 2016 को ₹ 76,478 करोड़ पर जा पहुँचा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने व्यवसाय में भी प्रबल वृद्धि दर्शायी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल एमएसएमई ऋण बकाया 18.6% बढ़कर ₹ 65,632 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह ₹ 55,343 करोड़ रहा था।

यह वृद्धि भारत के एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए किए गए सिडबी के बहुमुखी कार्यों के कारण ही

The Board of Directors and the Management team of SIDBI are privileged to present the Bank's Annual Report for the financial year 2015-16. It is my pleasure to inform that the year 2015-16 was quite eventful in terms of a number of strategic business initiatives taken by your Bank, followed by strong balance sheet growth and business performance and number of awards and accolades to your Bank.

An important milestone during FY 2015-16 is that the balance-sheet size of your Bank crossed the ₹ 75,000 crore mark by registering 25.7% growth to reach ₹ 76,478 crore as on March 31, 2016. The Bank also showed strong business growth during FY 2015-16. The total MSME credit outstanding increased by 18.6% during FY 2015-16 to ₹ 65,632 crore as against ₹ 55,343 crore in FY 2014-15.

Such growth could be possible due to multifarious functions performed by SIDBI for

संभव हो पाई। सिडबी के 'क्रेडिट-प्लस' दृष्टिकोण में एमएसएमई को केवल वित्तपोषण सहायता दिया जाना ही शामिल नहीं है, बल्कि परामर्श सेवाओं, कौशल विकास, विपणन सहायता, क्लस्टर विकास आदि क्षेत्रों में उन्हें विकासपरक सहायता दिया जाना भी शामिल है। इसके 'सिडबी-प्लस' दृष्टिकोण में इसकी सहयोगी व सहायक संस्थाओं के ज़रिए एमएसएमई क्षेत्र पर एकीकृत बल दिया जाना शामिल है। ये संस्थाएं हैं:-एमएसएमई को उद्यम पूँजी प्रदान करने के लिए-सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल); ₹100 लाख तक के संपार्श्विक-रहित/तृतीय पक्ष-गारंटी रहित ऋणों को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए-सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई); एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग के लिए-स्मेरा रेटिंग्स् लिमिटेड; प्रौद्योगिकी सलाह और परामर्श सेवाओं के लिए- इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि.; एमएसएमई क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों के तेजी से समाधान के लिए-इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आइसार्क); और देश के अनिधिकृत, स्वरोजगार-रत एवं लघु व्यवसायों के निधीयन के लिए-माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ व जीवन्त बनाने की दिशा में अपनी सर्वसमावेशी पहलकदमियों के ज़रिए सिडबी न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, बल्कि भारत सरकार से उपलब्ध सहायता और कार्यक्रमों की भी परिपूर्ति और अनुपूर्ति करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को और अधिक समावेशी तथा टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल के वर्षों में भारत सरकार ने बहुत-से प्रयास किए हैं, जैसे- मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट आदि। हमारे राष्ट्र और खास तौर से एमएसएमई को और अधिक ऊँचाइयों पर

the promotion, financing and development of the MSME sector of India. Its 'Credit Plus' approach spans to cover not only financing support but also developmental assistance to MSMEs in the areas of advisory services, skill development, marketing assistance, cluster development, etc. Its 'SIDBI Plus' approach covers integrated thrust to MSME sector through its associates and subsidiaries such as, SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) for providing Venture Capital (VC) assistance to MSMEs, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to provide credit guarantee coverage to collateral free / third-party guarantee free loans up to ₹100 lakh, SMERA Ratings Limited (SMERA) for credit rating of MSMEs, India SME Technology Services Limited (ISTSL) for technology advisory and consultancy services, India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC) for speedier resolution of non-performing assets (NPAs) in MSME sector and Micro Units Development & Refinance Agency (MUDRA) to fund the unfunded, self-employed and small businesses in the country. Thus, through its holistic interventions, SIDBI supplements and complements not only the banks and financial institutions, but also the Government of India in their support and programmes to make the Indian economy stronger and vibrant.

During the recent years, the Government of India has come out with various initiatives like Make in India, Start-up India, Stand-up India, Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Digital India, Skill India, Zero Effect Zero Defect, etc., to boost the Indian economic growth in a more inclusive and sustainable manner. Your Bank is

ले जाने की दिशा में आपका बैंक भारत सरकार की सहायता करने में लगातार जुटा रहा है। इस उद्देश्य से आपके बैंक ने कई तरह की व्यावसायिक पहलकदमियाँ की हैं, जो इस प्रकार हैं:

- ₹1,000 करोड़ की 'सिडबी मेक इन इंडिया' निधि की स्थापना, ताकि अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को केन्द्रित करते हुए, एमएसएमई को विश्व-स्तरीय विनिर्माण की धुरी बनाया जा सके। इस निधि के अंतर्गत चिह्नित एमएसएमई क्षेत्रों को रियायती वित्त प्रदान किया जाता है।

- ₹10,000 करोड़ के 'सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (स्माइल)' की स्थापना, ताकि अपेक्षित ऋण-ईक्विटी अनुपात की पूर्ति हेतु एमएसएमई को अर्ध-ईक्विटी के रूप में सुलभ ऋण और नये एमएसएमई की स्थापना और साथ ही, मौजूदा एमएसएमई को विकास के अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत सुगम शर्तों पर सावधि ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

- 'स्टैंड-अप इंडिया' के सुचारु कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी ने www.standupmitra.in नामक वेब-पोर्टल विकसित किया है। इसे आवेदन फॉर्म प्राप्त करने और सूचना प्रदान करने, पंजीकरण करने, पथ-प्रदर्शन के लिए लिंक देने, मदद करने और ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है। इससे प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को पहली बार उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण देने के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करने में हमारी बैंकिंग व्यवस्था को मदद मिलेगी। इस पोर्टल पर 1.07 लाख से अधिक बैंक शाखाएँ और 17,000 मार्गदर्शक एजेंसियाँ हैं और यह किसी सत्याभासी ऋण-बाज़ार की तरह काम कर

continuously striving to support the Government of India in taking our nation and MSMEs, in particular, to greater heights. In that direction, your Bank has come out with a number of business initiatives as mentioned below:

- Setting up a ₹1,000 crore 'SIDBI Make in India' fund to make MSMEs a world-class manufacturing hub with focus on 25 sectors of the economy. Under this Fund, concessional finance is provided to identified MSME sectors.

- Creating a ₹10,000 crore **'SIDBI Make in India Soft Loan Fund for Micro, Small & Medium Enterprises (SMILE)'** to make available soft loan to MSMEs, in the nature of quasi-equity to meet the required debt-equity ratio and term loan on relatively soft terms for establishment of new MSMEs, as also for pursuing opportunities for growth for existing MSMEs.

- In order to foster smooth implementation of "Stand-Up India" Scheme, SIDBI developed a web-portal *"www.standupmitra.in"* which is designed to obtain application forms, provide information, enable registrations, provide links for handholding, tracking and monitoring. This will enable our banking system to fulfil the intended objective of providing bank loans between ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a green-field enterprise. This portal, with more than 1.07 lakh bank branches and 17,000 handholding agencies, is functioning as a virtual loan

रहा है, जहाँ ऋण चाहने वालों के लिए मंजूरी-पूर्व मैच-मेकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं।

- अर्थव्यवस्था का इतिहास बताता है कि आर्थिक विकास की कोई भी लहर उठने से पहले स्टार्ट-अप्स के नेतृत्व में व्यावधानिक नवोन्मेष का दौर आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की नवोन्मेष-आधारित संरचनागत प्रगति की दहलीज़ पर खड़ी है। भारत सरकार का 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम इसे उत्प्रेरित कर रहा है। हमारे एमएसएमई स्टार्ट-अप्स की मदद करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने ₹2,000 करोड़ के इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) की स्थापना की। इसे उद्यम पूँजी निधियों में निवेश के लिए निधियों की निधि के रूप में उपयोग किया जाना है, जो, फलतः इस निधि को एमएसएमई में निवेश करेंगी। यह निवेश सिडबी की वचनबद्धता के दुगने अथवा उद्यम पूँजी निधि की समूह-निधि के 50% तक (जो भी अधिक हो) हो सकता है।

- सिडबी ने www.sidbistartupmitra.in नामक ऑन-लाइन प्लैटफ़ॉर्म भी तैयार किया है, जो स्टार्ट-अप उद्यमियों को विभिन्न हित-धारकों, जैसे संपोषकों, मार्ग-दर्शकों, ऐंजल नेटवर्कों, उद्यम पूँजी निधियों आदि से संपर्क करने में मददगार सिद्ध हो रहा है।

- इसे और आगे ले जाने के उद्देश्य से www.venturefund.sidbi.in नामक एक नई वेबसाइट विकसित की गई, ताकि उद्यम पूँजी निधियों के माध्यम से एमएसएमई को अधीनस्थ ऋण और ईक्विटी सहायता के रूप में प्रत्यक्ष जोखिम पूँजी सहायता प्रदान की जा सके।

- स्टार्ट-अप्स के लिए ₹10,000 करोड़ की समूह निधि (चार वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष ₹2,500 करोड़) निर्मित किए जाने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में की गई घोषणा के उपरान्त बजटीय सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹500 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

market place offering pre-sanction match-making services for loan seekers.

- Economics history indicates that any new wave of economic growth is preceded by disruptive innovations led by start-ups. Indian economy is poised for such an innovation-based structural progression, triggered by the 'Start-up India' programme of the Government of India. To help our MSME start-ups, your Bank created a ₹2,000 crore India Aspiration Fund (IAF) to be utilized as a Fund of Funds for making investments in Venture Capital Funds (VCFs) which would, in turn, make investments in MSMEs to the extent of twice the commitment of SIDBI or 50% of the corpus of the VCF, whichever is more.

- SIDBI also prepared an on-line platform *"www.sidbistartupmitra.in"*, which enables start-up entrepreneurs to get connected with various stake-holders namely incubators, mentors, angel networks, venture capital funds, etc.

- To take it further, a new website *"www.venturefund.sidbi.in"* was developed for Direct Risk Capital assistance to MSMEs in the form of sub-debt and equity assistance through Venture Capital Funds.

- Subsequent to the announcement by Hon'ble Prime Minister on January 16, 2016 at New Delhi to create a fund corpus of ₹10,000 crore (₹2,500 crore every year for a period of four years) for start-ups, an amount of ₹500 crore has since been received in FY 2016 as budgetary support.

- एमएसएमई मंत्रालय की नवोन्मेषिता, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्द्धन योजना "अ स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड आंत्रप्रन्योरशिप (ऐस्पायर)" निधि के अंतर्गत ₹60 करोड़ सिडबी को आवंटित व संवितरित किए गए, ताकि ऐसी उद्यम पूँजियों में निवेश के लिए निधि का प्रबन्धन किया जा सके, जिनका बल ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि उद्योगों के स्टार्ट-अप्स तथा शुरुआती चरण वाले उद्यमों पर केन्द्रित है।

उपर्युक्त के अलावा आपके बैंक ने इस वर्ष के दौरान कुछ और प्रयास भी किए, जो इस प्रकार हैं:

- एक नए ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना। यह आपके बैंक और राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज के एनएसई स्ट्रैटजिक इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसीएल) का संयुक्त उपक्रम है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन लिया गया है। ट्रेड्स के ज़रिए एमएसएमई अपनी प्राप्य लिखतों को सिस्टम पर पोस्ट कर पाएँगे और उनका वित्तपोषण करा पाएंगे। इस प्रकार एमएसएमई क्षेत्र की देर से भुगतान मिलने की समस्या का समाधान हो पाएगा।

- एनएसई-एसएमई प्लैटफॉर्म 'इमर्ज' पर अपने एक ग्राहक के सार्वजनिक निर्गम के लिए सह-अग्रणी प्रबन्धक के रूप में काम करते हुए पहली बार व्यापारिक बैंकिंग गतिविधि का प्रारम्भ।

- हेजिंग की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक हेजिंग प्रणालियाँ प्रारम्भ।
- एमएफआई, अल्प आस्ति व्यवसाय, नकदी-आधारित व्यवसाय, वाणिज्यिक भूसंपदा व्यवसाय तथा प्रतिभूत व्यवसाय ऋण के लिए नये जोखिम रेटिंग मॉडलों का क्रियान्वयन।

- Under "A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE)" Fund of Ministry of MSME, ₹60 crore was allocated and disbursed to SIDBI for managing the fund for investing in VCs with investment focus on start-up and early stage enterprises in the areas of Rural and Agro Industries.

In addition to the above, your Bank also took some more initiatives during the year like:

- Setting up of a new Trade Receivables e-Discounting System (TReDS) as a joint venture between your Bank and the National Stock Exchange's NSE Strategic Investment Corporation Limited (NSICL), after obtaining "in-principle" approval from Reserve Bank of India. TReDS will allow MSMEs to post their receivables on the system and get them financed, thereby addressing the problem of delayed payments of MSME sector.

- Commencing merchant banking activities for the first time by acting as co-lead manager for the public issue of one of its customers on NSE-SME platform "EMERGE",

- Introducing alternate hedging mechanisms for Foreign Currency Lines of Credit to reduce the cost of hedging.
- Implementing new Risk Rating models for MFIs, Asset Light Business, Cash flow based business, Commercial Real Estate business and Secured Business Loan.

ग्राहक संतुष्टि आपके बैंक की प्राथमिकता है। प्रत्यक्ष वित्त ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान 'सिडबी मित्र' नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया। इससे सिडबी के ग्राहकों को उनके खातों से संबंधित सूचना दी जा सकती है, रिलेशनशिप प्रबन्धक से सीधे मोबाइल संदेश भेजे जा सकते हैं और ऋण लेजर, माँग सूचना आदि से संबंधित सेवा-अनुरोध किए जा सकते हैं। ऐप के माध्यम से जनरेट होनेवाले ग्राहकों के संदेशों और अनुरोधों की निगरानी के उद्देश्य से सिडबी अधिकारियों के लिए तथा उपयोगकर्ताओं को रिलेशनशिप प्रबन्धकों द्वारा संदेश भेजने के लिए भी एक इंटरफेस आरंभ किया गया है।

एमएसएमई का क्षमता-विकास सिडबी की परिचालन-व्यवस्था का अंतरंग हिस्सा है। आपके बैंक ने ग्रामीण उद्योगीकरण, उद्यमिता विकास, कौशल उन्नयन, विपणन सहायता, वित्तीय साक्षरता, ऋण सलाह सेवाओं, क्लस्टर विकास आदि के ज़रिए संवर्द्धन और विकास (पीएंडडी) के बहुत-से प्रयास किए हैं। इन संवर्द्धन और विकासपरक प्रयासों से एमएसएमई क्षेत्र के 2.3 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और 1.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। इनसे 80,000 से अधिक इकाइयों की स्थापना में मदद मिली है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण उद्यम हैं।

आपके बैंक की धारणा है कि एमएसएमई के विकास के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। सिडबी द्वारा एमएसएमई को वित्तीय एवं विकासपरक सहायता दी जाती रहेगी, ताकि वे उच्चतर वृद्धि-स्तर हासिल कर सकें। उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा प्रदायगी-पद्धति में नवोन्मेषिता के ज़रिए इसकी भूमिका को और प्रभावशाली बनाया जाएगा, ताकि एमएसएमई पारितंत्र के विभिन्न वित्तीयन एवं विकासपरक अन्तरालों का समाधान प्रस्तुत किया जा सके। स्टार्ट-अप्स, नये युग की ज्ञान-आधारित कंपनियों, मूलभूत संरचना, टिकाऊ वित्त, वित्तपोषण

Customer satisfaction is a priority of your Bank. During the year, a mobile app 'SIDBI Mitra' was developed for direct finance customers to facilitate providing information related to accounts of the customers with SIDBI, channel for mobile messaging directly with the Relationship Manager (RM), service requests related to loan ledger, demand advices etc. An interface for SIDBI officers has also been made operational for monitoring the communication and requests from the customers generated through the App and also for sending messages to the users by RMs.

Capacity building of MSMEs is an integral part of SIDBI's operational architecture. Your Bank has made a number of promotional & developmental (P&D) initiatives through rural industrialization, entrepreneurship development, skill upgradation, marketing support, financial literacy, credit advisory services, cluster development and so on. These P&D interventions have benefitted more than 2.3 lakh persons in the MSME sector, created more than 1.5 lakh employments, helped in setting up more than 80,000 units, mostly rural enterprises.

Your Bank recognizes that the growth of MSMEs is indispensible for the growth of Indian economy. To make the MSMEs attain higher growth level, SIDBI would continue to provide financial and developmental support to MSMEs. Its role would be more effective through innovative products, processes and delivery to address various financial and developmental gaps in the MSME eco-system. Greater thrust on start-ups, knowledge-based new age companies, infrastructure, sustainable finance, cluster-

और विकास दोनों के लिए क्लस्टर-केन्द्रित पहलकदमियाँ आपके बैंक के प्रयासों का आधार-स्तंभ बनेंगी, ताकि आनेवाले वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र और अधिक मज़बूत, टिकाऊ, अधिकाधिक समावेशी तथा प्रतिस्पर्द्धी बनकर उभर सके।

centric interventions for both finance and development, etc. would act as guide-posts of your Bank's efforts to make our MSME sector stronger, sustainable, more inclusive and highly competitive in the coming years.

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(Dr. Kshatrapati Shivaji)
Chairman & Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015-16
Directors' Report FY 2015-16

बैंक का निदेशक-मंडल 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के समग्र व्यवसाय एवं परिचालनों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

आपके बैंक की स्थापना भारत के एमएसएमई क्षेत्र का संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास करने तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के साथ समन्वय करनेवाली प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में संसद के अधिनियम के तहत 1990 में की गई थी। एमएसएमई को वित्तीय सहायता (क) एमएसएमई को आगे उधार देने के उद्देश्य से बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध अप्रत्यक्ष वित्त / पुनर्वित्त और (ख) चुनिंदा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वित्त के रूप में प्रदान की जाती है।

अप्रत्यक्ष ऋण में बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त सहायता, बैंकों को बिल पुनर्भुनाई सहायता, अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता तथा विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों को संसाधन सहायता शामिल है। यह बैंक के कुल ऋण बकाया का लगभग 83% है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष वित्त में 24% की वृद्धि हुई और वह ₹54,235 करोड़ हो गया, जबकि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त (जोकि कुल अप्रत्यक्ष वित्त का लगभग 86% और कुल ऋण बकाया का लगभग 71% है) में 22% की वृद्धि हुई।

आपके बैंक की प्रत्यक्ष वित्तपोषण-रणनीति जोखिम पूँजी/ ईक्विटी वित्त, टिकाऊ वित्त, प्राप्य वित्त तथा सेवा क्षेत्र वित्त जैसे चुनिंदा वित्तीय अंतरालों के समाधान की दिशा में उन्मुख है। इस प्रकार सिडबी एमएसएमई की विविध और आयामी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध

The Board of Directors of the Bank takes pleasure in presenting its Report on the overall business and operations of your Bank for the financial year ended March 31, 2016.

Your Bank was set up in 1990 under an Act of the Parliament as the principal financial institution for the promotion, financing and development of the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector in India in addition to co-ordination with institutions engaged in similar activities. Financial support to MSMEs is provided by way of (a) Indirect finance / refinance to banks / Financial Institutions for onward lending to MSMEs and (b) direct finance in the niche areas.

Indirect finance comprises refinancing support to banks, State Financial Corporations (SFCs), Bills Rediscounting support to banks, assistance to Microfinance Institutions (MFIs) and resource support to various institutions and agencies and it constitutes about 83% of total credit outstanding of your Bank. While the indirect finance increased by 24% to ₹54,235 crore, refinance to banks / FIs which constitutes around 86% of total indirect finance and around 71% of total credit outstanding, increased by 22% during the year under review.

The direct finance strategy of your Bank is oriented to address the niche financial gaps like risk capital / equity finance, sustainable finance, receivable finance and service sector finance. In this way, SIDBI is complementing and supplementing the efforts of banks / FIs in

में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की परिपूर्ति और अनुपूर्ति कर रहा है। सिडबी की व्यवसाय-रणनीति एमएसएमई पारितंत्र के वित्तीय एवं गैर-वित्तीय अंतरालों का समाधान प्रस्तुत करने की है।

I. व्यवसाय-कार्यनिष्पादन

यथा 31 मार्च 2016, आपके बैंक का बकाया संविभाग 18.6% बढ़कर ₹65,632 करोड़ हो गया, जबकि 31 मार्च 2015 को यह ₹55,343 करोड़ रहा था। यथा 31 मार्च 2016 संचयी संवितरण 4.50 लाख करोड़ रहे, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के 350 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए।

वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय बढ़कर ₹5,784.61 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹5,741.47 करोड़ रही थी। इस अवधि में कुल व्यय ₹3,922.99 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹3,823.24 करोड़ रहा था। वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹1,636.47 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹2,115.24 करोड़ रहा था। वर्ष का (कर-पश्चात् एवं आस्थगित कर समायोजन पश्चात्) निवल लाभ ₹1,177.46 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,417.13 करोड़ रहा था। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 20% लाभांश घोषित किया है और स्थापना के बाद से निर्बाध रूप से लाभांश भुगतान का रिकॉर्ड जारी रखे हुए है।

II. व्यावसायिक प्रयास

एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और सुदढ़ीकरण के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने बहुत-से महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक प्रयास किए। कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख आगे किया जा रहा है:

- भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी ने ₹1,000 करोड़ की समूह-निधि से 'सिडबी मेक इन इंडिया' निधि

meeting diverse credit needs of MSMEs. The business strategy of SIDBI is to address the financial and non-financial gaps in MSME eco-system.

I. Business Performance

The outstanding portfolio of your Bank increased by 18.6% to ₹65,632 crore as on March 31, 2016 from ₹55,343 crore as on March 31, 2015. The cumulative disbursements as on March 31, 2016 stood at ₹4.50 lakh crore, benefiting more than 350 lakh persons in the MSME sector.

The total income of your Bank during the year increased to ₹5,784.61 crore as compared to ₹5,741.47 crore during the previous year. The total expenditure during the corresponding period was ₹3,922.99 crore as compared to ₹3,823.24 crore during the previous year. The Profit Before Tax for the year was ₹1,636.47 crore, compared to ₹2,115.24 crore in the previous year. The Net Profit (After Tax and Deferred Tax Adjustment) was ₹1177.46 crore as against ₹1,417.13 crore in the previous year. Your Bank continues its uninterrupted dividend payment record since inception and for the FY 2015-16, it paid dividend of 20%.

II. Business Initiatives

During FY 2015-16, your Bank undertook a number of strategic business initiatives to promote and strengthen the MSME sector. Some important initiatives are:

- In order to take forward the Govt. of India's 'Make in India' programme, SIDBI set up 'SIDBI Make in India' fund with a corpus of ₹1,000 crore to make MSMEs a

समूहित की, ताकि एमएसएमई को विश्व-स्तरीय विनिर्माण केन्द्र बनाया जा सके। इस निधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 25 चिह्नित क्षेत्रों में एमएसएमई को रियायती वित्त प्रदान किया जाता है।

- सिडबी ने ₹10,000 करोड़ का 'सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (स्माइल)' आरंभ किया, ताकि एमएसएमई को अर्ध-ईक्विटी के रूप में सुलभ ऋण प्रदान किया जा सके, जिससे नये एमएसएमई की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा एमएसएमई को विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपेक्षित ऋण-ईक्विटी अनुपात की पूर्ति हो सके और अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर सावधि ऋण मिल सके।

- आपके बैंक ने ₹2,000 करोड़ का इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) स्थापित किया। इसका उपयोग उद्यम पूँजी निधियों में निवेश के लिए निधियों की निधि के रूप में किया जा रहा है। ये निधियाँ एमएसएमई में निवेश करेंगी, जो सिडबी की वचनबद्धता का दुगना अथवा उद्यम पूँजी निधि की समूह-निधि का 50% (जो भी अधिक हो) होगा। यथा 31 मार्च, 2016 आईएएफ के अंतर्गत सिडबी ने 19 उद्यम पूँजी निधियों को ₹607 करोड़ की वचनबद्धता की है।

- भारत सरकार के 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी ने www.sidbistartupmitra.in नामक ऑन-लाइन प्लैटफॉर्म तैयार किया है। यह देश भर में कहीं भी स्थित स्टार्ट-अप समुदाय के उद्यमियों को विभिन्न हित-धारकों, जैसे- संपोषकों, मार्गदर्शकों, ऐंजल नेटवर्कों, उद्यम पूँजी निधियों आदि से संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। यथा 31 मार्च 2016, लगभग 500 स्टार्ट-अप, 48 संपोषक तथा 50 निवेशकर्ता इस प्लैटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

- एमएसएमई को उद्यम पूँजी निधियों के माध्यम से

world-class manufacturing hub. Under the fund, concessional finance is provided to MSMEs in identified 25 sectors of the economy.

- SIDBI launched a ₹10,000 crore 'SIDBI Make in India Soft Loan Fund for Micro, Small & Medium Enterprises (SMILE)' to make available soft loan to MSMEs, in the nature of quasi-equity to meet the required debt-equity ratio and term loan on relatively soft terms for establishment of new MSMEs, as also for pursuing opportunities for growth for existing MSMEs.

- Your Bank constituted a ₹2,000 crore India Aspiration Fund (IAF) which is being utilized as a Fund of Funds for making investments in Venture Capital Funds (VCFs) which would, in turn, make investments in MSMEs to the extent of twice the commitment of SIDBI or 50% of the corpus of the VCF whichever is higher. As on March 31, 2016, SIDBI committed ₹607 crore to 19 VCFs under IAF.

- To promote the "Start-up India' programme of Govt. of India, SIDBI prepared an on-line platform "www.sidbistartupmitra.in", which enables entrepreneurs in the start-up community located anywhere in the country to get connected with various stake-holders, namely, incubators, mentors, angel networks, venture capital funds, etc. Around 500 startups, 48 incubators and 50 investors have already registered on this platform as on March 31, 2016.

- A new website *www.venturefund.sidbi.in*

अधीनस्थ ऋण और ईक्विटी सहायता के रूप में प्रत्यक्ष जोखिम पूँजी सहायता प्रदान करने के लिए www.venturefund.sidbi.in नामक एक नई वेबसाइट विकसित की गई।

- स्टार्ट-अप्स के लिए ₹ 10,000 करोड़ की समूह निधि (चार वर्ष की अवधि तक ₹ 2,500 करोड़ प्रतिवर्ष) स्थापित करने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में की गई घोषणा के पश्चात् बजटीय सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 500 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

- एमएसएमई मंत्रालय की "अ स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड आंत्रप्रन्योरशिप (ऐस्पायर)" निधि के अंतर्गत सिडबी को ₹ 60 करोड़ आवंटित व संवितरित किए गए, ताकि वह ग्रामीण एवं कृषि उद्योग के क्षेत्रों में स्टार्ट-अप एवं शुरुआती चरण के उद्यमों में निवेश पर केन्द्रित उद्यम पूँजियों में निवेश हेतु निधि का प्रबंधन कर सके।

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने एनएसई-एसएमई प्लैटफॉर्म "इमर्ज" पर अपने एक ग्राहक के सार्वजनिक निर्गम के लिए सह-अग्रणी प्रबन्धक के रूप में काम करते हुए व्यापारिक बैंकिंग गतिविधि प्रारम्भ की।

- हेजिंग की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्थाओं के लिए वैकल्पिक हेजिंग प्रणालियाँ प्रारम्भ की गईं।

- एमएफआई, अल्प आस्ति व्यवसाय, नकदी प्रवाह आधारित व्यवसाय, वाणिज्यिक भूसंपदा व्यवसाय तथा प्रतिभूत व्यवसाय ऋण के लिए नये जोखिम रेटिंग मॉडलों का क्रियान्वयन किया गया।

- कर्नाटक लघु उद्योग संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन

was developed for Direct Risk Capital assistance to MSMEs in the form of sub-debt and equity assistance through Venture Capital (VC) funds.

- Subsequent to the announcement by Hon'ble Prime Minister on January 16, 2016 at New Delhi to create a fund corpus of ₹ 10,000 crore (₹ 2,500 crore every year for a period of four years) for start-ups, an amount of ₹ 500 crore has since been received in FY 2015-16 as budgetary support.

- Under "A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE)" Fund of Ministry of MSME, ₹ 60 crore was allocated and disbursed to SIDBI for managing the fund for investing in VCs with investment focus on start-up and early stage enterprises in the areas of Rural and Agro Industries.

- During the year under review, your Bank commenced its merchant banking activities by acting as co-lead manager for the public issue of one of its customers in NSE-SME platform "EMERGE".

- Alternate Hedging Mechanisms for Foreign Currency Lines of Credit were introduced to reduce the cost of hedging.

- New Risk Rating models for MFIs, Asset Light Business, cash-flow based business, Commercial Real Estate business and Secured Business Loan were implemented.

- New financing channels were created

संस्थान, राइ उद्योग संघ, निकट दिल्ली, कोयम्बत्तूर जिला लघु उद्योग संघ (कोडिसिया) और चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन (कोसिया) जैसे उद्योग संघों के ज़रिए नए वित्तीयन माध्यमों का निर्माण किया गया।

- नया उद्यम लगाने के लिए प्रति बैंक शाखा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 05 अप्रैल 2016 को आरंभ की गई "स्टैंड-अप इंडिया योजना" के सुचारु क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने www.standupmitra.in नामक वेब-पोर्टल विकसित किया है। इसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन आरंभ किया। यह पोर्टल आवेदन भरने और उसे ट्रैक करने तथा ऋण सहायता के लिए शाखा/बैंक चुनने की सुविधा देने वाले ऋण-बाज़ार के रूप में काम करता है। इस पोर्टल पर 1.07 लाख से अधिक बैंक शाखाएं और 17,000 मार्गदर्शक एजेंसियाँ किसी सत्याभासी ऋण बाज़ार की तरह काम कर रही हैं, जो ऋण चाहने वालों के लिए मंजूरी पूर्व मैच-मेकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं।

III. व्यवसाय-परिचालन

III.1. ईक्विटी/जोखिम पूँजी

- आपके बैंक ने 2009 में एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि (एमएसएमई-आरसीएफ) के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ की वचनबद्ध समूह-निधि से जोखिम पूँजी परिचालनों की शुरुआत की। यह निधि पूरी तरह आहरित हो चुकी है।

through Industry Associations like Karnataka Small Scale Industries Association, National Institute of Bank Management, Rai Industries Association, near Delhi, Coimbatore District Small Scale Industries Association (CODISSIA) & Chamber of Small Industries Association (COSIA).

- In order to foster smooth implementation of "Stand-Up India Scheme" launched by Hon'ble Prime Minister on April 05, 2016 to provide bank loans between ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a green-field enterprise, your Bank developed a web-portal *"www.standupmitra.in"* which was also launched by Hon'ble Prime Minister on that day. The portal acts as a loan market place for application filing and tracking as well as providing the facility for choice of branches/ banks for credit assistance. The portal with more than 1.07 lakh bank branches and 17,000 handholding agencies is functioning as a virtual loan market place offering pre-sanction match-making services for loan seekers.

III. Business Operations

III.1. Equity/Risk Capital

- Your Bank started the Risk Capital operations in 2009 under the MSME Risk Capital Fund (MSME-RCF) with a committed corpus of ₹2,000 crore. The Fund has been fully drawn.

- एमएसएमई-आरसीएफ के अलावा स्टार्ट-अप्स और शुरुआती चरण वाले उद्यमों की मदद करने के उद्देश्य से सिडबी सुयोग्य स्टार्ट-अप्स की पहचान करके उनकी सहायता कर रहा है। आपके बैंक ने नैसकॉम तथा इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज राउंड टेबल (इस्पिरिट) के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन भी निष्पादित किया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 57 स्टार्ट-अप्स को कुल ₹57.48 करोड़ की सहायता मंजूर की जा चुकी है।

- **प्रत्यक्ष जोखिम पूँजी परिचालन**

  प्रत्यक्ष परिचालनों के अंतर्गत, सुस्थापित एमएसएमई इकाइयों (संवृद्धि पूँजी के रूप में) तथा शुरुआती चरण वाले स्टार्ट-अप्स (उनके परिचालनों को स्थिरता प्रदान करने के लिए) दोनों को जोखिम पूँजी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक जोखिम पूँजी सहायता के अंतर्गत बकाया (सकल) ₹918 करोड़ था।

- **अप्रत्यक्ष जोखिम पूँजी परिचालन**

  आपका बैंक "उद्यम पूँजी निधियों/निजी ईक्विटी निधियों" को भी सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में उद्यम पूँजी/निजी ईक्विटी निधियों को संचयी निवल वचनबद्धता ₹2,311 करोड़ की थी।

III.2. टिकाऊ विकास

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी ने विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों (जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) चरण I-30 बिलियन जापानी येन, चरण II-30 बिलियन जापानी येन, चरण III-30 बिलियन जापानी येन, एजेंसी फ्रैंकाइस डि डेवलपमेंट (एएफडी), फ्रांस- 50 मिलियन यूरो और क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफबउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी- 50 मिलियन यूरो) से प्राप्त लाइन

- Besides MSME-RCF, your Bank is also assisting start-ups and early stage ventures to identify and support deserving start-ups. Your Bank had also entered into formal understanding with NASSCOM and Indian Software Products Industries Round Table (ISPIRT). So far, 57 start-ups have been sanctioned assistance aggregating ₹57.48 crore under the scheme.

- **Direct Risk Capital Operations:**

  Under direct operations, risk capital is offered to both well established MSMEs (as growth capital) and also to early stage start-ups (to stabilize their operations). As at the end of FY 2015-16, the outstanding (gross) under Risk Capital assistance was ₹918 crore.

- **Indirect Risk Capital Operations:**

  Your Bank also extends assistance to "Venture Capital Funds / Private Equity Funds". The cumulative net commitments to VC / PE Funds as at the end of FY 2015-16 stood at ₹2,311 crore.

III.2 Sustainable Development

During the year under review, SIDBI operated focused concessional lending schemes for Energy Efficiency (EE) out of Lines of Credit (LoCs) from various multilateral / bilateral agencies, viz. Japan International Co-operation Agency (JICA) Phase I - JPY 30 billion, Phase - II – JPY 30 billion, Phase - III – JPY 30 billion, Agence Française de Développement (AFD),

ऑफ क्रेडिट के ज़रिए ऊर्जा दक्षता पर केन्द्रित रियायती ऋण योजनाएँ परिचालित कीं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, CO_2 उत्सर्जन में कमी लाना और कालान्तर में भारतीय एमएसएमई की लाभप्रदता में सुधार लाना है।

स्वच्छतर उत्पादन/पर्यावरण लाइन ऑफ क्रेडिट

एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादन के स्वच्छतर विकल्पों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने केएफडब्ल्यू से कुल 53.74 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए संविदा की है। इन लाइन ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य स्वच्छतर उत्पादन-निवेशों के ज़रिए उत्सर्जन व प्रदूषण को कम या समाप्त करना है। औद्योगिक समूहों में बड़ी संख्या में एमएसएमई को लाभ पहुँचाने वाले सामूहिक बहिस्राव-शोधन संयंत्र (सीईटीपी), कचरा-शोधन, भण्डारण व निस्तारण सुविधा, कचरा पुनर्चक्रण आदि में किए गए निवेश भी सहायता के लिए पात्र हैं। एकल एमएसएमई के ऐसे निवेश भी इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं जिनसे प्रदूषण नियंत्रण, कचरे में कमी और कच्चे माल की उत्पादकता में सुधार होगा। यथा 31 मार्च 2016, इन लाइन ऑफ क्रेडिट के अन्तर्गत 307 एमएसएमई को कुल ₹355 करोड़ से अधिक की सावधि ऋण सहायता प्रदान की जा चुकी है।

III.3. सेवा क्षेत्र वित्तपोषण

- सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक संवृद्धि का मुख्य नियामक बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्द्धन में लगभग 53% का योगदान किया। व्यापारिक प्रवाह, विदेशी निवेश अंतःप्रवाह तथा रोजगार की दृष्टी से भी यह क्षेत्र गतिशील है। भारत के सेवा क्षेत्र में कई प्रकार

France – EUR 50 million and Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany – EUR 50 million. The main objective of these schemes is to enhance energy efficiency, reduce CO_2 emissions and improve the profitability of the Indian MSMEs in the long run.

Cleaner Production/Environmental Lines of Credit

Your Bank has contracted LoCs aggregating EUR 53.74 million from KfW, Germany for promoting investment in cleaner production options in the MSME sector. The main objective of these LoCs is to achieve a reduction or avoidance of emission and pollution through cleaner production investments. Investment such as Common Effluent Treatment Plants (CETPs), waste treatment, storage & disposal facilities, waste recycling, etc., benefitting large number of MSMEs in the industrial clusters are also eligible under the assistance. Individual MSMEs going in for investments that will result in the pollution control, waste reduction, improvement in raw material productivity etc., are eligible for coverage under the line. As on March 31, 2016, 307 MSMEs have been assisted with an aggregate term loan of more than ₹355 crore under these LoCs.

III.3 Service Sector Financing

- The services sector remains the key driver of India's economic growth, contributing almost 53% of its gross value added in FY 2015-16. The sector is also vibrant in terms of contribution to trade flows, FDI inflows, and employment. India's services sector covers a wide variety of activities such as

की गतिविधियाँ समाहित हैं, जैसे व्यापार, होटल व रेस्तराँ, परिवहन, भण्डारण और संचार, वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा, व्यवसाय सेवाएँ, समुदाय, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएँ तथा निर्माण से जुड़ी सेवाएँ। सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, आपका बैंक सेवा क्षेत्र को अपने व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्रों में से एक मान कर उस पर ध्यान केन्द्रित करता आ रहा है।

trade, hotel and restaurants, transport, storage and communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, and services associated with construction. In view of the growing role of service sector, your Bank has been focusing on service sector as one of its niche areas in business.

III.4 प्राप्य वित्त

- एमएसएमई को उनकी प्राप्य राशियों की त्वरित वसूली में मदद करने और उसके ज़रिए देर से भुगतान मिलने की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से आपका बैंक 1991 से प्राप्य वित्त योजना (आरएफएस) परिचालित करता चला आ रहा है। इसके अंतर्गत अच्छे कार्यनिष्पादन वाली क्रेता कंपनियों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और पुर्जों, हिस्सों, उप-संयोजनों, सेवाओं आदि की आपूर्ति करनेवाली एमएसएमई/सेवा क्षेत्र की पात्र इकाइयों के मीयादी बिलों की भुनाई की जाती है, ताकि उक्त एमएसएमई/सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ अपनी बिक्री की राशि शीघ्रतापूर्वक पा सकें। आपका बैंक क्रेता कंपनियों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को बीजक भुनाई की सुविधा भी प्रदान करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वर्तमान प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। यथा 31 मार्च 2016, आरएफएस के अन्तर्गत कुल बकाया ₹ 1,596 करोड़ था।

III.4 Receivable Finance

- In order to help the MSMEs for quicker realization of their receivables, thereby addressing the problem of delayed payments, since 1991, your Bank has been operating Receivable Finance Scheme (RFS) under which it fixes limits to well-performing purchaser companies and discounts usance bills of MSMEs / eligible service sector units supplying components, parts, sub-assemblies, services, etc. so that the MSMEs / service sector units realise their sale proceeds quickly. Your Bank also offers invoice discounting facilities to the MSME suppliers of purchaser companies. The focus during the year under review was on strengthening the existing processes and guidelines. As on March 31, 2016, the gross outstanding under RFS was ₹ 1,596 crore.

IV. अल्प वित्त

आपका बैंक अल्प वित्त ऋणों (₹ 50,000 तक) और छूटे हुए मध्य क्षेत्र (₹ 50,000 से ₹ 10,00,000 तक के ऋणों) को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-

IV. Microfinance

Your Bank has been providing assistance for financing the micro finance loans (upto ₹ 50,000) and also the Missing Middle Segment (loans in

एमएफआई आदि के माध्यम से सहायता देता रहा है। छूटे हुए मध्य क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीयन के लिए एडीबी और केएफडब्ल्यू की ऋण-व्यवस्थाएं परिचालन में हैं।

यथा 31 मार्च 2016 कुल संचयी सहायता {जिसमें ऋण, ईक्विटी और अर्ध-ईक्विटी शामिल है, किन्तु इंडिया माइक्रो फाइनैंस ईक्विटी फंड (आईएमईएफ) और निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि (पीएसआईजी) निधि शामिल नहीं है} ₹10,769.17 करोड़ रही। यथा 31 मार्च 2016 बैंक का कुल अल्पवित्त बकाया 23% बढ़कर ₹2,996 करोड़ हो गया। सिडबी के माध्यम से प्रदत्त सहायता से लगभग 345 लाख गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएँ हैं।

अल्प वित्त में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

आपके बैंक ने निम्नलिखित समझौते किए

(i) क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफबउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी- 3 ऋण-व्यवस्थाओं के लिए (क) भारत में अल्प वित्त उत्पादों को गरीबों, विशेषकर महिलाओं की पहुँच में सुधार लाने के लिए 85 मिलियन यूरो तथा 1.69 मिलियन का वित्तीय योगदान; (ख) भारत में एमएसएमई क्षेत्र के "छूटे हुए मध्य क्षेत्र" की सहायता के लिए 100 मिलियन यूरो तथा 0.50 मिलियन का वित्तीय योगदान और (ग) भारत में एमएसएमई क्षेत्र के "अल्प वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम" हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता।

(ii) एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)- विशिष्ट वित्तीयन कार्यक्रमों के माध्यम से अति महत्त्वपूर्ण "छूटे हुए मध्य क्षेत्र" की सहायतार्थ

the range of ₹50,000 - ₹10,00,000) through NBFCs / NBFC-MFIs, etc. The Lines of Credit (LoCs) from ADB and KfW, Germany for financing Missing Middle enterprises are in operation.

The cumulative assistance (including loans, equity and quasi-equity but excluding India Micro Finance Equity Fund (IMEF) & Poorest States Inclusive Growth (PSIG) Fund) aggregated to ₹10,769.17 crore till March 31, 2016. The gross microfinance outstanding of the Bank increased by 23% to ₹2,996 crore as on March 31, 2016. The assistance through SIDBI has benefited around 345 lakh disadvantaged people, most of them being women.

International Partnership under Micro Finance

- Your Bank had entered into agreement with

  (i) Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany for 3 LoCs (a) EUR 85 million and financial contribution of EUR 1.69 million for improving access to microfinance products in India among the poor, particularly women; (b) EUR 100 million and financial contribution of EUR 0.50 million for assistance for 'Missing Middle' of the MSME sector in India and (c) USD 55 million assistance for 'Microfinance and Micro Enterprise' of the MSME sector in India;

  (ii) Asian Development Bank (ADB) for loan support of USD 50 million for providing SIDBI with long term

सिडबी को दीर्घकालिक निधीयन प्रदान करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता हेतु।

(iii) विश्व बैंक (डब्ल्यूबी)- 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण हेतु। इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अल्प ऋण संविभाग में सुधार लाने के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर एसडीआर भी शामिल है।

V. संवर्द्धनशील एवं विकासपरक (पीएंडडी) सहायता

एमएसएमई क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के अपने प्रयास के क्रम में आपका बैंक "क्रेडिट प्लस" दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें ऋण के साथ-साथ, इस क्षेत्र के संवर्द्धन व विकास के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है, ताकि यह क्षेत्र मज़बूत, गतिशील और प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे। कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं:

- **एमएसएमई परामर्श:** वाणिज्य बैंकों की योजनाओं की उपलब्धता, सरकारी सब्सिडी/लाभों के बारे में नये/वर्तमान उद्यमियों के मार्गदर्शन ऋण संबंधी सलाह तथा बैंकों की पूछताछ आदि का उत्तर देने के लिए आपके बैंक ने एमएसएमई परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं। एमएसएमई परामर्श केन्द्र उद्योग संघों के साथ मिलकर देश भर के एमएसएमई-समूहों की सेवा कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर सिडबी ने ऐसे ज्ञान-सहभागियों की नियुक्ति की है, जो एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक अनुभव रखनेवाले सेवा-निवृत्त बैंक अधिकारी हैं। इस काम के लिए इन ज्ञान-सहभागियों को उपयुक्त

funding to support the vital "missing middle" through specific financing programs; and

(iii) World Bank (WB) for loan of USD 300 million, including USD 200 million from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and SDR equivalent of USD 100 million from International Development Association (IDA) for upscaling the micro credit portfolio.

V. Promotional and Developmental (P&D) Support

In its endeavour towards holistic development of the MSME sector, your Bank adopts a 'Credit Plus' approach wherein, besides credit, your Bank provides grant support for the promotion and development of the sector to make it strong, vibrant and competitive. Some of the important initiatives are given below:

- **MSME Advisory:** Your Bank has set up MSME Advisory Centres (MACs) for guiding new / existing entrepreneurs regarding availability of schemes of commercial banks, government subsidies / benefits, debt counselling, answering queries raised by banks etc. The MACs have been serving MSME clusters across the country in partnership with Industry Associations. For manning the MACs, your Bank has appointed Knowledge Partners (KPs), who are retired bank officials, with vast experience of MSME sector. The KPs have also been suitably trained for the

प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब तक इन केन्द्रों से 12,500 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हो चुके हैं।

- **युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना:** आपके बैंक ने www.smallB.in नामक वेबसाइट विकसित की है, जो न केवल नये उद्यमियों, बल्कि वर्तमान व्यवसाय बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा उद्यमियों के लिए भी सत्याभासी पथ-प्रदर्शक और मार्गदर्शक मंच का काम करती है। कुछ समय पहले इस वेबसाइट को अंतरराष्ट्रीय एडीएफआईएपी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ शहरी सहकारी बैंकों का क्षमता विकास:** ग्रामीण/अर्ध-शहरी और दूरस्थ इलाकों तक अपनी पहुँच और उपस्थिति के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक परियोजना आरम्भ की, जो टियर-II बैंकों यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों के क्षमता-विकास पर केन्द्रित है और जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को ऋण-प्रवाह में वृद्धि करना है। इस परियोजना के अंतर्गत सिडबी इन बैंकों को क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान करता है। इसमें सूक्ष्म उद्यमों को ₹ 50,000/- से ₹ 10,00,000/- तक की सीमा में ऋण-प्रदायगी के लिए सिडबी द्वारा अपनी क्रियाविधि/ सॉफ्टवेयर को साझा करना और इस क्षेत्र में इन बैंकों के स्टाफ को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना भी शामिल है। इस क्रियाविधि के बारे में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में लगभग 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 10 शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्ष शामिल हो चुके हैं। साथ ही 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 5 शहरी सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ विस्तृत प्रशिक्षण-आवश्यकता विश्लेषण

purpose. So far, more than 12,500 MSMEs have benefited through MACs.

- **Promoting youth entrepreneurship:** Your Bank developed a website "www.smallB.in", which is a virtual mentor and handholding forum for new entrepreneurs and even for the existing entrepreneurs to grow their existing business. The website had bagged the International ADFIAP Awards in the past.

- **Capacity Building of Regional Rural Banks (RRBs) / Urban Co-operative Banks (UCBs):** RRBs / UCBs play an important role in providing credit to micro enterprises due to their proximity and presence in the rural / semi urban and remote areas. Your Bank initiated a project in FY 2012-13 focused at capacity building of Tier-II banks viz. RRBs / UCBs with an objective to enhance the credit flow to micro enterprise sector. Under the project, SIDBI extends capacity building support to these banks, which includes SIDBI sharing its methodology / software for lending micro enterprise loans in the range of ₹ 50,000/- to ₹ 10,00,000/- and arranging for training of staff of these banks in this area. Besides organising sensitization programmes on this methodology covering chairmen of about 27 RRBs and 10 UCBs, MoUs with 29 RRBs and 5 UCBs have been signed. After a detailed training need analysis with few RRBs, a comprehensive

के उपरान्त 2 दिवसीय वीडियो आधारित व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करके उसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर "प्रशिक्षक-प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 42 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों के 430 पदाधिकारी लाभान्वित हुए।

- **सूक्ष्म उद्यम प्रवर्तन कार्यक्रम (एमईपीपी)** : सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) का लक्ष्य चिह्नित क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से व्यापक उद्यम सहायता सेवाएं प्रदान करते हुए ऐसे व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों का प्रवर्तन करना है, जिनसे ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा हो सकें। अब तक 26 राज्यों के 126 जिलों में एमईपीपी का क्रियान्वयन हो चुका है। संचयी रूप से लगभग 42,000 उद्यम स्थापित हुए हैं।

- **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)**: आपका बैंक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है। इनका उद्देश्य खास तौर से दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में समाज के कम सुविधा-संपन्न वर्गों, जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को लक्ष्य करते हुए प्रेरित उद्यमियों का संवर्ग विकसित करना और रोजगार के अवसर जुटाने में सक्षम स्वरोजगार-परक उद्यमों का प्रवर्तन करने के साथ-साथ उद्यमियों का एक वर्ग निर्मित व विकसित करना है। यथा 31 मार्च 2016, बैंक ने कुल 3,191 ईडीपी के लिए सहायता दी है, जिससे विभिन्न लक्ष्य समूहों के 79,500 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। संचयी रूप से लगभग 39,500 प्रतिभागियों ने या तो अपनी इकाइयाँ लगा ली हैं अथवा इस क्षेत्र में लाभप्रद रूप में रोजगार हासिल कर चुके हैं।

- **कौशल विकास कार्यक्रम (स्टुप/सिमैप)**: एमएसएमई उद्यमियों की तकनीकी और प्रबन्धकीय क्षमताओं

2-day video based training module has been developed and pilot tested. Based on the training module, 'Training of Trainers' programmes have been conducted benefiting about 430 officials of 42 RRBs / UCBs.

- **Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP):** Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP) aims at promoting viable micro enterprises leading to employment generation in rural India by providing comprehensive enterprise support services through identified implementing agencies. MEPP has so far been implemented in 126 districts in 26 states. Cumulatively, about 42,000 enterprises have been set up.

- **Entrepreneurship Development Programmes (EDPs):** Your Bank's support to EDPs aims at building and nurturing a reservoir of entrepreneurs, while creating a cadre of motivated entrepreneurs and promotion of self-employed ventures capable of generating employment opportunities, especially in far-flung and rural areas targeting less privileged sections of the society like women, minorities and SCs/STs. As on March 31, 2016, a total of 3,191 EDPs had been supported by the Bank, benefiting more than 79,500 participants in various target groups. Cumulatively, about 39,500 participants have either set up their own units or have been gainfully employed in the sector.

- **Skill Development Programmes (STUPs / SIMAPs):** With a view to strengthening the technical and managerial capacities of the

को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आपका बैंक प्रतिष्ठित प्रबन्ध/प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता देता है, जिससे कि वे "कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप)" तथा "लघु उद्योग प्रबन्ध सहायक कार्यक्रम (सिमैप)" जैसे सुव्यवस्थित प्रबन्ध/कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर सकें।

- अपनी स्थापना के समय से सिडबी ने 1,560 स्टुप आयोजित किए हैं, जिससे लगभग 32,750 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। इन्हें केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पादप संस्थान (सिमैप) तथा अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी/प्रबन्ध संस्थानों के माध्यम से आयोजित किया गया। साथ ही, सर्वोच्च स्तर के राष्ट्र एवं राज्य-स्तरीय संस्थानों जैसे कानपुर/खड़गपुर/मुम्बई/चेन्नै स्थित आईआईटी, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर, मणिपाल इंस्टीट्यूट, बेंगलूरु द्वारा 302 सिमैप आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 9,100 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में युवा प्रतिभावान छात्रों को लाभ पहुँचा और अधिकतर प्रतिभागी एमएसएमई क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
- **क्लस्टर विकासः** आपके बैंक के क्लस्टर विकास दृष्टिकोण में व्यवसाय विकास सेवाएँ, प्रबन्धन पद्धतियाँ, विपणन संबंध स्थापित करना, उत्पाद/ डिजाइन विकास, विभिन्न तकनीकी कार्यों में कौशल उन्नयन आदि समाहित है। अभी तक सिडबी ने भारत भर के विभिन्न क्लस्टरों में 90 से अधिक क्लस्टर विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है, जिससे एमएसएमई/शिल्पकारों/उद्यमियों को लाभ पहुँचा है।

MSME entrepreneurs, your Bank supports reputed management / technology institutions to offer certain structured management / skill development programmes, viz. "Skill-cum-Technology Upgradation Programme" (STUP) and "Small Industries Management Assistants Programme" (SIMAP).

- Since its inception, SIDBI has supported 1,560 STUPs benefiting about 32,750 participants conducted by specialised institutions viz., Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET), Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP) and other reputed technical / management institutions. Further, 302 SIMAPs have been conducted by top rung national and state level institutions such as IITs at Kanpur / Kharagpur / Mumbai / Chennai, XLRI, Jamshedpur, Manipal Institute, Bengaluru benefiting about 9,100 participants. These programmes have benefited a large number of young bright students and most of the participants have joined the MSME sector.
- **Cluster Development:** The cluster development approach of your Bank includes business development services, management practices, establishment of marketing linkages, product / design development, skill up-gradation in different technical trades, etc. SIDBI has so far supported more than 90 Cluster Development Programmes (CDPs) in various clusters all over India, which have benefitted MSMEs / artisans / entrepreneurs.

- **विपणन गतिविधियाँः** एमएसएमई क्षेत्र में विपणन संबंधी समस्याओं के निराकरण की ज़रूरत है। इसे देखते हुए आपका बैंक इस क्षेत्र में विपणन के अवसर तलाशने और उन्हें मज़बूत करने में भी जुटा है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने 67 महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनियों/सेमिनारों/कार्यक्रमों के लिए सहायता दी, जिससे 12,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमी लाभान्वित हुए।

VI. संसाधन प्रबन्ध

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹22,664 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल ₹53,807 करोड़ के संसाधन जुटाए।

VII. सिडबी ऋण लिखतों की रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान क्रेडिट एनैलिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर) ने सिडबी के बकाया ऋण निर्गमों- ₹23,686.60 करोड़ के अप्रतिभूत बॉण्डों, ₹30,000 करोड़ की आरआईडीएफ जमा, ₹3,000 करोड़ के सावधि जमा कार्यक्रम के संबंध में "केयर एएए" (ट्रिपल ए) रेटिंग की पुनः पुष्टि की और ₹18,000 करोड़ के सीपी/सीडी कार्यक्रम के लिए "केयर ए1+ (ए वन प्लस)/ केयर एएए (ट्रिपल ए)" रेटिंग दी और साथ ही, केयर एएए(आईएस) (ट्रिपल ए) [इशुअर रेटिंग] की इशुअर रेटिंग भी दी। इसी प्रकार क्रिसिल ने भी ₹2,380 करोड़ के बकाया बॉण्डों के संबंध में "क्रिसिल एएए/स्थिर" रेटिंग जारी रखी। उपर्युक्त रेटिंग वाली लिखतों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला माना जाता है, जिनमें नगण्य निवेश जोखिम होता है।

VIII. मानव संसाधन

यथा 31 मार्च 2016, आपके बैंक में 1060 सक्रिय पूर्ण-कालिक स्टाफ-सदस्य कार्यरत थे, जिनमें से 908 अधिकारी,

- **Marketing Activities:** Having realised the need to address the marketing problems of MSME sector, your Bank is also engaged in creating and strengthening marketing initiatives for the sector. During FY 2016, the Bank supported 67 important exhibitions / seminars / events benefitting more than 12,000 MSME entrepreneurs.

VI. Resources Management

Resources aggregating ₹53,807 crore were raised by your Bank during FY 2015-16 as against ₹22,664 crore during FY 2014-15.

VII. Rating of SIDBI Debt Instruments

During FY 2015-16, Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) reaffirmed 'CARE AAA' (Triple A) rating in respect of outstanding debt issues of SIDBI viz., Unsecured Bonds of ₹23,686.60 crore, RIDF Deposits of ₹30,000 crore, Fixed Deposit Programme of ₹3,000 crore and 'CARE A1+ (A One Plus)/ CARE AAA (Triple A)' rating for the CP / CD Programme of ₹18000 crore and also assigned Issuer Rating of CARE AAA(Is)(Triple A [(Issuer Rating)]. Similarly, CRISIL also retained 'CRISIL AAA/ Stable' rating in respect of outstanding bonds of ₹2,380 crore. Instruments carrying the above ratings are considered to be of the best quality, carrying negligible investment risk.

VIII. Human Resources

As on March 31, 2016, your Bank had on its rolls 1060 active full time staff comprising 908

95 श्रेणी III के स्टाफ और 57 अधीस्थ स्टाफ-सदस्य हैं। कुल स्टाफ में से 186 अनुसूचित जाति, 74 अनुसूचित जनजाति तथा 171 अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। स्टाफ में 8 भूतपूर्व सैनिक, 29 दिव्यांग श्रेणी तथा 1 भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी, दोनों से संबंधित है। महिला कर्मचारियों की संख्या 234 है।

IX. सहायक/सहयोगी संस्थाएं

IX.1. सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना 1999 में निवेश प्रबन्धन कंपनी के रूप में उद्यम पूँजी निधियों के प्रबन्धन के उद्देश्य से की गई। शुरुआत से ही एसवीसीएल ने विविध क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता-युक्त, विकास-उन्मुख एमएसएमई को संवृद्धि पूँजी देना जारी रखा है। वर्तमान में ₹100 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह निधि वाले एसवीसीएल नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी), ₹500 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह निधि वाले एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), 421.30 करोड़ की आहरण-योग्य समूह-निधि वाले इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड (आईओएफ), ₹440 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह निधि वाली समृद्धि निधि (एसएफ), ₹40.83 करोड़ के टेक्स फंड (टीएफ), ₹200 करोड़ की लक्षित समूह-निधि वाले पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबी फंड) और ₹200 करोड़ की लक्षित समूह-निधि वाले महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फंड (एमएस फंड) के लिए निवेश प्रबन्धक के रूप में काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एसवीसीएल ने ₹39.78 करोड़ के आस्ति आधार पर ₹6.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

officers, 95 Class III staff and 57 Subordinate staff. Of the total staff, 186 belong to Scheduled Castes (SCs), 74 to Scheduled Tribes (STs) and 171 to Other Backward Classes (OBCs). The staff strength included 8 ex-servicemen, 29 Persons with Disabilities (PwD) categories and 1 in both ex-servicemen and Persons with Disabilities (PwD) categories. The strength of women employees is 234.

IX. Subsidiaries / Associates

IX.1 SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) was established in 1999 as an Investment Management Company for managing Venture Capital Funds (VCFs). Since inception, SVCL has continued to provide growth capital to high-quality, growth-oriented MSMEs across diversified sectors. SVCL, at present, is acting as the Investment Manager for National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT) with a committed corpus of ₹100 crore, SME Growth Fund (SGF) with a committed corpus of ₹500 crore, India Opportunities Fund (IOF) with a drawable corpus of ₹421.30 crore, Samridhi Fund (SF) with a committed corpus of ₹440 crore, TEX Fund (TF) of ₹40.83 crore, West Bengal MSME VC Fund (WB Fund) with a targeted corpus of ₹200 crore and Maharashtra State Social Venture Fund (MS Fund) with a targeted corpus of ₹200 crore. SVCL made a profit of ₹6.58 crore on an asset base of ₹39.78 crore during FY 2015-16.

IX.2 माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीः मुद्रा की स्थापना 08 अप्रैल 2015 को आपके बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में देश के "वित्त-वंचित" सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण के उद्देश्य से की गई है। मुद्रा उन बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को उधार देने का कारोबार करती हैं। इस प्रकार 'मुद्रा' अन्तिम छोर पर स्थित वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त तथा अन्य विकास-सहायता देकर उन्हें सुदृढ़ बनाता है और उनकी पहुँच का विस्तार करता है। इसके फलस्वरूप देश-पर्यन्त विद्यमान सूक्ष्म व्यवसायों को मदद मिलती है। मुद्रा के अधिदेश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को एक व्यवहार्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना भी समाहित है। मार्च 2016 के अन्त तक मुद्रा ने 22 अल्प वित्त संस्थाओं, 3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों और 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ₹3,783.20 करोड़ मंजूर किए हैं। इसमें से ₹3,337.20 करोड़ का संवितरण 31 मार्च 2016 तक किया जा चुका है।

IX.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की स्थापना 2000 में भारत सरकार और सिडबी ने की, ताकि यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) संचालित कर सके। इस योजना में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ₹100 लाख तक की उन ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी दी जाती है, जिनके लिए संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी नहीं ली गई है। ट्रस्ट ने 31 मार्च 2016 तक संचयी रूप से ₹1.1 लाख करोड़ की राशि के लिए 23.3 लाख गारंटियाँ अनुमोदित की हैं।

IX.2 Micro Units Development & Refinance Agency: MUDRA has been set up on April 08, 2015 as a wholly owned subsidiary of your Bank for 'funding the unfunded' micro enterprises in the country. MUDRA refinances banks, Micro Finance Institutions (MFIs) and other lending institutions, which are in the business of lending to micro / small business entities, engaged in manufacturing, trading and services activities. Thus, MUDRA strengthens the Last Mile Financial Institutions by extending refinance and other development support to expand their outreach. This in turn helps micro businesses across the length and breadth of the country. MUDRA's mandate also includes developing the micro enterprise sector into a viable economic sector. As at the end of March 2016, MUDRA had sanctioned ₹3,783.20 crore to 22 MFIs, 3 NBFCs, 17 PSBs and 3 RRBs. Out of the same, ₹3,337.20 crore was disbursed as on March 31, 2016.

IX.3 Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) was set up in 2000 by Government of India and SIDBI to operate the Credit Guarantee Scheme (CGS) for Micro and Small Enterprises (MSEs) which guarantees credit facilities upto ₹100 lakh extended by Member Lending Institutions (MLIs) in respect of those loans, which are not backed by collateral security and / or third party guarantees. The cumulative guarantees approved by the Trust till March 31, 2016 stood at 23.3 lakh for an amount of ₹1.1 lakh crore.

IX.4 स्मेरा रेटिंग लि.: सिडबी ने इन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डीएंडबी) और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कई बैंकों के साथ मिलकर सितंबर 2005 में स्मेरा रेटिंग्स लि. (स्मेरा) की स्थापना की। यह एमएसएमई के लिए समर्पित निष्पक्ष रेटिंग एजेंसी है, जो एमएसएमई को व्यापक, पारदर्शी रेटिंग देती है। अपने निगमित होने से 31 मार्च 2016 तक स्मेरा ने संचयी रूप से 37,554 एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग प्रदान की है। ये इकाइयाँ विभिन्न श्रेणियों, उद्योगों और राज्यों में फैली हुई हैं। स्मेरा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान देता रहा है। समस्त रेटिंग में इन उद्यमों की संख्या क्रमशः 77 और 21% है।

IX.5 इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आइसार्क) : इंडिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क) का निगमन 11 अप्रैल 2008 को हुआ और इसने 15 अप्रैल 2009 से व्यावसायिक परिचालन आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए उक्त आस्तियों का अभिग्रहण करना और अपनी नवोन्मेषी प्रणालियों के माध्यम से उनका समाधान प्रस्तुत करना है। यथा 31 मार्च 2016, आइसार्क के प्रबन्धनाधीन ₹380.86 करोड़ की आस्तियाँ हैं (प्रबन्धनाधीन सकल आस्तियाँ- ₹467.14 करोड़), जो बकाया सिक्युरिटी रिस्पिटस (एसआर) और तुलनपत्र आस्तियों से संबंधित हैं।

IX.6 इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेडः यह ऊर्जा दक्षता और माँग प्रबन्धन, नवीकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई क्लस्टर विकास एवं मूल्यांकन अध्ययन, क्षमता-विकास, जागरूकता विकास, कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए अपने विशेषज्ञ-दल की मदद से प्रौद्योगिकी-सलाह और परामर्श सेवाएँ

IX.4 SMERA Ratings Ltd.: SIDBI, alongwith Dun & Bradstreet (D&B) and several public and private sector banks, set up the SMERA Ratings Ltd. (SMERA) in September 2005, as an MSME dedicated third-party rating agency to provide comprehensive, transparent ratings to MSMEs. Cumulatively, since its incorporation, SMERA has assigned ratings to 37,554 MSME units up to March 31, 2016 spread across various categories, industries and states. SMERA has been providing special attention to micro and small enterprises which accounted for 77% and 21%, respectively, of its total ratings.

IX.5 India SME Asset Reconstruction Company Ltd.: India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC) was incorporated on April 11, 2008 and commenced its business operations on April 15, 2009 with the principal objective to acquire non-performing assets (NPAs) and to resolve them through its innovative mechanism with a special focus on the NPAs of MSME sector. As of March 31, 2016, ISARC has assets under management (AUM) of ₹380.86 crore (Gross AUM – ₹467.14 crore) representing outstanding Security Receipts (SRs) and balance sheet assets.

IX.6 India SME Technology Services Limited: It offers technology advisory and consultancy services for projects related to energy efficiency and demand management, renewable energy, MSME cluster development and evaluation studies, capacity building, awareness creation, skill development with the help of

प्रदान करता है। इस दल को ऊर्जा दक्षता, एमएसएमई क्षेत्र, बैंकिंग परियोजना वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजना प्रबंधन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। आईएसटीएसएल प्रौद्योगिकी के विकल्पों से संबंधित सूचनाएँ देने, मैच-मेकिंग, वित्त-समूहन और व्यवसाय समन्वयन तथा सेमिनार/बैठकों के आयोजन व विपणन सहायता जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है।

its team of experts having extensive experinece in energy efficiency, MSME sector, banking, project finance, renwable energy & project management. ISTSL also provides services such as providing information on technology options, match making, finance syndication and business collaborations and organizing seminars/ meets and providing market support.

X. पुरस्कार और सम्मान

आपके बैंक को वित्तीय समावेशन में वर्ग के अन्तर्गत उत्कृष्ट विकास परियोजना के अन्तर्गत 'मुद्रा' के लिए एडीएफआईएपी पुरस्कार 2016 प्राप्त हुआ है। अल्प वित्त के क्षेत्र में दो दशक से अधिक समय से किए जा रहे अग्रणी और पोषणकारी कार्यों के लिए इसे ऐक्सेस असिस्ट से 'माइक्रोफाइनेन्स इंडिया- कंट्रीब्यूशन टु द सेक्टर बाय ऐन एनैबलिंग इंस्टीट्यूशन' वर्ग के अन्तर्गत 'माइक्रोफाइनेन्स इंडिया अवार्ड्स-2015' भी प्राप्त हुआ है, जो 8 दिसम्बर 2015 को नयी दिल्ली में प्रदान किया गया।

आपके बैंक को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2015 के अंतर्गत वित्तीय संस्था वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), भारत सरकार की ओर से 14 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में दिया गया। साथ ही, इसने समग्रतः सर्वश्रेष्ठ आईटी प्रोजेक्ट वर्ग में क्रेडिट अप्राइजल एंड रेटिंग टूल (कार्ट) के लिए पीसीक्वेस्ट द्वारा प्रदत्त 'सर्वश्रेष्ठ आईटी क्रियान्वयन पुरस्कार 2016' भी प्राप्त किया। यह पुरस्कार 12 मार्च 2016 को हैदराबाद में दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक को लगातार तीसरे वर्ष बैंकिंग क्षेत्र वर्ग का सर्वश्रेष्ठ द्वितीय पुरस्कार 'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार

X. Awards and Recognitions

Your Bank has received ADFIAP Award 2016 under the Outstanding Development Project under financial inclusion category for MUDRA. It also bagged "Microfinance India Awards – 2015" organized by Access Assist under the "Microfinance India - Contribution to the Sector by an Enabling Institution" category on December 8, 2015 in New Delhi in recognition of the pioneering and nurturing work done by your Bank for more than two decades for the microfinance sector.

Your Bank was conferred the first prize in the National Energy Conservation Award 2015 under Financial Institutions category by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Govt. of India on December 14, 2015 at New Delhi. It also won 'Best IT Implementation Award 2016' by PCQuest for Credit Appraisal and Rating Tool (CART) in Overall Best IT Project category on March 12, 2016 at Hyderabad

During FY 2015-16, your Bank received the "Vigilance Excellence Award" - 2nd best in the Banking Sector category - instituted by

इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हैदराबाद द्वारा दिया जाता है।

उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की अखिल भारतीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आपके बैंक को लगातार तीसरी बार द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

मानव संसाधन वर्टिकल, सिडबी को उसके प्रशिक्षण कक्ष के प्रबन्धन के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम ऐक्रेडिटेशन सर्विस (यूकेएएस) से मान्यताप्राप्त एजेंसी- इंटरटेक सर्टिफिक्रेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया।

XI. आभार-ज्ञापन

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहायता के लिए निदेशक-मंडल धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही, विश्व बैंक समूह; जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यू.के.; क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफबउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; दि ड्युश जेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनाल ज़ुसमेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फंड फॉर ऐग्रीकल्चरण डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) फ्रांस, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी); भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) से प्राप्त अनवरत संसाधन सहायता और तकनीकी सहयोग के लिए भी निदेशक-मंडल उनका कृतज्ञता-ज्ञापन करता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास में लगे अन्य हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनकी भी सराहना करता है।

"Institute of Public Enterprises, Hyderabad", for the third consecutive year.

Your Bank was awarded the second prize for the consecutive third time by Govt. of India under All India Rajbhasha Kirti Puraskar Scheme for outstanding performance in Official Language Implementation.

The Human Resources Vertical, SIDBI was conferred with ISO 9001:2008 certification for management of its Training Cell by Intertek Certification Limited, an agency accredited by United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

XI. Acknowledgements

The Board acknowledges the valuable support received from the Government of India and the Reserve Bank of India. The Board is also thankful to the World Bank Group; Japan International Cooperation Agency (JICA); Department for International Development (DFID), U. K.; Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany; The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany; International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome; French Development Agency (AfD), France, Asian Development Bank (ADB) and Life Insurance Corporation of India Ltd. (LIC) for their continued resource support and technical co-operation. The Board places on record its appreciation for the co-operation extended to SIDBI by banks, state level institutions, industry associations and other stakeholders engaged in the promotion and development of the MSME sector.

बैंक अपने सभी ग्राहकों व निवेशकों को भी धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में उनसे सहयोग तथा अनवरत सहायता की आकांक्षा रखता है। बैंक को उच्चतर विकास-पथ पर आगे बढ़ाने में वर्ष-पर्यन्त लगातार सुदृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और समर्पण-भावना से जुटे रहनेवाले सिडबी के प्रत्येक स्तर के स्टाफ-सदस्यों की सेवाओं के लिए निदेशक मंडल उनकी प्रशंसा करता है।

The Bank also thanks all its customers and investors for their co-operation and looks forward to the continued support in the years to come. The Board recognizes and places on record its appreciation for the services of SIDBI staff, who, at all levels, showed strong and continued commitment, integrity and dedication to take the Bank on to a higher growth trajectory during the year.

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(Dr. Kshatrapati Shivaji)
Chairman & Managing Director

1

अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण

Economy and Micro, Small and Medium Enterprises – Performance and Outlook

17 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 'www.sidbistartupmitra.in' पोर्टल का शुभारंभ करते हुए।

Hon'ble President Shri Pranab Mukherjee launching 'www.sidbistartupmitra.in' portal on March 17, 2016 in New Delhi.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2016 के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2015 में 3.1% की वृद्धि दर्ज की और अनुमान है कि आगामी वर्षों में इसकी वृद्धि दर में और मजबूती आएगी। दुनिया भर में बाजार की धारणाओं में सुधार हो रहा है, जो सभी देशों में, विशेषकर तेल-आयातक देशों में माँग और आपूर्ति संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किए गए अतिसक्रिय नीतिगत प्रयासों से प्रेरित हैं। ये प्रयास इसलिए किए गए हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के लंबी अवधि तक रहने का अनुमान है। इससे वित्तीय बाजारों का विश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तदनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2016 में 3.2% की दर से तथा 2017 में 3.5% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि मुख्यतः उभरते हुए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से संचालित होगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी गति से बहाली के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकते हुए बिंदु की तरह उभरी, क्योंकि उसके सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7.6% की जोरदार वृद्धि हुई और वह चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई। इस तीव्र वृद्धि को कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की बेहतर वृद्धि तथा विनिर्माण क्षेत्र की सशक्त वृद्धि से बल मिला। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई अनुकूल कारक नजर आ रहे हैं, जैसे - विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति संबंधी उपाय, रुकी हुई परियोजनाओं का फिर से गति पकड़ना, समायोजी मौद्रिक नीति के साथ मुद्रा स्फीति का लक्षित स्तर से कम रहना, निजी उपभोग व्यय में वृद्धि आदि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र

आर्थिक वृद्धि में योगदान, रोजगार सृजन, उच्चतर पूंजी उत्पादकता, और आर्थिक संकट के दौर में भी दर्शाई गई समुत्थानशीलता एवं वृद्धि संभावना के नाते भारत का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक तंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र

The global economy, according to IMF's World Economic Outlook report, 2016, recorded a growth of 3.1% in 2015 which is projected to grow stronger in coming years. The world is witnessing improvements in market sentiments, fostered by more pro-active policy actions to lift demand and supply potential across the countries, especially in oil-importing countries as crude prices are envisaged to remain subdued for longer period. This could also help boost financial markets confidence. Accordingly, the global growth in 2016 is projected to grow at 3.2% and further increase to 3.5% in 2017, driven primarily by emerging markets and developing economies.

Amidst the slow recovery of global economy, Indian economy emerged as the bright spot by registering a robust GDP growth of 7.6% in FY 2015-16, thus becoming the fastest growing major economy in the world outpacing China. Such higher growth was buoyed by an increased growth in agriculture and allied sectors and a stronger growth in manufacturing. Indian economy is currently witnessing a number of favourable factors such as prudent fiscal policy measures, reignition of stalled projects, inflation under targeted level with an accommodating monetary policy, increase in private consumption expenditure, etc.

Micro, Small and Medium Enterprises Sector

The Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) sector in India is a strong pillar of socio-economic fabric of India through its contribution towards economic growth, employment generation, higher capital productivity, demonstrated resilience and growth potential even during periods of

में लगभग 50 मिलियन इकाइयाँ हैं और यह लगभग 111 मिलियन व्यक्तियो को रोजगार प्रदान करता है और इस मामले में यह कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है (तालिका 1.1)। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 1 रोजगार पैदा करने के लिए मात्र ₹5.3 लाख की जरूरत होती है, जबकि संगठित क्षेत्र में इसके लिए ₹6.7 लाख की जरूरत होती है। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 37.5%, विनिर्माण उत्पाद में 37% तथा समग्र निर्यात में 40% का

economic crisis. According to the estimates of the Ministry of MSME, Government of India, the sector comprises about 50 million units providing around 111 million jobs – the second largest after agriculture (Table 1.1). It just requires investment of ₹5.3 lakh to create one employment in MSME sector, whereas in the organized sector, the investment requirement is ₹6.7 lakh for the same. The sector also

तालिका 1.1 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र – उल्लेखनीय तथ्य
Table 1.1 : MSME Sector – Principal Characteristics

1. 2014-15 में उद्यमों की संख्या (लाख) No. of Enterprises in 2014-15 (lakh)	511
क. पंजीकृत इकाइयों का प्रतिशत हिस्सा / a. Percentage share of Registered Units*	29
ख. गैर-पंजीकृत इकाइयों का प्रतिशत हिस्सा / b. Percentage share of Un-registered units*	71
ग. सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रतिशत हिस्सा c. Percentage share of Socially Backward Classes (SCs/STs/OBCs)*	51
घ. ग्रामीण इकाइयों का हिस्सा / d. Percentage share of Rural Units*	55
ङ महिला उद्यमों का प्रतिशत हिस्सा / e. Percentage share of women enterprises*	7.4
2. 2014-15 में रोजगार (लाख) / Employment in 2014-15 (lakh)	1171
3. प्रति उद्यम औसत रोजगार (सं.) / Average Employment per Enterprise (No.)	2.3
4. प्रति रोजगार निवेश (₹ लाख) / Investment per employment (₹ Lakh)	5.3
5. क. ऋण प्राप्त करने वाले उद्यमों का प्रतिशत / a. Percentage of Enterprises availing loans	7.3
(i) संस्थागत स्रोतों से / (i) From Institutional Sources	5.2
(ii) गैर-संस्थागत स्रोतों से / (ii) From Non-institutional sources	2.1
5. ख. ऋण-रहित / स्ववित्तपोषित उद्यमों का प्रतिशत b. Percentage of Enterprises without loans / self-finance	92.7
6. 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा / Percentage share of GDP in 2012-13	37.5
7. 2012-13 में विनिर्माण उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा Percentage share in Manufacturing Output in 2012-13	37.3
8. 2012-13 में निर्यात में प्रतिशत हिस्सा / Percentage share in exports in 2012-13	40.0

* 2006-07 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम गणना आधारित / As per 2006-07 MSME Census.

टिप्पणी : जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, चुने हुए आँकड़े 2006-07 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम गणना से संबंधित हैं।
Note: Unless otherwise stated, the select data pertain to 2006-07 MSME Census.

योगदान भी करता है। 2007-08 और 2012-13 की अवधि के दौरान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 8.4% की दर से वृद्धि हुई, जो इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% की तुलना में अधिक है।

उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में उद्यमों की संख्या में 2008-15 के दौरान दर्ज हुई औसत वृद्धि दर 4.4% थी; फलस्वरूप इनकी कुल संख्या 51.1 मिलियन हो गई, जो 6000 से अधिक उत्पाद बनाते हैं (तालिका 1.2)।

contributes 37.5% of India's GDP, 37% of manufacturing output and 40% of overall exports. During the period 2007-08 and 2012-13, the MSME sector grew faster at 8.4% than GDP at 7.1%.

It may be noted that the number of enterprises in MSME sector recorded an average growth rate of 4.4% during 2008-15 (Table 1.2) to reach to 51.1 million enterprises producing more than 6000 products.

तालिका 1.2: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कार्यनिष्पादन, रोजगार तथा निवेश
Table 1.2: Performance of MSME, Employment and Investments

वर्ष **Year**	**कुल परिचालनरत उद्यम** (लाख में) **Total Working Enterprises** (in Lakh)	**रोजगार** (लाख में) **Employment** (in Lakh)
2006-07	361.76	805.23
2007-08#	377.36	842.00
2008-09#	393.70	880.84
2009-10#	410.80	921.79
2010-11#	428.73	965.15
2011-12#	447.64	1,011.69
2012-13#	447.54	1,061.40
2013-14#	488.46	1,114.29
2014-15#	510.57	1,171.32

- अनुमानित / Projected.

टिप्पणीः 1. थोक/ खुदरा व्यापार, कानूनी शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएँ, होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन और भंडारण एवं मालगोदाम (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) गतिविधियों सहित, जिनके लिए आँकड़ें प्राप्त किए गए। आर्थिक गणना 2005, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

Notes: 1. Including activities of wholesale/retail trade, legal, education & social services, hotel & restaurants, transports and storage & warehousing (except cold storage) for which data were extracted Economic Census 2005, Central Statistics Office, MOSPI.

2. थोक/ खुदरा व्यापार, कानूनी शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएँ, होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन और भंडारण एवं मालगोदाम (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) गतिविधियों के लिए गैर-पंजीकृत क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त प्रति उद्यम मूल्य के आधार पर अनुमानित, जिन्हे चौथी अखिल भारतीय गैर पंजीकृत क्षेत्र की एमएसएमई, अपंजीकृत क्षेत्र गणना से बाहर रखा गया था।

2. Estimated on the basis of per enterprises value obtained from sample survey of unregistered sector for activities wholesale/retail trade, legal, education & social services, hotel & restaurants, transports and storage & warehousing(except cold storage) which were excluded from Fourth All India Census of MSME, unregistered sector.

2008-15 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर 4.8% रही, जिसमें सर्वोच्च वृद्धि दर 2014-15 के दौरान रही, जो 5% थी।

तालिका 1.3 में यह भी द्रष्टव्य है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का हिस्सा घटता जा रहा है: 2006-07 में यह 7.7% था, जो 2012-13 में 7% रह गया। इसके अतिरिक्त, कुल विनिर्माण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण का हिस्सा भी कम हुआ है और उसी अवधि मे यह 42% से घटकर 37.3% हो गया है। पर साथ ही, कुल सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हिस्सा 2006-07 के 35.1% से बढ़कर 2012-13 में 37.5% हो गया है।

ऋण उपलब्धता की स्थिति

- कुल बकाया ऋण में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र का हिस्सा पिछले दशक में बढ़ता आ रहा है। तालिका 1.4 से द्रष्टव्य है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में सूक्ष्म

The MSME sector registered an employment growth rate of 4.8% during 2008-15, peaking to 5% in 2014-15.

It may also be observed from Table 1.3 that the share of manufacturing sector MSME in total GDP had been declining: from 7.7% in 2006-07 to 7% in 2012-13. Also, the share of MSME manufacturing in total manufacturing had also declined from 42% to 37.3% during the same period. At the same time, the share of services sector MSME in total GDP had increased from 35.1% in 2006-07 to 37.5% in 2012-13.

Status of Credit Availability

- The MSE sector's share in total credit outstanding has been increasing over the last decade. It may be noted from Table 1.4

तालिका 1.3: सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पाद का योगदान
Table 1.3: Contribution of MSME Output in GDP

वर्ष Year	कुल सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का हिस्सा (%) Share of MSME Sector in total GDP (%)			कुल विनिर्माण उत्पाद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विनिर्माण उत्पाद का हिस्सा Share of MSME Manufacturing Output in total Manufacturing Output (%)
	विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम Manufacturing Sector MSME	सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम Services Sector MSME	कुल Total	
2006-07	7.7	27.4	35.1	42.0
2007-08	7.8	27.6	35.4	42.0
2008-09	7.5	28.6	36.1	40.8
2009-10	7.5	28.6	36.1	39.6
2010-11	7.4	29.3	36.7	38.5
2011-12	7.3	30.7	38.0	37.5
2012-13	7.0	30.5	37.5	37.3

तालिका 1.4: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण संबंधी आँकड़े
Table 1.4: MSME Credit Outstanding Data by Scheduled Commercial Banks

(₹ लाख करोड़ / lakh crore)

वित्तीय वर्ष (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार) Financial Year (Last Reporting Friday)	सूक्ष्म Micro	लघु Small	सूक्ष्म एवं लघु MSE	मध्यम Medium	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME	कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण का हिस्सा प्रतिशत में MSE credit as % of total priority sector lending	एएनबीसी में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण का हिस्सा प्रतिशत में MSE credit as % of ANBC
मार्च 2008 March 2008	0.79	1.34	2.14	उन NA	उन NA	30.34	7.80
मार्च 2009 March 2009	0.99	1.57	2.56	उन NA	उन NA	31.14	11.30
मार्च 2010 March 2010#	1.50	2.13	3.62	उन NA	उन NA	31.82	13.40
मार्च 2011 March 2011	2.01 (34.0)	2.78 (30.5)	4.79 (32.3)	1.29	6.08	35.74	15.00
मार्च 2012 March 2012	2.18 (8.6)	3.10 (11.5)	5.28 (10.3)	1.54 (19.1)	6.81 (12.1)	35.25	16.50
31 मार्च 2013 March 31, 2013	2.81 (29.2)	4.06 (31.0)	6.87 (30.2)	1.82 (18.4)	8.69 (27.6)	40.56	14.80
31 मार्च 2014 March 31, 2014	3.55 (26.2)	4.96 (22.3)	8.51 (23.9)	1.89 (3.9)	10.40 (19.7)	39.15	15.70
31 मार्च 2015 March 31, 2015	4.24 (19.4)	5.37 (8.3)	9.61 (12.9)	2.10 (11.1)	11.71 (12.6)	40.41	17.80
18 मार्च 2016@ March 18, 2016@ [20 मार्च 2015] [March 20, 2015]	उन NA	उन NA	8.5 (5.9) [8.0]	उन NA	उन NA	42.10	NA

छोटे कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रतिशत वृद्धि दरें हैं।
Figures in parentheses are percentage growth rates.

\# 2010 से खुदरा व्यापार के आँकड़े सेवा क्षेत्र में शामिल हैं।
Retail trade data included in services sector since 2010.

@ 18 मार्च 2016 के आँकड़े पिछले आकंड़ों, जो 31 मार्च के आँकड़े हैं, के साथ कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं। अतः तुलना के प्रयोजन से 20 मार्च 2015 के आँकड़े भी बड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।
March 18, 2016 data not strictly comparable with earlier data which are March 31 data. Hence, for comparison purpose, March 20, 2015 data are also given in the square bracket.

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।
Sources : Reserve Bank of India.

एवं लघु उद्यम क्षेत्र का हिस्सा 2007-08 के 30.3% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 42.1% हो गया और कुल ऋण (एएनबीसी)1 में 7.8% से बढ़कर 2014-15 में 17.8% हो गया। 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इसने 17.7% की औसत वृद्धि दर दर्ज की, जो इसी अवधि की गैर-खाद्य बकाया ऋण वृद्धि की तुलना में बेहतर थी। तथापि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण वृद्धि दर में पिछले तीन वर्ष से गिरावट आ रही है और यह वित्तीय वर्ष 2012-13 के 30.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 23.9%, वित्तीय वर्ष 2014-15 में 12.9% तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5.9% रह गई।

- यदि मध्यम उद्यम क्षेत्र को भी शामिल किया जाए, जो कि अब प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का भाग है, तो हम पाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मध्यम उद्यम क्षेत्र को कुल ऋण का 17.9% प्राप्त हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की बकाया ऋण वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति प्रकट हो रही है और यह मार्च 2013 के 27.6% से घटकर मार्च 2015 में 12.6% रह गई।

नीतियाँ और उपाय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय किए हैं। प्रमुख नए प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है :

❖ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को सिडबी के पूर्ण

1 प्राथमिकता क्षेत्र उधार के उद्देश्य से, ए एन बी सी से आशय है - भारत में बकाया बैंक ऋण (जैसेकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत (यथा 31 मार्च विशेष वितरणी) फॉर्म 'ए' की मद सं.vi में विनिर्दिष्ट है) घटा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं से पुनर्भुनाईकृत बिल, जमा अनुमति-प्राप्त परिपक्वता तक धारित गैर-एस एल आर निवेश, जमा अन्य वर्गों के ऐसे निवेश, जो प्राथमिकता क्षेत्र उधार का हिस्सा माने जाने के लिए पात्र हैं (जैसे-प्रतिभूतीकृत आस्तियों में निवेश)..

that the share of MSE sector in priority sector lending increased from 30.3% in 2007-08 to 42.1 % in FY 2015-16 and in total credit (ANBC)[1], increased from 7.8% to 17.8% in FY 2014-15. It recorded an average growth rate of 17.7% during FY 2011-12 to FY 2015-16, which was higher than the non-food credit outstanding growth during the similar period. However, the MSE credit growth rate has been decelerating since last 3 years from 30.2% in FY 2012-13 to 23.9% in 2013-14, 12.9% in FY 2014-15 and 5.9% in FY 2015-16.

- If one includes the medium enterprises sector which is now a part of priority sector lending, medium enterprise sector received 17.9% of total credit in FY 2014-15. The credit outstanding of MSME sector has been showing a declining growth trend from 27.6% in March 2013 to 12.6% in March 2015.

Policies and Measures

In order to boost the MSME sector and augment credit flow, the Government of India and Reserve Bank of India have taken a number of policy measures. The major initiatives are briefed as under:

❖ **Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA]** was set up on April

1 For the purpose of priority sector lending, ANBC denotes the outstanding Bank Credit in India [(As prescribed in item No.VI of Form 'A' (Special Return as on March 31st) under Section 42 (2) of the RBI Act, 1934] minus bills re-discounted with RBI and other approved Financial Institutions plus permitted non SLR investments in Held to Maturity (HTM) category plus investments in other categories, which are eligible to be treated as part of priority sector lending (eg. investments in securitised assets)..

स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए सभी बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त के जरिए देश के 'निधि वंचित सूक्ष्म उद्यमों का वित्तपोषण' करना है।

- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** यह आय अर्जक छोटे व्यवसाय उद्यमों के वित्तपोषण की योजना है, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस योजना के जरिए सभी बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के ऋण प्रदान करें, चाहे वे इसके लिए मुद्रा से पुनर्वित्त सहायता लें या न लें। 31 मार्च 2016 तक 348.81 लाख उधारकर्ताओं को ₹1,37,449 करोड़ मंजूर किए गए।

- मुद्रा कार्ड : मुद्रा कार्ड एक नवोन्मेषी ऋण उत्पाद है, जो उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी व्यवस्था की सुविधा प्रदान करता है। चूंकि मुद्रा कार्ड एक रूपे डेबिट कार्ड है, अतः इसका उपयोग एटीएम अथवा कारोबार प्रतिनिधि से नकदी आहरण के लिए या क्रय-बिन्दु (पीओएस) मशीन का प्रयोग करते हुए खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। मार्च 2016 की समाप्ति तक ₹1,477 करोड़ हेतु 5.17 लाख कार्ड जारी किए गए।

- **मुद्रा क्रेडिट गारंटी** : वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप, मुद्रा ऋणों के लिए एक पृथक ऋण गारंटी निधि बनाई गई, जिसकी आरंभिक समूह निधि ₹3000 करोड़ है। मुद्रा ऋण गारंटी योजना के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (एनसीजीटीसी) कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना की अधिसूचना जारी की जा चुकी।

8, 2015 as a wholly-owned subsidiary of SIDBI for 'funding the unfunded' micro enterprises in the country by providing refinance to all banks, Micro-finance Institutions (MFIs) and other lending institutions for loans up to ₹10 lakh.

- **Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):** A scheme to finance income generating small business enterprises was launched on April 08, 2015 by the Hon'ble Prime Minister, whereby all banks are required to finance micro entrepreneurs upto ₹10 lakh, irrespective of whether they avail of refinance support from MUDRA or not. As on March 31, 2016, ₹1,37,449 crore was sanctioned to 348.81 lakh borrowers.

- **MUDRA Card:** MUDRA Card is an innovative credit product which provides a facility of working capital arrangement in the form of an overdraft facility to the borrower. Since MUDRA Card is a RuPay debit card, it can be used for drawing cash from ATM or Business Correspondent or make purchase using Point of Sale (POS) machine. As at the end of March 2016, 5.17 lakh cards for ₹1,477 crore were issued.

- **MUDRA Credit Guarantee:** As announced by the Hon'ble Finance Minister in the budget for FY 2015-16, a separate credit guarantee fund was created for MUDRA Loans, with an initial corpus of ₹3000 crore. National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) is the implementing agency for MUDRA Credit Guarantee scheme. The scheme has been notified.

❖ स्टार्ट-अप इंडिया

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को आरंभ किए गए 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवोन्मेष तथा स्टार्ट-अप्स का पोषण करने के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण करना है, जो टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि के संवाहक बनेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्टार्ट-अप्स पर विनियामकीय बोझ कम कर उन्हें अपने मूलभूत व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने देना और उनकी अनुपालन लागत को कम रखना है। कार्य योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैः (क) सरलीकरण और पथ-प्रदर्शन (ख) निधीयन सहायता और प्रोत्साहन तथा (ग) उद्योग एवं अकादमिक जगत के बीच साझेदारी एवं संपोषण।

'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा उसे गति देने के लिए सिडबी ने एक वेब पोर्टल 'सिडबी स्टार्ट-अप मित्र' आरंभ किया है, जो देश के स्टार्ट-अप पारितंत्र के लिए मददगार है। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 16

❖ Start-Up India

'Start-Up India' programme, launched by Hon'ble Prime Minister on January 16, 2016, intends to build a strong eco-system for nurturing innovation and start-ups in the country that will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. The prime objective of the scheme is to reduce the regulatory burden on start-ups, thereby allowing them to focus on their core business and keep compliance cost low. The Action Plan is divided across the following areas: (a) Simplification and Handholding, (b) Funding Support and Incentives and (c) Industry-Academia Partnership and Incubation.

In order to strengthen and accelerate 'Start-up India' programme, SIDBI launched a web portal 'www.sidbistartupmitra.in' to promote the start-up ecosystem in the

स्टार्ट-अप्स और एम एस एम ई को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
बाएँ से दाएँः डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, सीएमडी, सिडबी; श्री जयन्त सिन्हा, तत्कालीन वित्तीय राज्य मंत्री और श्री के. रॉय, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम।
Signing of MoU with LIC to promote start-ups and MSMEs. From left to right: Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI, Shri Jayant Sinha, the then Minister of State for Finance and Shri K. Roy, Chairman, LIC

जनवरी 2016 को किया गया और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का सहयोग प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों नामतः स्टार्ट-अप उद्यमियों, संपोषकों, निवेशकों (एंजेल/वेंचर कैपिटल फर्म), सलाहकारों, उद्योग निकायों, बैंकों को इस वेब पोर्टल पर लाना और शुरुआती चरण के उद्यमों तथा स्टार्ट-अप उद्यमों की वित्तपोषण एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि स्टार्ट-अप पारितंत्र देश में नवोन्मषों की लहर ला सके। लगभग 500 स्टार्ट-अप्स, 48 संपोषक तथा 50 निवेशक इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं।

❖ **स्टैंड-अप इंडिया**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 05 अप्रैल 2016 को 'स्टैंड अप इंडिया योजना' का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम 2 नए उद्यमों (एक उद्यम अनुसूचित जाति /

country. Launched by Hon'ble President of India on January 16, 2016 and supported by Department of Science and Technology, Government of India, the main objective of the platform is to bring all the stakeholders (namely start-up entrepreneurs, incubators, investors (angels/ Venture Capital Firms), advisors, industry bodies, Banks) onto this web portal and to meet the financing and other needs of the early stage and start-up enterprises, so that the start-up ecosystem is facilitated to usher in a wave of innovations in the country. Around 500 start-ups, 48 incubators and 50 investors have already registered on this platform.

❖ **Stand-up India**

Hon'ble Prime Minister launched "Stand-up India Scheme" on April 05, 2016 to promote entrepreneurship among SCs/STs and Women entrepreneurs. The Scheme is intended to provide credit from ₹10 lakh

फिक्की द्वारा 27 अक्तूबर 2015 को आयोजित कैपम 2015
CAPAM 2015 organised by FICCI on October 27, 2015

जनजाति के लिए तथा एक उद्यम महिला के लिए) को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण प्रदान किए जाएं। आशा है कि इससे लगभग 2.5 लाख उधारकर्ता लाभान्वित होंगे। स्टैंड-अप इंडिया योजना को निम्नलिखित के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है:

- सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा, जिसके लिए आरंभ में ₹10,000 करोड़ की राशि रखी गई है।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण गारंटी कार्यप्रणाली की स्थापना।
- ऋण सुविधा स्टैंड अप इंडिया वेब-पोर्टल www.standupmitra.in के माध्यम से। इसे आवेदन फॉर्म प्राप्त करने और जानकारी देने, पंजीकरण करने, हैंडहोल्डिंग, सहायता और ट्रैकिंग के लिए कड़ी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। पोर्टल पर 1.07 लाख से अधिक बैंक शाखाएं तथा 17,000 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियाँ हैं और यह सत्याभासी ऋण बाजार के तौर पर कार्य करते हुए इच्छुक उधारकर्ताओं के लिए मंजूरी-पूर्व और मंजूरी-पश्चात मैच-मेकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

❖ **नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग तथा उद्यमिता संवर्द्धन योजना (एस्पायर)**

- एस्पायर का शुभारंभ मार्च 2015 में देश भर में प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क तथा संपोषण केंद्रों की स्थापना के लिए किया गया था, ताकि उद्यमिता में गति आए और ग्रामीण एवं कृषि-उद्योग में नवोन-मेष तथा उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप्स

to ₹1 crore to at least two new enterprises (one enterprise for SC/ST and one for women) per bank branch and is expected to benefit at least 2.5 lakh borrowers. The Stand-up India Scheme is strengthened by:

- Refinance window through SIDBI with an initial amount of ₹10,000 crore.
- Creation of a credit guarantee mechanism through the National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC).
- Loan facilitation through the Stand-up India web portal *www.standupmitra.in,* which is designed to obtain application forms and provide information, enable registrations, provide links for handholding, assist, tracking and monitoring. The portal with more than 1.07 lakh bank branches and 17,000 handholding agencies, is functioning as a virtual loan market place offering pre-sanction as well as post-sanction match-making services for loan seekers.

❖ **A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE)**

- ASPIRE was launched in March 2015 to set up a technology centre network across-the-country and incubation centres to accelerate entrepreneurship, promote start-ups for innovation and entrepreneurship in rural and agro-

को बढ़ावा मिले। यह योजना व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु आवश्यक कौशल-सेट प्रदान करने तथा उद्यमियों को बाजार संपर्क-सूत्र स्थापित करने में मदद करने एवं संकट के समय हैंडहोल्डिंग प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, ताकि आत्म-निर्भरता सुनिश्चित हो सके।

- सबसे महत्वपूर्ण घटक है आजीविका व्यवसाय संपोषकों की स्थापना करना । दूसरा घटक है प्रौद्योगिकी व्यवसाय संपोषकों की स्थापना, जो मौजूदा संपोषण केंद्रों एवं नए संपोषण केंद्रों को सहयोग प्रदान करेंगे।

- योजना के अंतर्गत अगले साल तक देश भर में 500 नए संपोषण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

- इसका उद्देश्य सिडबी के माध्यम से वित्त के नवोन्मेषी साधनों, जैसे - ईक्विटी, अर्ध-ईक्विटी, एंजेल निधि, उद्यम पूँजी निधि, प्रभावी निधि, चुनौती निधि आदि का प्रयोग करते हुए स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए ढाँचा तैयार करना भी है, ताकि रचनात्कमता और विस्तारक्षमता संपन्न विचारों / नवोन्मेषों को सामने लाया जा सके और उन्हें विशिष्ट परिणामों के साथ तथा निर्धारित समयावधि के भीतर वाणिज्यिक उपक्रमों में बदला जा सके।

❖ **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण में आसानी**

- 'कारोबार करने में आसानी' के एक भाग के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने एक पृष्ठ का सरल पंजीकरण फॉर्म 'उद्योग आधार ज्ञापन' आरंभ किया, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का आसान और त्वरित

industry. The scheme is designed to provide necessary skill-set for setting up business enterprises and also to facilitate the market linkages available to entrepreneurs and hand-holding for a critical period to ensure self-sustainability.

- The most important component is to set up Livelihood Business Incubators (LBIs). The second component is to set up Technology Business Incubators (TBIs) to support existing incubation centres and also new incubation centres.

- Under the scheme, 500 new incubation centres will be set up all over India by next year.

- It is also to create a framework for Start-up Promotion through Small Industries Development Bank of India (SIDBI) by using innovative means of finance like Equity, Quasi-Equity, Angel fund, Venture capital fund, Impact funds, Challenge funds etc. to enable ideas/innovation with creativity and scalability to come to the fore and convert these into commercial enterprises with specific outcomes and within a specific time period.

❖ **Easing of registration of MSMEs**

- As a part of 'Ease of Doing Business', the Ministry of MSME, GoI introduced a simple one-page registration form 'Udyog Aadhaar Memorandum' to facilitate easier and

पंजीकरण संभव हो सके। उक्त एक पृष्ठ का सरल पंजीकरण फॉर्म एक स्व-घोषणा प्ररूप होगा, जिसमें इकाई के अस्तित्व, बैंक खाता विवरण, प्रवर्तक / मालिक के आधार का विवरण, अन्य अपेक्षित न्यूनतम मूलभूत जानकारी आदि का समावेश है। उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने का कोई शुल्क नहीं होगा।

faster registration of MSMEs. The one-page simplified registration form would constitute a self-declaration format which includes the unit's existence, bank account details, promoter/owner Aadhaar details, other minimum basic information required, etc. There shall be no fee for filing the UAM.

❖ **केंद्रीय बजट 2016-17**

केंद्रीय बजट 2016-17 "भारत रूपांतरित करें" के थीम पर आधारित है। उक्त बजट में यह कार्य "नौ स्तंभों" के माध्यम से पूरा करने की परिकल्पना की गई है, जो अग्रलिखित हैं: कृषि एवं कृषक-कल्याण (पाँच वर्ष में किसानों की आय दुगनी करने पर बल के साथ); ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण रोजगार और मूलभूत ढाँचे पर बल के साथ); स्वास्थ्य-देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र (सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा); शिक्षा, कौशल तथा रोजगार सृजन (ताकि भारत को एक ज्ञान-आधारित एवं उत्पादक समाज बनाया जा सके); मूलभूत ढाँचा और निवेश (ताकि दक्षता एवं जीवन की गुणवत्ता में वृध्दि); वित्तीय क्षेत्र सुधार (ताकि पारदर्शिता एवं स्थिरता आए); अभिशासन एवं कारोबार करने में आसानी ; राजकोषीय अनुशासन; और कर सुधार। केंद्रीय बजट 2016-17 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं:

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन के अंतर्गत 300 शहरी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
- ₹5 करोड़ से कम के कुल कारोबार वाली छोटी कंपनियों के लिए निगमित कर की नीची दर, जो 29% + अधिभार एवं उपकर होगी।

❖ **Union Budget 2016-17**

The Union Budget 2016-17 is based upon the theme of "Transform India". The Budget proposes to accomplish this through "nine pillars" that include: Agriculture and Farmers' Welfare (with focus on doubling farmer's income in five years); Rural Sector (with emphasis on rural employment and infrastructure); Social sector including healthcare (to cover all under welfare and health services); education, skills and job creation (to make India a knowledge based and productive society); infrastructure and investment (to enhance efficiency and quality of life); financial sector reforms (to bring transparency and stability); governance and ease of doing business; fiscal discipline; and tax reforms. Some of the highlights of the Union Budget 2016-17 relating to MSME sector are:

- 300 Urban Clusters will be developed under the Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission.
- Lower Corporate tax for small companies with turnover of less than ₹5 crore at 29% surcharge plus cess.

- स्टार्ट-अप्स को 3 वर्ष के लिए 100% कर छूट मिलेगी, मैट को छोड़कर । यह अप्रैल 2016 से 2019 तक लागू रहेगी।

- स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत, 2.5 लाख अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए ₹ 500 करोड़ की व्यवस्था की गई।

- आयकर अधिनियम की धारा 44एडी के अधीन पूर्वधारणा आधारित कराधान योजना के अंतर्गत कुल कारोबार की सीमा बढ़ाकर ₹ 2 करोड़ की गई, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्ग में विद्यमान कर-निर्धारितियों की बड़ी संख्या को बड़ी राहत मिले।

- 01 मार्च 2016 को अथवा उसके बाद निगमित नई विनिर्माण कंपनियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि उन पर 25% + अधिभार एवं उपकर की दर से कर लगाया जाएगा, बशर्ते वे लाभ आधारित अथवा निवेश आधारित कटौतियों का दावा नहीं करें और निवेश छूट एवं त्वरित मूल्यह्रास प्राप्त न करें।

- 50% मानित लाभ वाली पूर्वधारणा कराधान योजना का विस्तार ₹ 50 लाख तक की सकल प्राप्तियों वाले प्रोफेशनल्स तक किया जाए।

- सरफेसी अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी एआरसी का प्रायोजक एआरसी में 100% तक हिस्सेदारी रख सके और गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने की अनुमति दी जा सके। इससे बैंकिंग क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में मदद मिलेगी।

- Start-ups to get 100% tax exemption for 3 years except MAT which will apply from April 2016-2019.

- Under Stand-Up India, ₹500 crore provided to benefit 2.5 lakh Scheduled Caste (SC) / Scheduled Tribe (ST) and women entrepreneurs.

- Increase the turnover limit under Presumptive taxation scheme under section 44AD of the Income Tax Act to ₹2 crore in order to bring big relief to a large number of assesses in the MSME category.

- New manufacturing companies incorporated on or after March 01, 2016 to be given an option to be taxed at 25% + surcharge and cess, provided they do not claim profit linked or investment linked deductions and do not avail of investment allowance and accelerated depreciation.

- Extend the presumptive taxation scheme with profit deemed to be 50%, to professionals with gross receipts up to ₹50 lakh.

- Proposes to make necessary amendments in the SARFAESI Act 2002 to enable the sponsor of an ARC to hold up to 100% stake in the ARC and permit non-institutional investors to invest in Securitization Receipts. This would tackle the problem of stressed assets in the banking sector.

- वित्तीय फर्मों के समाधान की व्यापक संहिता लाने का प्रस्ताव है। यह संहिता बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में दिवालिएपन की स्थिति का सामना करने के लिए विशेषीकृत समाधान कार्यप्रणाली का प्रावधान करेगी। अधिनियमित होने पर यह संहिता दिवालियापन एवं बैंकरप्सी संहिता 2015 के साथ मिलकर, हमारी अर्थव्यस्था के लिए व्यापक समाधान कार्यप्रणाली प्रदान करेगी।

- Proposes to introduce a comprehensive Code on Resolution of Financial Firms. This Code will provide a specialised resolution mechanism to deal with bankruptcy situations in banks, insurance companies and financial sector entities. This Code, together with the Insolvency and Bankruptcy Code 2015, when enacted, will provide a comprehensive resolution mechanism for our economy.

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपाय

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत 25 आधार बिन्दु घटाई, जिससे वह 6.75% से कम होकर 6.5% रह गई। इससे उधार की लागत कम करने में मदद् मिलेगी।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित किए जाने वाले नए ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिसकाउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना और परिचालन हेतु तीन कंपनियों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें एक संयुक्त उपक्रम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई स्ट्रेटेजिक इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. (एनएसआईसीएल) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक शामिल हैं। ट्रेड्स के फलस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपने रिसीवेबल्स को सिस्टम पर डाल सकेंगे और उनका वित्तपोषण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान होगा।

❖ RBI Policy Measures

- The Reserve Bank of India (RBI) reduced the Repo Rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points from 6.75% to 6.5%. This would help in reducing the cost of borrowing.

- Reserve Bank of India (RBI) granted an "in-principle" approval to three companies including a joint venture between the National Stock Exchange's NSE Strategic Investment Corporation Limited (NSICL) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to set up and operate a new Trade Receivables e-Discounting System (TReDS) to be formed under the Payment and Settlement System (PSS) Act 2007. TReDS will allow MSMEs to post their receivables on the system and get them financed, thereby addressing the problem of delayed payments of MSME sector.

- **लघु वित्त बैंकों को लाइसेन्स :** वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 लघु वित्तीय बैंकों को लाइसेन्स अनुमोदित किया है। लघु वित्त बैंक लघु व्यवसाय इकाइयों, लघु एवं सीमांत किसानों सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की इकाइयों जैसे जमा स्वीकार करने एवं असेवित एवं अल्प सेवित वर्गों को ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियाँ चलाएंगे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग परिचालन चलाने हेतु जिन 10 लघु वित्त बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स दिया है, उनमें से 9 को अतीत में सिडबी ने सहायता प्रदान की थी।

- **Licence to Small Finance Banks:** During FY 2015-16, RBI has approved licence to 10 Small Finance Banks (SFBs). The small finance bank shall primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sections including small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and unorganised sector entities. It is pertinent to mention that 9 out of 10 small finance banks (SFBs), who have been granted banking license by RBI to carry out banking operations, have been assisted by SIDBI in the past.

सिडबी ने 'कॉन्क्लेव ऑफ स्मॉल फाइनेन्स बैंकस' का आयोजन किया। डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, सीएमडी, सिडबी इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।
SIDBI organised 'Conclave of Small Finance Banks'. Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI addressing the participants on the occasion.

- **भुगतान बैंकों को लाइसेन्स** : भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 संस्थाओं को भुगतान बैंक स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। भुगतान बैंक एक भिन्न तरह का बैंक है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत अनुमत बैंकिंग कार्यों में से केवल कुछ सीमित कार्य करेगा। इन गतिविधियों में शामिल हैं - जमा स्वीकार करना, भुगतान और विप्रेषण सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग तथा अन्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना। आरंभ में उन्हें प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये तक के जमा स्वीकार करने की अनुमति है। वे धन अंतरण की सुविधा दे सकते हैं और बीमा तथा म्युचुअल फंड की बिक्री कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, किंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। वे गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियाँ चलाने के लिए सहायक संस्थाएं स्थापित नहीं कर सकते। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे बिलकुल भी ऋण प्रदान नहीं कर सकते।

- **Licence to Payment Banks:** The Reserve Bank of India gave in-principle approval for 11 entities to set up payment banks. A payment bank is a differentiated bank that will undertake only certain restricted banking functions that the Banking Regulation Act of 1949 allows. These activities include acceptance of deposits, payments and remittance services, internet banking and function as busines correspondant of other banks. Initially, they are allowed to collect deposits upto ₹1 lakh per individual. They can facilitate money transfers and sell insurance and mutual funds. Besides, they can issue ATM/debit cards, but not credit cards. They cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities. More importantly, they are not allowed to undertake lending activities at all.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दृष्टिकोण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र उच्च वृद्धि पथ पर चलने के लिए उद्यत है। इसे सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि, अनुमानित सामान्य मानसून तथा भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्टैंड-अप इंडिया' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अनुकूल प्रभाव से बल मिल रहा है। ये कार्यक्रम विनिर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर नए दौर की और ज्ञान-आधारित कंपनियों में नवोन्मेषी विचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए हैं और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का रूपांतरण विनिर्माण तथा नवोन्मेष के वैश्विक केंद्र के रूप में हो। इसके अतिरिक्त, उद्योग आधार

MSME Outlook

The MSME sector is poised on a high growth trajectory, buoyed up by a strong economic growth, an expected normal monsoon and favourable impact of various programmes of Government of India like 'Make in India', 'Start-up India', 'Stand-up India' etc. These programmes have been launched to infuse innovative ideas and entrepreneurship into the manufacturing and other segments, specially new age and knowledge-based companies, thus ensuring transforming MSMEs into a global manufacturing and innovation hub. Further, the launch of Udyog Adhaar Memorandum is

ज्ञापन की शुरुआत, समय लेने वाली औपचारिकताओं को घटाकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी को बढ़ाने पर केंद्रित है। आशा है कि भारत सरकार की विभिन्न नीतियों और प्रयासों के संयुक्त प्रभाव से कारोबार करने में तथा कारोबार शुरू करने में आसानी, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं निवेशक अनुकूलता की दृष्टि से देश की रैंकिंग में सुधार होगा और इससे भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

focused at improving the ease of doing business in the MSME sector by way of reducing time-consuming formalities. The combined effect of various policies and initiatives of Govt. of India is expected to improve the ranking of the country on ease of doing business, starting a business, competitiveness and investor friendliness and will provide a boost to the MSME sector in India.

2

व्यवसाय संबंधी रणनीतिक पहलकदमियाँ

Strategic Business Initiatives

श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री ने मुंबई में 18 अगस्त, 2015 को "भारत आकांक्षा निधि (आईएएफ)" और "सिडबी मेक इन इण्डिया लोन फार इंटरप्राइज" (स्माइल) का शुभारंभ करते हुए।

Shri Arun Jaitley, Hon'ble Finance Minister launching "India Aspiration Fund (IAF)" and "SIDBI Make in India Loan for Enterprises (SMILE)" on August 18, 2015 in Mumbai.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सिडबी की व्यवसायिक कार्यनीति विशिष्ट उत्पाद क्षेत्रों में वित्तीय कमियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी-तंत्र में विकासात्मक कमियों की ओर उन्मुख है। विशिष्ट उत्पाद क्षेत्र में देश में नवारंभ (स्टार्टअप) संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ईक्विटी/ अर्ध- ईक्विटी/जोखिम पूंजी, विलंब भूगतान की समस्या के निराकरण के लिए प्राप्य वित्त, प्रतिकूल वातावरण परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ वित्त और सेवा क्षेत्र वित्तपोषण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त समर्थन भी प्रदान करता है। समग्र रूप से, सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पर्याप्त, सामयिक तथा वहन करने योग्य ऋण प्रदान करने में बैंकों के प्रयासों को पूरक तथा संपूरक करता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिडबी ने अनेक कारोबारी प्रयास किए हैं जिसके संक्षिप्त उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित अनुछेदों में दिए गए हैं:

- **'मेक इन इंडिया' योजना** : भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में ही अपने उत्पादों के निर्माण करने के लिए एक नई पहल 'मेक इन इंडिया' आरंभ की है। इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार निर्माण तथा कौशल उन्नयन है। इस पहल का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता मानक और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करना भी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सिडबी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विश्व-स्तरीय निर्माण केंद्र बनाने के लिए ₹1,000 करोड़ की समूह निधि की एक योजना बनाई है, जिसका नाम 'सिडबी मेक इन इंडिया' निधि है। इस निधि के अंतर्गत निर्धारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों को रियायती वित्त प्रदान किया जाता है।

The business strategy of SIDBI is oriented towards addressing financial gaps in niche areas and developmental gaps in the MSME eco-system. The niche financing areas are equity/ quasi-equity/risk capital to promote a start-up culture in the country, receivable financing to address delayed payments problem, sustainable financing to mitigate the impact of adverse climate change and services sector financing. Besides, SIDBI provides refinancing support to Banks/FIs for augmenting credit flow to the MSME sector. Overall, SIDBI supplements and complements the banks in their efforts to meet adequate, timely and affordable credit needs of MSMEs.

During FY 2015-16, SIDBI had undertaken a number of business initiatives, the brief highlights of which are enumerated in the following paragraphs:

- **'Make in India' Scheme** : The Government of India had launched a new initiative 'Make in India' to encourage multi-national, as well as national companies to manufacture their products in India. The major objective behind the initiative is to focus on job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy. The initiative also aims at high quality standards and minimising the impact on the environment. To take this agenda forward, SIDBI set up 'SIDBI Make in India' fund with a corpus of ₹1,000 crore to make MSMEs a world-class manufacturing hub. Under the fund, concessional finance is provided to identified MSME sectors.

- सिडबी ने वर्तमान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वृद्धि के अवसरों की खोज के लिए तथा नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने के लिए अपेक्षाकृत सुलभ शर्तों पर सावधि ऋण प्रदान करने और अपेक्षित ऋण ईक्विटी अनुपात को पूरा करने के लिए अर्ध-ईक्विटी के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक ₹ 10,000 करोड़ की 'सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मेक इन इंडिया सुलभ ऋण निधि (स्माइल)' आरंभ की है।

- जोखिम के पुनर्मूल्यनिर्धारण की दृष्टि से पुनर्वित्त संविभाग को अधिक स्थायी और टिकाऊ बनाने की दृष्टि से और बैंको व वित्तीय संस्थानों के लिए अधिक आकर्षक बनाने हेतु, सिडबी ने वार्षिक पुनः स्थापना शर्त इंडिया 364 दिन टी-बिल नीलामी दर जमा बातचीत से तय मार्जिन के निर्धारित मानदंड के साथ दीर्घकालिक पुनर्वित्त (18 माह से 60 माह तक) आरंभ किया है।

- ग्रीन-फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और कम से कम एक महिला

- SIDBI launched a ₹10,000 crore 'SIDBI Make in India Soft Loan Fund for Micro, Small & Medium Enterprises (SMILE)' to make available soft loan to MSMEs, in the nature of quasi-equity to meet the required debt-equity ratio and term loan on relatively soft terms for establishment of new MSMEs, as also for pursuing opportunities for growth for existing MSMEs.

- With a view to make Refinance portfolio more stable and sustainable in terms of repricing risk and also make it attractive to the banks/FIs, SIDBI introduced Long Term Refinance (18 months to 60 months) with annual Interest Reset Clause benchmarked to India 364 Day T-Bill Auction rate plus negotiated margin.

- In order to foster smooth implementation of "Stand-Up India Scheme" launched by Hon'ble Prime Minister on April 05, 2016

"स्टैंड अप इन्डिया" योजना एवं "स्टैंड अप मित्र" पर बैंकर कार्यशाला बाएं से दाएं - श्री मोहन वी. टकसाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय बैंक संघ, डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी तथा श्री अजय कुमार कपूर, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी

Bankers' workshop on "Stand-up India" Scheme & "Standupmitra" portal. From left to right: Shri Mohan V. Tanksale, CEO, IBA, Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI and Shri Ajay Kumar Kapur, DMD, SIDBI.

उधारकर्ता को ₹10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2016 को आरंभ की गई 'स्टैंड-अप इंडिया योजना' को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए, सिडबी ने एक वेबपोर्टल www.standupmitra.in विकसित किया है, जिसका उदघाटन भी माननीय प्रधान मंत्री ने उस दिन किया था। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को स्टैंड-अप इंडिया ऋण तथा अन्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋणों के आवेदन के लिए सक्षम बनाता है। यह पोर्टल आवेदन जमा करने तथा उसकी खोज करने के लिए ऋण बाजार का कार्य करता है और साथ ही ऋण सहायता के लिए शाखाओं / बैंकों के चयन की सुविधा भी प्रदान करता है। यह पोर्टल व्यक्तिगत आवेदनों की खोज करता है और समग्र रूप से हैंडहोल्डिंग प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है।

to provide bank loans between ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a green-field enterprise, SIDBI developed a web-portal *"www.standupmitra.in"* which was also launched by Hon'ble Prime Minister on the same day. The portal enables an MSME to apply for Stand-up loans, as also other MSME loans. It also acts as a loan market place for application filing and tracking as well as provides the facility for choice of branches/ banks for credit assistance. The portal tracks individual applications and also facilitates the overall handholding process.

- **ईक्विटी / जोखिम पूंजी**: ईक्विटी / अर्ध-ईक्विटी / जोखिम पूंजी सहायता का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण उपयोग है, जिनकी वृद्धि योजनाएँ पूंजी की कमी तथा समपार्श्व पेशकश की सीमाओं के कारण सीमित हो जाती हैं। इस व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत सिडबी द्वारा आरंभ किए गए महत्त्वपूर्ण प्रयास नीचे दिए गए हैं:

- **Equity/Risk Capital:** Equity/ Quasi-equity/ Risk capital assistance has significant uses for MSMEs whose growth plans get constrained due to shortage of capital and limitations in offering collateral. Important initiatives taken by SIDBI under this broad objective are as given below:

- वर्ष के दौरान बैंक ने ₹2,000 करोड़ वाले भारत नवाकांक्षा निधि (आईएएफ) का गठन किया जिसका उदघाटन माननीय वित्त मंत्री द्वारा 18 अगस्त 2015 को किया गया था। आईएएफ को वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) में निवेश हेतु निधियों की निधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में सिडबी की प्रतिबद्धता का दुगुना या आईएएफ की राशि का 50%, जो भी अधिक हो, का निवेश करेगा। 31 मार्च 2016 को सिडबी ने आईएएफ के अंतर्गत 19 वीसीएफ को ₹607 करोड़ की प्रतिबद्धता की है।

- During the year, the Bank constituted a ₹2,000 crore India Aspiration Fund (IAF) which was launched by Hon'ble Finance Minister on August 18, 2015. IAF is being utilized as a Fund of Funds for making investments in Alternative Investment Funds [AIFs] which would, in turn, make investments in MSMEs to the extent of twice the commitment of SIDBI or 50% of the corpus of the AIF whichever is more. As on March 31, 2016, SIDBI has committed ₹607 crore to 19 VCFs under IAF.

- **सिडबी द्वारा स्टार्टअप मित्र पोर्टल का शुभारंभः** स्टार्टअप पारितंत्र में कमियों को पूरा करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए, सिडबी ने एक आनलाइन मंच "SIDBIstartupmitra.in" का सृजन किया है, जिसका उदघाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 17 मार्च 2016 को किया था। यह पोर्टल पूरे भारत में स्टार्टअप समुदाय में उद्यमियों को विभिन्न स्टेकहोल्डरों, जैसे इंक्यूबेटर, मेंटर्स, एंजल नेटवर्क, उद्यम पूंजी निधियों के साथ, संपर्क स्थापित करने के लिए सक्षम बनाता है। पोर्टल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग [डीएसटी], भारत सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। लगभग 500 स्टार्टअप, 48 इंक्यूबेटर और 50 निवेशक इस मंच में पंजीकृत हो चुके हैं।

- भारतनवाकांक्षा निधी [आईएएफ] के अंतर्गत परिचालनों की पूरी जानकारी देने हेतु विभिन्न आईएएफ के विवरणों के साथ, एक नए पृष्ठ *http://venturefund.sidbi.in* का सृजन किया गया है, ताकि स्टार्टअप समर्थन हेतु उनसे सीधे संपर्क कर सकें। सिडबी ने 07 अप्रैल 2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारतनवाकांक्षा निधी के साथ सह-निवेश के लिए ₹200 करोड़ की राशि आवंटित की है।

- स्टार्टअप के लिए ₹10,000 करोड़ की निधि राशि (₹2,500 करोड़ प्रतिवर्ष चार वर्ष की अवधि के लिए) के सृजन के लिए नई दिल्ली में 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के पश्चात, ₹500 करोड़ की राशि बजटीय आवंटन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 में प्राप्त हो गई है।

- **Launch of SIDBI Start-up Mitra portal:** As part of up-scaling its initiatives to address the gaps in the start-up eco-system, SIDBI created an on-line platform *"www.sidbistartupmitra.in"*, which was launched by the Hon'ble President of India on March 17, 2016. The portal will enable entrepreneurs in the start-up community located pan India to get connected with various stake holders viz. incubators, mentors, angel networks, venture capital funds, etc. The portal is also supported by Department of Science and Technology [DST], Govt. of India. Around 500 start-ups, 48 incubators and 50 investors have already registered on this platform.

- A new page *https://venturefund.sidbi.in* has been created to give complete details on the operations under India Aspiration Fund [IAF] with details of various AIFs supported so that start-ups could directly contact them for support. SIDBI signed an MoU with Life Insurance Corporation of India (LIC) on April 07, 2016, under which LIC has allocated an amount of ₹200 crore to co-invest along with India Aspiration Fund.

- Subsequent to the announcement by Hon'ble Prime Minister on January 16, 2016 at New Delhi to create a fund corpus of ₹10,000 crore (₹2,500 crore every year for a period of four years) for start-ups, an amount of ₹500 crore has since been received in FY 2015-16 through budgetary allocation.

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की "नवोन्मेषी, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के विकास की एक योजना (ASPIRE)" के अंतर्गत, ग्रामीण और कृषि उद्योगों के क्षेत्रों में स्टार्टअप और आरंभिक चरणों के उद्यमों पर निवेश पर केंद्र के साथ उद्यम पूंजियों में निवेश के लिए निधि के प्रबंधन के लिए सिडबी को ₹60 करोड़ आवंटित और संवितरित किये गये थे ।

- **व्यापारिक बैंकिंगः** नेशनल स्टाक एक्सचेंज-एसएमई मंच "ईएमईआरजीई" पर अपने एक ग्राहक के सार्वजनिक निर्गम के लिए सह-अग्रणी प्रबन्धक के रूप में कार्य करके सिडबी ने अपनी व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों का आरंभ किया है। रू 5.76 करोड़ के आकार वाला निर्गम 1.34 गुणा से अधिक अभिदत्त हुआ।

- **विदेशी ऋण सीमाएं:** 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वृद्धि नवोन्मेष और समावेशन वित्त परियोजना' (एमएसएमई-आईआईएफ) के लिए सिडबी ने इंटेरनेशन बैंक फार रिकंसट्रकशन एंड डेवलपमेंट(आईबीआरडी) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सीमा का समझौता किया है, जो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तीय मध्यस्थता पर केन्द्रित होगा। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समावेशित वृद्धि के लिए नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों के माध्यम सहित शुरुआती से वृद्धि चरण की फर्मों के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त की पहुँच में सुधार करना है।

- **वैकल्पिक प्रतिरक्षा (हेजिंग) तंत्रः** प्रतिरक्षा की लागत को कम करने के लिए ऋण की विदेशी मुद्रा हेतु वैकल्पिक प्रतिरक्षा तंत्र का आरंभ किया गया।

- सूक्ष्म वित्त संस्थानों, अल्प-आस्ति व्यवसाय, नकद प्रवाह आधारित व्यवसाय, वाणिज्यिक रियल एस्टेट

- Under "A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE)" Fund of Ministry of MSME, ₹60 crore was allocated and disbursed to SIDBI for managing the Fund for investing in VCs with investment focus on start-up and early stage enterprises in the areas of Rural and Agro Industries.

- **Merchant Banking:** During the year, SIDBI commenced its merchant banking activities by acting as co-lead manager for the public issue of one of its customers in NSE-SME platform "EMERGE". The issue size of ₹5.76 crore was oversubscribed by 1.34 times

- **Foreign LoCs:** SIDBI has contracted a Line of Credit (LoC) of USD 500 million with International Bank for Reconstruction and Development(IBRD) for 'MSME Growth Innovation and Inclusion Finance Project' (MSME-IIF) which will focus on financial intermediation to the MSME sector in India. The objective is to improve access to finance for MSMEs in manufacturing and service sectors from early to growth stage firms, including through innovative financial products for inclusive growth of MSMEs.

- **Alternate Hedging mechanism:** Alternate Hedging Mechanism for Foreign Currency Lines of Credit was introduced to reduce the cost of hedging.

- **New Risk Rating models** for MFIs, Asset Light Business, Cash flow based business,

व्यवसाय और प्रतिभूत व्यवसाय ऋण व्यवसाय के लिए **नए जोखिम रेटिंग मापदंडों** का कार्यान्वयन किया गया।

- उद्योग संघों जैसे कर्नाटक लघु उद्योग संघ, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मेनेजमेंट, दिल्ली के पास राय उद्योग संघ, कोयंबतूर जिला उद्योग संघ (सीओडीआईएसएसआईए) व लघु उद्योग संघ चेम्बर (सीओएसआईए) के माध्यम से **नए वित्तीय चैनलों** का सृजन किया गया।

- **सूचना प्रौद्योगिकी में पहलः**
  - **सिडबी मित्र-मोबाईल अनुप्रयोग** इस मोबाइल एप की रचना सिडबी के ग्राहकों के खातों से संबधित सूचना प्रदान करने, संबंध प्रबन्धक(आरएम) के साथ सीधे मोबाईल मैसेज भेजने के माध्यम और ऋण बही,

Commercial Real Estate business and Secured Business Loan were implemented.

- **New financing channels** were created through Industry Associations viz. Karnataka Small Scale Industries Association, National Institute of Bank Management, Rai Industries Association, near Delhi, Coimbatore District Small Scale Industries Association (CODISSIA) & Chamber of Small Industries Association (COSIA).

- **IT Intiatives:**
  - **SIDBI Mitra-Mobile Application** The app has been designed to facilitate providing information related to accounts of the customer with SIDBI, channel for mobile messaging directly with the

कर्नाटक लघु उद्योग संघटक (के ए एस एस आई ए) के साथ सिडबी का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
SIDBI signs MoU with Karnataka Small Scale Industries Association (KASSIA)

मांग सूचनाओं आदि से संबन्धित सेवा संबंधी अनुरोधों के लिए की गई है। एप के माध्यम से सम्प्रेषण तथा ग्राहकों के अनुरोधों की निगरानी के लिए तथा आरएम द्वारा प्रयोगकर्ताओं को मैसेज भेजने हेतु सिडबी अधिकारियों के लिए भी एक इंटरफेस भी परिचालनरत किया गया है।

- **सत्याभासी लेखा प्रणाली (वी ए एस)**: वीएएस व्यवस्था सभी शाखाओं के लिए कार्यान्वित की गई है, जिससे शाखा कार्यालयों द्वारा प्राप्त भुगतान के वाउचर पारित करने की प्रणाली स्वचालित होती है, जिसके परिणामस्वरूप शाखा कार्यालयों के खाते के विवरण के माध्यम से प्राप्त भुगतान की पहचान तथा

Relationship Manager (RM), and service requests related to loan ledger, demand advices etc. An interface for SIDBI officers has also been made operational for monitoring the communication and requests from the customers generated through the app and also for sending messages to the users by RMs.

- **Virtual Account System (VAS)** was implemented for all the branches to automate the procedure of passing the vouchers in respect of the payments received by the Branch Offices (BOs), thereby leading to reduction in the man-hours spent on the identification of the payments

सिडबी एवं चेंबर ऑफ स्मॉल इण्डस्ट्रीज असोशियशन का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
Signing of MoU between SIDBI and Chamber of Small Industries Association (COSIA).

उसकी सहायता की योजना के अनुसार विभिन्न अनुप्रयोग मॉड्यूल में रखे जा रहे ग्राहक खातों के प्रति विनियोजित करने पर व्यय किए गए मानव-घण्टों में कमी हो गई है; इससे आंकड़ों की शुद्धता बढ़ेगी और साथ ही प्राप्तियों की दिनांक, उसकी पहचान और विनियोजन में समय-अंतराल को बचाया जाएगा।

- सेवा कर और स्रोत पर कर की गई कटौती का केन्द्रीकरण और विक्रेता भुगतान मॉड्यूल (वीपीएम) का आरंभ।
- ऋण प्रतिभूतियों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीकृत मॉड्यूल का क्रियान्वयन ।

- **मानव संसाधन पहल (कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन):**
  - आरंभ किए गए कुल प्रशिक्षण मॉड्यूल - 10 मॉड्यूल, जिसमें से;
  - (i) स्थिर मॉड्यूल (अध्ययन/प्रशिक्षण सामग्री/प्रस्तुतिकरण) - 5 मॉड्यूल
    - क. ऋण मूल्यांकन
    - ख. कार्यपालक विकास कार्यक्रम
    - ग. अल्प वित्त संस्थान - मूल्यांकन और आकलन
    - घ. वित्तपोषण में अनुवर्ती कार्रवाई, पर्यवेक्षण और निगरानी पहलू
    - ङ. 'स्टार्टअप, अर्द्धपूंजी, उद्यम पूंजी निधि(वीसीएफ) निधियों की निधि-विनियम व निधिकरण'

received through the account statements of the BOs and then appropriating the same against the customer accounts maintained in various application modules as per the schemes of assistance; increase in the accuracy of the data as well as prevent time lag in the date of receipt, its identification and appropriation.

- Centralisation of receipt of service tax and TDS and introduction of Vendor Payment Module (VPM).
- Implemented centralized module for managing loan securities.

- **HR initiatives (Skill Development and Talent Management):**
  - Total number of training modules launched - 10 modules of which;
  - (i) Static Modules (Study/training materials/presentations) - 5 modules
    - a. Credit Appraisal
    - b. Executive Development Program
    - c. Micro Finance Institutions - Appraisal and Assessment
    - d. Follow Ups, Supervision and Monitoring Aspects in Lending
    - e. 'Start-ups, Quasi-Capital, Venture Capital Fund (VCF) & Fund of Funds Regulation & Funding'

(ii) गतिशील मॉड्यूल (स्वप्रशिक्षण व स्वमूल्यांकन) - 5 मॉड्यूल

क. नागरिक चार्टर

ख. 'स्माइल' और 'मेक इन इंडिया'

ग. राजभाषा

घ. जोखिम प्रबंधन

ङ. मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं में समुचित सावधानी

(ii) Dynamic Modules (Self Learning & Self Assessment) - 5 modules

a. Citizens' Charter

b. 'SMILE' and 'Make in India'

c. Rajbhasha

d. Risk Management

e. Due Diligence of Machinery Suppliers

3

समग्र व्यवसाय परिचालन

Overall Business Operations

22-24 अप्रैल 2016 को मुंबई में आयोजित व्यवसाय समीक्षा बैठक।
Business Review Meet was held on April 22-24, 2016 in Mumbai.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

I. समग्र परिचालन

सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान व्यवसाय में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की । कुल एमएसएमई बकाया ऋण वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 18.6% बढ़कर ₹ 65,632 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में यह ₹ 55,343 करोड़ था । बकाया राशियों के विवरण तालिका 3.1 में दिए गए हैं ।

III. अप्रत्यक्ष ऋण

अप्रत्यक्ष ऋण में बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त सहायता, बैंकों को बिल पुनर्भुनाई सहायता, अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता तथा विभिन्न संस्थाओं व एजेंसियों को संसाधन सहायता शामिल है तथा सिडबी के सकल ऋण बकाया में अप्रत्यक्ष ऋण का हिस्सा लगभग 83% है । जहां अप्रत्यक्ष

I. Overall Operations

SIDBI registered strong business growth during FY 2015-16. The total MSME credit outstanding increased by 18.6% during FY 2015-16 to ₹ 65,632 crore as against ₹ 55,343 crore in FY 2014-15. The outstanding details are given in Table 3.1.

II. Indirect Credit

Indirect credit comprises refinancing support to banks, State Financial Corporations (SFCs), Bills Rediscounting support to banks, assistance to Microfinance Institutions (MFIs) and resource support to various institutions and agencies and constitutes about 83% of total credit outstanding of SIDBI. While the indirect finance increased by

तालिका 3.1 : समग्र परिचालन
Table 3.1 : Overall Operations

(₹ करोड़ / crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / FY 2014-15	वित्तीय वर्ष / FY 2015-16
	बकाया राशि / O/s Amt यथा 31 मार्च, as on March 31	बकाया राशि / O/s Amt यथा 31 मार्च, as on March 31
I. अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Credit		
क. पुनर्वित्त / a. Refinance	38,098	46,544
ख. अल्प वित्त / b. Micro Finance	1,603	2,013
ग. एनबीएफसी / अन्य / c. Resource Support to NBFC / Others	4,054	5,678
कुल अप्रत्यक्ष ऋण / Total Indirect Credit	**43,755**	**54,235**
II. प्रत्यक्ष ऋण / Direct Credit		
क. जोखिम पूंजी / a. Risk Capital	1,279	792
ख. टिकाऊ वित्त / b. Sustainable Finance	2,747	1,920
ग. सेवा क्षेत्र / c. Service Sector	2,297	1,934
घ. एमएसएमई प्राप्य वित्त / d. MSME Receivable Finance	2,083	1,513
ङ. अन्य e. Others	3,182	5,238
कुल प्रत्यक्ष ऋण / Total Direct Credit	**11,588**	**11,397**
सकल योग / Grand Total	**55,343**	**65,632**

टिप्पणी : बकाया राशियां विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गई राशि तथा एनपीए प्रावधानों को हटाकर दर्शाई गई हैं ।
Note: Outstanding figures are net of prudential write-off and NPA provision

वित्त 24% बढ़कर ₹ 54,235 करोड़ हो गया, वहीं बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त, जो कुल अप्रत्यक्ष वित्त का लगभग 86% तथा कुल ऋणबकाया का लगभग 71% है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 22% तक बढ़ गया (तालिका 3.2 व 3.3)।

24% to ₹ 54,235 crore, refinance to banks / FIs which constitutes around 86% of total indirect finance and around 71% of total credit outstanding, increased by 22% during the year under review (Table 3.2 & 3.3).

तालिका 3.2: विभिन्न संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता

Table 3.2: Refinance Assistance to various institutions

(₹ करोड़ / crore)

संस्थान Institutions	2014 -15			2015 -16		
	मंजूरी/ Sanc.	संवितरण/ Disb.	बकाया/ Outstanding यथा 31 मार्च, as on March 31	मंजूरी/ Sanc.	संवितरण/ Disb.	बकाया/ Outstanding यथा 31 मार्च, as on March 31
बैंक / Banks	36,308	35,308	36,359	44,610	44,629	45,268
राज्य वित्तीय निगम / SFCs	143	119	1,704	97	79	1,251
नेडफी / NEDFi	0	0	35	0	0	25
योग / Total	**36,451**	**35,427**	**38,098**	**44,707**	**44,708**	**46,544**

टिप्पणी : बकाया राशियां विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गई राशि तथा एनपीए प्रावधानों को हटाकर दर्शाई गई हैं ।

Note: Outstanding figures are net of prudential write-off and NPA provision.

तालिका 3.3: योजना-वार बकाया राशियां यथा 31 मार्च, 2016

Table 3.3: Scheme-wise outstanding as on March 31, 2016

(₹ करोड़ / crore)

योजना / Scheme	बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2015 Amount outstanding as on March 31, 2015	बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2016 Amount outstanding as on March 31, 2016
एमएसईआरएस / MSERS	26,835	36,078
विदेशी मुद्रा में पुनर्वित्त / Refinance in Foreign currency	1,323	1,334
आरएमएसई-V / RMSE-V	3,047	7,856
आरएमएसई -IV / RMSE-IV	5,154	0
ऋण सीमा / Line of Credit	1,739	1,276
कुल / Total	**38,098**	**46,544**

टिप्पणी : बकाया राशियां विवेकानुसार बट्टे खाते डाले गई राशि तथा एनपीए प्रावधानों को हटाकर दर्शाई गई हैं ।

Note: Outstanding figures are net of prudential write-off and NPA provision.

प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त

सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 13(1)(i) के अनुसार, सिडबी राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, राज्य लघु उद्योग निगमों, अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित इस प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को मंजूर किए गए ऋणों व अग्रिमों के प्रति पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। पुनर्वित्त सहायता सिडबी की निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है :

i. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वित्त योजना (एमएसईआरएस - सामान्य निधि)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वित्त योजना (एमएसईआरएस) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों आदि सहित), चुनिंदा वित्तीय संस्थानों को सहायता दी जाती है, जो कि उनके द्वारा एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए ऋणों व अग्रिमों से संबंधित बकाया संविभाग के तुल्य राशि होती है बशर्ते इस संविभाग के लिए किसी अन्य संस्थान से कोई वित्तीय सहायता या सिडबी से पुनर्वित्त न लिया गया हो । पुनर्वित्त सामान्यतः छह माह से पांच वर्षों की अवधि हेतु दिया जाता है । वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, 17 सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंकों को ₹ 35,730 करोड़ की राशि संवितरित की गई ।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र हेतु पुनर्वित्त योजना -V (आरएमएसई-V)

सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता में और वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट के ज़रिए आवंटन को बढ़ाकर ₹ 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारतीय

Refinance to Primary Lending Institutions

In terms of Section 13(1)(i) of SIDBI Act, 1989, SIDBI provides refinance to State Financial Corporation, State Industrial Development Corporations, State Small Industries Corporations, Scheduled banks, State Cooperative Banks or such other financial institutions approved by the Board against the loans and advances granted to industrial concerns in Micro and Small Enterprises (MSEs). Refinance is being channeled through the following schemes of SIDBI:

i. Micro and Small Enterprises Refinance Scheme (MSERS) to Banks (General Fund)

MSERS is offered to Scheduled Banks (including State Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks etc.), select Financial Institutions for the amount equivalent to the outstanding portfolio relating to loans and advances to units in MSE sector against which no financial support has been sought from any other institution or refinance from SIDBI. The refinance is generally extended for six months to five years. During FY 2015-16, a sum of ₹ 35,730 crore was disbursed to 17 Public / Private Sector Banks.

Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises Sector – V (RMSE - V)

In order to enhance the refinance capability of SIDBI, the Government of India, through Budget for FY 2013-14 had increased the allocation to ₹ 10,000 crore per year. Accordingly, Reserve Bank of India had

रिज़र्व बैंक ने एमएसई (पुनर्वित्त) निधि के अन्तर्गत सिडबी को ₹10,000 करोड़ की समूह निधि आवंटित की। आवंटित की गई ₹10,000 करोड़ की समूह निधि में से सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹4,899 करोड़ बैंकों के माध्यम से संवितरित किए, जिन्होंने आधार दर पर आगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उधार दिया । यथा 31 मार्च, 2016 तक इस निधि का कुल उपयोग ₹7,856 करोड़ रहा।

ii. राज्य वित्तीय निगमों को ऋण सीमा

योजना के अंतर्गत, सिडबी राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मंजूर उन सावधि ऋणों के प्रति पुनर्वित्त मंजूर करता है, जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को एमएसएमई क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने तथा उनके विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण हेतु दिए गए हों । वार्षिक व्यवसाय योजना एवं संसाधन पूर्वानुमान (बीपीआरएफ) के आधार पर, राज्य वित्तीय निगमों को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर की जाती हैं । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, 6 मानक राज्य वित्तीय निगमों को ₹96.94 करोड़ की पुनर्वित्त सीमा मंजूर की गई, जो हैं आंध्रप्रदेश राज्य वित्तीय निगम, दिल्ली वित्तीय निगम, केरल वित्तीय निगम, मध्यप्रदेश वित्तीय निगम, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड एवं पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम । उक्त में से, ₹78.65 करोड़ की राशि 3 राज्य वित्तीय निगमों को संवितरित की गई, जो हैं आंध्रप्रदेश राज्य वित्तीय निगम, मध्यप्रदेश वित्तीय निगम एवं तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड।

allocated a corpus of ₹10,000 crore to SIDBI under the MSE (Refinance) Fund FY 2013-14. Out of the corpus of ₹10,000 crore allocated, SIDBI disbursed ₹4,899 crore during FY 2015-16 to micro and small enterprises through banks which had lent to MSEs at base-rate. The total utilization of the Fund as on March 31, 2016 stood at ₹7,856 crore.

ii. Line of Credit to State Financial Corporation (SFCs)

Under the scheme, SIDBI sanctions refinance against term loans sanctioned by the SFCs to industrial concerns in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector for setting up of industrial projects in MSME sector and also for their expansion, modernisation and diversification. Based on the annual Business Plan and Resources Forecast (BPRF), refinance limits are sanctioned to SFCs annually. During FY 2015-16, refinance limit of ₹96.94 crore was sanctioned to 6 SFCs in standard category viz., Andhra Pradesh State Financial Corporation (APSFC), Delhi Financial Corporation (DFC), Kerala Financial Corporation (KFC), Madhya Pradesh Financial Corporation (MPFC), Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd. (TIIC) and West Bengal Financial Corporation (WBFC). Out of the above, an amount of ₹78.65 crore was disbursed to 3 SFCs, viz. APSFC, MPFC & TIIC.

राज्य वित्तीय निगमों संबंधी पहलें

- **राज्य वित्तीय निगमों के निरीक्षण**

  राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 यथासंशोधित एसएफसी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 37-ए के प्रावधानों के अनुसरण में, सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 8 राज्य वित्तीय निगमों का वार्षिक समग्र निरीक्षण संपन्न किया, जो हैं आंध्रप्रदेश राज्य वित्तीय निगम, दिल्ली वित्तीय निगम, केरल वित्तीय निगम, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, मध्यप्रदेश वित्तीय निगम, राजस्थान वित्तीय निगम, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड एवं पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम । 8 राज्य वित्तीय निगमों का सीमित कवरेज निरीक्षण किया गया जो है: असम वित्तीय निगम, बिहार राज्य वित्तीय निगम, गुजरात राज्य वित्तीय निगम, हरियाणा वित्तीय निगम, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, जम्मू काश्मीर राज्य वित्तीय निगम, ओडिशा राज्य वित्तीय निगम तथा पंजाब राज्य वित्तीय निगम।

- **विनियामक निदेश**

  सिडबी ने भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के भाग के रूप में विभिन्न पहलें की हैं । राज्य वित्तीय निगमों को अद्यतन आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों व केवाईसी / एएमएल मानकों के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा उनके अनुपालन की निगरानी की जा रही है ।

संस्थाओं को संसाधन सहायता

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निधियों के वितरण हेतु तथा इस क्षेत्र को सेवा करने के अपने अधिदेश के अनुसार सिडबी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तपोषण करता रहा है, जिनमें आस्ति वित्त कंपनियां तथा ऋण कंपनियां दोनों शामिल हैं । वर्ष के दौरान आठ नए एनबीएफसी ग्राहकों को कुल ₹ 1,825 करोड़ की संसाधन सहायता मंजूर की गईं । संसाधन सहायता के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुल मंजूरियां तथा संवितरण क्रमशः ₹ 4,480 करोड़ तथा ₹ 3,138 करोड़ रहे तथा यथा 31 मार्च, 2016, ऐसी संस्थाओं को संसाधन सहायता के अन्तर्गत बकाया राशि 40% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,678 करोड़ रही ।

Initiatives relating to SFCs

- **Inspection of State Financial Corporations**

  In accordance with the provisions of Section 37-A of State Financial Corporations Act, 1951 as amended by SFC (Amendment) Act, 2000, SIDBI carried out the annual comprehensive inspections of 8 SFCs viz., APSFC, DFC, KFC, KSFC, MPFC, RFC, TIIC & WBFC and limited coverage inspection of 8 SFCs viz., AFC, BSFC, GSFC, HFC, HPFC, JKSFC, OSFC & PFC during FY 2015-16.

- **Regulatory Directives**

  SIDBI has taken various initiatives as part of compliance to RBI regulatory requirements. Up-to-date Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms and guidelines of KYC/AML norms have been issued to SFCs and compliance thereof is being monitored.

Resource Support to Institutions

SIDBI has been financing NBFCs, both Asset Finance Companies (AFCs) and Loan Companies (LC) for channelizing funds to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in accordance with the policy approved by Bank's Board and as a part of its mandate to serve MSME sector. Eight new NBFC customers were sanctioned resource support for an aggregate amount of ₹ 1,825 crore during the year. The total sanctions and disbursements under resource support during the year was ₹ 4,480 crore and ₹ 3,138 crore, respectively and the outstanding as on March 31, 2016 stood at ₹ 5,678 crore registering 40% growth.

अल्प वित्त

सिडबी अल्प वित्त (₹ 50,000 तक के ऋणों) एवं छूट गए मध्य वर्ग (₹ 50,000- ₹ 10,00,000 के मध्य के ऋण) के वित्तपोषण हेतु एनबीएफसी / एनबीएफसी- अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रहा है । छूट गए मध्य वर्ग के वित्तपोषण हेतु एशियाई विकास बैंक और केएफडब्ल्यू के साथ ऋण उद्यमो के सीमाएं परिचालनरत हैं ।

31 मार्च, 2016 तक सिडबी की अल्प वित्त पहलों के अंतर्गत संचयी मंजूरी राशि (ऋणों, ईक्विटी एवं अर्द्ध ईक्विटी सहित, किंतु भारत अल्पवित्त ईक्विटी निधि (आईएमईएफ) व निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि कार्यक्रम (पीएसआईजी) को छोड़कर ₹ 12,254 करोड़ रही, जबकि संचयी संवितरण ₹ 10,769 करोड़ रहे । बैंक की अल्पवित्त बकाया राशि (सकल) 23% बढ़कर ₹ 2,996 करोड़ हो गई । सिडबी से सहायता प्राप्त और 31 मार्च, 2016 को बैंक के साथ बकाया ऋण वाली अल्प वित्त संस्थाओं की संख्या 98 रही । सिडबी के माध्यम से सहायता ने लगभग 345 लाख सुविधारहित लोगों को लाभ पहुंचाया है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं । सिडबी के अल्पवित्त सहायता संबंधी तुलनात्मक परिचालनगत आंकड़े तालिका 3.4 में दिए गए हैं ।

III. प्रत्यक्ष वित्तपोषण

क. जोखिम पूंजी सहायता :

- संवृद्धि पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अंतरालों की पूर्ति करने के उद्देश्य से, सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संवृद्धि जरूरतों की पूर्ति हेतु उन्हें जोखिम पूंजी सहायता उपलब्ध कराता रहा है । इनमें शामिल हैं - पूंजीगत व्यय हेतु वित्त के स्रोतों में अंतरालों का निधीयन, अमूर्त आवश्यकताएं जैसे अनुसंधान व विकास

Micro Finance

SIDBI has been providing assistance for financing the micro finance loans (upto ₹ 50,000) and also the Missing Middle segment (loans in the range of ₹ 50,000 - ₹ 10,00,000) through NBFCs / NBFC-MFIs, etc. The Lines of Credit (LoCs) from ADB and KfW, Germany for financing Missing Middle enterprises are in operation.

The cumulative assistance (including loans, equity and quasi-equity but excluding India Micro Finance Equity Fund (IMEF) & Poorest States Inclusive Growth (PSIG) Fund) sanctioned under SIDBI's micro finance initiatives upto March 31, 2016 aggregated ₹ 12,254 crore, while cumulative disbursements aggregated ₹ 10,769 crore. The microfinance outstanding (gross) of the Bank increased by 23% to ₹ 2,996 crore. The number of MFIs assisted by SIDBI and having loan outstanding with the Bank as on March 31, 2016 stood at 98. The assistance through SIDBI has benefited around 345 lakh (approx.) disadvantaged people, most of them being women. The comparative operational highlights of SIDBI's Micro Finance Support are given in the following Table 3.4.

III. Direct Financing

A. Risk Capital Assistance:

- In order to address the gap in meeting growth capital requirements, SIDBI has been providing risk capital assistance to MSMEs for meeting funding gaps in the means of finance for capital expenditure, intangible requirements like expenditure for R&D, marketing / brand building,

तालिका 3.4 : अल्प ऋण योजना तथा ईक्विटी/अर्ध ईक्विटी सहायता के अन्तर्गत सहायता

Table 3.4 : Assistance under Micro Credit Loans and Equity / Quasi Equity Assistance

(₹ करोड़ / crore)

क्र. Sl. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2014-15		वित्तीय वर्ष FY 2015-16		संचयी Cumulative
		संवितरण Disb.	बकाया Outstanding as on March 31	संवितरण Disb.	बकाया Outstanding as on March 31	संवितरण Disb.
1	अल्प वित्त संस्थाओं को सावधि ऋण Term Loans to MFIs	941.97	1,532.09	1,200.88	1,988.04	9,836.43
2	निजी वित्त संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 'वंचित मध्यम वर्ग' संबंधी सहायता Missing Middle Assistance to PFIs / NBFCs	210.00	267.37	100.00	283.34	446.14
3	अल्पवित्त संस्थाओं को दीर्घावधि ऋण Long dated Loans to MFIs	92.00	92.00	52.75	144.75	144.75
4	एमईएल-प्रत्यक्ष उधार MEL – Direct Lending	0.00	0.77	0.00	0.67	12.25
5	रूपान्तरण ऋण (टीएल)/ रूपान्तरण के लिए समूह-निधि सहायता Transformation Loan (TL) / Corpus support for transformation	0.00	1.85	0.00	1.85	19.05
6	अधीनस्थ ऋण / Subordinate Debt.	0.00	100.00	0.00	100.00	175
7	ईक्विटी सहायता / Equity Support	0.00	84.89	50.00	134.73	135.55
8	विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी अधिमान्य शेयर / Optionally Convertible Cumulative Preference Shares	0.00	247.46	0.00	233.88	0.00
9	अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर Compulsory Convertible Preference Shares	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00
	योग / Total	**1,243.97**	**2,435.63**	**1,403.63**	**2,996.46**	**10,769.17**

टिप्पणी : आंकड़े सकल हैं और इनमें ईक्विटी / अर्ध-ईक्विटी निवेश शामिल हैं ।

Note: Data are gross and include equity / quasi-equity investment.

हेतु व्यय, विपणन / ब्रांड सृजन, तकनीकी जानकारी, ऊर्जा दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यशील पूंजी मार्जिन आदि, जिनमें सामान्यतः बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि ये निवेश कोई संपत्ति सृजित नहीं करते।

- सिडबी ने 2009 में एमएसएमई जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत जोखिम पूंजी परिचालन शुरू किए, जिनकी प्रतिबद्ध समूह निधि ₹2,000 करोड़ थी । इस निधि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है ।
- वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक, जोखिम पूंजी सहायता के अंतर्गत बकाया (सकल) ₹918 करोड़ रहे ।

निधियों की निधि संबंधी परिचालन :

बैंक गत एक दशक से सेबी में पंजीकृत उद्यम निधियों / वैकल्पिक निवेश निधियों में योगदान कर रहा है । वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक उद्यम पूंजी/ पीई निधियों में संचयी निवल वचनबद्धताएं ₹2,311 करोड़ रहीं ।

टाइफैक - सिडबी प्रौद्योगिकी नवोन्मेषन कार्यक्रम (सृजन योजना)

सिडबी ने प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद (टाइफैक) के साथ प्रौद्योगिकी नवोन्मेष कार्यक्रम (सृजन योजना) के क्रियान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है । इस योजना में ₹1 करोड़ तक के विकासपरक ऋण 5% से अनधिक की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी/ प्रक्रिया / उत्पाद के विकास / नवोन्मेषन तथा इसके व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन व बढ़ावा देना होता है । टाइफैक द्वारा इस योजना के अंतर्गत ₹30 करोड़ की परिक्रामी नवोन्मेष

technical knowhow, energy efficiency, quality control, WC margin, etc. where bank loans are generally not available as such investments are non-asset creating.

- SIDBI started the Risk Capital operations in 2009 under the MSME Risk Capital Fund (MSME- RCF) with a committed corpus of ₹2,000 crore. The Fund has been fully committed.
- As at the end of FY 2015-16, the outstanding (gross) under Risk Capital assistance was ₹918 crore.

Fund of Fund operations:

The Bank has been contributing to SEBI registered venture funds/ Alternative Investment Funds [AIFs] for more than a decade now. The cumulative net commitments to VC / PE Funds as at the end of FY 2015-16 stood at ₹2,311 crore.

TIFAC-SIDBI Technology Innovation Programme (Srijan Scheme)

SIDBI has executed a Memorandum of Understanding (MoU) with Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC) for implementing the Technology Innovation Programme (Srijan Scheme). The Scheme provides developmental loan upto ₹1 crore at concessional interest rate of not more than 5% to encourage / promote development / innovate new technology / process / product and its commercialization. A revolving innovation fund of ₹30 crore was created by TIFAC under the scheme.

निधि सृजित की गई थी । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ₹2.63 करोड़ के तीन नवोन्मेषी प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिससे इस योजना के अंतर्गत कुल सहायता राशि ₹13.56 करोड़ तक हो गई ।

During the year under review, three innovative proposals of ₹2.63 crore were sanctioned, aggregating the total assistance to ₹13.56 crore under the scheme.

ख. टिकाऊ वित्त

स्वच्छ उत्पादन तथा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों / उत्पादन प्रक्रियाओं में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु सिडबी, 2003 से अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे जाइका, जापान, एएफडी एवं केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ हुई द्विपक्षीय ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत संकेंद्रित ऋण योजनाएं परिचालित करता आ रहा है । इन संकेंद्रित योजनाओं का द्विआयामी दृष्टिकोण रहता है, अर्थात हरित ऊर्जा दक्ष निवेशों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती ऋण तथा विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों में जानकारी का प्रसार ।

B. Sustainable Finance

Since 2003, SIDBI has been operating focused lending schemes for promoting investment in clean production and energy efficient technologies / production processes under bilateral lines of credit from international agencies such as JICA, Japan, AFD, France and KfW, Germany. These focused schemes have two pronged approach, i.e. concessional lending to encourage investment in green, energy efficient investments and information dissemination to various MSME sectors.

ऊर्जा दक्षता ऋण व्यवस्थाएं

सिडबी ने विभिन्न बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण व्यवस्थाओं से संकेंद्रित रियायती ऋण योजनाएं

Energy Efficiency Lines of credit

SIDBI operated focused concessional lending schemes for Energy Efficiency (EE) out of Lines

सिडबी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2015 के अंतर्गत वित्तीय संस्था वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
SIDBI bagged first prize in the National Energy Conservation Award 2015 under Financial Institutions category.

परिचालित की हैं । ये ऋण व्यवस्थाएं हैं : जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) चरण I - 30 बिलियन जापानी येन, चरण II - 30 बिलियन जापानी येन, चरण III - 30 बिलियन जापानी येन, एजेंसी फ्रेंक्रेस डि डेवलपमेंट (एएफडी), फ्रांस - 50 मिलियन यूरो तथा क्रेडिटान्सटाल्ट फुर वीडरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी - 50 मिलियन यूरो। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना तथा दीर्घावधि में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की लाभप्रदता बढ़ाना है ।

स्वच्छतर उत्पादन / पर्यावरण संबंधी ऋण व्यवस्था

सिडबी ने केएफडब्ल्यू से कुल 53.74 मिलियन यूरो की ऋण व्यवस्था की संविदा की है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में स्वच्छ उत्पादन विकल्पों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है । उक्त ऋण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्वच्छतर उत्पादन निवेशों के माध्यम से उत्सर्जन व प्रदूषण में कमी लाना या उसे रोकना है । उद्योग समूहों में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बड़ी संख्या में लाभान्वित करने वाले सामूहिक बहिस्स्राव शोधन संयंत्रों, कचरा शोधन, भंडारण व निपटान सुविधाओं, अपशिष्ट पुनःचक्रण आदि में निवेश भी उक्त सहायता हेतु पात्र है । एकल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो ऐसा निवेश करने जा रहे हों, जिसके फलस्वरूप प्रदूषण नियंत्रित होगा, अपशिष्ट घटेगा, कच्चे माल की उत्पादकता में सुधार होगा आदि, उक्त ऋण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं । 31 मार्च, 2016 तक, 307 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुल ₹355 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है ।

विश्वबैंक-जीईएफ परियोजना - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण

सिडबी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर ग्लोबल एनवॉयरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) द्वारा वित्तपोषित विश्व बैंक परियोजना

of Credit (LoCs) from various multilateral / bilateral agencies, viz. Japan International Cooperation Agency (JICA) Phase I - JPY 30 billion, Phase - II – JPY 30 billion, Phase - III – JPY 30 billion, Agence Française de Développement (AFD), France – EUR 50 million and Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany – EUR 50 million. The main objective of these schemes is to enhance energy efficiency, reduce CO_2 emissions and improve the profitability of the Indian MSMEs in the long run.

Cleaner Production/Environmental Lines of credit

SIDBI has contracted LoCs aggregating EUR 53.74 million from KfW, Germany for promoting investment in cleaner production options in the MSME sector. The main objective of these LoCs is to achieve a reduction or avoidance of emission and pollution through cleaner production investments. Investment such as Common Effluent Treatment Plants (CETPs), waste treatment, storage & disposal facilities, waste recycling, etc., benefitting large number of MSMEs in the industrial clusters are also eligible under the assistance. Individual MSMEs going in for investments that will result in the pollution control, waste reduction, improvement in raw material productivity etc., are eligible for coverage under the line. As on March 31, 2016, 307 MSMEs were assisted with an aggregate term loan of more than ₹355 crore under these LoCs.

WB-GEF Project – Financing Energy Efficiency in MSMEs

SIDBI, along with Bureau of Energy Efficiency (BEE) is executing a Global Environmental

"एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण" का निष्पादन 2010 से पांच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों में कर रहा है । ये समूह हैं : कोल्हापुर - ढलाईघर, तिरुनेलवेली - चूना भट्ठा, अंकलेश्वर - रसायन, पुणे - गढ़ाई, फरीदाबाद - मिश्रित समूह । यह परियोजना वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पांच अन्य एमएसएमई मिश्रित उद्यम समूहों में विस्तारित की गई है जो हैं : दिल्ली एनसीआर, लुधियाना, वाराणसी, ठाणे और देहरादून । परियोजना का उद्देश्य लक्षित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेशों की मांग बढ़ाना और वाणिज्यिक वित्त तक पहुंचने की उनकी क्षमता में वृद्धि करना है । परियोजना के मुख्य लाभार्थी हैं : साझेदार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो स्वच्छ और सुकर विनिर्माण अवसरों सहित ऊर्जा दक्षता निवेशों / सुधारों के अन्य संभावित लाभ प्राप्त करेंगे ; बैंक / वित्तीय संस्थाएं, जो बढ़े हुए व्यवसाय अवसरों से लाभान्वित होंगे ; ऊर्जा व्यवसायिक और स्थानीय सेवा प्रदाता, जो अपनी सेवाओं की बढ़ी हुई मांग से लाभान्वित होंगे ; और उद्योग संघ जो अपने उद्योग समूहों में ऊर्जा दक्षता संबंधी गतिविधियां चलाने में समर्थ होंगे । उक्त परियोजना का मुख्य प्रदायन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है, जिसके परिणामस्वरूप 500 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपाय कार्यान्वित करने के लिए निवेश उत्प्रेरित होगा । परियोजना का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1.5 मिलियन टन तक की कमी लाना भी है ।

परियोजना के परिणाम अब तक संतोषजनक रहे हैं । आरंभिक पांच उद्योग समूहों की समूह रूपरेखा रिपोर्टें तैयार की गई हैं तथा इनके व्यापक प्रसार हेतु इन्हें सिडबी की वेबसाइट पर लगाया गया है । परियोजना अधीन दस उद्योग समूहों में 1200 से अधिक वॉक थ्रू ऑडिट किए गए, 700 विस्तृत ऊर्जा ऑडिट संचालित किए गए और 696 निवेश ग्रेड विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (आईजीडीपीआर) तैयार की गई हैं । 600 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने चिह्नित ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है । 500 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में एक तृतीय पक्ष मापन एवं

Facility (GEF) funded World Bank project, viz. "Financing Energy Efficiency at MSMEs" in five MSME clusters viz., Kolhapur- foundry, Tirunelveli- Limekilns, Ankleshwar- chemicals, Pune- forging and Faridabad- mixed cluster since October 2010. Further, the project has been expanded to include five more MSME mixed clusters viz., Delhi NCR, Ludhiana, Varanasi, Thane and Dehradun during FY 2015-16. The objective of the project is "To increase demand for energy efficiency investments in the target MSME clusters and to build their capacity to access commercial finance". The key beneficiaries of the project include participating MSMEs who will realize the potential benefits from EE investments/improvements including clean & lean manufacturing opportunities; Banks / FIs from increased business opportunities; energy professionals & Local Service Providers (LSPs) from increased demand for their services and Industry Associations enabling them to carry out EE related activities in their clusters. The main deliverable of the project is to provide technical support to MSMEs resulting in catalyzing investments for implementing Energy Conservation Measures in 500 MSMEs. The project also aimed at emission reduction to the tune of 1.5 million tonnes of CO_2.

The outcome of the Project has so far been satisfactory. Cluster Profile Reports of the initial five clusters have been developed and uploaded on the SIDBI website for its wider dissemination. More than 1200 walk-through audits were undertaken, 700 detailed energy audits conducted and 696 Investment Grade Detailed Project Report (IGDPRs) prepared in the ten clusters under the project. More than 600 MSMEs have started implementing energy conservation measures in these clusters. A third party measurement & verification has been

सत्यापन भी संचालित किया गया, जिसने उत्कृष्ट परिणाम दर्शाए हैं । इस परियोजना ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1.5 मिलियन टन तक की कमी लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है ।

साथ ही, इस परियोजना के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता संबंधी विभिन्न विषयों पर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, उद्योग संघों एवं अन्य विभिन्न मुख्य भागीदारों हेतु 85 से अधिक क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिससे 4,200 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए । इसके अतिरिक्त, 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनमें विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी/ राज्य वित्तीय निगमों /सनदी लेखाकारों / वित्तीय व्यवसायिकों से लगभग 1,100 प्रतिभागियों को ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण के संबंध में जागरूक बनाया गया / प्रशिक्षित किया गया । सिडबी ने 14 प्रदर्शनियां और परिचयात्मक दौरे भी संचालित किए, ताकि लक्षित उद्यम समूहों में ऊर्जा दक्षता आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं / ईएससीओ को आकर्षित किया जा सके और 200 से अधिक विक्रेता कंपनियों ने इनमें हिस्सा लिया ।

सिडबी ने अपनी विश्व बैंक-जीईएफ परियोजना के अंतर्गत एक नया "अंतर्निहित हरित मानदंडों सहित समेकित ऋण श्रेणी निर्धारण मॉडल" विकसित कर उसका प्रायोगिक परीक्षण किया है । भारत सरकार द्वारा यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन्ड कॉट्रिब्यूशंस (आईएनडीसी) संबंधी दस्तावेज में भी इस परियोजना का उल्लेख किया गया है ।

4ई (एंड टु एंड एनर्जी एफिशिएंसी) समाधान

सिडबी ने "विश्व पर्यावरण दिवस" पर एंड टु एंड एनर्जी समाधान (4 ई समाधान) नामक उत्पाद का शुभारम्भ किया है। 4 ई समाधान उचित मूल्य पर, सेवा की गुणवत्ता के आश्वासन के साथ, तकनीकी परामर्शदाता/ऊर्जा सेवा कंपनियों की सेवा का उपयोग करते हुए ऊर्जा सेवा में सुधार लाने में एमएसएमई ग्राहकों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 4 ई समाधान का क्रियान्वयन सिडबी की सहयोगी संस्था इंडिया एसएमई

conducted in more than 500 MSMEs which has indicated excellent results. The project has achieved its objective of emission reduction of almost 1.5 million tonnes of CO_2.

Further, under the project, more than 85 Capacity Building and Awareness Programs have been conducted for MSMEs, Industries Associations and various other key stakeholders on various topics related to energy efficiency which has outreached more than 4,200 participants. Besides, 36 Training Programs were conducted under which around 1,100 participants from banks/FIs/NBFCs/SFCs/CAs/ financial professionals etc were sensitized / trained on Energy Efficiency financing. SIDBI also conducted 14 exhibitions along with exposure visits to attract EE equipment suppliers/vendors/service providers/ESCOs in the targeted clusters and more than 200 vendor companies had participated.

A new "Integrated Credit Rating Model with Embedded Green Parameters" has been developed and pilot tested by SIDBI under its WB-GEF Project. The Project has also been mentioned in the Government of India's document on Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) submitted to UNFCCC.

The 4E (End-to-End Energy Efficiency) Solutions

SIDBI has launched the End-to-End Energy Efficiency Solutions (4E solutions) Product on the "World Environment Day". The 4E solution provides technical support to MSME clients to improve their energy savings by availing the services of Technical Consultant / Energy Services Companies (ESCOs) at a reasonable cost with assurance on the quality of services.

टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) द्वारा विशेषज्ञ ऊर्जा प्रोफेशनल्स की सेवाएँ लेकर किया जा रहा है। यथातिथि 4 ई समाधान कार्यक्रम से 100 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हो चुके हैं। इसके फलस्वरूप लगभग 11,500 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस-उत्सर्जन में कमी आई है।

इसके अलावा, एमएसएमई को उपलब्ध ऐसी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दरों पर उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए एक चक्रीय निधि (4 ई वित्तीयन योजना) निर्मित की गई है। इस चक्रीय निधि में विश्व बैंक से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जीईएफ अनुदान और सिडबी की सामान्य निधि से 28:72 के अनुपात में अंशदान शामिल है।

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ)

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) युनाइटेड नेशन्स फ्रेम्मवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तत्वावधान में गठित एक नई निधि है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को सहायता देकर निम्न उत्सर्जन तथा जलवायु-अनुकूल विकास की ओर अग्रसर हो रहे विकास-पथ के बदलते परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित अथवा कम कर पाएँ और जलवायु-परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन कर सकें। विकसित देशों ने 2020 तक जीसीएफ के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष संग्रहीत करने का वचन दिया है। यह निधि जीसीएफ द्वारा विकासशील देशों को अनुदान, रियायती उधार और अन्य तरीकों से प्रदान की जाएगी, ताकि जलवायु-परिवर्तन का समाधान हो और उससे अनुकूलन के कार्यों में मदद की जा सके। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रीन क्लाइमेट फंड से मान्यता के लिए सिडबी को राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था नामित किया है। सिडबी ग्रीन क्लाइमेट फंड से मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। मान्यता मिलने के बाद बैंक जीसीएफ

The 4E Solution is being implemented by India SME Technology Services Limited (ISTSL), an associate institution of SIDBI by utilizing the services of specialized energy professionals. As on date, more than 100 MSMEs have benefitted so far from the 4E Solution programme which has resulted in GHG emissions reduction of approx 11,500 tons of CO_2.

Further, a Revolving Fund (4E Financing Scheme) has been created to provide loans to MSMEs for such energy efficiency projects at concessional interest rates and soft terms. The Revolving Fund shall include GEF Grant of USD 3 million from World Bank and contribution from SIDBI out of its general fund in the ratio of (28:72).

Green Climate Fund (GCF)

Green Climate Fund (GCF) is a new fund created within the framework of the United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) to promote a paradigm shift towards low-emission and climate-resilient development pathways by providing support to developing countries to limit or reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to the impacts of climate change. The developed countries have committed to mobilize USD 100 billion per annum by 2020 for GCF. These funds shall be provided by GCF to developing countries in the form of grants, concessional lending and through other modalities to enable and support climate change mitigation and adaptation actions. Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEFCC), Government of India has nominated SIDBI as National Implementing Entity (NIE) for accreditation with Green Climate Fund (GCF). SIDBI is in the process of accreditation with Green Climate Fund (GCF). Once accredited, the

से सीधे अनुदान और सुलभ ऋण लेने के लिए पात्र हो जाएगा, जबकि वर्तमान में ये विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

ग. सेवा क्षेत्र वित्तीयन

- सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक संवृद्धि का मुख्य कारक बना हुआ है। इस क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्द्धन में लगभग 53% का योगदान किया, निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। राष्ट्रीय एवं राज्यों की आय, व्यापारिक अंतर्प्रवाह, विदेशी मुद्रा निवेश अंतर्प्रवाह तथा रोज़गार में योगदान की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे अधिक गतिशील रहा। भारत के सेवा क्षेत्र में कई प्रकार की गतिविधियाँ आती हैं, जैसे- व्यापार, होटल और रेस्तराँ, परिवहन, भण्डारण और संचार, वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा, व्यवसाय सेवाएँ, समुदाय, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएँ तथा निर्माण से जुड़ी सेवाएँ। सेवा क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए सिडबी सेवा क्षेत्र को अपने व्यवसाय का विशिष्ट क्षेत्र मानकर उस पर ध्यान केन्द्रित करता आया है।

घ. प्राप्य वित्त योजना

- प्राप्य वित्त योजना वर्ष 1991 में आरंभ की गई। यह बैंक की अग्रणी योजनाओं में से एक है। एमएसएमई को उनकी प्राप्य राशियों की शीघ्र वसूली में मदद करने के उद्देश्य से सिडबी अच्छे कार्य-निष्पादन वाली क्रेता कंपनियों की सीमाएँ निर्धारित करता है और पुर्जे, हिस्से, उप-संयोजन, सेवाएँ आदि की आपूर्ति करनेवाली एमएसएमई/सेवा क्षेत्र की पात्र इकाइयों के मीयादी बिलों की भुनाई करता है, ताकि उन एमएसएमई/सेवा-क्षेत्र इकाइयों को अपनी बिक्री-राशि शीघ्रता से मिल जाए। सिडबी क्रेता कंपनियों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को बीजक भुनाई सुविधा भी प्रदान करता है। इस वर्ष मौजूदा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

Bank will be eligible for grant and soft loans directly from GCF instead of being routed through multilateral agencies like World Bank at as present.

C. Service Sector Financing

- The services sector remains the key driver of India's economic growth, contributing almost 53% of its gross value added in FY 2015-16. The sector also remained the most vibrant in terms of contribution to trade flows, FDI inflows and employment. India's services sector covers a wide variety of activities such as trade, hotel and restaurants, transport, storage, communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social & personal services and services associated with construction. In view of the growing role of service sector, SIDBI has been focusing on service sector as one of its niche areas in business.

D. Receivable Finance Scheme

- Receivable Finance Scheme (RFS), launched in the year 1991, is one of the pioneer schemes of the Bank. In order to help the MSMEs for quicker realization of their receivables, SIDBI fixes limits to well-performing purchaser companies and discounts usance bills of MSMEs / eligible service sector units supplying components, parts, sub-assemblies, services, etc. so that the MSME / service sector units realise their sale proceeds quickly. SIDBI also offers invoice discounting facilities to the MSME suppliers of purchaser companies. The focus this year has been on strengthening the existing processes and guidelines.

IV. गैर-निधि-आधारित सुविधाएँ

पारंपरिक बैंकिंग ढाँचे के भीतर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान की जानेवाली सेवाओं के साथ-साथ बैंक एमएसएमई को बहुत सी गैर-निधि आधारित सेवाएँ भी प्रदान करता है, जैसे- साख-पत्र (विदेशी और अंतर्देशीय, दोनों), गारंटी आदि। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्ध गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का सार-संक्षेप तालिका 3.5 में दिया गया है।

V. सिडबी- सरकारी योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में

- आधुनिक/ऊर्जा-बचतकारी प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे- ऋण-आधारित पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) [एमएसएमई मंत्रालय], कपड़ा उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) [कपड़ा मंत्रालय], चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास योजना (आईडीएलएसएस)[वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय], खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/

IV. Non-Fund Based Facility

The Bank also provides various non-fund based services like Letters of Credit (both foreign and inland) to MSMEs, Guarantees, etc., to micro & small enterprises in addition to services provided within the traditional banking framework. Summary of businesses under non-fund based facility during FY 2015-16 is provided in Table 3.5.

V. SIDBI as Nodal Agency for Government Schemes

- SIDBI plays Nodal Agency role in implementation of various schemes undertaken by the Government of India (GoI) for MSME sector viz., Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) [Ministry of MSME], Technology Upgradation Fund Scheme for Textile Industry(TUFS) [Ministry of Textiles], Integrated Development of Leather Sector Scheme(IDLSS) [Ministry of Commerce & Industry], Scheme of Technology Upgradation/Setting up/Modernization/

तालिका 3.5: गैर-निधि आधारित व्यवसाय
Table 3.5: Non-Fund Based Business

(₹ करोड़ / crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / FY 2014-15		वित्तीय वर्ष / FY 2015-16	
	सं. Number	बकाया Outstanding as on March 31	Number	बकाया Outstanding as on March 31
विदेशी साख-पत्र / Foreign Letter of Credit	60	81.06	43	62.53
अंतर्देशीय साख-पत्र / Inland Letter of Credit	1	0.65	2	2.36
गारंटी योजना / Gurantee Scheme	235	55.42	236	60.31
योग / Total	296	137.13	281	125.20

आधुनिकीकरण/विस्तार योजना (एफपीटफ्स) [खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय] और प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन (टेकअप) योजना [एमएसएमई मंत्रालय] के क्रियान्वयन के लिए सिडबी नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है।

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी से प्रत्यक्षतः सहायता-प्राप्त 431 पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के कुल ₹ 23.57 करोड़ के दावों को सीएलसीएसएस के अन्तर्गत निपटाया गया। साथ ही, सह-योजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं से संबंधित 2350 एमएसई के ₹ 154.54 करोड़ के सब्सिडी-दावों का निपटान भी किया गया। अक्तूबर 2000 में इस योजना के आरम्भ होने से अब तक संचयी रूप से ₹ 1,289.42 करोड़ के पूंजी सब्सिडी के 21,521दावों का निपटान किया जा चुका है।

- इसी प्रकार, टफ्स के अन्तर्गत सिडबी से प्रत्यक्ष सहायता-प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में 346 सब्सिडी दावों (ब्याज प्रोत्साहन सब्सिडी और पूँजी/मार्जिन राशि सब्सिडी, दोनों) के प्रति ₹ 10.15 करोड़ और सह-योजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा एमएसई को उपलब्ध सहायता के संबंध में 990 सब्सिडी-दावों के प्रति कुल ₹ 23.93 करोड़ का निपटान किया गया। अप्रैल 1999 में टफ्स के आरम्भ किए जाने से अब तक संचयी रूप से ₹ 736.42 करोड़ के पूँजी सब्सिडी और ब्याज प्रोत्साहन दावों का निपटान किया जा चुका है।

- आईडीएलएसएस का शुभारम्भ 2005 में किया गया। तब से मार्च 2016 तक इसके अन्तर्गत कुल ₹ 291.81 करोड़ के 1759 दावों का निपटान किया गया है। एफपीटफ्स योजना का अप्रैल 2007 में विकेन्द्रीकरण होने के बाद से इसके अन्तर्गत मंत्रालय से 58 प्रस्तावों (जिनमें 92 किस्तें शामिल हैं) के संबंध में ₹ 14.03 करोड़ की अनुदान-सहायता की संस्तुति की गई है। इसके प्रति सिडबी से

Expansion of Food Processing Industries (FPTUFS) [Ministry of Food Processing Industries] and Technology and Quality Upgradation (TEQUP) Scheme [Ministry of MSME] to encourage MSMEs in adopting modern/energy efficient technologies.

- During the year under review, capital subsidy claims of 431 eligible Micro and Small Enterprises (MSEs) directly assisted by SIDBI aggregating ₹ 23.57 crore were settled under CLCSS. Further, subsidy claims of 2350 MSEs amounting to ₹ 154.54 crore in respect of co-opted Primary Lending Institutions(PLIs) were also settled. Since the launch of the Scheme in October 2000, 21,521 capital subsidy claims aggregating ₹ 1,289.42 crore (cumulative) were settled.

- Similarly, under TUFS, 346 subsidy claims (both interest incentive subsidy and capital/margin money subsidy) for SIDBI's directly assisted cases amounting to ₹ 10.15 crore and 990 subsidy claims aggregating to ₹ 23.93 crore were settled in respect of the co-opted PLIs for their assistance to MSEs. Since the launch of the TUFS in April 1999, capital subsidy and interest incentive claims for an amount of ₹ 736.42 crore (cumulative) have been settled.

- Under IDLSS, which was launched in November 2005, 1759 claims aggregating ₹ 291.81 crore were settled till March 2016. Under FPTUFS, subsequent to decentralization of the Scheme from April 2007, 58 cases (involving 92 installments) have been recommended to the Ministry, for grant-in-aid amounting to ₹ 14.03 crore

सहायता-प्राप्त 82 दावों के संबंध में कुल ₹ 12.92 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 दावों के संबंध में ₹ 1.52 करोड़ का निपटान किया गया।

- जहाँ तक टेकअप का संबंध है, मार्च 2016 तक 82 दावों के संबंध में पात्र सब्सिडी के प्रति ₹ 6.25 करोड़ का संवितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 55 दावों के संबंध में ₹ 4.05 करोड़ का निपटान किया गया।

- **डेटी, भारत सरकार को परामर्श सेवाएं**

  संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एमएसआईपीएस) के अन्तर्गत प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित परियोजनाओं में किए गए निवेश के लिए इकाइयों को प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान कर रही है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन डेटी की ओर से सिडबी द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके और योजना के अन्तर्गत पूँजी सब्सिडी की पात्र राशि का निर्धारण किया जा सके। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सिडबी ने ₹ 3300 करोड़ के 16 आवेदनों का मूल्यांकन किया, जिससे ₹ 3.50 करोड़ की शुल्क-आधारित आय हुई।

VI. जोखिम प्रबंधन

- सिडबी ने एक व्यापक जोखिम प्रबन्धन प्रणाली कायम की है, जो इसके व्यवसाय तथा अन्य परिचालनों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील तथा अनुक्रियाशील है। बैंक के जोखिम प्रबन्धन

against which subsidy aggregating ₹ 12.92 crore has been released in respect of 82 claims, assisted by SIDBI. During FY 2015-16, ₹ 1.52 crore was settled in respect of 10 claims.

- Regarding TEQUP, 82 claims involving ₹ 6.25 crore of eligible subsidy were disbursed till March 2016. During FY 2015-16, ₹ 4.05 crore was settled in respect of 55 claims.

- **Consulting Services to DEITY, GoI**

  The Bank has entered into agreement with Department of Electronics and Information and Technology [DEITY], Ministry of Communications and IT, Government of India for appraising of proposals under Modified Special Incentive Package Scheme [MSIPS]. Under the Scheme, GoI is providing incentive/subsidy to units for investment made in projects related to electronics industry. SIDBI on behalf of DEITY, is carrying out technical and financial appraisal of the proposals submitted by the applicant to determine feasibility of the project and amount eligible for capital subsidy under the scheme. During the financial year under review, 16 applications amounting to projects worth ₹ 3,300 crore were appraised by SIDBI which generated fee based income of ₹ 3.50 crore.

VI. Risk Management

- SIDBI has put in place a comprehensive Risk Management System which is sensitive and responsive to various risks emanating from its business and other operations. The framework for risk

सम्बन्धी तन्त्र में नीतियाँ, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली तथा पद्धतियाँ हैं, ताकि बैंक के विभिन्न जोखिमों का निर्धारण, मूल्यांकन/ आकलन, शमन और निगरानी हो सके। बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबन्धन (ईआरएम) नीति बनाई है, जिसकी समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है। ईआरएम नीति एक सर्वव्यापी दस्तावेज़ है, जिसमें बैंक द्वारा जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित सामान्य/ साधारण आयामों का समावेश है। यह सहायक नीतिगत दस्तावेजों, जैसे ऋण नीति, ऋण वसूली नीति, निवेश नीति, आस्ति-देयता प्रबन्धन (एएलएम) नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबन्धन (ओआरएम), व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन (बीसीएम) नीति, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि से सम्बद्ध है। विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत समाहित ऋण, विपणन एवं परिचालनगत जोखिमों के अलावा अन्य जोखिमों, जैसे बैंकिंग खाता-बहियों में अवशेष जोखिम ऋण, ऋण संकेन्द्रण, ब्याज दर जोखिम, विधिक, प्रतिष्ठा आदि सम्बन्धी जोखिमों का समाधान आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति में किया गया है।

- बैंक के ऋण एवं राजकोषीय परिचालनों से सम्बन्धित जोखिमों की लगातार निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन में किया जाता है। इनमें तुलन-पत्रेतर मदें भी शामिल हैं। हालांकि यह बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी बेसल II मानदण्डों के अनुपालन के लिए सन्नद्ध रहने के स्वतःस्फूर्त उपाय के तौर पर बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबन्धन प्रणाली [आईआरएमएस] स्थापित की है। इसमें ऋण जोखिम प्रबन्धन [सीआरएम], बाज़ार जोखिम प्रबन्धन, ओआरएम और आईसीएएपी शामिल हैं। बैंक ने व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई)

management in the Bank encompasses policies, organization structure, system and practices of identification, assessment, measurement, mitigation and monitoring of various risks of the Bank. The Bank has in place Enterprise Risk Management [ERM] Policy which is reviewed annually. The ERM Policy is an umbrella document that covers the general/ common aspects pertaining to risk management by the Bank and links to the subsidiary policy documents, viz., Loan Policy, Loan Recovery Policy, Investment Policy, Asset – Liability Management [ALM] Policy, Operational Risk Management [ORM] Policy, Business Continuity Management [BCM] Policy, IT Security Policy, Delegation of Powers, etc. Besides the credit, market and operational risks covered in various policies, the other risks, viz., residual credit, credit concentration, interest rate risks in banking book, legal, reputation, etc., are addressed in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy.

- The risks associated with the Bank's lending and treasury operations, including off-balance sheet items, are constantly monitored, measured and managed under the overall supervision and guidance of Risk Management Committee (RiMC) of the Board. Though not enjoined upon the Bank, as a proactive measure to be in preparedness of compliance to Basel II norms, the Bank has put in place Integrated Risk Management System [IRMS], which includes policies and systems for Credit Risk Management [CRM], Market Risk Management, ORM and ICAAP. The Bank has implemented

प्रणाली कार्यान्वित की है, जिस हानि डेटा की प्राप्ति, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम एवं नियन्त्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक ने व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन (बीसीएम) नीति भी कार्यान्वित की है। इसे आपदा-काल में महत्त्वपूर्ण व्यवसाय-परिचालनों में सातत्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। इरादा यह है कि बैंक व्यवसाय सातत्य की एक ऐसी रणनीति व ढाँचा तैयार करे जो सशक्त होने के साथ-साथ आघात सहने में सक्षम हो, ताकि महत्त्वपूर्ण परिचालनों में रुकावट को प्रबन्धन के लिए स्वीकार्य न्यूनतम स्तर पर रोका जा सके।

VII. गैर-निष्पादक आस्ति प्रबन्धन

- बैंक की आस्ति-गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार करने के उद्देश्य से गैर-निष्पादक आस्तियों के वर्तमान स्तर में कमी लाने, खातों के फिसलकर गैर-निष्पादक आस्ति श्रेणी में जाने से बचाने तथा वसूली के उपयुक्त साधनों का समुचित इस्तेमाल करके गैर-निष्पादक आस्तियों से अधिकतम वसूली करने को प्राथमिकता दी जाती है। भारत सरकार के निदेशानुसार ₹3 करोड़ अथवा उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले गैर-निष्पादक आस्ति वाले मामलों की समीक्षा के लिए निदेशक-मण्डल स्तर की 'वसूली समीक्षा समिति' भी गठित की गई है। साथ ही, एक अन्य त्वरित निपटान समिति भी गठित की गई है, जो ₹1 करोड़ और उससे अधिक बकाया मूलधन राशियों वाले एनपीए मामलों और दबावग्रस्त आस्तियों की समीक्षा करती है। गैर-निष्पादक आस्ति खातों और चिंताजनक खातों की निगरानी के लिए परिचालन कार्यालय में आन्तरिक चूक समीक्षा समिति (डीआरसी) की नियमित बैठकों की पद्धति भी निगरानी का कारगर साधन सिद्ध हुई है। प्रत्यक्ष सहायता संविभाग के अन्तर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर

Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) system which is used for Loss Data Capture, Key Risk Indicator (KRI), and Risk and Control Self Assessment (RCSA). The Bank has also implemented BCM Policy, which is designed to ensure continuity of critical business operations during disasters. The intention is to ensure that the Bank is able to minimize the disruption to critical operations at a level which is acceptable to Management by putting in place a robust and resilient business continuity strategy and framework.

VII. NPA Management

- In order to improve the overall quality of assets of the Bank, the NPA management strategy of the Bank is to reduce the present level of Non-Performing Assets (NPAs), prevent further slippages and to maximise recovery out of NPAs through appropriate recovery tools. As per the directives of Government of India, a Board level 'Recovery Review Committee' has been constituted to review all individual NPA cases having principal outstanding of ₹3 crore and above. Further, another Committee called Fast Track Committee has been constituted to review all the NPA cases and Stressed Assets having principal outstanding of ₹1 crore and above. The system of regular meeting of in-house Default Review Committee (DRC) at the Operating Offices is also helping to monitor the NPA accounts and accounts causing concern has become an effective monitoring tool. The level of Gross NPAs under direct assistance portfolio (after Prudential Write-Off (PWO)), stood at

(विवेकानुसार बट्टे खाते डालने के बाद) यथा 31 मार्च 2016 ₹ 688 करोड़ रहा । निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ (प्रावधानीकरण के बाद) ₹ 346 करोड़ रहीं।

- आत्मविश्लेषण करने तथा ज्ञान को साझा करने के उपाय के रूप में, बैंक ने नए खातों के एनपीए बनने की समीक्षा हेतु एक प्रणाली विकसित की है, ताकि उनके असफल होने के कारणों को समझकर उनका विश्लेषण किया जा सके । नए एन पी ए बनने के कारण मुख्यतः उधारकर्ता से संबंधित हैं जैसे प्रबंधन समस्याएं, प्रबंधन दल की अनुभवहीनता, श्रम समस्याएं, समय अधिक लग जाना, लागत बढ़ जाना आदि तथा कुछ बाहरी घटक हैं जैसे नीति में बदलाव, बिजली संबंधी समस्या, उद्योग में मंदी, अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी, पर्याप्त कार्यशील पूंजी की कमी, बाजार की ताकतों में प्रतिकूल बदलाव आदि । बैंक, उधारकर्ताओं को उनकी तरलता संबंधी समस्याओं से उबरने में मदद करने हेतु, आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना उपायों (सीडीआर प्रणाली व सिडबी की योजना के अंतर्गत), सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई कर रहा है । कुछ मामले जानबूझकर चूक करने / गलत विनियोजन / निधियों के अपवर्जन के भी थे ।

- अप्रत्यक्ष सहायता संविभाग (अल्प वित्त सहित) के मामले में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 320 रहा तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियां ₹ 135 करोड़ रहीं । राज्य वित्तीय निगमों की गैर-निष्पादक आस्तियों के सम्बन्ध में अपने हितों की सुरक्षा के लिए बैंक कई प्रकार के प्रयास कर रहा है, जिसमें सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत भी शामिल है। बैंक अल्प वित्त संस्थाओं के साथ भी रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, ताकि उनकी गैर-निष्पादक आस्तियों का निपटान हो सके तथा उनसे देय राशियों की वसूली हो सके ।

₹ 688 crore as on March 31, 2016. The net NPAs (after provisioning) stood at ₹ 346 crore.

- As a measure of introspection and sharing of knowledge, the Bank has also devised a system of review of fresh slippage of accounts into the NPA category to understand and analyse causes of failure thereof. The reasons for fresh slippages are related mainly to borrowers like management problems, inexperience of management team, labour problems, time overrun, cost overrun, etc. and external factors like changes in policy, power related problem, recession in the industry, general slow-down in the economy, lack of adequate working capital, unfavorable changes in market forces, etc. The Bank is taking necessary action including restructuring of advances (under CDR mechanism and SIDBI's scheme), wherever found necessary to help the borrowers in tiding over their liquidity problems. There were also a few cases of wilful default / misappropriation / diversion of funds.

- In case of Indirect Assistance portfolio (including Micro Finance), the level of gross NPAs stood at ₹ 320 crore as on March 31, 2016 and net NPAs stood at ₹ 135 crore. The Bank has been taking a number of initiatives, including dialogues with the state governments concerned, to safeguard its interests in respect of NPAs of SFCs. The Bank has also been engaged constructively with Micro Finance Institutions that are NPAs, for resolution and recovery of dues from them.

- बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियॉ मार्च 2016 के अंत में ₹1,008 रहीं, जो बैंक के सकल ऋण बकाया का 1.51% रहा । निवल गैर-निष्पादक आस्तियॉ ₹481 करोड़ रहीं, जो निवल ऋण बकाया का केवल 0.73% थीं।

VIII. संसाधन प्रबंधन

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिडबी ने कुल ₹53,807 करोड़ के संसाधन जुटाए, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹22,664 करोड़ के संसाधन जुटाए गए थे । इसमें ₹4,709 करोड़ और ₹23,985 करोड़ के अल्पावधि उधार भी शामिल हैं, जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जुटाए और चुकाए गए । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जुटाए गए संसाधनों के विस्तृत विवरण तालिका 3.6 में दिए गए हैं :

- **विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों में जोखिम से बचाव :**

  विदेशी मुद्रा उधारों के जोखिम का बचाव पारंपरिक रूप से शेष/ पूर्ण मीयाद के लिए अंतर मुद्रा ब्याज दर विनिमय के माध्यम से किया जाता था । तथापि, बचाव की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आहरित की गईं कुछ विदेशी मुद्रा उधार राशियों का बचाव मूलधन मात्र के विनिमय तथा लघु अवधि बिक्री /क्रय विनिमय से किया गया । साथ ही, प्रत्येक मुद्रा के विनिमय दर / ब्याज दर परिप्रेक्ष्य के आधार पर, कुछ बचाव संरचनाओं को पूरी शेष मीयाद के लिए न लेते हुए केवल मीयाद के एक हिस्से के लिए ही लिया गया ।

IX. सिडबी ऋण लिखतों की रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लि. (केयर) ने सिडबी के बकाया ऋण निर्गमों जैसे ₹23,686.60 करोड़ के अप्रतिभूत बांड, ₹30,000 करोड़ के आरआईडीएफ जमाओं, ₹3,000 करोड़ के मियादी जमा कार्यक्रम के संदर्भ में

- The Gross NPAs of the Bank at ₹1,008 crore constituted 1.51% of gross credit outstanding of the Bank as at end of March 2016. The net NPAs at ₹481 crore was only 0.73% of net credit outstanding.

VIII. Resources Management

- Resources aggregating ₹53,807 crore were raised by SIDBI during FY 2015-16 as against ₹22,664 crore during FY 2014-15. This also includes Short term borrowings of ₹4,709 crore and ₹23,985 crore mobilised and repaid during FY 2014-15 and FY 2015-16 respectively. The particulars of resources raised during FY 2015-16 are given in the table 3.6.

- **Hedging of Foreign Currency Borrowings:**

  The foreign currency borrowings were traditionally hedged by way of Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS) for residual / full tenor. However, with a view to contain the hedging cost, some of the foreign currency borrowings drawn during FY 2015-16 were hedged by way of Principal only Swaps (PoS) and short term Sell/Buy Swaps. Also depending on exchange rate / interest rate outlook on each of the currencies, a few hedging structures were bought for a part of tenor rather than covering it for entire residual tenor.

IX. Rating of SIDBI Debt Instruments

During FY 2016, Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) reaffirmed 'CARE AAA' (Triple A) rating in respect of outstanding debt issues of SIDBI viz., Unsecured Bonds of ₹23,686.60 crore, RIDF Deposits of ₹30,000 crore, Fixed

तालिका 3.6: सिडबी द्वारा जुटाए गए संसाधन
Table 3.6: Resources raised by SIDBI

(₹ करोड़ / crore)

	2014-15	2015-16
I. घरेलू उधारियाँ / Domestic Borrowings		
एमएसई (पुनर्वित्त) निधि / MSE (Refinance) Fund	0.00	5,000.00
एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि / MSME (Risk Capital) Fund	500.00	500.00
आरबीआई पुनर्वित्त सुविधा / RBI Refinance Facility	5,000.00	0.00
सावधि जमा / Fixed Deposits	697.95	440.85
वाणिज्यिक पत्र / Commercial Paper (CP)	11,044.11	32,840.26
अप्रतिभूत बांड / Unsecured Bonds	3,907.00	7,324.00
जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit (CD)	0.00	2,847.75
एमएसएमई उद्यम पूंजी निधि / MSME Venture Capital Fund	0.00	2,500.00
उप-योग / Sub-total	21,149.06	51,452.86
II. विदेशी मुद्रा उधारियाँ / Foreign Currency Borrowings		
जाइका VIII # / JICA VIII #	139.11	0.00
जाइका IX # / JICA IX #	525.09	263.98
केएफडब्ल्यू VI @ / KfW VI @	89.34	133.16
केएफडब्ल्यू VII @ / KfW VIII @	60.64	161.83
केएफडब्ल्यू IX @ / KfW IX @	271.18	260.60
केएफडब्ल्यू X @ / KfW X @	0.00	74.18
विश्व बैंक III (आईबीआरडी भाग) / World Bank III (IBRD Portion)	403.61	135.64
विश्व बैंक III (आईडीए भाग) ^ / World Bank III (IDA Portion) ^	4.19	49.81
विश्व बैंक IV / World Bank IV	0.00	1,228.80
एएफडी * / AfD *	0.00	0.00
एशियाई विकास बैंक / Asian Development Bank	18.85	46.47
केएफडब्ल्यू के अंतर्गत अनुदान / Grant under KfW	1.50	0.00
एशियाई विकास बैंक के अंतर्गत अनुदान / Grant from ADB	1.23	0.00
उप-योग /Sub-total	1,514.74	2,354.47
III. कुल / Total (I+II)	**22,663.80**	**53,807.33**

जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी / Japan International Cooperation Agency
@ क्रेडिटांस्टाल्ट फुर वीडरॉफबाउ, जर्मनी / Kreditanstalt für Wiederaufbau, Germany
^ अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था / International Development Association
* एजेंस फ्रेंकेस द डेवलेपमेंट / Agence Française de Développement

'केयर एएए' (ट्रिपल ए) रेटिंग तथा ₹ 18000 करोड़ के सीपी/सीडी कार्यक्रम के लिए 'केयर ए1+' (ए वन प्लस) / 'केयर एएए' (ट्रिपल ए) रेटिंग कायम रखी तथा साथ ही, 'केयर एएए' (आईएस) (ट्रिपल ए, [जारीकर्ता रेटिंग]) भी प्रदान की । इसी प्रकार ₹ 2380 करोड़ के बकाया बॉण्डों के सम्बन्ध ने क्रिसिल ने 'क्रिसिल एएए/स्टेबल' रेटिंग कायम रखी। क्रिसिल/केयर द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त रेटिंगों का इस्तेमाल करते हुए सिडबी ने वर्ष के दौरान बॉण्डों के ज़रिए ₹ 2,380 करोड़ जुटाए। उपर्युक्त रेटिंगों वाली लिखतों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता तथा नगण्य निवेश-जोखिम-युक्त माना जाता है ।

X. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- **सार्क विकास निधि के साथ सहयोग**

  बैंक ने एमएसएमई वित्तीयन हेतु उपयुक्त वित्तीय उत्पाद विकसित करने, अल्प वित्त, ऊर्जा दक्षता, ऋण मूल्यांकन, निवेश, निधियां जुटाने, प्रासंगिक अनुसंधान / अध्ययन और प्रकाशन करने के क्षेत्रों में शुल्क आधारित परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने, कार्यशालाएं / सेमिनार / सम्मेलन आयोजित करने, सार्क विकास निधि तथा सार्क देशों

Deposit Programme of ₹ 3,000 crore and 'CARE A1+ (A One Plus)/ CARE AAA (Triple A)' rating for the CP / CD Programme of ₹ 18,000 crore and also assigned Issuer Rating of CARE AAA(Is)(Triple A [(Issuer Rating)]. Similarly, CRISIL also retained 'CRISIL AAA/Stable' rating in respect of outstanding bonds of ₹ 2,380 crore. Instruments carrying the above ratings are considered to be of the best quality, carrying negligible investment risk.

X. International collaboration

- **Collaboration with SAARC Development Fund (SDF)**

  The Bank has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with SDF for providing fee based consultancy services in the areas of development of suitable financial products for MSME financing, Micro Finance, Energy Efficiency, Credit Appraisal, Investments, Mobilizing Funds, carrying out relevant research / studies and

सिडबी ने सार्क डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बाएं से दाएँ हैः श्री सुनील मोतीवाल, सीईओ, एसडीएफ, डॉ.क्षत्रपति शिवाजी, सीएमडी, सिडबी और श्री अजय कुमार कपूर, डीएमडी, सिडबी

SIDBI signs MoU with SAARC Development Fund (SDF). From left to right: Shri Sunil Motiwal, CEO, SDF, Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI and Shri Ajay Kumar Kapur, DMD, SIDBI.

में एमएसएमई का निधीयन करने वाली संस्थाओं का क्षमता विकास आदि के उद्देश्य से सार्क विकास निधि के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है ।

- **बिज़नेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा (बीडीसी) के साथ करार**

  बैंक ने बीडीसी, कनाडा के साथ इसके करार को नवीकृत किया, जो कि परस्पर देशों में एसएमई ग्राहकों को लघु, मध्यम व दीर्घावधि वित्तीयन व परामर्श सेवाओं हेतु संदर्भ कार्यप्रणाली गारंटी कार्यप्रणाली, नवारंभ व टिकाऊ वित्त तथा अन्य प्रकार के अवसरों (एमएंडए, संयुक्त उद्यम आदि) तक पहुंच प्रदान करने के संबंध में है । इस संबंध में, सिडबी ने बीडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चिह्नित सर्वोत्तम व्यवहारों तथा भारत में नवारंभों हेतु नवोन्मेषी सुझाव तथा ज्ञान साझा करते हुए एमएसएमई के लिए चिंताजनक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की परिकल्पना की गई है ।

- **मुंबई में मॉंट्रियल समूह वार्षिक सम्मेलन**

  चुनिंदा विकास वित्त संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय संघ, दि मांट्रियल ग्रुप (टीएमजी) ने 11-13 अप्रैल, 2016 के दौरान मुंबई में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की। सिडबी के अतिरिक्त, इसके सहभागियों में शामिल थे : बीडीसी, कनाडा ; बीपीआईफ्रांस, फ्रांस ; नेशनल फिनासियेरा, एसएनसी (नैफिन), मेक्सिको ; चाइना डेवलपमेंट बैंक, चीन ; फिनवेरा, फिनलैंड ; दि ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक, ब्राजील ; सउदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, सउदी अरब । इस टीएमजी सम्मेलन के सहभागियों ने तीन विषयों पर बल दिया, जो विकास वित्त संस्थाओं तथा एमएसएमई के लिए सदैव प्रासंगिक हैं तथा इस संबंध में विचारों और सर्वोत्तम व्यवहारों का विनिमय किया

publications, holding of workshops/ seminars/ conferences, capacity development of SDF and MSME funding institutions in SAARC countries , etc.

- **Collaboration with Business Development Bank of Canada (BDC)**

  The Bank renewed its collaboration with BDC, Canada to facilitate access for SME clients in each other country on referral mechanism for short, mid and long-term financing & consulting solutions, guarantee mechanism, start-up and sustainable finance and other types of opportunities (M&A, joint venture etc). In this regard, SIDBI signed an MoU with BDC, which envisages to focus on identifying best practices and innovative solutions for start-ups in India and issues concerning Indian MSMEs through knowledge sharing.

- **Montreal Group Annual Meet in Mumbai**

  The Montreal Group (TMG), an international association of select DFIs (Development Finance Institutions) had its annual meeting in Mumbai during April 11-13, 2016. Besides SIDBI, the participants included BDC, Canada; BPIFrance, France; Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN), Mexico; China Development Bank, China; FINNVERA, Finland; The Brazilian Development Bank, Brazil; Saudi Industrial Development Fund, Saudi Arabia. The participants in the TMG meet focused on the three topics which are of constant relevance for DFIs and MSMEs and exchanged ideas and best practices viz. (i) Green Financing, (ii) Innovative Products &

बीडीसी और दि मॉण्ट्रियल ग्रुप की मुख्य विशेषताएँ
Highlights of BDC and The Montreal Group

बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा (बीडीसी) *की स्थापना 1944 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत की गई। यह कनाडा सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है। इसका उद्देश्य विदेशी उद्यम पूँजी और परामर्श सेवाओं के ज़रिए एसएमई पर ध्यान केन्द्रित रखते हुए, कनाडा के व्यवसाय में मदद करना, उसे शुरु और विकसित करना है। बीडीसी की 100 शाखाएं और 2000 कर्मचारी हैं। विगत वर्षों में इसने छह क्षेत्रों में विविधीकरण किया है, जो इस प्रकार हैं- वित्तपोषण, संवृद्धि एवं राजकोषीय पूँजी, उद्यम पूँजी, परामर्श, प्रतिभूतीकरण और उद्यम पूँजी कार्य-योजना (वीसीएपी)। इसके ग्राहकों की संख्या 42,000 से अधिक है। वीसीएपी निजी क्षेत्र के नए निवेशकों को आकर्षित करने, बड़ी, परवर्ती चरण की निधियाँ निर्मित करने और अन्ततः निजी क्षेत्र में उद्यम पूँजी निवेश में वृद्धि करने में मदद कर रही है, जिससे रोजगार और दीर्घकालिक संवृद्धि का सृजन हो रहा है। अध्ययन से पता चला है कि बीडीसी के जिन ग्राहकों ने वित्तीय व परामर्श, दोनों सेवाओं का उपयोग किया, उन्हें अपने व्यवसाय के पाँचवें वर्ष में 59% उच्चतर राजस्व बढ़त हासिल हुई।*

बीडीसी का ज़ोर उद्यमिता संवर्द्धन पर है। बीडीसी ने नयी उद्यमिता गतिविधि का विलक्षण वार्षिक सूचकांक विकसित किया है (जिसे 'बीडीसी सूचकांक' कहते हैं)। यह सूचकांक उस दर को मापता है, जिस पर कनाडा के लोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विभिन्न उप-क्षेत्रीय स्तरों पर रोजगार पैदा करने वाले नये व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं। बीडीसी सूचकांक की गणना पिछले 12 महीनों में कुल श्रम-शक्ति की तुलना में उन लोगों की संख्या के आकलन के आधार पर की जाती है जो अपने नियोक्ता से अलग होकर स्वतंत्र रूप से काम करने लगे।

Business Development Bank of Canada (BDC) *was created by an Act of Parliament in 1944 as a wholly-owned corporation of the Government of Canada with a mission to help, create and develop Canadian business through Foreign Venture Capital and Consulting Services, with a focus on SMEs. Over the years, BDC with 100 branches and 2000 employees, has diversified into six areas viz. Financing, Growth and Treasury Capital, Venture Capital, Consulting, Securitisation and Venture Capital Action Plan (VCAP), catering to more than 42,000 clients. The VCAP is helping attract new private sector investors, create larger, later-stage funds and ultimately, increase private sector venture capital investments to create jobs and long term growth. Study found that BDC clients who used both financing and consulting services, had 59% higher revenue growth in their fifth year of business.*

The thrust of BDC is to promote entrepreneurship. BDC has developed a unique annual Index of New Entrepreneurial Activity ("the BDC Index") which measures the rate at which Canadians are launching new job-creating businesses nationally, regionally and in various subregions. The BDC Index is calculated by measuring the number of people who became independent workers with employees in the past 12 months as a proportion of the total labour force.

दि मॉण्ट्रियल ग्रुप

सितंबर 2012 में दि मॉण्ट्रियल ग्रुप (टीएमजी) की स्थापना की गई। यह राज्य-समर्थित वित्तीय विकास संस्थाओं का वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य विकास वित्त संस्थाओं के मध्य विचारों और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इसके मूल सात संस्थापक सदस्य हैं: बीडीसी (कनाडा), बीएनडीईएस (ब्राजील, चाइना डेवलपमेंट बैंक, नैफिन्सा (मेक्सिको), ओएसईओ (फ्रांस), सिडबी (भारत) और व्नेशेकोनॉमबैंक (रूस)।

टीएमजी समूह के साथियों के मध्य आदान-प्रदान: ऋण गारंटी, अमूर्त परियोजनाओं के वित्तपोषण, परामर्श सेवाओं, वैश्विक व्यवसाय मैचिंग अथवा अभिशासन आदि मुख्य उत्पादों के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों और नवोन्मेषिता आदि को बढ़ावा देता है। आंतरिक परिचालन-दक्षता में सुधार करने, कार्य-नीतिक आयोजना और नीति-निर्माण में परिष्कार लाने, हितधारकों और बदलती हुई आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उपाय करने, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से लाभ-प्राप्ति आदि में सदस्यों की सहायता की जाती है।

वर्ष 2016/17 के लिए सदस्य एक ऐसी कार्य-योजना पर सहमत हुए हैं, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान किया जाएगाः हरित वित्तपोषण, नवोन्मेषी उत्पाद एवं सेवाएं तथा ऑनलाइन सेवाएं एवं डिजिटाइजेशन।

The Montreal Group

In September, 2012, The Montreal Group (TMG) was established as a global forum of state-supported financial development institutions to encourage exchange of ideas and best practices amongst the member the DFIs. The original seven founding members are: BDC (Canada), BNDES (Brazil), China Development Bank, Nafinsa (Mexico), OSEO (France), SIDBI (India) and Vnesheconombank (Russia).

TMG fosters peer group exchanges, identify best practices and innovative solutions on issues/products such as loan guarantees, financing intangible projects, consulting services, global business matching or governance, to name but a few. Members are supported to improve internal operational efficiency, refine strategic planning and policy formulation, respond to stakeholders and changing economic conditions, benefit from international perspectives, etc.

For 2016/2017, members settled on a work plan recommending investigating the following topics: Green Financing, Innovative Products and Services and Online Services and Digitalization.

जो हैं : हरित वित्तीयन, (ii) नवोन्मेषी उत्पाद एवं सेवाएं तथा (iii) जोखिम प्रबंधन । भारत में एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण व विकास में संलग्न शीर्ष विकास वित्त संस्था सिडबी द्वारा आयोजित किए गए इस सम्मेलन में, विश्व भर की 8 विकास वित्त संस्थाओं ने एमएसएमई क्षेत्र हेतु प्रासंगिक मुद्दों तथा चुनौतियों पर चर्चा की ।

Services and (iii) Risk Management. Arranged by SIDBI, the principal DFI engaged in MSME sector financing and development in India, the participants from 8 DFIs around the world had held discussions on issues of relevance and challenges pertaining to MSME sector.

सिडबी ने 11 से 12 अप्रैल 2016 के दौरान मुम्बई में दि मॉण्ट्रियस ग्रुप (टी एम जी) की बैठक आयोजित की
SIDBI organised The Montreal Group (TMG) Meeting in Mumbai during April 11-13, 2016.

4

वित्तीय समावेशन एवं दीर्घकालिक संवृद्धि

Financial Inclusion and Sustainable Growth

एक्सेस असिस्ट से "माइक्रोफाइनेंस इंडिया - कन्ट्रीब्यूशन टू द सेक्टर बाइ एन ऐनैबलिंग इंस्टीच्यूशन" वर्ग के अंतर्गत सिडबी ने "माइक्रोफाइनेंस इंडिया पुरस्कार - 2015" जीता।

SIDBI bagged "Microfinance India Awards – 2015" organized by Access Assist under the Microfinance India - Contribution to the Sector by an Enabling Institution" category.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अल्प वित्त देश के वित्तीय समावेशन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और अल्प वित्त संस्थाएं देश के समावेशी विकास के एजेंडे को आगे ले जाने का एक वाहन हैं। अल्प वित्त संस्थाओं का कुशलतापूर्वक परिचालन संभव हो सके इसके लिए विभिन्न विनियामक दिशा-निर्देशों को व्यवस्थित किए जाने और अल्प वित्त परिचालन के लिए सुदृढ़ और स्पष्ट रूपरेखा सुनिश्चित किए जाने के फलस्वरूप अल्प वित्त क्षेत्र पुनर्जीवित हो कर अब विकास के पथ पर अग्रसर है। दिशा-निर्देशों ने अल्प वित्त संस्थाओं के उधारदाताओं पर यह दबाव बनाया है कि वे अल्प वित्त संस्थाओं के कार्य निष्पादन का आकलन दीर्घकालिकता के साथ-साथ विनियामक अनुपालन की दृष्टि से करें।

सिडबी ने अल्प वित्त क्षेत्र में अग्रणी वित्तीय संस्था होने के नाते ईक्विटी, अर्ध -इक्विटी और मीयादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उत्तरदायी वित्तपोषण संव्यवहारों का कार्यान्वयन एवं पक्षपोषण भी जारी रखा।

उत्तरदायी वित्तपोषण के संबंध में सिडबी के प्रयास

- अल्प वित्त संस्थाओं की परिचालन क्षमता को बढ़ाने और क्षमता आकलन रेटिंग्स, संविभाग लेखा परीक्षा, आचरण - संहिता मूल्यांकन आदि उपायों से अल्प वित्त क्षेत्र में अबाध रूप से ऋण का प्रवाह हो सके इस के लिए सिडबी एक बाजार निर्माता की भूमिका निभा रहा है। उत्तरदायी वित्त पोषण एवं निर्धारित आचरण - संहिता के पालन को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण कार्य सिडबी द्वारा विश्व बैंक की सहायता से प्रमुखता से किया गया।

- अल्प वित्त संस्थाओं के ऋणदाताओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से अल्प वित्त संस्थाओं के सभी प्रमुख ऋणदाताओं को शामिल करते हुए ऋणदाताओं का एक फोरम बनाया गया था। अल्प वित्त संस्थाओं के सभी प्रमुख ऋणदाताओं ने इस बात के लिए सहमति व्यक्त की है कि वे सभी मिलकर एक समान प्रसंविदाओं द्वारा उत्तरदायी वित्तपोषण प्रक्रियाओं को लागू करवाने

Micro finance is an important pillar of financial inclusion strategy of the country and Micro Finance Institutions (MFIs) are a vehicle for taking the inclusive growth agenda of the country forward. The micro finance sector is on a growth path after its revival with streamlining of various regulatory guidelines, ensuring a strong and clear regulatory framework for MFIs to operate efficiently. The guidelines also entailed the MFI lenders to assess the MFIs' performance in terms of sustainability as well as regulatory compliance.

SIDBI, being a pioneer financial institution in the micro finance space, continued to provide financial assistance, in the form of equity, quasi-equity and term loan while advocating and implementing various responsible lending practices at the same time.

SIDBI's Initiatives on Responsible Financing

- SIDBI has been playing the role of a market-maker to enhance the operational efficiency of MFIs and enabling smooth flow of adequate credit to the micro finance sector through measures like capacity assessment ratings, portfolio audits, code of conduct assessment, etc. Promoting responsible lending and adherence to a laid-down Code of Conduct (CoC) is a major intervention by SIDBI, with support from the World Bank.

- Lenders' Forum comprising key lenders of MFIs was created for sharing information and promoting cooperation among MFI lenders. Major lenders of MFIs have agreed to impress upon the MFIs to implement responsible lending practices through a common set of loan covenants. Lenders

के लिए अल्प वित्त संस्थाओं पर दबाव बनाएंगे । ऋणदाताओं में यह सहमति बनी कि वे उनके द्वारा सहायता प्रदत्त अल्प वित्त संस्थाओं की कड़ाई से जांच करेंगे और निरंतर निगरानी रखेंगे कि फील्ड स्तर पर उचित व्यवहार संहिता, केवाईसी मानदंडों आदि का अनुपालन हो। अब तक सिडबी द्वारा अल्प वित्त क्षेत्र के ऋणदाताओं के फोरम की 10 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

- सिडबी ने भारत में दो स्व नियामक संस्थाओं अर्थात सा-धन, तथा एमफिन के साथ मिलकर, देश की अल्प वित्त संस्थाओं के लिए एकीकृत - आचार- संहिता स्थापित की है। यह आचार संहिता, अल्प वित्त संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे निम्न आय वर्ग के ग्राहकों को ऐसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएं जो ग्राहकोन्मुखी हों, तथा उनकी समृद्धि बढ़ा सकें तथा उनकी सुपुर्दगी ऐसे तरीके से हो जो नैतिक, पारदर्शी, न्यायसंगत तथा कम लागत पर हो। वर्ष के दौरान सा-धन, तथा एमफिन ने दिसंबर 2015 में आयोजित इन्क्लूसिव फाइनान्स सम्मिट में संयुक्त रूप से संशोधित आचरण - संहिता मूल्यांकन साधन की शुरुआत की। माइक्रो फाइनांस सम्मिट 2011 में जारी हुए आचार संहिता का यह दूसरा संस्करण है।

- आचार संहिता मूल्यांकन साधन (कोका) से अल्प वित्त संस्थाओं का आकलन किया जाता है कि उस अल्प वित्त आचार संहिता के स्वैच्छिक अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन हो सके। सिडबी ने अपनी सभी सहायताप्रदत्त अल्प वित्त संस्थाओं को अपनी पांच सूचीबद्ध एजेंसियों में से किसी एक द्वारा आचार-संहिता मूल्यांकन करवाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये एजेंसियां हैं एक्सेस एसिस्ट, इक्रा मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, माइक्रो क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, प्राइम एम2आई कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड तथा एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड । अब तक कुल 75 आकलन किए गये हैं और 69 अल्प वित्त संस्थाओं की रेटिंग सार्वजनिक की गयी है।

were in agreement to strictly examine and continuously monitor field level practices of their assisted MFIs like adherence to fair practices code, KYC norms etc. So far, SIDBI has conducted 10 meetings of Lenders' Forum for the microfinance sector.

- SIDBI, in association with MFIN and Sa-Dhan – the two Self-Regulatory Organisations (SROs) - has evolved the unified Code of Conduct for MFIs in the country. The code mandates MFIs to provide low income clients with access to financial services that are client focused designed to enhance their well-being and delivered in a manner that is ethical, dignified, transparent, equitable and cost effective. During the year, the revised CoC was launched jointly by Sa-Dhan and MFIN during Inclusive Finance India Summit in December 2015. This was the second edition of the code which debuted at the Microfinance India Summit 2011.

- The Code of Conduct Assessment (COCA) assesses MFIs' degree of adherence to the voluntary microfinance CoC. SIDBI has issued guidelines to all the assisted MFIs to undergo COCA through anyone of the five empanelled agencies i.e. ACCESS - ASSIST, ICRA Management Consulting Services Ltd., Micro Credit Ratings International Ltd., Prime M2i Consulting Services Ltd. and SME Rating Agency of India Ltd. A total of 75 assessments have since been undertaken and reports of 69 MFIs have been placed on the public domain.

- *मिक्स* द्वारा सिडबी की सहायता से विकसित *भारत अल्पवित्त मंच (आईएमएफ़पी)* भारतीय अल्पवित्त संस्थाओं के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय एवं परिचालनगत सूचनाएँ उपलब्ध कराता है। यह एक वैश्विक, वैब-आधारित, अल्पवित्त संबंधी सूचनाओं का मंच है, जहाँ अल्पवित्त संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे एक मानकीकृत प्रारूप में निश्चित अंतरालों पर अपने वित्तीय एवं परिचालनगत आँकड़े प्रस्तुत करें, ताकि सरलता से उच्च श्रेणी की पारदर्शिता/प्रकटीकरण संभव हो सके। आईएमएफ़पी परियोजना के कारण रिपोर्टिंग करने वाली अल्पवित्त संस्थाओं की संख्या बढ़ी है और उसके परिणामस्वरूप, भारतीय अल्प वित्त क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों में वृद्धि हुई है तथा इसके साथ ही, सूक्ष्मतर और जिला-स्तरीय आँकड़े विकसित हो सके हैं। आईएमएफ़पी के दूसरे चरण में आंकड़ा संग्रहण के अलावा तीन विश्लेषक उत्पाद जैसे आल इण्डिया बेंचमार्क टेबिल, माइक्रो फाइनांस जिओग्राफिक इंडेक्स एवं टॉप इण्डिया रैंकिंग भी विकसित किए गए हैं। इन तीनों उत्पादों की शुरुआत सफलतापूर्वक कर दी गयी है।

- India Micro Finance Platform (IMFP), developed by MIX with financial support from SIDBI, provides and disseminates various financial and operational information on Indian MFIs. It is a global, web-based, microfinance information platform, where MFIs are required to submit financial and operational data, at periodic intervals in a standardized format, thus enabling higher degree of transparency / disclosures with ease. The IMFP has achieved enhanced data coverage through increase in the number of reporting MFIs as well as development of granular, district-level datasets. During Phase II of IMFP, besides data collection, three analytical products, viz., the All India Benchmark Tables, The Micro Finance Geographic Index (Heat map) and The Top India Ranking, were also developed. All the three products have since been launched successfully.

संविभाग जोखिम निधि

- भारत सरकार ने *संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ़) योजना* के अंतर्गत ₹150 करोड़ की सहायता की प्रतिबद्धता की है। बैंक उक्त निधि का उपयोग अल्पऋण योजना के अंतर्गत अल्पवित्त संस्थाओं से अपेक्षित प्रतिभूति सुरक्षा के प्रति सावधि ऋण के 7.5% हिस्से (सामान्य 10% की अपेक्षा के स्थान पर) की पूर्ति के लिए कर रहा है। यह योजना मूलतः समग्र देश के लिए लागू की गई थी, किंतु अब इसे 01 जुलाई, 2008 से अल्पसेवित राज्यों और अन्य राज्यों के अल्पसेवित इलाकों/जिलों के लिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान के साथ) लागू किया गया है।

Portfolio Risk Fund

- The GoI has committed support of ₹150 crore under Portfolio Risk Fund (PRF) Scheme, which is being utilised by the Bank for meeting 7.5% of the term loan towards security cover (against the normal requirement of 10%) of the MFIs' requirements under Micro Credit Scheme. The scheme, which was originally covering the entire country, has since been rationalized to cover only underserved states and underserved pockets / districts in other states (with emphasis on Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Minority, Other Backward Class and women beneficiaries) with effect from July 01, 2008.

- संचयी रूप से, यथा 31 मार्च, 2016, *संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ़)* के अंतर्गत पात्र अल्पवित्त संस्थाओं को संवितरित ऋण ₹2,623.64 करोड़ रहा तथा *संविभाग जोखिम निधि (पीआरएफ़)* में से ₹196.77 करोड़ की राशि (पात्र ऋण संवितरणों की 7.5% राशि) का उपयोग किया गया।

भारत अल्प-वित्त ईक्विटी निधि

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के उपरान्त, ₹100 करोड़ की समूह निधि वाली भारत अल्प-वित्त ईक्विटी निधि (आईएमईएफ) की स्थापना सिडबी में की गई। इस सहायता का उपयोग करते हुए अल्प वित्त संस्थाओं को अपना ईक्विटी आधार बढ़ाना, अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूर्ण करना तथा इसका लाभ उठाते हुए अतिरिक्त ऋण जुटाना तथा एक दीर्घावधि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संगठन का निर्माण करना होता है। बाद में, वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में इस समूह निधि को बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया।

31 मार्च 2016 की समाप्ति पर इस योजना के अन्तर्गत बैंक ने 65 अल्प वित्त संस्थाओं को ₹178 करोड़ की राशि की प्रतिबद्धता की है । प्रतिबद्धता राशि में से ₹124.09 करोड़ की राशि संवितरित कर दी गई है। आईएमईएफ एवं अन्य विविध लिखतों के उपयोग का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

आईएमईएफ का प्रभाव

वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा आईएमईएफ के प्रभाव का आकलन कराया गया जिसमें देखा गया कि आईएमईएफ के वित्तपोषण से अल्प वित्त क्षेत्र की अल्प वित्त संस्थाओं में समग्र टिकाऊपन पाने में कितनी मदद मिली है। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है।

- **समग्र प्रभावः** आईएमईएफ के वित्तपोषण के उपरांत तत्काल अवधि में अल्प वित्त संस्थाओं के 28% पर और मध्यम अवधि अल्प वित्त संस्थाओं के 75% पर वित्तकम मध्यम से लेकर उच्च स्तर तक का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है ।

- Cumulatively, as on March 31, 2016, the disbursement to eligible MFIs under PRF stood at ₹2,623.64 crore, entailing PRF requirement of ₹196.77 crore (being 7.5% of eligible loan disbursements).

India Microfinance Equity Fund

Following the announcement in the Union Budget 2011-12, the India Microfinance Equity Fund (IMEF) with a corpus of ₹100 crore was set up in SIDBI by the Govt. of India to help MFIs to improve their equity base, meet capital adequacy requirements, leverage the same for additional debt raising and build commercially sustainable organisations for the long term. Subsequently the corpus was enhanced to ₹300 crore in the Budget of FY 2013-14.

As at end of March 2016, the Bank has committed an amount of ₹178 crore to 65 MFIs under the scheme. Out of the committed amount, a total amount of ₹124.09 crore has been disbursed. Details of utilization of IMEF along with various instruments are given at Table 4.1.

Impact of IMEF

An impact assessment of IMEF was undertaken by SIDBI during the year to evaluate the impact of IMEF funding on the MFI sector and the funded MFIs in terms of helping the MFIs achieve overall sustainability. The key findings are:

- **Overall Impact:** Post IMEF funding, 28% of the MFIs in immediate term and 75% of the MFIs in medium term demonstrated a medium to high level of impact of funding.

तालिका 4.1: आईएमईएफ परिचालन
Table 4.1: IMEF Operations

(₹ करोड़ में / crore)

लिखत / Instruments	वित्तीय वर्ष FY 2014-15		वित्तीय वर्ष FY 2015-16	
	संवितरण Disbursements	बकाया Outstanding	संवितरण Disbursements	बकाया Outstanding
अधीनस्थ ऋण / Sub-Debt	3.25	50.75	2.38	53.13
ईक्विटी / Equity	3.46	16.01	1.00	13.99
ओ सी पी एस / OCPS	13.75	45.95	8.00	53.95
योग / Total	20.46	112.71	11.38	121.07

- **संस्थागत टिकाऊपनः** अल्प वित्त संस्थाओं पर बड़े अनुपात में उनके समग्र टिकाऊपन के निर्माण के लिए आईएमईएफ वित्त पोषण का बड़ा ही सकारात्मक एवं उच्च प्रभाव रहा है। संस्थागत टिकाऊपन के क्षेत्र में निधि का सबसे अधिक प्रभाव रहा है।

- **पहुँच, उधार पद्धतियाँ एवं परिचालन क्षमता** : पहुँच, उधार पद्धतियों एवं परिचालन क्षमता के क्षेत्र में अल्प वित्त संस्थाओं के कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

- **Institutional Sustainability**: IMEF funding can be attributed for a high and positive impact on the MFIs in terms of building their overall sustainability in a large proportion of MFIs. The fund had the highest impact in the area of institutional sustainability.

- **Outreach, Lending practices and Operational efficiency:** There was a remarkable improvement in performance of the MFIs in the area of Outreach and lending practices and Operational Efficiency.

- **विनियामक स्थिति के आधार पर समग्र प्रभावः** यह पाया गया है कि आईएमईएफ वित्तपोषण का प्रभाव सभी अल्प वित्त संस्थाओं पर एक समान था। तत्काल अवधि में 32% एनबीएफसी अल्प वित्त संस्थाओं पर और 24% गैर -एनबीएफसी अल्प वित्त संस्थाओं पर तथा मध्यम अवधि में लगभग 75% अल्पवित्त संस्थाओं (दोनों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बनाम गैर एनबीएफसी) ने मध्यम से उच्च स्तर तक वित्तपोषण का प्रभाव दर्शाया है।

- **आकार के आधार पर समग्र प्रभावः** सभी अल्प वित्त संस्थाओं पर भले ही उनका आकार (टियर II बनाम टियर III) कुछ भी रहा हो, आईएमईएफ के वित्तपोषण का प्रभाव एक समान रूप से रहा।

- **भौगोलिक आधार पर समग्र प्रभाव :** आईएम्ईएफ वित्तपोषण का प्रभाव सबसे अधिक उत्तरक्षेत्र आधारित अल्प वित्त संस्थाओं पर रहा जहाँ सभी अल्प वित्त संस्थाओं ने मध्यम अवधि में मध्यम से उच्च स्तर तक वित्तपोषण के प्रभाव को दर्शाया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अल्पसेवित राज्यों में सिडबी के प्रयास

अल्पसेवित राज्यों में अल्पवित्त परिचालनों को व्यापक बनाने एवं उनकी पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से, बैंक सतत रूप से कई ऐसे अतिसक्रिय कदम उठा रहा है जिनसे अब तक अल्प सेवित इलाकों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ, आदि राज्यों को मिलने वाली सहायता में वृद्धि हो। स्थानीय अल्प वित्त संस्थाओं के विकास के अलावा सिडबी का प्रयास रहा है कि दक्षिणी राज्यों की बड़ी अल्प वित्त संस्थाओं की पहुंच का अल्पसेवित इलाकों तक विस्तार हो।

- **Overall Impact Based on Regulatory Status:** It has been found that the impact of IMEF funding was uniform across MFIs irrespective of their regulatory status (NBFCs vs. Non-NBFCs). Around 32% of NBFC MFIs and 24% of Non-NBFC MFIs in the immediate term and around 75% of MFIs (for both NBFCs and Non-NBFCs) in the medium term demonstrated a medium to high level of impact of funding.

- **Overall Impact based on Size:** The impact of IMEF funding was fairly uniform across MFIs irrespective of their size (Tier II vs. Tier III).

- **Overall Impact Based on Geography:** The impact of IMEF funding was found to be the most significant in North-based MFIs with all MFIs showing a medium to high level impact of funding in the medium term.

Initiatives in the underserved States including North-Eastern Region

With a view to upscaling and widening the outreach of the microfinance operations in the underserved states, the Bank has been continuously initiating several proactive measures to increase the flow of assistance to hitherto underserved areas, viz. North Eastern Region (NER) and in states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, etc. Besides development of local MFIs, SIDBI continues to induce larger MFIs from the southern states to expand outreach in underserved areas,

- यथा 31 मार्च 2016 को सभी अल्प वित्त संस्थाओं के परिचालन का एक बड़ा भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के अल्प सेवित राज्यों/ क्षेत्रों में था जिनके पास सिडबी से प्राप्त ऋण बकाया थे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- बैंक ने भारत में निर्धनों, विशेषकर महिलाओं की अल्प वित्त उत्पादों तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए 850 लाख यूरो की ऋण सहायता और 16.9 लाख यूरो के वित्तीय योगदान हेतु क्रेडिटास्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (के एफ़ डब्ल्यू), जर्मनी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। उक्त सहायता के ऋण घटक का उपयोग अल्प वित्त संस्थाओं को ऋण देने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे आगे ऋण प्रदान करती हैं। तकनीकी सहायता घटक का उपयोग सिडबी स्टाफ व सहायताप्राप्त अल्प वित्त संस्थाओं को प्रशिक्षण देने, जोखिम निर्धारण मॉड्यूल विकसित करने, उद्योग बैंचमार्क तथा सर्वोत्तम पद्धतियां, सहायता प्राप्त अल्प वित्त संस्थाओं को अंतरित करने के क्षेत्र में चुनिंदा क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपाय के तौर पर हमारी सहायता प्राप्त अल्प वित्त संस्थाओं की ऋण संविभाग लेखा परीक्षा/प्रणाली लेखा परीक्षा करने हेतु किया जा रहा है।

- बैंक ने 500 लाख अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता हेतु एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ करार किया है । यह सिडबी को दीर्घावधि निधियां प्रदान करेगा, जिनसे सिडबी विशिष्ट वित्त पोषण कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण 'छूटे हुए मध्यस्तर' को सहायता प्रदान करेगा । परियोजना के दायरे में वित्तीय साक्षरता और कम आय वाली महिलाओं के लिए अन्य सहायता उपायों को कवर किया गया है।

- अल्प ऋण संविभाग में वृद्धि करने के प्रयोजन से सिडबी ने विश्व बैंक से 300 मिलियन अमेरिकी

- As on March 31, 2016, most of the MFIs having outstanding loans from SIDBI had a substantial part of their operations in the underserved states / areas of the country including NER.

International Collaborations

- The Bank has entered into agreement with Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany for loan support of EUR 85 million and financial contribution of EUR 1.69 million for improving access to microfinance products in India among the poor, particularly women. The loan component of the support has been used to provide loans to MFIs for on-lending. The Technical Assistance (TA) component is being used to provide training to SIDBI staff and assisted MFIs, development of a risk assessment module, select capacity building interventions in the area of transfer of industry benchmarks, best practices to assisted MFIs and for carrying out of loan portfolio audits / system audits of our assisted MFIs, as a prudent risk management measure.

- The Bank had entered into collaboration with ADB for loan support of USD 50 million for providing SIDBI with long tenor funding to support the vital "Missing Middle" through specific financing programs. The scope of the project covered financial literacy and other support measures for the low income women.

- A loan of USD 300 million was contracted from the World Bank (WB), including USD

डॉलर के ऋण के लिए संविदा की है, जिसमें इंटरनैशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा इंटरनैशनल एसोसिएशन (आईडीए) से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य एसडीआर शामिल है। "टिकाऊ तथा उत्तरदायी अल्प वित्त में वृद्धि" शीर्षक की परियोजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद प्रारंभ करके एवं पारदर्शिता व उत्तरदायित्वपूर्ण वित्त को पोषण प्रदान करके, विशेषकर देश के अल्प सेवित क्षेत्रों के ग्राहकों की टिकाऊ अल्प वित्त सेवाओं तक पहुँच बनाने में वृद्धि करना है। जुलाई 2010 से शुरू हुई यह परियोजना 5 वर्ष से अधिक के संतोषजनक परिचालन के बाद 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो गयी। परियोजना का उद्देश्य काफी हद तक हासिल हुआ।

- बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र के छूटे हुए मध्य घटकों को सहायता दिए जाने के लिए 100 लाख यूरो की ऋण सहायता और 5 लाख यूरो के वित्तीय योगदान के लिए क्रेडिटास्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (के एफ़ डब्ल्यू), जर्मनी के साथ एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह छूटे मध्य उधारकर्ताओं को [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई आदि प्राथमिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से] वित्तपोषण के लिए है और खास करके महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से बहिष्कृत उद्यमियों के क्षमता निर्माण और व्यापार विकास सेवाओं और सूक्ष्म उद्यमों के लिए बाजार लिंकेज के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है।

- वर्ष के दौरान भारत में एमएसएमई क्षेत्र में अल्प वित्त एवं सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देने के उद्देश्य से क्रेडिटास्टाल्ट फ़र वीडरॉफ़बाउ (के एफ़ डब्ल्यू), जर्मनी ने 55 मिलियन यू एस डालर की ऋण व्यवस्था दी

200 million from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and SDR equivalent of USD 100 million from International Development Association (IDA) for upscaling the micro credit portfolio. The project titled "Scaling Up Sustainable and Responsible Micro Finance" aims at scaling up access to sustainable micro finance services, particularly to clients in the underserved areas of the country, through among other things, introduction of innovative financial products and fostering transparency and responsible finance. The project came to an end on September 30, 2015 after satisfactory operation of more than 5 years since July 2010. The objectives were largely achieved.

- The Bank has contracted another Line of Credit (LOC) from Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany for loan support of EUR 100 million and financial contribution of EUR 0.50 million for assistance for 'Missing Middle' of the MSME sector in India. It seeks to finance [through Primary Financial Institutions (PFIs) which could be RRBs, UCBs, NBFCs, MFIs etc.] the 'Missing Middle' borrower segment and lays focus on strengthening Capacity Building and Business Development Services and market linkage programmes for micro-enterprises with emphasis on women and other socially excluded entrepreneurs.

- Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany has also extended an LoC of USD 55 million for assistance for 'Microfinance and Micro Enterprise' of the MSME sector in India during the year. Under the

है। इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत समाज के निर्धन वर्ग को एवं पात्र सूक्ष्म उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। सिडबी भारत भर में पात्र भागीदारों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएगा । 31 मार्च 2016 तक ऋण घटक के तहत केएफडब्ल्यू द्वारा 11 लाख यू एस डालर की राशि जारी की गई है।

Programme, assistance will be extended to eligible borrowers in poorer segments of society as well as to eligible micro enterprises. SIDBI shall channelize the loan through eligible channel partners throughout India. KfW has released an amount of USD 11 million under the loan component upto March 31, 2016.

संवर्धन एवं विकास (पी एंड डी) संबंधी प्रयास

एमएसएमई क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में किए गए प्रयासों में, सिडबी द्वारा *'ऋण से अधिक'* दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत, इस क्षेत्र को सशक्त, सक्रिय एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बैंक द्वारा ऋण-सहायता के साथ-साथ, विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक सहयोग भी प्रदान किया गया है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं:

- **एमएसएमई परामर्श केन्द्र** : नए/मौजूदा उद्यमियों को वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी सब्सिडियों/लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने, उधारकर्ताओं को ऋण-परामर्श प्रदान करने, बैंकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नो के उत्तर देने संबंधी मार्गदर्शन करने, आदि के लिए सिडबी द्वारा, *एमएसएमई परामर्श केन्द्र* स्थापित किए गए हैं। औद्योगिक संगठनों की साझेदारी में स्थापित ये केन्द्र, पूरे देश में स्थित विभिन्न एमएसएमई-समूहों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इन परामर्श केन्द्रों से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सिडबी द्वारा ऐसे *सूचना-भागीदार* नियुक्त किए गए हैं, जो सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं तथा जिनको एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक अनुभव प्राप्त है। सूचना-भागीदार उक्त प्रयोजन हेतु समुचित रूप से प्रशिक्षित भी है। इन परामर्श केंद्रों से अब तक 12500 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं।

PROMOTIONAL & DEVELOPMENTAL (P & D) INITIATIVES

In its endeavour towards holistic development of the MSME sector, SIDBI adopts a 'Credit Plus' approach wherein, besides credit, the Bank also provides grant support for the promotion and development of the sector to make it strong, vibrant and competitive. Some of the important initiatives are given below:

- **MSME Advisory:** SIDBI has set up MSME Advisory Centres (MACs) for guiding new / existing entrepreneurs regarding availability of schemes of commercial banks, government subsidies / benefits, providing borrowers with debt counselling, answering queries raised by banks etc. The MACs have been servicing MSME clusters in partnership with Industry Associations. For manning the MACs, SIDBI appointed Knowledge Partners (KPs) who are retired bank officials, with vast experience of MSME sector. The KPs have also been suitably trained for the purpose. So far, more than 12,500 MSMEs have benefited through MACs.

- **युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन** - सिडबी द्वारा *स्मॉलबी.इन* वेबसाइट प्रारंभ की गई है, जो संभावित/उदीयमान, और यहाँ तक कि वर्तमान उद्यमियों के लिए एक सत्याभासी मार्गदर्शक/मेंटर तथा सहायक मंच है, ताकि नई इकाइयाँ स्थापित हो सकें और मौजूदा इकाइयों के व्यवसाय का विकास हो सके। इस वेबसाइट को *अंतरराष्ट्रीय एडीएफ़आईएपी अवार्ड 2014* के *'तकनीकी विकास'* वर्ग के लिए चुना गया है।

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/जिला सहकारी बैंकों का क्षमता-निर्माणः** ग्रामीण/अर्ध-शहरी एवं दूरदराज़ के इलाकों से समीपता और उनमें उपस्थिति के कारण सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / शहरी सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिडबी ने वित्तवर्ष 2012-13 में एक परियोजना आरंभ की जिसका मुख्य ध्यन इन स्तर-II बैंकों, जैसे- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी क्षमता के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया है ताकि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध हो सके। इस परियोजना के अंतर्गत, सिडबी द्वारा इन बैंकों के क्षमता-निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ₹ 50,000/- से ₹ 10,00,000/- तक की ऋण-सीमा के अंदर सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए सिडबी द्वारा अपनी प्रक्रिया/सॉफ्टवेयर को साझा किया जाना तथा इन बैंकों के कर्मचारियों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। लगभग 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 10 शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को शामिल करते हुए, इस कार्यप्रक्रिया संबंधी सुग्राहिता-कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त, कुल 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा 5 शहरी सहकारी बैंकों के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रशिक्षण-आवश्यकताओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने के बाद, वीडियोआधारित 2 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण का एक मॉड्यूल तैयार किया गया तथा उसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर *'प्रशिक्षक प्रशिक्षण'* कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनसे 42 क्षे.ग्रा.बैंकों/श.स.बैंकों के लगभग 430 अधिकारी लाभान्वित हुए।

- **Promoting youth entrepreneurship** – SIDBI developed a website www.smallB.in which is a virtual mentor and handholding forum for new entrepreneurs and even existing entrepreneurs to grow their existing business. The website has been chosen for International ADFIAP Awards 2014 under 'Technology Development' category.

- **Capacity Building of Regional Rural Banks (RRBs) / Urban Co-operative Banks (UCBs):** RRBs / UCBs play an important role in providing credit to micro enterprises due to their proximity and presence in the rural / semi urban and remote areas. SIDBI initiated a project in FY 2012-13 focused at capacity building of Tier-II banks viz. RRBs / UCBs with an objective to enhance the credit flow to micro enterprise sector. Under the project, SIDBI extends capacity building support to these banks, which includes SIDBI sharing its methodology / software for lending micro enterprise loans in the range of ₹ 50,000/- to ₹ 10,00,000/- and arranging for training of staff of these banks in this area. Besides organising sensitization programmes on this methodology covering chairmen of about 27 RRBs and 10 UCBs, MoUs with 29 RRBs and 5 UCBs have been signed. After a detailed training need analysis with few RRBs, a comprehensive 2-day video based training module has been developed and pilot tested. Based on the training module, 'Training of Trainers' programmes have been conducted benefitting about 430 officials of 42 RRBs / UCBs.

- **सूक्ष्म उद्यम संवर्धन कार्यक्रम (एमईपीपी):** सूक्ष्म उद्यम संवर्धन कार्यक्रम (एमईपीपी) का लक्ष्य, चुनिंदा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, ग्रामीण भारत में रोज़गार उत्पन्न करने में अग्रणी व्यवहार्य सूक्ष्म-उद्यमों को, व्यापक उद्यम सहयोग सेवाएँ प्रदान करके बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम अब तक 26 राज्यों के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका है। संचयी रूप से, अब तक 42,000 उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस प्रकार के 3 और कार्यक्रम मंजूर किए जा चुके हैं, जो कि उत्तरप्रदेश में वाराणसी जिला, असम में कामरूप जिले तथा बिहार में जहानाबाद जिले के लिए हैं। आगे, वित्त वर्ष 2016 में इस प्रकार के 2 और कार्यक्रम मंजूर किए जा चुके हैं जो कि झांसी, उत्तरप्रदेश एवं खोवाई, त्रिपुरा के लिए है।

- **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी):** बैंक विशेष रूप से दूर-दराज़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे समाज के दुर्बल वर्गों में उत्साही उद्यमियों का संवर्ग तैयार करने तथा रोज़गार के अवसर पैदा करने में सक्षम स्वरोज़गार धारक उद्यमों के संवर्धन के साथ-साथ, बड़ी संख्या में उद्यमी तैयार करने और उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। बैंक ने 31 मार्च, 2016 तक, विभिन्न लक्ष्य-समूहों के लिए कुल 3191 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की है, जिनसे 79,500 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए। संचयी रूप में, अब तक लगभग 39,500 प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में या तो अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं या लाभप्रद रोज़गार प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2016 के दौरान, कुल 94 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की गई, जिनमें 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने लाभ प्राप्त किया।

- **Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP):** Micro Enterprise Promotion Programme (MEPP) aims at promoting viable micro enterprises leading to employment generation in rural India by providing comprehensive enterprise support services through identified implementing agencies. MEPP has so far been implemented in 126 districts in 26 states. Cumulatively, about 42,000 enterprises have been set up. During FY 2015-16, 3 new MEPPs were launched i.e. one each at Varanasi district in U.P., Kamrup district in Assam and Jahanabad district in Bihar. Further, 2 more MEPPs have been sanctioned during FY 2015-16, one each at Jhansi district in U.P. and Khowai district in Tripura.

- **Entrepreneurship Development Programmes (EDPs):** The Bank's support to EDPs aims at building and nurturing a reservoir of entrepreneurs, while creating a cadre of motivated entrepreneurs and promotion of self-employed ventures capable of generating employment opportunities, especially in far-flung and rural areas targeting less privileged sections of the society like women, minorities and SC / ST. As on March 31, 2016, a total of 3,191 EDPs had been supported by the Bank, benefitting more than 79,500 participants in various target groups. Cumulatively, about 39,500 participants have either set up their own units or have been gainfully employed in the sector. During FY 2016, 94 EDPs were supported benefitting over 2500 participants.

- **कौशल विकास कार्यक्रम (स्टुप/सीमैप) :** एमएसएमई उद्यमियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, बैंक प्रतिष्ठित प्रबंध/प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे कतिपय संरचित प्रबंध/कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे- *"कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम" (स्टुप)* तथा *"लघु उद्योग प्रबंध सहायक कार्यक्रम" (सीमैप)* संचालित कर सकें।

  सिडबी ने अपने आरम्भ से विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों जैसेः केन्द्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान(सिपैट), केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) और अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी / प्रबन्धन संस्थानों द्वारा आयोजित 1560 स्टुप

- **Skill Development Programmes (STUPs / SIMAPs):** With a view to strengthening the technical and managerial capacities of the MSME workers and entrepreneurs, the Bank supports reputed management / technology institutions to offer certain structured management / skill development programmes, viz. "Skill-cum-Technology Upgradation Programme" (STUP) and "Small Industries Management Assistants Programme" (SIMAP).

  Since its inception, SIDBI has supported 1,560 STUPs benefitting about 32,750 participants conducted by specialised institutions viz., Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET), Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP) and other reputed

कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की, जिससे लगभग 32,750 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों जैसेः आईआईटी कानपुर / खड़गपुर / मुम्बई / चेन्नै / एक्सएलआरआई, जमशेदपुर, मणिपाल संस्थान, बैंगलोर द्वारा 302 सीमैप कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 9100 प्रतिभागियों को लाभ पहुँचा। इन कार्यक्रमों से काफी बड़ी संख्या में युवा प्रतिभावान विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा तथा उनमें से अधिकतर प्रतिभागियों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

- **उद्यम-समूहों का विकासः** 30 समूहों पर एक आंतरिक अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, सिडबी ने 5 प्रमुख अंतरालों को चिह्नित किया है जो कि सभी समूहों में आम तौर पर पाए गए हैं और वे हैं (क) कौशल विकास अंतराल, (ख) इन्फ्रास्ट्रक्चर अंतराल (ग) ज्ञान अंतराल, (घ) ऋण अंतराल और (ङ) नीति पत्तपोषण। तदनुसार, सिडबी ने अपने समूह विकास दृष्टिकोण में बदलाव किया है और अब प्रौद्योगिकी केंद्रित कार्यक्रम के स्थान पर समावेशी उद्यम समूह दृष्टिकोण अपनाया है जिसमे प्रबंधकीय पद्धतियाँ, बाजार संबंधी व्यवस्थाओं की स्थापना, उत्पाद / डिजाइन विकास, विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में कौशल उन्नयन आदि शामिल है। इन गतिविधियों से लगभग 12,000 एमएसएमई / दस्तकार / उद्यमी लाभान्वित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने अपने समूह स्तर प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत 9 एमएसएमई क्लस्टरों में प्रयास शुरू किया है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात् (i) अगरतला, (ii) भागलपुर, (iii) कोयंबत्तूर, (iv) हैदराबाद, (v) जामनगर, (vi) कोलकाता, (vii) लुधियाना (vii) पानीपत (ix) राजकोट में फैले हुए हैं। क्लिप के माध्यम से सिडबी ने प्रदर्शनात्मक प्रभाव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी

technical / management institutions. Further, 302 SIMAPs have been conducted by top rung national and state level institutions such as IITs at Kanpur / Kharagpur / Mumbai / Chennai, XLRI, Jamshedpur, Manipal Institute, Bangalore benefitting about 9,100 participants. These programmes have benefited a large number of young bright students and most of the participants have joined the MSME sector.

- **Cluster Development:** Based on the findings of an internal study on 30 clusters, SIDBI has identified 5 major gaps which are common to most of the clusters (a) Skill Development Gap, (b) Infrastructure Gap, (c) Knowledge Gap, (d) Credit Gap and (e) Policy Advocacy. Accordingly, the cluster development approach of SIDBI is re-oriented from technology centric methodology to comprehensive cluster development approach which includes business development services, management practices, establishment of marketing linkages, product / design development, skill up-gradation in different technical trades, etc., which have benefitted about 12,000 MSMEs / artisans / entrepreneurs.

During FY 2015-16, the Bank initiated interventions in 9 MSME clusters, spread across various geographical regions namely (i) Agartala (ii) Bhagalpur (iii) Coimbatore (iv) Hyderabad (v) Jamnagar (vi) Kolkata (vii) Ludhiana (viii) Panipat and (ix) Rajkot under its Cluster Level Intervention Programme (CLIP). Through CLIP, SIDBI has intervened by providing skill upgradation training programmes on

पर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्रांडिंग, ऊर्जा दक्षता, विभिन्न वित्तीय योजनाओं पर जागरूकता, गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर कार्यशाला, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा समूह में स्थित एमएसएमई इकाइयों के लिए नमूना आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के रूप में ऊर्जा आडिट का आयोजन भी किया है।

सिडबी ने अब तक पूरे भारत में विभिन्न समूहों में 90 क्लस्टर विकास कार्यक्रम से अधिक को सहायता प्रदान की है ।

- **अल्पसंख्यक वर्गों का विकासः** सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुरूप, शाखा कार्यालयों को सूचित किया गया है कि विभिन्न संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों से अधिकतम संख्या में प्रतिभागी शामिल किए जाएँ। संचयी रूप से, अब तक विभिन्न विकासपरक गतिविधियों से अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 7650 व्यक्ति प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुए हैं, इनमें वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान लगभग 42 विकासपरक गतिविधियों के अन्तर्गत लाभान्वित 450 प्रतिभागी भी शामिल हैं।

- **विपणन गतिविधियाँः** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की विपणन संबंधी समस्याओं के निराकरण की जरूरत को अनुभव करते हुए सिडबी इस क्षेत्र के विपणन संबंधी प्रयासों के सृजन और उन्हें सुदृढ़ करने में भी संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने 67 महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों / सेमिनारों / गतिविधियों को सहायता प्रदान की, जिससे 12000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी लाभान्वित हुए।

- **नवोन्मेष और संपोषण को बढ़ावा** : देश भर में ज़मीनी स्तर की नवोन्मेषी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें वाणिज्यिक स्वरूप प्रदान करने की

modern technology, branding, energy efficiency, awareness on different financial schemes, workshop on quality certification, Intellectual Property Rights, occupational health and safety etc including conducting energy audits for MSME units located in the above clusters on sample basis to raise awareness on energy efficiency and pollution control measures and also as a part of demonstrative effect.

SIDBI has so far supported more than 90 Cluster Development Programmes (CDPs) in various clusters all over India.

- **Minority Group Development:** As per the recommendations of Sachar Committee, the field offices have been advised to cover maximum number of participants from minority communities under various P&D activities. Cumulatively, about 7,650 persons from minority communities have been directly benefited from various developmental activities so far including about 450 participants out of 42 developmental programmes during FY 2015-16.

- **Marketing Activities:** Having realised the need to address the marketing problems of MSME sector, SIDBI is also engaged in creating and strengthening marketing initiatives for the sector. During FY 2015-16, the Bank supported 67 important exhibitions / seminars / events benefitting more than 12,000 MSME entrepreneurs.

- **Promoting Innovation and Incubation:** With a view to identifying and commercialising grassroots innovations all over the country, the Bank had supported

दृष्टि से, सिडबी ने अत्यंत लघु उद्यम नवोन्मेष निधि(एमबीआईएफ) स्थापित करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय नवोन्मेष कोष, अहमदाबाद को समूह-निधि के रूप में ₹ 400 लाख तथा प्रशासनिक अनुदान के रूप में ₹ 100 लाख की सहायता दी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने आरंभिक निधि की अवधि (उसपर उपत्रित राशि सहित) अक्तूबर 2018 तक के लिए बढ़ा दी है। इस निधि की कुल राशि ₹ 850 लाख है। उक्त निधि ने 31 मार्च, 2016 तक 194 नवोन्मेषों के लिए सहायता दी है। उक्त वृद्धि के बाद दूसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है और समुचित सावधानी से मंगाए गए प्रस्ताव प्रगति पर हैं। इसके अलावा, सफल उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा लघु उद्यमों के ज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में उद्योग विकसित करने की दृष्टि से, सिडबी ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सिडबी नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र की स्थापना के लिए सहायता दी थी। सिडबी नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र ने अब तक नवीनतम प्रौद्योगिकियों वाले विभिन्न क्षेत्रों में 62 स्टार्ट-अप उद्यमों का संवर्द्धन किया है, जिनमें से 38 उद्यम सफलतापूर्वक विकसित हो चुके हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिडबी ने एक अन्य नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र की स्थापना के लिए कलिंग इंस्टीच्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नालजी, भुवनेश्वर ओड़िशा को सहायता प्रदान की है।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सिडबी की सहायता:** बैंक अल्पवित्त, ग्रामीण उद्योगीकरण, हस्तशिल्प समूह विकास, उद्यमिता विकास, विपणन सहायता, आदि के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष एवं केंद्रित रूप से ध्यान देता है। इस संबंध में, प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है :

  - पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) के साथ मार्च 2012 में एक समझौता ज्ञापन

the National Innovation Foundation, Ahmedabad by way of corpus support of ₹ 400 lakh and administrative grant of ₹ 100 lakh to set up Micro Venture Innovation Fund (MVIF) in 2003. During FY 2015-16, the Bank has rolled over the initial fund and the accretions thereon aggregating to ₹ 850 lakh, till October 2018. As on March 31, 2016, the fund has supported about 194 innovations. After the above roll-over, the work on phase 2 has already been initiated and proposals invited with due diligence in progress. Further, with a view to foster successful entrepreneurs and develop industry in the knowledge and technology based areas in the small enterprises, SIDBI had supported setting up of SIDBI Innovation and Incubation Centre (SIIC) at Indian Institute of Technology, Kanpur in January 2002. SIIC has so far incubated 62 start-ups in diverse areas of state-of-the-art technologies out of which 38 have already been graduated. The Bank has also supported another incubation centre at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) at Bhubaneswar, Odisha during the year under review.

- **SIDBI's support for North Eastern Region:** The Bank accords special and focused attention to the development of North Eastern Region (NER) in terms of micro finance, rural industrialisation, handicraft cluster development, entrepreneurship development, marketing support, etc. The highlights of programmes supported in NER are as under :

  - An MoU was executed with NEDFi in March 2012 for providing various

निष्पादित किया गया था, जिसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम वित्त, अल्पवित्त सहित विभिन्न वित्तीय एवं विकासपरक सेवाएँ उपलब्ध कराना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ संचालित करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ऋण परामर्श केंद्र /व्यवसाय सुगमता केंद्र भी खोले गए हैं। वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार के 8 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन व्यवसाय सुगमता केंद्रों में शिलांग (मेघालय), सिलचर (असम), आइजॉल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) एवं इंफाल (मणिपुर) शामिल हैं। उपर्युक्त व्यवसाय सुगमता केंद्रों के अलावा गुवाहाटी में नेडफी के कार्यालय में 'उद्यमी कोष्ठ'' भी स्थापित किया गया है।

financial and developmental services including MSME Finance, Micro finance and also for undertaking various P & D activities in NER. Under this arrangement, Credit Counseling Centres / Business Facilitation Centres (BFCs) were also opened. Presently, there are 8 (eight) such centres operational in NER. The BFCs include Shillong (Meghalaya), Silchar (Assam), Aizawl (Mizoram), Gangtok (Sikkim), Agartala (Tripura), Kohima (Nagaland), Itanagar (Arunachal Pradesh) and Imphal (Manipur). Apart from above BFCs, an Entrepreneurs' Corner has been set up in NEDFi Office at Guwahati.

- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 377 से अधिक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है, जिसमें 15,556 से अधिक उदीयमान उद्यमी लाभान्वित हुए हैं, 104 कौशल विकास कार्यक्रम(व्यावसायिक) आयोजित किए गए, जिससे 2983 से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुँचा और लगभग 115 प्रदर्शनियाँ / सेमिनार/कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 15,287 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

- The Bank has supported more than 377 EDPs in NER benefitting over 15,556 budding entrepreneurs, 104 skill development programmes (vocational) benefitting over 2983 persons and almost 115 exhibitions / seminars / workshops benefitting over 15,287 participants.

- बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में 49 उद्यम-समूह विकास कार्यक्रमों को सहायता दी है, जिनमें बाँस चटाई की बुनाई, कार्पेट बुनाई, हस्तशिल्प, हथकरघा बुनाई, पॉटरी, मधुमक्खी पालन, मछलियों के लिए खाद्य उत्पाद बनाना आदि गतिविधियाँ शामिल हैं। इन उद्यम-समूह विकास प्रयासों से लगभग 7,000 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

- 49 Cluster Development Programmes (CDPs) in different states of NER covering activities like bamboo mat weaving, carpet weaving, handicrafts, handloom weaving, pottery, bee keeping, making fish feed products, etc. have been supported by SIDBI benefitting around 7,000 artisans.

- बैंक ने समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक लगभग 156 कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्टुप) /कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे समग्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 4867 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।

- बैंक के सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक 24 जिलों को शामिल किया जा चुका है, जिसमें वित्तवर्ष 2016 में असम के कामरूप ज़िले में शुरू किया गया सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रम भी समाहित है। इन सूक्ष्म उद्यम संवर्द्धन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 2460 इकाइयों का संवर्द्धन किया गया है।

- The Bank has so far conducted about 156 Skill cum Technology Upgradation Programmes (STUPs) benefitting over 4,867 participants in the entire NER.

- Under the Bank's Micro Enterprises Promotion Programme (MEPP), 24 districts in NER have been covered so far including the MEPP launched for Kamrup district in Assam in FY 2016. These MEPPs have resulted in promotion of about 2,460 units.

5

सिडबी की सहायता का प्रभाव

Impact of SIDBI's Assistance

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वाराणसी में ई-रिक्शा का शुभारंभ करते हुए।

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister launching e-rickshaws at Varanasi.

माननीय कैबिनेट मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - श्री कलराज मिश्र, लखनऊ में ई-रिक्शा का शुभारंभ करते हुए।

Shri Kalraj Mishra, Hon'ble Cabinet Minister, Min. of Micro, Small & Medium Enterprises launching e-rickshaws at Lucknow.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में सिडबी हमेशा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रयास करता है। इसके प्रयासों और कार्यों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चक्रों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर प्रभाव डाला है।

आर्थिक प्रभाव

- मार्च 2016 की समाप्ति तक रू 4.50 लाख करोड़ की सिडबी की संचयी वित्तीय सहायता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 350 लाख व्यक्तियों से अधिक को लाभ पहुंचा है।
- कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्यों में अनेक स्थानीय अल्प वित्त संस्थानों को सहायता प्रदान की गयी और उन्हें सुदृढ़ किया गया, जिससे निर्धनों, अधिकतर महिलाओं को, सूक्ष्म वित्त संस्थानों से अल्प ऋण प्राप्त करने में सहायता हुई। इससे इन असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का कार्यक्षेत्र भी बढ़ा।

पर्यावरणीय प्रभाव

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के पर्यावरण-अनुकूलन विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, सिडबी की कारोबारी रणनीति इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता (ईई) तथा स्वच्छतर उत्पादन(सीपी) को बढ़ावा देने की रही है। सिडबी के इन टिकाऊ प्रयासों का प्रभाव नीचे वर्णित है:

- सिडबी से सहायता प्राप्त 6100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा 1100 मिलियन किलो वाट घंटे की विद्युत की बचत हुई और कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन में 950 किलो टन की कमी आई, जिन्होंने 31 मार्च 2016 को ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छतर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹ 5,830 करोड़ से अधिक की कुल सहायता प्राप्त की थी ।

SIDBI, as the principal financial institution for MSMEs, always strives for promotion, financing and development of the MSME sector. Its initiatives and actions have impacted the MSME sector in its economic, social and environmental spheres.

Economic Impact

- More than 350 lakh persons in the MSME sector have been benefitted from SIDBI's cumulative financial assistance of ₹ 4.50 lakh crore as at the end of March 2016.
- Many local MFIs were supported and strengthened in underserved areas, viz. North Eastern Region (NER), and in States like Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, etc., which helped the poor, mostly women to access micro credit from MFIs. It also widened the arena of financial inclusion in these unserved and underserved areas.

Environmental Impact

Recognizing the need for environmentally friendly development of MSME sector, SIDBI's business strategy is to promote energy efficiency [EE] and cleaner production (CP) in the MSME sector. The impact of SIDBI's sustainable initiatives is mentioned below:

- Savings of 1,100 Million Kilo Watt Hour (MkWh) of electricity and a reduction of 950 kilo tons (kT) of CO_2 annually by SIDBI-assisted 6,100 MSMEs which availed, as on March 31, 2016, an aggregate assistance of more than ₹ 5,830 crore for promoting Energy Efficiency & Cleaner Production.

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ मिलकर सिडबी द्वारा 10 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों में विश्व बैंक परियोजना अर्थात "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण" के अंतर्गत 600 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने अपनी इकाइयों में ऊर्जा दक्षता उपायों को कार्यान्वित किया। इससे 1.5 मिलियन टन की कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन की कमी आई।

- परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता से संबन्धित विभिन्न अन्य विषयों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, उद्योग संघों और विभिन्न अन्य मुख्य स्टेकहोल्डरों के लिए 85 क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो 1100 बैंकिंग / वित्तीय व्यवसायियों सहित 4200 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंचे।

- अनुमान है कि ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम सहभागिता सुविधा परियोजना के अंतर्गत 500 से अधिक एस्को कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। इससे 127 मिलियन अमेरिकी डालर का वित्तपोषण जुटेगा। इसके अतिरिक्त, यह आशा भी की जाती है कि इस परियोजना के परिणामस्वरूप 1,000 जीडब्ल्यूएच की महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत होगी तथा कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन में 0.734 मिलियन टन की कमी होगी।

सामाजिक प्रभाव

- सिडबी द्वारा कराए गए विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि सिडबी की अल्पवित्त सहायता ने निर्धनों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता की है। जीवनयापन के वैकल्पिक अतिरिक्त अवसरों का सृजन करके उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारी है, शोषण करने वाले अनौपचारिक ऋण-स्रोतों पर उनकी निर्भरता को घटाया है, पारिवारिक और व्यवसायिक निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ाया है, वित्तीय मामलों की जानकारी में वृद्धि की है, सामाजिक सुरक्षा परिसंपत्ति की स्थिति में सुधार किया है और उनके स्वास्थ्य व शैक्षिक मानदंडों में भी सुधार किया है।

- Under the World-Bank project, viz. "Financing Energy Efficiency at MSMEs" in 10 MSME clusters, by SIDBI along with Bureau of Energy Efficiency (BEE), more than 600 MSMEs implemented energy efficiency measures in their units. It has also resulted in emission reduction of about 1.5 million tonnes of CO_2.

- Under the project, more than 85 Capacity Building and Awareness Programs have been conducted for MSMEs, Industries Associations and various other key stakeholders on various topics related to energy efficiency which has outreached to more than 4200 participants, including 1100 banking / financial professionals.

- The Partial Risk Sharing Facility for Energy Efficiency (PRSF) project is expected to provide credit guarantee to more than 500 ESCO implemented EE projects which would mobilize financing to the tune of USD 127 million. Further, the project is also expected to result in significant energy savings to the tune of 1000 GWh and CO_2 emission reduction to the tune of 0.734 million tons.

Social Impact

- It has been observed from the various studies conducted by SIDBI that microfinance has helped the poor in accessing financial services, improving the quality of their life through creation of alternative additional livelihood opportunities, reducing their dependence on the exploitative informal sources of credit, increased participation in family and business decision making, enhanced knowledge on financial matters, improved social security, asset status and improvement in health and education parameters.

- एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) - जेएफपीआर की महिला सशक्तीकरण हेतु सूक्ष्म उद्यमिता सहायता नामक परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म-उद्यमी महिलाओं के प्रशिक्षण के उपरांत अंतर्दृष्टि विकास परामर्श समूह (आईडीसीजी) ने अंतिम-रेखा सर्वेक्षण किया है, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तनों की जानकारी दी गई है:
  - 90% महिला सूक्ष्म उद्यमियों ने अपने व्यवसाय के योगदान से पारिवारिक आय में वृद्धि रिपोर्ट की है।
  - उनमें से 80% ने पारिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में बढ़ी हुई भागीदारी की सूचना दी।
  - उनमें से 75% ने अपने व्यवसाय संबंधी निर्णयों की भागीदारी में वृद्धि रिपोर्ट की है।
  - उनमें से 75% ने सामाजिक सुरक्षा और परिसंपत्ति स्थिति में सुधार अनुभव किया है।
  - 65% ने महिला सूक्ष्म उद्यमियों की गतिशीलता में सुधार रिपोर्ट किया है।
  - 77% महिलाएं रू 50,000 या अधिक के ऋण आसानी से प्राप्त कर सकीं।

  महिला सूक्ष्म-उद्यमियों ने भी ऊर्जावान सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत की;
  - 92% विवाहित हैं और लगभग 72% एकल परिवारों में रहती हैं।
  - 11% अशिक्षित हैं जबकि 26% ने हाई-स्कूल तक शिक्षा पूरी की है।
  - 69% अपने व्यवसाय की मालिक हैं और 23% घरेलू आय में अपना योगदान देती हैं।
  - ज्ञान भागीदारों द्वारा प्रबंधित सिडबी के एमएसएमई सलाहकार केन्द्र से सरकारी योजनाओं और क्रेडिट लिंकेज के बारे में जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता से अब तक 12500 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं।
  - सिडबी के संवर्धनशील एवं विकासगत सहायता से 80,000 से अधिक उद्यमों की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप 1.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के 2.3 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है।

- Under the ADB-JFPR Project of Supporting Micro entrepreneurship for Women's Empowerment, Insight Development Consulting Group (IDCG) conducted end-line survey after training of women micro-entrepreneurs who reported the following changes:
  - 90% of women micro entrepreneurs reported increased family income from contribution of their business;
  - 80% of them reported increased participation in family decision making;
  - 75% of them reported increased participation in decisions regarding their business;
  - 75% of them felt improved social security and asset status;
  - 65% reported improved mobility of women micro entrepreneurs;
  - 77% of women could access easier credit of ₹ 50,000 or more;

  The women micro-entrepreneurs also presented a vibrant social-economic profile;
  - 92% are married and nearly 72% live in nuclear families.
  - 11% are illiterate while 26% have completed high-school.
  - 69% own their businesses and 23% contribute all the household income.
  - More than 12,500 MSMEs had benefitted in terms of financial literacy, awareness about Government schemes and credit linkages through SIDBI's MSME Advisory Centres, manned by Knowledge Partners.
  - SIDBI's promotional and developmental support helped in setting up of about 80,000 enterprises, providing employment to about 1.5 lakh people and benefitting more than 2.3 lakh people in the MSME sector.

6

प्रबन्धन एवं निगमित अभिशासन

Management and Corporate Governance

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से लगातार तीसरी बार बैंक श्रेणी में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना' के तहत पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी।

Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI receiving the second prize under 'Rajbhasha Keerti Puraskar Yojana' in the banks' category for a consecutive third time from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India.

सिडबी ने "भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" में क्षेत्र "क" और "ख" के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार और 'ग' के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन से डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

SIDBI also bagged two consolation prizes for regions "A" and "B" and a second prize for region "C" in RBI- Rajbhasha Shield Competition. Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI receiving the prizes from Shri Raghuram Rajan, RBI Governor.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सिडबी उत्तम नैगम अभिशासन पद्धतियों का पक्षधर तो रहा ही है, साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र तथा अपने कामकाज से जुड़ी संस्थाओं में भी इन पद्धतियों को लागू करने के प्रयत्न करता रहा है। एमएसएमई पारितंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शीर्ष संस्था होने के नाते यह एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य प्राथमिकताओं और अत्यावश्यक ज़रूरतों पर ध्यान देता रहा है। आगे के परिच्छेदों में सिडबी की उत्तम अभिशासन प्रणाली के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई है:

निदेशक मंडल/निदेशक-मंडल की समितियाँ

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 में पन्द्रह सदस्यों के निदेशक मंडल का प्रावधान है। इनमें से आठ निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक (सीएमडी), दो पूर्णकालिक निदेशक, सरकार के दो पदाधिकारी तथा (राज्य वित्तीय निगम के एक विशेषज्ञ सहित) तीन ऐसे विशेषज्ञ शामिल हैं, (जिन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त हो अथवा जो बैंक के लिए उपयोगी मामलों में व्यावसायिक अनुभव रखते हों)। शेष सात निदेशकों में से तीन की नियुक्ति आईडीबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली अन्य बड़ी शेयरधारक संस्थाओं द्वारा की जाती है। बाकी चार निदेशकों को सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है अथवा जब तक चुने हुए निदेशक प्रभार न ग्रहण कर लें तब तक वैकल्पिक रूप से निदेशक मंडल उन्हें सहयोजित कर सकता है। वर्तमान में निदेशक मंडल ने दो निदेशकों को सहयोजित किया है। यथा 31 मार्च 2016, निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा दो पूर्ण-कालिक निदेशकों सहित, ग्यारह निदेशक शामिल हैं।

सिडबी अधिनियम 1989 की धारा 6(1)(ख) में विहित शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी 22 जनवरी 2016 की अधिसूचना के ज़रिए श्री अजय कुमार कपूर तथा श्री मनोज मित्तल को सिडबी का उप प्रबन्ध

SIDBI has been professing good corporate governance practices as well as attempting to replicate them in the MSME sector and the institutions it deals with. Being the apex institution for addressing the needs of the MSME eco-system, the Bank has been attending to the key priorities and pressing requirements in the MSME sector. The highlights of SIDBI's good corporate governance system are enumerated in the following paragraphs:

Board of Directors / Committees of the Board

The Small Industries Development Bank of India Act, 1989 provides for a fifteen-member Board of Directors. Out of these, eight Directors are appointed / nominated by the Central Government comprising Chairman and Managing Director (CMD), two Whole Time Directors, two Government officials and three experts (including one from State Financial Corporation) having special knowledge of or professional experience in matters useful to the Bank. Out of the remaining seven Directors, one each is nominated by three largest shareholders amongst IDBI, Public Sector Banks, Insurance Companies and other institutions owned or controlled by the Central Government and other four are to be elected by the public shareholders or alternatively, can be co-opted by the Board until assumption of charge by the elected Directors. The Board has co-opted two Directors for the time being. The Board, as on March 31, 2016, comprised eleven Directors, including CMD and two Whole Time Directors.

In exercise of the powers conferred by Section 6(1)(b) of the SIDBI Act, 1989, the Central Government, vide its notifications dated January 22, 2016, appointed Shri Ajay Kumar Kapur and

निदेशक नियुक्त किया। सर्वश्री अजय कुमार कपूर तथा मनोज मित्तल ने 22 जनवरी 2016 को उप प्रबन्ध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत भारत सरकार ने अपनी 17 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना के ज़रिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) को 8 अप्रैल, 2015 से सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशक नामित किया। तदनुसार श्री अमरेन्द्र सिन्हा, अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) 8 अप्रैल 2015 को निदेशक मंडल में शामिल हुए। तदनन्तर 01 अक्तूबर 2015 को अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) का प्रभार लेने के पश्चात् श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी को श्री अमरेन्द्र सिन्हा के स्थान पर बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 6(1)(ग) में विहित शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी 1 जनवरी 2016 की अधिसूचना के ज़रिए श्री आलोक टंडन के स्थान पर तत्काल प्रभाव से श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को निदेशक नामित किया।

केन्द्र सरकार ने सिडबी अधिनियम, 1089 की धारा 6(1)(ङ) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी 15 सितंबर 2014 की अधिसूचना के ज़रिए प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम (एमपीएफसी) को सिडबी के निदेशक-मंडल में निदेशक नामित किया। श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने 10 अगस्त 2015 को प्रबन्ध निदेशक, एमपीएफसी का प्रभार सँभाला, जिनको श्री के.सी. गुप्ता के स्थान पर बैंक के निदेशक-मंडल में शामिल किया गया।

अपने नामांकन की अवधि पूरी होने के पश्चात् श्री अनिल अग्रवाल 14 जून 2015 को निदेशक पद से सेवा-निवृत्त हुए।

Shri Manoj Mittal as Deputy Managing Directors (DMDs) of SIDBI. S/Shri Ajay Kumar Kapur and Manoj Mittal took charge as DMDs on January 22, 2016.

The Government of India, vide its notification dated April 17, 2015, nominated the Development Commissioner (MSME) as a Director on the Board of SIDBI w.e.f. April 8, 2015 under Section 6(1)(c) of the SIDBI Act. Accordingly, Shri Amarendra Sinha, Additional Secretary & DC (MSME) joined the Board w.e.f. April 8, 2015. Subsequently, Shri Surendra Nath Tripathi, on taking charge as Additional Secretary & DC (MSME) on October 1, 2015, was inducted on the Board of the Bank in place of Shri Amarendra Sinha.

In exercise of the powers conferred by Section 6(1)(c) of the SIDBI Act, 1989 the Central Government, vide its notification dated January 1, 2016, nominated Shri Pankaj Jain, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, as a Director with immediate effect vice Shri Alok Tandon.

The Central Government, vide its notification dated September 15, 2014, nominated the Managing Director (MD), Madhya Pradesh Financial Corporation (MPFC), as a Director on the Board of SIDBI, in exercise of the powers conferred by Section 6(1)(e) of the SIDBI Act, 1989. Smt. Smita Bharadwaj, on taking charge as MD, MPFC on August 10, 2015, was inducted on the Board of the Bank in place of Shri K.C. Gupta.

Further, upon completing the tenure of his nomination, Shri Anil Agrawal retired from the directorship w.e.f. June 14, 2015.

सिडबी के निदेशक-मंडल से अवकाश प्राप्त करने वाले निदेशकों के मूल्यवान योगदान के लिए निदेशक-मंडल उनकी भूरिशः प्रशंसा की।

विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से निदेशक-मंडल ने दस समितियाँ गठित की हैं, जो इस प्रकार हैं- कार्यपालक समिति (ईसी), लेखा-परीक्षा समिति (एसी), जोखिम प्रबन्ध समिति (आरआईएमसी), बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ), सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी), ग्राहक सेवा समिति (सीएससी), मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी), वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी), इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी) और पारिश्रमिक समिति।

एक निश्चित सीमा से अधिक के ऋण-प्रस्तावों से संबंधित मंजूरी तथा ऐसे अन्य परिचालन-मामलों पर कार्यपालक समिति विचार करती है। लेखा-परीक्षा समिति लेखा-परीक्षा वर्टिकल के कामकाज के पर्यवेक्षण तथा उसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा के साथ-साथ बैंक के लेखे को अन्तिम रूप देने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों संबंधी मामलों में मार्गदर्शन भी देती है। आरआईएमसी बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबन्धन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।

एक करोड़ और उससे अधिक राशि वाली धोखाधड़ी की निगरानी पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार एससीएमएलवीएफ गठित की गई है। आईटीएससी बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों, खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्य, नीति और रणनीति के बारे में निर्देश देती है, ताकि इसके व्यावसायिक उद्देश्यों से अनुरूपता बनी रहे। इसके अलावा यह समिति बैंक को दीर्घकालिक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने में भी मार्गदर्शन देती है और सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन व प्रबन्धन का पर्यवेक्षण करती है।

The Board placed on record its high sense of appreciation of the valuable contributions made by the Directors who retired from the Board of SIDBI.

With the objective of giving focussed attention to various important issues, the Board has constituted ten Committees viz., Executive Committee (EC), Audit Committee (AC), Risk Management Committee (RiMC), Special Committee to Monitor Large Value Frauds (SCMLVF), Information Technology Strategy Committee (ITSC), Customer Service Committee (CSC), HR Steering Committee (HRSC), Recovery Review Committee (RRC), Review Committee on Wilful Defaulters & Non Co-operative Borrowers (RCWD&NCB) and Remuneration Committee.

Sanctions relating to credit proposals above a threshold limit and other such operational matters are considered by the EC. The AC, in addition to overseeing the functioning of the Audit Vertical and reviewing its major observations, also provides guidance in matters relating to finalisation of accounts of the Bank and observations made in RBI Inspection report. The RiMC lays down policy and strategy for Integrated Risk Management of the Bank.

With a view to providing focused attention on monitoring of frauds involving an amount of rupees one crore and above, SCMLVF has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. The ITSC gives direction to the Bank's IT function, especially with regard to IT vision, policy and strategy so as to align with its business objectives. In addition, the Committee also guides the Bank in framing its long term IT plan and provides oversight of IT implementation and management.

नैगम अभिशासन ढाँचे को सुदृढ़ करने और बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाते रहने के उद्देश्य से आन्तरिक रूप से नीतियाँ बनाने और उनके अनुपालन का मूल्यांकन करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए निदेशक मंडल ने सीएससी गठित की है। मानव संसाधन के मामले में निदेशक मंडल को मार्गदर्शन तथा सुझाव/संस्तुतियाँ देने के उद्देश्य से एचआरएससी गठित की गई है।

साथ ही, ₹3 करोड़ और उससे अधिक की बकाया वाले सभी एनपीए मामलों की समीक्षा के लिए आरआरसी का गठन किया गया है। इरादतन चूककर्ताओं तथा असहयोगपूर्ण उधारकर्ताओं को चिह्नित करने के लिए समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने और इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगपूर्ण उधारकर्ताओं के मामलों को चिह्नित करने के लिए आरसीडब्ल्यूडीएंएनसीबी का गठन किया गया है।

भारत सरकार ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के निदेशानुसार निदेशक-मंडल की 'पारिश्रमिक समिति' गठित की गई है।

समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णय/की गई संस्तुतियाँ उनके कार्यवृत्त में समाहित रहती हैं, जो निदेशक-मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान निदेशक-मंडल की छह बैठकें हुईं, जबकि निदेशक-मंडल की समितियों, यानी- कार्यपालक समिति, लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबन्धन समिति, बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति, ग्राहक-सेवा समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, वसूली समीक्षा समिति और इरादतन चूककर्ता एवं असहयोग-पूर्ण उधारकर्ता समिति की क्रमशः नौ, छह, चार, तीन, चार, दो, दो, तीन और एक बैठक संपन्न हुई। इसके अलावा सिडबी की

To enable the Bank to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the corporate governance structure and also to bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank, the Board has constituted CSC. HRSC has been constituted to guide and give suggestions / recommendations to the Board in HR matters.

Further, to review all NPA cases having principal outstanding of ₹3 crore and above, RRC has been constituted. RCWD&NCB has been constituted to review the orders passed by the Committee for Identification of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers, identifying cases as wilful defaulters & non-cooperative borrowers.

The Government of India (GoI) introduced performance incentive scheme for the Whole Time Directors of the Bank and for that purpose, as per the directives of GoI, a "Remuneration Committee" of Board of Directors has been constituted.

Minutes of the meetings of the Committees, containing decisions / recommendations made, are submitted to the Board.

The Board held six meetings during FY 2015-16 while the Committees of the Board viz., the Executive Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Special Committee to Monitor Large Value Frauds, Information Technology Strategy Committee, Customer Service Committee, HR Steering Committee, Recovery Review Committee and Review Committee on Wilful Defaulters & Non Co-operative Borrowers held nine, six, four, three, four, two, two, three and one meetings

17वीं वार्षिक सामान्य बैठक 22 जून 2015 को लखनऊ में संपन्न हुई।

शेयरधारिता पद्धति

सिडबी के शेयर भारत सरकार और केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली तैंतीस अन्य संस्थाओं/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों द्वारा धारित हैं। आईडीबीआई बैंक लि., भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम इसके तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वर्ष के दौरान भारत सरकार को 3,69,82,250 ईक्विटी शेयर आवंटित किए गए।

आस्ति-देयता प्रबन्धन समिति

बैंक की आस्ति-देयता प्रबन्धन नीति के अनुसार आस्ति-देयता प्रबन्धन समिति (आलको) की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक करते हैं, जबकि उप प्रबन्ध निदेशक और बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालक इसके सदस्य होते हैं, जिनमें जोखिम प्रबन्धन, ऋण, संसाधन एवं कोषागार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, नैगम लेखा एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी वर्टिकल के प्रमुख तथा व्यवसाय प्रमुख I और व्यवसाय प्रमुख II शामिल हैं। आलको अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम की समीक्षा व निगरानी करती है। बैंक की आस्ति-देयता प्रबन्धन प्रणाली भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशा-निर्देशों एवं बैंक की आस्ति-देयता प्रबन्धन नीति से परिचालित है। प्रचलित विनियमन-अपेक्षाओं और बैंक के बदलते हुए आस्ति-देयता प्रोफाइल के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के उद्देश्य से समय-समय पर आस्ति-देयता प्रबन्धन नीति की समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति ने (परिपत्रित बैठकों सहित) सात बैठकें कीं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि न्यूनतम प्राथमिक उधार दर (बीपीएलआर), विभिन्न सहायता-योजनाओं के अंतर्गत ब्याज-दरों की समीक्षा, संसाधन संग्रहण की स्थिति, सावधि जमा योजना की ब्याज-दर संरचना में संशोधन, विदेशी मुद्रा परिचालनों की समीक्षा, निवल ब्याज आय

respectively. Besides, SIDBI held its 17th Annual General Meeting on June 22, 2015 at Lucknow.

Shareholding Pattern

The shares of SIDBI are held by the Government of India and thirty three other institutions / public sector banks / insurance companies owned or controlled by the Central Government, with IDBI Bank Ltd., State Bank of India and Life Insurance Corporation of India as its three largest shareholders. During the year, Government of India was allotted 3,69,82,250 equity shares.

Asset Liability Management Committee

In terms of the Asset Liability Management Policy of the Bank, the Asset Liability Management Committee (ALCO) is headed by the Chairman & Managing Director and comprises Deputy Managing Directors and other senior executives of the Bank heading Risk Management, Credit, Resources & Treasury and Information Technology, Corporate Accounts & NBFC Verticals, Business Head I & Business Head II, as members. ALCO, inter-alia, reviews and monitors the liquidity risk and interest rate risk in the Bank. The ALM system in the Bank is guided by the extant RBI guidelines and the ALM Policy of the Bank. The ALM Policy is reviewed from time to time to bring in necessary changes in line with extant regulatory requirements and the changing asset liability profile of the Bank. During FY 2015-16, the Committee met on seven occasions (including circulation) and deliberated on various issues such as revision in Benchmark Prime Lending Rate (BPLR), review of Interest Rates under various schemes of assistance, status of resource mobilization, revision in the interest rate structures of Fixed Deposits Scheme, Review of

(एनआईआई) तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में उतार-चढ़ाव, विदेशी ऋण-व्यवस्था में आहरण की हेजिंग, बॉण्डों में कॉल विकल्प का उपयोग, ब्याज-दर संबंधी दृष्टिकोण आदि।

निवेश समिति

बैंक की निवेश समिति अपनी निवेश-नीति की सीमा में उपलब्ध निवेश के विभिन्न विकल्पों तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप रणनीतियाँ बनाती है और निवेश के विभिन्न विकल्पों की संस्तुति करती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निवेश समिति ने छह बैठकें कीं और अन्य बातों पर चर्चा के साथ-साथ, निवेश एवं विनिवेश संबंधी विभिन्न प्रस्तावों, विक्रय से उपलब्ध (एएफएस) सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, म्यूचुअल फंड एक्सपोजर सीमाओं की समीक्षा, प्राथमिक बाज़ार से अभिग्रहीत ईक्विटी निवेश की समीक्षा, निश्चित आय संविभाग तथा निवेश संबंधी अन्य मुद्दों की समीक्षा की।

उद्यम जोखिम प्रबन्धन समिति (ईएमआरसी)

उद्यम जोखिम प्रबन्धन समिति (ईआरएमसी) बैंक में जोखिम प्रबन्धन ढाँचे के विकास, समग्र कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। ईआरएमसी बैंक के लिए ऋण एवं परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीतियाँ एवं रणनीतियाँ बनाने और उनके लिए संस्तुतियाँ देने तथा आस्ति-बही के जोखिमों के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है। निदेशक-मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति के पर्यवेक्षण में ईआरएमसी बैंक के संविभाग में समग्र जोखिम संरचना का मूल्यांकन करती है और उसका प्रबन्धन करती है।

Forex Operations, movement in Net Interest Income (NII) and Net Interest Margin (NIM), hedging of drawals under foreign lines of credit, exercise of Call option on Bonds, interest rate outlook etc.

Investment Committee

The Investment Committee of the Bank formulates strategies and recommends various options available for investment within the scope of the Investment Policy of the Bank and relevant RBI guidelines issued from time to time. The Investment Committee met six times during the FY 2015-16 and inter-alia deliberated upon various investment and divestment proposals, sale of government securities from Available from Sale (AFS), review of Mutual Fund exposure limits, review of equity investments acquired through primary market, review of Fixed Income portfolio and other investment related issues.

Enterprise Risk Management Committee (EMRC)

The Enterprise Risk Management Committee (ERMC) is responsible for the development, overall implementation and supervision of the risk management framework in the Bank. ERMC is responsible for providing recommendations to formulate the Credit and Operational Risk Management policies and strategies for the Bank and manage the risks on the asset book. ERMC under the supervision of Risk Management Committee of the Board evaluates and manages overall risk composition in the Bank's portfolio.

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति (आरआईएससी)

जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति (आरआईएससी) कार्यपालकों की अन्योन्याश्रित कार्यों वाली समिति है। यह सूचना सुरक्षा (आईएस) पर ध्यान देती है और सूचना सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न जोखिमों के समाधान का प्रयास करती है। आरआईएससी सुरक्षा कार्यक्रम की संगठनात्मक उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित करती है। एक ऐसी संस्कृति की दिशा में संगठनात्मक बदलाव लाने में भी समिति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जो उत्तम सुरक्षा पद्धतियों तथा नीतियों के अनुपालन को बढ़ावा देती है।

आन्तरिक शिकायत समिति

कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान), अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई और नई दिल्ली में आन्तरिक शिकायत समितियाँ गठित की हैं, ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे सम्बन्धित अथवा उसके संबंध में प्रासंगिक मामलों का निदान हो सके। वर्ष के दौरान समिति को यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली।

आन्तरिक लेखा-परीक्षा

बैंक की आन्तरिक लेखा-परीक्षा नैगम अभिशासन को सुदृढ़ करने तथा आन्तरिक नियंत्रण को मज़बूत बनाने और जोखिम प्रबन्धन में सुधार लाने के प्रबन्धन के उद्देश्य के अनुपालन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लेखा-परीक्षा वर्टिकल शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के चुनिंदा वर्टिकलों की परिचालन-लेखा-परीक्षा, प्रधान कार्यालय के वर्टिकलों की प्रबन्ध-लेखा-परीक्षा, कोषागार एवं निधि प्रबन्धन वर्टिकल (टीएफएमवी)

Risk and Information Security Committee (RISC)

Risk and Information Security Committee (RISC) is a cross functional committee of executives, which looks after Information security (IS) and attempts to mitigate various IS and Information Technology (IT) related risks. RISC ensures alignment of the security programme with organizational objectives. The Committee is also instrumental in achieving organisational change towards a culture that promotes good security practices and compliance with policies.

Internal Complaints Committee

As per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Bank has in place Internal Complaints Committees at Chennai, Kolkata, Lucknow, Mumbai and New Delhi for redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. During the year, no complaint of sexual harassment was received by the Committees.

Internal Audit

Internal Audit of the Bank plays a pivotal role in strengthening Corporate Governance and complying with Management objectives to strengthen internal control and improve Risk Management.

Audit Vertical has been carrying out Operational Audit (OA) of Branch Offices (BOs), Regional Offices (ROs) and select HO Verticals, Management Audit (MA) of Head Office (HO) Verticals, Transaction Audit (TA) of Debt

की ऋण-शोधन संबंधी गतिविधियों की संव्यवहार लेखा-परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण समीक्षा आदि नियमित आधार पर करता चला आ रहा है। इसके अलावा लेखा-परीक्षा वर्टिकल टीएफएमवी की मासिक संगामी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, अप्रत्यक्ष वित्त वर्टिकल (बैंक एवं एसएफसी) की संव्यवहार-लेखा-परीक्षा, चार अनुप्रयोगों की अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा तथा बाहरी फर्मों द्वारा की जा रही डाटा सेंटर और डीआर साइट की नेटवर्क एवं सुरक्षा लेखा-परीक्षा की समीक्षा भी करता है। टीएफएमवी की संगामी लेखा-परीक्षा में कोषागार संबंधी परिचालन, जैसे- मुद्रा बाज़ार परिचालन और टीएफएमवी के डीलिंग रूम परिचालन शामिल रहते हैं। प्रत्यक्ष ऋण योजना के अंतर्गत जिन खातों में एक्सपोज़र ₹300 लाख से अधिक है उनमें भी बैंक ऋण-लेखा-परीक्षा संपन्न कर रहा है। साथ ही, ₹300 लाख से कम बकाया वाले खातों में 10% खातों की ऋण-लेखा-परीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नमूना आधार पर की जा रही है।

बैंक ने चुनिंदा 30 शाखा कार्यालयों में बाहरी सीए फर्मों के माध्यम से संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली आरंभ की है। ये सभी मिलकर बैंक के प्रत्यक्ष ऋण परिचालन का 90% हो जाते हैं। संगामी लेखा-परीक्षकों और परिचालन कार्यालयों के मध्य समय-समय पर सहक्रियात्मक बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, ताकि अनुपालन एवं अभिशासन में सुधार लाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न सूचना प्रणाली संबंधी लेखा-परीक्षाएँ इस प्रकार हैं- (i) चार अनुप्रयोगों की अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा, (ii) 31 कार्यालयों की सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण समीक्षा- जिसमें डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट शामिल है, (iii) डाटा सेंटर और डीआर साइट की नेटवर्क एवं सुरक्षा लेखा-परीक्षा।

वर्ष के दौरान 1033 लेखा-परीक्षाएँ संपन्न हुईं, जिनमें 109 परिचालन-लेखा-परीक्षा, 6 विशेष लेखा-परीक्षा, 17 प्रबन्धन लेखा-परीक्षा, टीएफएमवी की 12 संगामी लेखा-परीक्षा,

Servicing Activities of Treasury & Funds Management Vertical (TFMV), IT Control Review, etc. on a regular basis. Besides, Audit Vertical reviews the monthly Concurrent Audit reports of TFMV, Transaction Audit of Indirect Finance Vertical (Banks & SFCs), Application Software Audit of four applications and Network & Security Audit of Data Centre and DR Site being carried out by external audit firms. Concurrent Audit of TFMV covers the Treasury Operations, viz. Money Market Operations (MMO) and Dealing Room Operations (DRO) of TFMV. The Bank is also undertaking Credit Audit in respect of Accounts under Direct Credit Schemes where exposure is above ₹300 lakh and in 10% of the cases on sample basis, where the outstanding is less than ₹300 lakh, through Regional Offices.

The Bank has also introduced Concurrent Audit mechanism in select 30 BOs through external CA firms, which together account for more than 90% of the Direct Credit operations of the Bank. Interactive meets and sensitization programs with Concurrent Auditors and Operating Offices are held on periodical basis to improve upon compliance and governance.

The IS audits taken up during FY 2015-16 are (i) Application Software Audit of four applications, (ii) IT Control Review of 31 offices including Data Centre & Disaster Recovery (DR) Site and (iii) Network & Security Audit of Data Centre and DR Site.

During the year, 1033 audits comprising 109 Operational Audits, 6 Special Audits, 17 Management Audits, 12 Concurrent Audits of

शाखा कार्यालयों की 352 संगामी लेखा-परीक्षा, टीएफएमवी की ऋण-शोधन गतिविधियों की 12 संव्यवहार लेखा-परीक्षा, अप्रत्यक्ष वित्त वर्टिकल (बैंक एवं एसएफसी) की 5 संव्यवहार लेखा-परीक्षा, 489 ऋण लेखा-परीक्षा तथा 31 सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा शामिल हैं। लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और समयबद्ध रूप में रिपोर्टों का समापन/ टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखा-परीक्षा वर्टिकल क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है। लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया के स्वचालन के उद्देश्य से 'ऑडिट एमआईएस एंड रेटिंग मॉड्यूल' नामक पृथक मॉड्यूल तैयार किया गया है।

लेखा-परीक्षा वर्टिकल नैगम लेखा वर्टिकल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक समन्वयन कक्ष के घनिष्ठ सहयोग से सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण दल की टिप्पणियों पर अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। लेखा-परीक्षा गतिविधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ केवाईसी संबंधी दिशा-निर्देशों, निधियों के अंतिम उपयोग के सत्यापन, आस्ति-सृजन, नीतिगत दिशा-निर्देशों, पद्धतियों व प्रक्रियाओं के पालन आदि पर यथेष्ट ध्यान दिया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार और बेसल समिति-II के स्तंभ-II की संस्तुतियों की अपेक्षाओं के अनुसार सभी परिचालन शाखाओं के संबंध में जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके अनुसार शाखा कार्यालयों को ऋण एवं परिचालनपरक जोखिम क्षेत्रों और उनके अनुपालन की दृष्टि से निम्न, मध्यम और उच्च तथा अत्यन्त उच्च जोखिम आदि के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। शाखा कार्यालयों के समग्र जोखिम मूल्यांकन और जोखिम वर्गीकरण के मामले में ऋण-जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, प्रमुख लेखा-परीक्षा-टिप्पणियों के अनुपालन में विलंब, एनपीए/धोखाधड़ी की घटनाओं आदि को ध्यान में रखा जाता है। उच्च जोखिम वाले शाखा कार्यालयों के संबंध में परिचालन लेखा-परीक्षा की आवधिकता बढ़ाई गयी है, चाहे उनके परिचालन की मात्रा जितनी भी हो।

TFMV, 352 Concurrent Audits of BOs, 12 TAs of debt servicing activities of TFMV, 5 TAs of Indirect Finance Vertical (Banks & SFCs), 489 Credit audits and 31 IS Audits were completed. Audit Vertical follows up with ROs for submission of Monthly Status Report on the status of compliance of audit observations & ensure time bound closure of reports / compliance of the observations. With a view to automate the audit monitoring process, a separate module "Audit MIS & Rating Module" has been rolled out.

Audit Vertical also ensures compliance of observations made by Statutory Auditors and RBI Inspection Team in close coordination with Corporate Accounts Vertical and RBI Co-ordination Cell. During an audit activity, inter-alia, compliance to KYC guidelines, verification of end use of funds, creation of assets, adherence to policy guidelines, systems & procedures etc. are given due focus.

As per the directives of Reserve Bank of India and in accordance with the requirement of Pillar-II of Basel Committee-II recommendations, Risk Based Audit in respect of all operating branches is in place. In terms of the same, the BOs are classified under Low, Medium, High & Very High Risk etc. on the basis of credit and operational risk areas and compliance thereof. In the overall risk assessment and risk categorisation of BOs, the Credit Risk, Operational Risk, delay in compliance of major audit observations, incidence of NPAs / fraud cases, etc. are being factored. The periodicity of Operational Audits in respect of High Risk BOs is being stepped up, irrespective of their volume of operations.

उत्तम नैगम अभिशासन के एक उपाय के रूप में, लेखा-परीक्षा वर्टिकल लेखा-परीक्षा के संचालन और समापन की स्थिति, राजस्व-क्षरण, लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर शाखा कार्यालय के कार्य-निष्पादन तथा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग में पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन, डाटा सेंटर के सूचना प्रणाली-लेखा-परीक्षा तथा शाखा कार्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण समीक्षा, घोष एवं जीलानी समिति की रिपोर्टों के क्रियान्वयन की स्थिति, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन आदि के संबंध में निदेशक-मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को विभिन्न ज्ञापन प्रस्तुत करता है।

Audit Vertical submits various memoranda relating to status of conduct and closure of audits, revenue leakage, performance of BOs based on audit observations and violation by functionaries in exercise of discretionary powers, IS Audit of Data Centre and IT Control Review of BOs, status of implementation of Ghosh and Jilani Committee reports, revision in guidelines by RBI etc. to Audit Committee of the Board (ACB) as a measure of good Corporate Governance.

मानव संसाधन विकास- विहंगावलोकन

यथा 31 मार्च 2016 बैंक में 1060 सक्रिय पूर्णकालिक स्टाफ-सदस्य कार्यरत थे, जिनमें से 908 अधिकारी और 95 श्रेणी III स्टाफ और 57 अधीनस्थ स्टाफ थे। समस्त स्टाफ में से 186 अनुसूचित जातियों, 74 अनुसूचित जनजातियों तथा 171 अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित हैं। स्टाफ-संख्या में 8 भूतपूर्व सैनिक, 29 दिव्यांग श्रेणी से संबंधित तथा 1

Human Resource Development – An Overview

As on March 31, 2016, the Bank had on its rolls 1060 active full time staff comprising 908 officers, 95 Class III staff and 57 Subordinate staff. Of the total staff, 186 belong to Scheduled Castes (SCs), 74 to Scheduled Tribes (STs) and 171 to Other Backward Classes (OBCs). The staff strength included 8 ex-servicemen, 29 Persons

सिडबी के मानव संसाधन वर्टिकल को यूनाइटिड किंगडम एक्रीडिटेशन सर्विस (यूकास) से आइएसओ 9001-2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ।
The Human Resources Vertical, SIDBI was conferred ISO 9001:2008 certification by United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग, दोनों श्रेणियों से संबंधित है। महिला कर्मचारियों की संख्या 234 है।

प्रशिक्षण एवं कैरियर विकास

बैंकिंग वातावरण और ग्राहकों की अपेक्षाओं में हो रहे परिवर्तन से अधिकाधिक अवसर और चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। सिडबी के लिए भी यह अपरिहार्य है कि वह अपने प्रोफेशनल कार्य-बल को अनवरत रूप से कुशल और अद्यतन बनाए रखे। बैंक अपने कर्मचारियों के कौशल को अद्यतन बनाए रखने और उनके उपयुक्त, प्रासंगिक एवं आवश्यक प्रशिक्षण व ज्ञान-वर्द्धन पर बल देना जारी रखे हुए है। कर्मचारियों के प्रेरणा-स्तर तथा कार्य-संतुष्टि में वृद्धि के लिए भी यह किया जा रहा है।

बैंक ने अपने कर्मचारियों को (i)घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सिडबी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर (ii) देश-स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित/आयोजित अंतर्देशीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं और (iii) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करके प्रशिक्षण देना जारी रखा। प्रशिक्षण में स्टाफ के समग्र रूप से बहु-मुखी विकास पर बल दिया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण/ अकादमिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर्देशीय, घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1031 नामांकन किए। इनमें से 169 नामांकिती महिलाएं तथा 471 नामांकिती आरक्षित श्रेणियों से संबंधित थे। विकास बैंकिंग, नेतृत्व विकास, सूचना, बीमा एवं प्रबन्धन आदि विभिन्न क्षेत्रों की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से अवगत कराने के उद्देश्य से उन्नीस अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया। इनमें से पाँच आरक्षित श्रेणियों के हैं। बैंक में नये भर्ती हुए 32 अधिकारियों के

with Disabilities (PwD) categories and 1 in both ex-servicemen and Persons with Disabilities (PwD) categories. The strength of women employees is 234.

Training & Career Development

Changes in banking environment and expectations from customers are providing greater opportunities and challenges. It is imperative for SIDBI too to keep its professional workforce skilled and updated on a continuous basis. The Bank continues its emphasis to update the skills of its employees and impart appropriate, relevant and necessary trainings and knowledge. This is also being done to increase motivation and job satisfaction of its employees.

The Bank continued to impart training by deputing its employees to (i) in-house training programmes, including at SIDBI International Training Institute, Bhubaneswar (ii) inland training programmes / workshops conducted / organized by reputed national institutions within the country and (iii) international programmes. The focus of training function is to ensure comprehensive all-round development of the staff.

During the year, Bank has made 1031 nominations for various inland, in-house and international training programmes organized by renowned training / academic institutions, out of which 169 nominees were women and 471 nominees belonged to reserved categories. Nineteen officers including five from reserved categories were nominated to attend international programmes in order to familiarize them with the current international practices in different areas viz. Development Banking,

लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

स्टाफ-कल्याण गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने स्टाफ-सदस्यों और उनके परिवारों के लिए विविध प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सहायता देना जारी रखा। केन्द्रीय कल्याण समिति के मार्गदर्शन में ₹2 करोड़ की निधि बैंक के विभिन्न कार्यालयों की कल्याण-समितियों को आवंटित की गई, ताकि वे स्टाफ और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित कर सकें।

सूचना प्रौद्योगिकी-व्यवस्था में सुधार

- परिचालन, प्रबन्धन, निगरानी और रिपोर्टिंग के सभी आयामों को समाहित करने के लिए बैंक ने विभिन्न आईटी समाधानों का क्रियान्वयन किया। बैंक की वेबसाइट ग्राहकों को आवेदनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण तथा उनकी स्थिति जानने और शिकायतें/पूछताछ करने में सक्षम बनाती है। साथ ही उपलब्ध उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करती है।

- ग्राहक-केन्द्रित सेवा-प्रदायगी, जोखिम प्रबन्धन, आंतरिक दक्षता आदि में सुधार के लिए हाल ही में बैंक ने नई आईटी रणनीति तैयार की है। डिजिटल पहल के हिस्से के रूप में "सिडबी मित्र" नामक नया मोबाइल ऐप आरंभ किया गया, ताकि ग्राहक-खातों को देखने में मोबिलिटी रहे, संबंधित प्रबन्धक से संपर्क करने तथा सेवा संबंधी अन्य अनुरोधों के लिए ग्राहकों को सीधा माध्यम मिल जाए।

Leadership Development, Information Assurance and Management, etc. An induction programme was organized for 32 newly recruited Officers in the Bank. Pre-Promotion Training for SC/ST/OBC Officers was also organized as per GoI directions.

Staff Welfare Activities

During the year FY 2015-16, the Bank continued its support for multifarious welfare activities for the staff members and their families. Under the guidance of Central Welfare Committee, funds to the tune of ₹2 crore, were allocated to welfare associations of various offices of the Bank, to organize welfare activities for staff and their families.

Improvements in IT Set-up

- Implemented various IT solutions to encompass all facets of operations, management, monitoring and reporting. The Bank's website empowers the customer for on-line submission and tracking of their loan application status and submission of grievances / queries, besides providing detailed information on available products.

- The Bank has recently formulated new IT Strategy towards improvement in customer focused service delivery, risk management, internal efficiency etc. As part of digital initiatives, new Mobile App., "SIDBI MITRA", was launched to facilitate mobility in viewing customer accounts, providing direct channel to customers to interact with the Relationship Manager (RM) and raising other service requests etc.

सतर्कता

सिडबी की सतर्कता व्यवस्था के मुखिया एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। प्रधान कार्यालय में एक सतर्कता दल और क्षेत्रीय कार्यालयों में तत्संबंधी क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी उनकी मदद करते हैं।

बैंक निवारक एवं स्वतःस्फूर्त सतर्कता आयामों पर ज़ोर देता है और प्रणालियों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय करता रहा है, ताकि दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। निवारक सतर्कता के उपायों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय/शाखा स्तरों पर निवारक सतर्कता समितियाँ और प्रधान कार्यालय में सतर्कता समिति स्थापित की गई है। सतर्कता संबंधी एक आंतरिक सलाहकार समिति सभी शिकायतों अथवा निरीक्षणों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, स्टाफ जवाबदेही रिपोर्टों आदि से उभरे सभी मामलों की संवीक्षा करती है और अपने विचार किए गए मुद्दों में सतर्कता कोण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में मुख्य सतर्कता अधिकारी को संस्तुतियाँ प्रस्तुत करती है।

बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी के सभी मामलों, तृतीय पक्ष की भूमिका के आकलन और उनके द्वारा बैंक को दी गई प्रोफेशनल सेवा में पाई गई कमी के आधार पर उनके नाम भारतीय बैंक संगठन द्वारा परिपत्रित चेतावनी सूची में शामिल कराने में सतर्कता वर्टिकल एक नोडल वर्टिकल के रूप में काम करता है। धोखाधड़ी-रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी के तौर-तरीकों की जानकारी समय-समय पर क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से साझा की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी और सतर्कता दल स्टाफ के साथ अपनी आवधिक बैठकों में परिचालन संबंधी अंतराल की घटनाओं/अनुपालन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और दिशा-निर्देशों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के पालन तथा निर्णय-प्रक्रिया को पारदर्शी, उचित व न्यायसंगत बनाने के महत्त्व के बारे में उन्हें

Vigilance

The vigilance set-up in SIDBI is headed by a full-time Chief Vigilance Officer [CVO] who is assisted by the Vigilance Team at Head Office and Regional Vigilance Officers at the respective Regions.

The Bank lays emphasis on the preventive and pro-active vigilance aspects and has been taking several initiatives for strengthening the systems and procedures to promote efficiency and transparency. Preventive Vigilance Committees at the Regional/ Branch levels and the Vigilance Committee at Head Office have been set up to review the preventive vigilance measures. An Internal Advisory Committee on Vigilance scrutinizes all the complaints or cases arising out of inspections, audit reports, staff accountability reports, etc. and furnishes its recommendations to the CVO regarding the existence or otherwise of the vigilance angle in the issues examined by it.

Vigilance Vertical acts as the nodal Vertical for investigations in all cases of frauds perpetrated on the Bank, evaluating the role of third party entities [TPEs] and getting their names included in the caution list circulated by the Indian Banks' Association [IBA], for deficiency observed in professional service rendered by them to the Bank. As a part of Anti-Fraud sensitization programme, the modus operandi of frauds are shared with the Regions/ Branches from time to time. The CVO, RVOs (Regional Vigilance Officers) and the vigilance team, in their periodic meetings with the staff, discuss the incidents of operational gaps/ compliance issues and sensitize the staff on the importance of adhering to guidelines, systems and processes and making the decision making process

जागरूक करते हैं। सहभागितापूर्ण सतर्कता के लिए सतर्कता संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्टिकल 'दक्षता' शीर्षक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। साथ ही, सिडबी इन्ट्रानेट पर सतर्कता ब्लॉग भी निर्मित किया गया है, जहाँ अपने अनुभवों/आलेखों आदि के योगदान/प्रतिभागिता के लिए स्टाफ-सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

शाखाओं की आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा सतर्कता वर्टिकल द्वारा की जाती है और अनुपालन संबंधी मुख्य-मुख्य विषयों को तत्काल संशोधन के लिए उठाया जाता है। वर्टिकल विभिन्न मंचों जैसे वीसीएचओ (प्रधान कार्यालय- सतर्कता समिति), आईएसीवी (आंतरिक सतर्कता सलाहकार समिति), लेखा-परीक्षा सम्मेलनों, निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति), क्षेत्रीय निवारक समिति तथा अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक- मुख्य सतर्कता अधिकारी तिमाही बैठकों में मौज़ूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के उपाय भी सुझाता है।

मुख्य सतर्कता आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में, वस्तुओं व कार्यों के अभिग्रहण तथा संविदाओं के लिए बैंक द्वारा अपनाई जा रही निविदा प्रक्रिया पर भी सतर्कता वर्टिकल निगाह रखता है। इस दृष्टि से यह वर्टिकल आवधिक रूप से नमूना आधार पर मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय (सीटीईओ) जैसे निरीक्षण करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की वस्तुओं व सेवाओं का अभिग्रहण मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। इस दिशा में वर्टिकल ने अभी तक 'अभिग्रहण के दिशा-निर्देश' पर दो कार्यशालाएं की हैं, जिनमें बैंक के विभिन्न वर्टिकलों जैसे परिसर, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आदि द्वारा अभिग्रहण को समाहित किया गया।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक प्रत्येक तिमाही मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ अपनी बैठक में सतर्कता के काम की समीक्षा करते हैं और सभी महत्त्वपूर्ण/लम्बित मुद्दों (यदि हों) पर मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई होती है। सतर्कता वर्टिकल सतर्कता-गतिविधियों के

transparent, fair and equitable. To spread vigilance awareness for participative vigilance, the vertical also publishes its in-house magazine "Dakshata" and created Vigilance Blog on SIDBI Intranet where staff members are encouraged to contribute/ participate by way of their experiences/ articles etc.

The Internal Audit reports of the branches are reviewed by Vigilance Vertical and the key compliance related issues are escalated for immediate rectification. The Vertical also suggests measures to improve and strengthen the existing systems and processes in various forums like VCHO (vigilance committee in head office), IACV (Internal Advisory Committee on Vigilance), Audit conferences, ACB (Audit Committee of Board), Regional Preventive Committee meetings and the CMD-CVO quarterly meetings.

Vigilance Vertical also maintains a vigil on the tendering process followed by the Bank in procurement of goods, works and contracts in terms of the extant CVC guidelines. Towards this end, the Vertical carries out Chief Technical Examiners Office [CTEO] type inspections periodically, on sample basis, to ensure that the procurement of goods and services is being carried out as per the norms. In this direction, the Vertical has so far organized two workshops on "Procurement Guidelines" which covers procurements by various departments of the Bank like Premises, Administration, Information Technology (IT), etc.

The vigilance work is reviewed by the CMD in his meeting with CVO every quarter and all important / pending issues, if any, are dealt with in accordance with the Chief Vigilance Commission (CVC) guidelines. The Vigilance

बारे में एक रिपोर्ट मुख्य सतर्कता आयोग को और उक्त गतिविधियों की अर्धवार्षिक समीक्षा निदेशक-मंडल को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिडबी के सतर्कता वर्टिकल को बैंकिंग क्षेत्र श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष दूसरा सर्वश्रेष्ठ 'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार' प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार "इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हैदराबाद" द्वारा संस्थापित है। यह पुरस्कार सतर्कता प्रबन्धन के क्षेत्र में सिडबी के उत्तम कार्य की मान्यता के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा, बैंक में सतर्कता-प्रबन्धन में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए 'वैयक्तिक' वर्ग में सिडबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री शिवकुमार आर को भी सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2016 में सतर्कता वर्टिकल ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया। सतर्कता प्रबन्धन में निहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विनिमय की दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यन्त

Vertical also submits a report on Vigilance Activities to CVC and a half yearly review of the said activities to the Board of Directors.

During FY 2015-16, Vigilance Vertical of SIDBI was the recipient of the "Vigilance Excellence Award" - second best in the Banking Sector category - instituted by "Institute of Public Enterprises, Hyderabad", for the third consecutive year. The award came as recognition of the good work done by SIDBI in the field of Vigilance Administration. Besides, CVO, SIDBI Shri Shivakumar R was also conferred with the Vigilance Excellence Award in the "Individual" category for his excellent contribution to the Vigilance administration in the Bank. In FY 2015-16, Vigilance vertical also organized the First-ever Conference of the

सिडबी को बैंकिंग क्षेत्र श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ 'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
SIDBI bagged the second best "Vigilance Excellence Award" in the banking sector category.

सफल रहा। इसी वर्ष के दौरान सतर्कता वर्टिकल ने पहली बार सतर्कता निर्देशिका भी जारी की। इसे मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के संकलन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इस निर्देशिका को वास्तविक समय-आधार पर अद्यतन बनाया जा रहा है (वर्तमान में 31 मार्च 2016 तक अद्यतन)।

इस प्रकार बैंक में परिचालन के सभी स्तरों पर सतर्कता का कार्य स्वतःस्फूर्त एवं प्रतिभागितापूर्ण तरीके पर ज़ोर देते हुए किया जा रहा है, ताकि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा कदाचार की घटनाओं को समाप्त/न्यूनतम किया जा सके।

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

सिडबी अपनी स्थापना के समय से ही भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सचेष्ट रहा है, जिसके फलस्वरूप हिन्दी को कार्यालयीन कामकाज की भाषा के रूप में स्थापित करने में बैंक को उल्लेखनीय सफलता भी मिली है।

संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग; गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने समय-समय पर संपन्न अपने निरीक्षणों के दौरान सिडबी के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक गहन प्रयासों की प्रशंसा की है। संदर्भाधीन वर्ष के दौरान बैंक को वर्ष 2014-15 में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा **कीर्ति पुरस्कार योजना**' के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक वर्ग में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लगातार तीसरी बार **द्वितीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने प्रदान किया। इसी प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में बैंक को वर्ष 2014-15 के

Regional Vigilance Officers (RVOs). The conference was a great success in terms of brainstorming on the various issues involved in the vigilance administration. Vigilance Vertical also released first ever Vigilance Manual in this year which will serve as a repository of various instructions and guidelines issued by the CVC. The manual is being updated on real-time basis (presently updated upto March 31, 2016).

The Vigilance function in the Bank has thus been laying emphasis on the proactive and participative vigilance at all levels of operations to eliminate / minimize the incidents of frauds, corruption and malpractices.

Implementation of the Official Language Policy in the Bank

SIDBI, since its inception, has been making conscious efforts towards implementation of the official language policy of the Government of India, which has enabled the bank to attain a considerable success in establishing Hindi as the medium of its official work.

Members of the parliamentary committee on official language and Government of India, Ministry of finance, Department of Financial Services; Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag, as also the representatives from RBI have, during the inspections carried out from time to time, appreciated the intense efforts made by the SIDBI-offices with regard to progressive use of Hindi therein. The bank received second prize from Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Government of India under 'Rajbhasha Keerti Puraskar Yojana' in the banks' category for a consecutive third time for commendable implementation of the official language policy during FY 2014-15. The prize was given by the hon'ble President of India.

लिए "क" "ख" क्षेत्र का प्रोत्साहन एवं "ग" क्षेत्र का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, पुरस्कार वितरण भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय द्वारा किया गया।

बैंक के प्रधान कार्यालय, मुम्बई कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित हैं। सभी समितियों ने वर्ष के दौरान अपनी त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित कीं। इनमें राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और हिन्दी पत्राचार के साथ-साथ आंतरिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।

बैंक की हिन्दी पत्रिका ***'संकल्प'*** का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अब तक 75 अंक निकाले जा चुके हैं। पत्रिका की प्रशंसा में देश के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होती रही हैं। इस वर्ष भी हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में बैंक के सभी कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत कई रोचक गतिविधियाँ व प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

वर्ष के दौरान 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र-स्थित कार्यालयों में हिन्दी पत्राचार क्रमशः 97%, 92% तथा 81% रहा, जबकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः100%, 90% तथा 55% का है। उल्लेखनीय है कि 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, जबकि 'क' क्षेत्र में लक्ष्य-प्राप्ति के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र-स्थित कार्यालयों में हिन्दी में लिखी जा रही टिप्पणियों का अनुपात लक्ष्यानुरूप, यानी क्रमशः लगभग 87%, 69% तथा 54% रहा, जबकि निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 75%, 50% एवं 30% हैं।

Besides this, Bank also bagged two consolation prizes for regions "A" and "B" and a second prize for region "C" in RBI- Rajbhasha Shield Competition. The prizes were given away by the RBI Governor.

Official Language Implementation Committees have been constituted in the Lucknow-Head Office, Mumbai Office, New Delhi office and all ROs/BOs of the bank. All the committees which dealt with the review of the status of official language implementation, laid emphasis on enhancing Hindi correspondence and augmenting the usage of Hindi in the bank's internal working held their quarterly meetings regularly during the year.

'Sankalp', the quarterly Hindi magazine of the bank is being published regularly. A total of 75 volumes of the magazine have been brought out so far. Renowned scholars from various parts of the country have acclaimed this publication from time to time. This year too, all offices of the bank celebrated Hindi fortnight on the occasion of Hindi Day, which was marked by several engrossing activities and competitions.

Hindi correspondence in the offices located in regions 'A', 'B' and 'C' stood at 97%, 92% and 81% respectively, as against the targets of 100%, 90% and 55% set by Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs respectively. It is noteworthy that the targets for Hindi correspondence for the regions 'B' and 'C' were surpassed, while all out efforts are on to reach the targets for the region 'A'. The ratio for notings being recorded in Hindi in the offices situated in regions 'A', 'B' and 'C' remained at 87%, 69% and 54% respectively, which is in conformity to the specified targets of 75%, 50% and 30% respectively.

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों को बैंक के सभी कार्यालयों ने द्विभाषी रूप में जारी किया। साथ ही, हिन्दी में प्राप्त व हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में देकर राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित 1988) के नियम 5 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया।

बैंक में हिन्दी माध्यम से कामकाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी इन्ट्रानेट पर राजभाषा संबंधी पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन से संबंधित उपयोगी जानकारी एवं अन्य सूचनाएँ दी गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग शब्दावली, दैनन्दिन कार्य में इस्तेमाल होनेवाले वाक्य एवं टिप्पणियाँ इंट्रानेट पर अपलोड कर दी गई हैं, ताकि स्टाफ-सदस्य हिन्दी में कार्य करते हुए इस सहायक सामग्री का उपयोग कर सकें।

बैंक के 39 कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित हैं। अधिसूचित कार्यालयों से सम्बद्ध जिन स्टाफ-सदस्यों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, उन्हें नियम 8(4) के अनुसार व्यक्तिशः आदेशित किया गया है कि वे अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करें।

बैंक के 1060 स्टाफ-सदस्यों में से(चतुर्थ श्रेणी के 57 को छोड़कर) 986 स्टाफ सदस्यों(4 संविदा स्टाफ सहित) को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, जबकि 21 स्टाफ-सदस्य प्रशिक्षण के लिए शेष हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर कार्रवाई की गयी है। जिन नए अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनके हिन्दी ज्ञान की स्थिति का आकलन कर, रोस्टर बनाया गया है और आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कुल 58 हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त स्टाफ-सदस्यों को हिन्दी भाषा तथा

All offices of the bank issued all documents enumerated under section 3(3) of the Official Language Act 1963 (As amended 1967), besides ensuring compliance of Rule 5 of the Official Language Rules 1976 (as amended 1988) by responding in Hindi to the letter received or signed in Hindi.

A portal on Rajbhasha has been made available at SIDBI-intranet, which provides valuable information and other material on official language policy and its implementation and aims at giving a fillip to carrying out the bank's transactions through Hindi. RBI- banking glossary, sentences and notings used in day to day working have been uploaded on intranet, so as to enable the staff members use this Help material while working in Hindi.

As many as 39 offices of the bank have been notified in the Gazette of India, as per Rule 10(4) of the official language rules 1976. The staff members attached to the notified offices and possessing proficiency in Hindi have been issued individual orders under Rule 8(4) to carry out their entire official work in Hindi.

Out of 1060 staff of the bank, a total of 986 staff members (including 4 contract staff) of the Bank (except 57class-IV) have the working knowledge of Hindi, while 21 remain to be trained. Measures have been taken from time to time to impart them training. A roaster has been prepared after assessing the Hindi knowledge of the newly appointed officers/employees, and action initiated for imparting them a need-based training.

During the year, a total of 58 Hindi workshops were organized at various offices of the bank, and staff-members possessing a working

हिन्दी के प्रयोजनमूलक पहलुओं के साथ-साथ, कंप्यूटर पर यूनीकोड का इस्तेमाल करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

भारत सरकार के वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम का अनुपालन करते हुए, बैंक में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों का सम्मेलन 30 नवम्बर-01 दिसम्बर 2015 को सिडबी अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई प्रशिक्षण संस्थान (सिटी), भुवनेश्वर में संपन्न हुआ।

इसी प्रकार वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार बैंक में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों के लिए 1 से 3 जुलाई 2015 के दौरान सिटी, भुवनेश्वर में प्रबंध विकास कार्यक्रम संपन्न हुआ।

सिडबी की वेबसाइट द्विभाषी है, जिसे वर्ष-पर्यन्त अद्यतन किया जाता रहा। साथ ही, बैंक की सहयोगी एवं सहायक संस्थाओं की वेबसाइटों के लिए भी समय-समय पर अनुवाद उपलब्ध कराया गया।

वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुपालन के क्रम में, समीक्षाधीन अवधि में हिन्दी वर्टिकल, प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 36 कार्यालयों एवं वर्टिकलों का राजभाषाई निरीक्षण संपन्न किया गया।

देश के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष के दौरान 11वीं ***अखिल भारतीय सिडबी अंतर-बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता*** का आयोजन किया। दसवीं अखिल भारतीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में प्राप्त चुनिंदा निबंधों को **"बैंक समाज और महिला सशक्तीकरण"** शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। इस प्रकाशन को बैंकिंग क्षेत्र में सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

knowledge of Hindi were imparted practical training on Hindi language and aspects related with application of Hindi, besides usage of Unicode on computer.

A Hindi officers' conference for the Hindi officers working in the bank was organized during November 30- December 01, 2015, at SIDBI International MSME Training Institute (SITI), Bhubaneswar, as a measure to comply with the annual implementation programme of the Government of India.

Keeping in with the directives received from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, a Management Development Programme for the Hindi Officers of the bank was organized during July 1-3, 2015 at SITI, Bhubaneswar.

SIDBI website has been made bilingual and kept updated throughout the year, besides providing translation for the websites prepared by the associates and subsidiaries.

In pursuance of the annual implementation programme, official language related inspections were conducted by the Head Office and the Regional Offices in as many as 36 offices and verticals.

The bank organized 11th All India SIDBI Inter-Bank Hindi Essay Competition during the year, which aimed at motivating the banks and the financial institutions of the country to carry out their official work in Hindi. A book titled 'Bank, Samaaj aur Mahila Sashaktikaran' comprising selected essays received during the tenth All-India Hindi Essay Competition was brought out during the year. This publication can be used as a reference book in the banking sector.

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी माध्यम से काम करने के लिए प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से विगत वर्षों की ही तरह इस वर्ष भी सिडबी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता आयोजित गई। इसी प्रकार, कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के अनुप्रयोग में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में वर्टिकल स्तर पर हिन्दी व हिन्दीतर-भाषी वर्ग के स्टाफ-सदस्यों के लिए राजभाषा प्रतिनिधि योजना चलाई गई।

Following the legacy of the previous years, this year too SIDBI Rajbhasha Shield Competition was organized in the bank, with the motive to create a competitive environment at the bank's regional offices for working through Hindi medium. In the same manner, this year too, Rajbhasha Pratinidhi Yojana was implemented amongst staff members belonging to Hindi-speaking and Non-Hindi speaking categories, at each Regional Office and HO-vertical level, so as to boost up the application of Hindi in the official working.

वर्ष के दौरान बैंक ने कई मैनुअलों/प्रक्रिया साहित्य को द्विभाषी रूप में जारी किया, जैसे-एकबारगी निपटान योजना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, प्रतिभूति एवं संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंध नीति, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का कामकाज, ग्राहक परिवेदना निवारण नीति, ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति, बैंक की अभिग्रहण नियमावली और स्टाफ जवाबदेही नीति।

Several Manuals/Procedural Literatures of the bank viz. One–Time Settlement Scheme, Venture Risk Management Policy, Security and Collateral Security Management Policy, SIDBI's working, Customers' Complaint Redressal Policy, Customer Compensation Policy, Bank's Procurement Manual and Staff Accountability Policy were issued in bilingual form during the year.

बैंक के सभी कार्यालयों ने अपनी-अपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में भी हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की और उत्तम प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार प्राप्त किए। नराकास के तत्वावधान में निकलने वाली पत्रिकाओं में हमारे कार्यालय के अधिकारियों ने संपादकीय सहयोग करने के साथ-साथ रचनात्मक योगदान भी किया। बैंक के कोलकाता, पुणे, बेंगलूरु, अहमदाबाद, चेन्नै, कोयम्बत्तूर, हैदराबाद, चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कोच्चि, जम्मू, जमशेदपुर, रायपुर, राँची, भोपाल, वाराणसी एवं कानपुर शाखा कार्यालयों को उत्तम राजभाषा कार्यान्वयन हेतु तत्संबंधी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कृत किया गया ।

All offices of the bank participated regularly in the meetings held by their respective Town Official Language Implementation Committees. In addition, our officers/employees also took part and exhibited extraordinary fete to emerge victorious in various Hindi competitions held under the aegis of these TOLICs. Officers from the bank provided editorial support to the magazines brought out by their respective TOLICs, besides making creative contributions therein. Bank's Kolkata, Pune, Bengaluru, Ahmedabad, Chennai, Coimbatore, Hyderabad and Chandigarh ROs and Kochi, Jammu, Jamshedpur, Raipur, Ranchi, Bhopal, Varanasi and Kanpur BOs received prizes from their respective Town Official Language Implementation Committees for outstanding official language implementation.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) क्रियान्वित कर रहा है। तदनुसार, बैंक ने अपने वेबसाइट (www.sidbi.in) पर संस्था के कार्य एवं दायित्व, अपने कार्यों के लिए बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, इसके अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, संगठनात्मक चार्ट, अधीनस्थ विधान आदि प्रदर्शित किए हैं, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में परिकल्पित है। अधिनियम के अनुसार, बैंक ने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), वैकल्पिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किए हैं, जिनके विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निदेशानुसार बैंक ने उक्त अधिनियम धारा 4 के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक पारदर्शिता अधिकारी भी पदनामित किया है, ताकि सूचना का अधिकार संबंधी पूछताछ का सीपीआईओ द्वारा समय पर उत्तर देने के लिए समुचित दशाएँ निर्मित हो सकें। वर्ष के दौरान सूचना माँगने के लिए बैंक को 318 आवेदन मिले, और सभी आवेदनों को अधिनियम के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निपटा दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 21 अपीलें की गईं। इनका निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट समय-सीमा में कर दिया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध छह अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष की गईं। न तो सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान करने और न ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों पर निर्णय करने में कोई विलम्ब हुआ है। सभी तिमाही ऑनलाइन विवरणियाँ केन्द्रीय सूचना आयोग को नियमित रूप से समय पर प्रेषित की गई हैं।

Implementation of Right to Information Act, 2005

The Bank is implementing the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). Accordingly, the Bank has displayed in its website (www.sidbi.in) functions and duties of the organization, norms set by the Bank for discharge of its functions, powers and duties of its officers and employees, organization chart, sub-ordinate legislations, etc. as envisaged under Section 4(1)(b) of the Act. The Bank has designated a Central Public Information Officer (CPIO), Alternate Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officers and First Appellate Authority and Alternate First Appellate Authority, in terms of the Act, the details of which are available on the Bank's website. In terms of the directives of Central Information Commission (CIC), the Bank has also designated a Transparency Officer for the better implementation of Section 4 of the Act with a view to promote congenial conditions for timely response by CPIO to RTI queries. During the year, the Bank received 318 applications seeking information and all the applications were disposed off as per the provisions of the Act within stipulated time.

During the year, 21 appeals were made to the First Appellate Authority (FAA) of the Bank, which were disposed off within stipulated time as per the provisions of the RTI Act. Against the decisions taken by FAA, six appeals were preferred before the Central Information Commission. There has been no delay in either furnishing information by the CPIO or in deciding appeals by the FAA. All the quarterly on-line returns have been regularly submitted to CIC in time.

नैगम सामाजिक दायित्व

सिडबी द्वारा संचालित नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ प्रमुखतया सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए रही हैं, जैसे- प्राकृतिक आपदा-पीड़ितों के लिए राहत, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को सहायता देना, दिव्यांगों तथा निर्धन व्यक्तियों की सहायता, समाज के साधन-हीन वर्गों के लिए कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता आदि। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिडबी ने कई राज्यों में फैली हुई 27 से अधिक सीएसआर परियोजनाओं को सहायता दी। इस सहायता में विभिन्न परियोजनाएँ शामिल हैं, जैसे- कचरा प्रबन्धन वाहन की खरीद, शारीरिक दिव्यांगों के लिए पैरालिंपिक व्हील चेयर, विशेष ज़रूरत वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए दक्षता किट, स्कूलों में बालिकाओं के लिए अतिरिक्त शौचालयों और हाथ धुलाई-स्थलों का निर्माण/नवीकरण, ऐंबुलेंस की खरीद, वृद्ध-गृहों/दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपकरण सहायता, स्वच्छताकर्मी पुनर्वास

Corporate Social Responsibility

The Corporate Social Responsibility (CSR) activities undertaken by SIDBI are primarily for socially relevant causes like relief to victims of natural calamity, supporting environment friendly technologies, support to physically challenged and under-privileged person, support for setting up skill development centres for under-privileged section of the society. During FY 2015-16, SIDBI supported over 27 CSR projects spread across various states. The support involves various projects like purchase of waste management vehicle, paralympic wheel chair for physically disabled, dexterity kit for pre-vocational training for persons with special needs, renovation / construction of additional toilet for girls and hand wash station in School, purchase of Ambulance, equipment support for old age homes / blind students, scavengers'

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी भुवनेश्वर स्थित कलिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (केआइआइटी) में नवोन्मेष एवं संपोषण केंद्र का उद्घाटन किया

Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI inaugurating Incubation Centre at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar

सहायता, प्रशिक्षण-कार्य हेतु सिलाई मशीनों व कंप्यूटरों की खरीद, जल-शोधन यंत्रों की संस्थापना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मध्य उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना, आदि।

rehabilitation support, purchase of sewing machines and computers for conducting training, installation of water purifier and promotion of higher education among SC/ST children, etc.

ऋणपत्र न्यासी

सिडबी के बकाया अप्रतिभूत बॉण्ड निर्गमों के ऋणपत्र न्यासियों के संपर्क विवरण निम्नवत हैं:

Debenture Trustees

Following are the contact details of the debenture trustees for SIDBI's outstanding unsecured bond issues :

आईएसआईएनः आईएनई556एफ08आईपी8 ISIN : INE556F08IP8	शेष आईएसआईएन के लिए For rest of the ISINs
ऐक्सिस बैंक लिमिटेड Axis Bank Limited ऐक्सिस हाउस, दूसरा तल, "ई" बॉम्बे डाइंग मिल कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई Axis House, 2nd Floor, "E", Bombay Dyeing Mill Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai. टेली / Tel: 022-24255215/16 फैक्स /Fax: 022- 24254200 ईमेल / Email: debenturetrustee@axisbank.com संपर्क व्यक्तिः श्री कान्हू हरिचन्दन Contact Person: Shri Kanhu Harichandan	ऑलबैंक फाइनेन्स लि. ALLBANK FINANCE LTD. *(इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था)* *(wholly owned subsidiary of Allahabad Bank)* कॉर्पोरेट कार्यालयः इलाहाबाद बैंक भवन, दूसरा तल, 37 मुम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई- 400023 Corporate Office : Allahabad Bank Building, 2nd Floor, 37, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 023. बोर्ड / Board: +91-22-22626283 एक्स्टेंशन/ Ext: 24 फैक्स / Fax: +91-22-22677552 ईमेलः/Email:companysecretary@allbankfinance.com वेबसाइट / Website: www.allbankfinance.com संपर्क व्यक्तिः मेसर्स मेलविटा लेविस, कंपनी सेक्रेटरी सह अनुपालन अधिकारी Contact Person: Ms.Melvita Lewis, Company Secretary cum Compliance Officer

सिडबी एमएसएमई इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

सिडबी ने 2013 में भुवनेश्वर में अपने एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान- 'सिडबी एमएसएमई इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सिटी)' की स्थापना की है।

SIDBI MSME International Training Institute

SIDBI has set up its own maiden training institute 'SIDBI MSME International Training Institute (SITI) at Bhubaneshwar in 2013.

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सिटी ने संचयी रूप से 249 दिन के 83 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 1741 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। वर्ष के दौरान सिटी ने 144 दिन के 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 1024 प्रतिभागी शामिल हुए। इन 49 कार्यक्रमों में से 29 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे, जबकि 43 दिन के 20 कार्यक्रम 484 बाह्य प्रतिभागियों के लिए आयोजित किए गए।

ई-लर्निंग मॉड्यूल्स

सिटी ने सिडबी इन्ट्रानेट पर 'सिटी लर्निंग कॉर्नर' शीर्षक से एक ई-लर्निंग पोर्टल आरंभ किया है। इस पर चुनिंदा प्रशिक्षण सामग्री, प्रेजेंटेशन, हैंड-आउट आदि होस्ट करने के साथ-साथ, सिडबी ने विशिष्ट विषयवस्तु-आधारित 5 स्व-मूल्यांकन मॉड्यूल होस्ट किए हैं, जो बैंक के परिचालनों की दृष्टि से संगत हैं, जैसेकि- (i) नागरिक अधिकार-पत्र, (ii) स्माइल और मेक इन इंडिया, (iii) राजभाषा दिशानिर्देश, (iv) जोखिम प्रबन्धन और (v) मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं की सम्यक जाँच।

आभार-ज्ञापन

निदेशक-मंडल भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त हुई बहुमूल्य सहायता के लिए आभार ज्ञापित करता है। निदेशक-मंडल विश्व बैंक समूहः जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यू.के.; क्रेडिटांस्टाल्ट फर वीडरफबउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी; दि ड्युश जेसेल्शाफ्ट फर इंटरनेशनाल ज़ुसैमेनारबीट (जीआईजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फंड फॉर ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; फ्रेंच डेवलपमेंड एजेंसी (एएफडी), फ्रांस और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) का भी आभारी है, जिनसे सहायता और तकनीकी सहयोग लगातार मिलता रहा है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी), बैंकों, राज्य-स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों

Training Programs

SITI had cumulatively conducted 83 training programs of 249 days imparting trainings to 1,741 participants. During the year, SITI conducted 49 training programs of 144 days covering 1,024 participants. Out of these 49 programs, while 29 were in-house training programs, 20 programs of 43 days were organised for 484 external participants.

e_Learning Modules

SITI had launched an e_Learning portal over the SIDBI intranet titled 'SITI Learning Corner'. Apart from hosting select training materials, presentations, hand-outs, etc., SITI has hosted 5 self-assessment modules on thematic topics having relevance to the Bank's operations, viz., (i) Citizens' Charter, (ii) SMILE & Make in India, (iii) Rajbhasha Guidelines, (iv) Risk Management and (v) Due Diligence of Machinery Suppliers.

Acknowledgements

The Board acknowledges the valuable support received from the Government of India and the Reserve Bank of India. The Board is also thankful to the World Bank Group; Japan International Cooperation Agency (JICA); Department for International Development (DFID), U. K.; Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany; The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Germany; International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome; French Development Agency (AfD), France and Asian Development Bank (ADB); for their continued resource support and technical cooperation. The Board places on record its appreciation for the co-operation extended to SIDBI by Life

तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन व विकास से जुड़े अन्य हितधारकों से सिडबी को मिले सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनकी भूरिशः प्रशंसा करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों तथा निवेशकों के सहयोग के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है और आनेवाले वर्षों में उनसे लगातार सहायता की आकांक्षा रखता है। निदेशक-मंडल सिडबी के प्रत्येक स्तर के स्टाफ की सेवाओं की प्रशंसा करता है, जिन्होंने लगातार सुदृढ़ता, वचनबद्धता, ईमानदारी तथा समर्पण का भाव दर्शाया और बैंक को विकास के उच्चतर पथ पर अग्रसर करने में वर्ष-पर्यन्त जुटे रहे।

Insurance Corporation of India (LIC), banks, state level institutions, industry associations and other stakeholders engaged in the promotion and development of the MSME sector.

The Bank also thanks all its clients and investors for their co-operation and looks forward to the continued support in the years to come. The Board recognizes and places on record its appreciation for the services of SIDBI staff, who, at all levels, showed strong and continued commitment, integrity and dedication to take the Bank on to a higher growth trajectory during the year.

7

सिडबी की सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ

Subsidiaries and Associate Organisations of SIDBI

सिडबी ने बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 28 वें एसीएसआईसी सम्मेलन में भाग लिया।

SIDBI participated in the 28th ACSIC Conference held in Bali, Indonesia.

"माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले एजेंडे" पर 2 दिसंबर 2015 को लखनऊ में संपन्न यूपीएमए सम्मेलन ।

UPMA conclave on "Microfinance Fostering Financial Inclusion Agenda" on 2nd December, 2015 at Lucknow.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सहयोगी संस्थाएं

I. सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड

सिडबी उद्यम पूंजी लिमिटेड (एसवीसीएल) की स्थापना 1999 में उद्यम पूंजी निधियों (वीएसएफ) के प्रबंधन हेतु एक निवेश प्रबंधन कंपनी के रूप में की गई थी। विगत वर्षों के दौरान एसवीसीएल भारत में एमएसएमई की ओर उन्मुख अग्रणी संस्थागत निवेश प्रबंधन कंपनियों में से एक बन चुकी है। आरंभ से ही, एसवीसीएल लगातार विविध क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, संवृद्धि उन्मुख एमएसएमई को संवृद्धि पूंजी प्रदान कर रही है।

वर्तमान में एसवीसीएल, साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी), एसएमई संवृद्धि निधि (एसजीएफ), इंडिया अपार्चुनिटीज़ फ़ंड (आईओएफ), समृद्धि निधि (एसएफ), टीईएक्स फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फ़ंड (डब्लू एफ फ़ंड) और महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फ़ंड (एमएस फ़ंड) के निवेश प्रबंधक का कार्य कर रही है।

सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी)

एनएफएसआईटी सीमित अवधि वाली उद्यम निधि है, जिस की स्थापना अगस्त 1999 में की गई थी। इसकी प्रतिबद्ध समूह निधि ₹ 100 करोड़ है, जिस में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (₹ 30 करोड़), आईडीबीआई (₹ 20 करोड़) तथा सिडबी (₹ 50 करोड़) का प्रतिबद्ध अंशदान है। इस निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के असूचीगत लघु एवं उद्यमों को ईक्विटी तथा ईक्विटी से जुड़े लिखतों के माध्यम से उद्यम पूंजी सहायता उपलब्ध करना था। इस निधि ने प्रति कंपनी 3 करोड़ से कम औसत निवेश के साथ 31 कंपनियों में निवेश किया है। इकाइयां भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारतवर्ष में फैली हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों नामतः उत्पाद, सेवाएं, इंटरनेट से संबंधित

SUBSIDIARIES

I. SIDBI VENTURE CAPITAL LIMITED

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) was established in 1999 as an Investment Management Company for managing Venture Capital Funds (VCFs). Over the years, SVCL has evolved into a leading institutional investment management company having focus on the MSMEs in India. Since inception, SVCL has continued to provide growth capital to high-quality, growth-oriented MSMEs across diversified sectors.

SVCL, at present, is acting as the Investment Manager for National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT), SME Growth Fund (SGF), India Opportunities Fund (IOF), Samridhi Fund (SF), TEX Fund (TF), West Bengal MSME VC Fund (WB Fund) and Maharashtra State Social Venture Fund (MS Fund).

National Venture Fund for Software & Information Technology Industry (NFSIT)

NFSIT is a close ended venture fund established in August 1999. The fund has a committed corpus of ₹ 100 crore, the contributors being Ministry of Communications and Information Technology (₹ 30 crore), IDBI (₹ 20 crore) and SIDBI (₹ 50 crore). The main objective of establishing the fund was to provide venture capital support by way of equity and equity-linked instruments to unlisted SMEs in the areas of software and information technology. The fund has invested in 31 companies with average investment per unit being less than ₹ 3 crore. The units are geographically spread all over India covering a wide range of IT industries

व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ आदि समाहित हैं। एनएफएसआईटी ने 24 कंपनियों से पूर्ण रूप से और 3 कंपनियों से आंशिक रूप से सफलतापूर्वक बहिर्गमन कर लिया है जबकि इसे 2 कंपनियों में निवेश को बट्टे खाते में डालना पड़ा है। बाकी कंपनियों से बहिर्गमन के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

एसएमई समृद्धि निधि (एसजीएफ)

एसजीएफ निश्चित अवधि वाली उद्यम पूंजी निधि की स्थापना 2004 में की गई है । निधि की ₹ 500 करोड़ की प्रतिबद्ध समूह है, इस का अंशदान सिडबी और भारत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि ने किया है । एसजीएफ एक क्षेत्र निरपेक्ष निधि है, जिसकी स्थापना विभिन्न क्षेत्रों के असूचीगत उद्यमों को इक्विटी तथा इक्विटी से जुड़े लिखतों के माध्यम से संवृद्धि पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु की गई।

निधि ने प्रति इकाई लगभग ₹ 18 करोड़ की औसत निवेश के साथ 25 कंपनियों में निवेश किया है। ये इकाइयां भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारतवर्ष में फैली हैं, जिनमें संवृद्धि क्षेत्र यथा औषधीय, खुदरा व्यापार, इंजीनिरिंग, संचार तकनीक, लॉजिस्टिक्स इत्यादि समाहित हैं । एसजीएफ ने 16 कंपनियों से सफलतापूर्वक पूर्ण तथा आंशिक बहिर्गमन किया है तथा अपने निवेश से ₹ 469 करोड़ की राशि वसूल की है (जो कि कुल वास्तविक निवेश का 102.83% है) अब तक निधि ने अपने अंशदायकों को कुल ₹ 364.25 करोड़ (₹ 332.60 करोड़ समूह निधि के प्रति तथा ₹ 31.65 करोड़ लाभ के रूप में) का वितरण किया है। साथ ही निधि ने लगभग ₹ 66 करोड़ की राशि विवादित कर देयताओं तथ संभावित अर्थदंड के लिए रखी है।

इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड (आईओएफ)

इंडिया ऑपर्चुनिटीज फंड 10 वर्ष की सीमित अवधि वाली उद्यम निधि है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई। निधि ने

namely products, services, internet related businesses, IT training, IT enabled services, etc. NFSIT has been able to secure successful full exit from 24 companies and partial exit from 3 companies, while it had to write off investments in 2 companies. Efforts are on for exit from the remaining companies.

SME Growth Fund (SGF)

SGF is a close ended venture fund established in September 2004. The fund has a committed corpus of ₹ 500 crore, the contributors being SIDBI and other leading commercial banks in India such as State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda etc. SGF is a sector agnostic fund which was established to provide growth capital support, primarily to unlisted SME enterprises across diverse sectors by way of equity and equity linked instruments.

The fund has to be checked from SVCL. The units are geographically spread all over India covering growth sectors like pharmaceuticals, retailing, engineering, communication technology, logistics etc. SGF has been able to achieve full or partial exit from 16 companies and realized a total sum of ₹ 469 crore from its investments (102.83% of total investments actually made). So far, the fund has made distributions of ₹ 364.25 crore to its Contributors (₹ 332.60 crore towards corpus and ₹ 31.65 crore towards profits). Further, an amount of ₹ 66 crore approx. has been retained by the fund, towards disputed tax liabilities and probable penalties.

India Opportunities Fund (IOF)

India Opportunities Fund is a close ended venture fund with a life of 10 years established

अपनी अन्तिम प्रविष्टि 18 अप्रैल 2012 को की। इस निधि में आहरण-योग्य समूह निधि ₹ 421.30 करोड़ है।

आईओएफ क्षेत्र-निरपेक्ष निधि है, जो मुख्यतः भारत के ऐसे संवर्द्धनशील और असूचीबद्ध एमएसएमई की संवृद्धि पूँजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर केन्द्रित है, जो शैक्षणिक सेवाओँ, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, हल्की इंजीनियरिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृषि-आधारित उद्योगों, लॉजिस्टिक्स, मूलभूत संरचना आदि उभरते हुए क्षेत्रों में परिचालनरत हैं। आईओएफ शुरुआती, संवृद्धि और साथ ही, उन्नत चरण वाली कंपनियों में भी चुनिंदा आधार पर निवेश करती है।

यथा 31 मार्च 2016, आईओएफ ने 23 कंपनियों में ₹ 270.37 करोड़ की निवल वचनबद्धताएँ की हैं। यथा 31 मार्च 2016, इनमें से ₹ 200.66 करोड़ का निवेश 22 कंपनियों में किया गया है।

समृद्धि निधि (एसएफ)

डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूनाइटेड किंगडम सरकार ने समृद्धि निधि आरम्भ करने के लिए सिडबी से साझेदारी की है। यह एस सामाजिक उद्यम निधि है जो भारत के निम्न आय वाले राज्यों में विकास संबंधी चुनौतियों के निराकरण के लिए बाज़ार-आधारित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में काम करती है। डीएफआईडी ने समृद्धि निधि में 35 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (लगभग 340 करोड़ रुपये) की वचनबद्धता की है, जबकि सिडबी, भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. ने क्रमशः ₹ 50 करोड़, ₹ 40 करोड़ तथा ₹ 10 करोड़ की प्रतिबद्धता की है। इस प्रकार समृद्धि निधि की समस्त वचनबद्ध समूह निधि ₹ 440 करोड़ की है।

इस निधि का प्राथमिक उद्देश्य भारत के निम्न आय वाले 8 राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ऐसे टिकाऊ सामाजिक उद्यमों का संवर्द्धन करना है, जो आर्थिक, सामाजिक

in August 2011. The Fund made its final closing on April 18, 2012. The fund has a drawable corpus of ₹ 421.30 crore.

IOF is a sector agnostic fund focused mainly on meeting growth capital needs of India's growing and unlisted MSMEs operating in emerging sectors such as educational services, IT/ITES, light engineering, clean tech, agro-based industries, logistics, infrastructure etc. IOF also invests in early, growth as well as late stage companies selectively.

As on March 31, 2016, IOF has made net commitments of ₹ 270.37 crore in 23 companies, out of which, a sum of ₹ 200.66 crore has been invested in 22 companies.

Samridhi Fund (SF)

The Department for International Development (DFID), Government of United Kingdom has partnered with SIDBI to start the Samridhi Fund – a social venture fund which engages with the private sector to deliver market-based solutions to address development challenges in the low income states in India. DFID has committed GBP 35 million (approx. ₹ 340 crore) to Samridhi Fund, while SIDBI, Life Insurance Corporation of India ("LIC") and United India Insurance Co Ltd ("UIIC") have committed ₹ 50 crore, ₹ 40 crore and ₹ 10 crore respectively. Thus the total committed corpus of SF is around ₹ 440 crore.

The primary objective of the Fund is to promote sustainable social enterprises which provide economic, social or environmental benefits and can deliver both financial and social returns, in 8

अथवा पर्यावरण से जुड़े लाभ देते हैं और जो वित्तीय तथा सामाजिक, दोनों तरह के प्रतिलाभ दे सकते हों। समृद्धि निधि निजी परक्राम्य ईक्विटी/ ईक्विटी-सहबद्ध निवेशों, ऋणों, ऋणपत्रों आदि के रूप में और लिखतों के रूप में निवेश करेगी। यह निवेश सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अनुमति-प्राप्त क्षेत्रों में होगा।

यथा 31 मार्च 2016, समृद्धि निधि ने लगभग ₹290.19 करोड़ की वचनबद्धता की है। यथा 31 मार्च 2016, इसमें से ₹163.88 करोड़ की राशि 11 कंपनियों में निवेश की गई है।

टेक्स निधि (टीएफ)

एसवीसीएल ने 'टेक्स निधि' की स्थापना की है। इसके प्रारंभिक अंशदानकर्ता भारत सरकार (कपड़ा मंत्रालय) और सिडबी हैं। यह निधि कपड़ा क्षेत्र के लघु उद्यमों, खास तौर से पावरलूम क्षेत्र में निवेश करेगी। प्रत्येक निवेश ₹3 करोड़ से अधिक का नहीं होगा। इस निधि की समूह निधि ₹40.83 करोड़ है।

टेक्स निधि ने संचयी रूप से 5 निवेशों के प्रति ₹13.43 करोड़ की प्रतिबद्धता की है। यथा 31 मार्च, 2016 कुल ₹1.84 करोड़ के निवेश 2 कंपनियों में किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल एमएसएमई उद्यम पूँजी निधि (डब्ल्यूबी निधि)

पश्चिम बंगाल एमएसएमई उद्यम पूँजी निधि (डब्ल्यूबी निधि) की स्थापना ₹200 करोड़ की समूह-निधि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। इसकी स्थापना नवम्बर 2015 में की गई। डब्ल्यूबी निधि 6 वर्ष की सीमित अवधि वाली निधि है, जिसे एक-एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है।

डब्ल्यूबी निधि में निवेश पश्चिम बंगाल के विनिर्माण और सेवा, दोनों प्रकार के एमएसएमई क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स, प्रारंभिक अथवा शुरुआती संवृद्धि चरण पर केन्द्रित है। यह निधि क्षेत्र-निरपेक्ष है। किन्तु महिला उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित एमएसएमई को वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक निवेश ₹9 करोड़ तक सीमित

Low Income States ("LIS") in India, namely Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan and West Bengal. Samridhi Fund by way of privately negotiated equity / equity related investments, loans, debentures etc. as may be permitted by the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

As on March 31, 2016, SF has the commitment of approx. ₹290.19 crore, out of which a sum of ₹163.88 crore has been invested in 11 companies.

TEX Fund (TF)

SVCL has set up 'TEX Fund' with initial contributors being Govt. of India (Ministry of Textiles) and SIDBI. The Fund would invest in small enterprises in the textile sector, more particularly related to Powerloom sector. Each investment would not exceed ₹3 crore. The corpus of the Fund is ₹40.83 crore.

TF has made cumulative commitments of ₹13.43 crore towards 5 investments. Investments aggregating ₹1.84 crore have been made in 2 companies as on March 31, 2016.

West Bengal MSME VC Fund (WB Fund)

West Bengal MSME VC Fund (WB Fund) has been set up with a targeted corpus of ₹200 crore. WB Fund is a close ended fund with a life of 6 years established in November 2015, extendable by a period of one year twice.

The WB Fund focus is to invest in start-ups, emerging or early growth stage MSMEs in West Bengal. The Fund is sector agnostic, however, preference is given to MSMEs promoted by women entrepreneurs. Each investment will be limited to ₹9 crore. As of March 31, 2016, the

रहेगा। यथा 31 मार्च 2016, इस निधि ने 2 निवेशों के प्रति ₹ 11 करोड़ की संचयी प्रतिबद्धता की है।

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक उद्यम निधि (एमएस निधि)

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक उद्यम निधि (एमएस निधि) की समूह निधि का लक्ष्य ₹ 200 करोड़ है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2015 को की गई। यह महाराष्ट्र लघु विकास ट्रस्ट (ट्रस्ट) की सीमित अवधि वाली यूनिट योजना है और इसकी अवधि 7 वर्ष है।

एमएस निधि का निवेश प्राथमिक रूप से ऐसे लाभप्रद एवं विस्तार-योग्य व्यावसायिक उपक्रमों अथवा नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को चिह्नित करके उनमें निवेश करने पर केन्द्रित है, जिनमें महाराष्ट्र के लोगों को सामाजिक लाभ (आर्थिक और/अथवा सामाजिक और/अथवा पर्यावरण संबंधी) देने की संभावना हो।

एसवीसीएल का तुलनपत्र

एसवीसीएल का 31 मार्च, 2016 तक का संक्षिप्त तुलनपत्र और 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का लाभ-हानि विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया जा रहा है:

Fund has made cumulative commitments of ₹ 11 crore towards 2 investments.

Maharashtra State Social Venture Fund (MS Fund)

Maharashtra State Social Venture Fund ("MS Fund") with targeted corpus of ₹ 200 crore was established on September 15, 2015 as a close ended unit scheme of Maharashtra Laghu Vikas Trust ("Trust"). The tenure of the fund is 7 years.

The primary investment focus of MS Fund is to identify and invest in profitable and scalable business ventures including innovative business model or new products & technologies which would have potential to provide social benefits (economic and/or societal and/or environmental) to the people of Maharashtra.

Balance-Sheet of SVCL

The abridged Balance Sheet as at March 31, 2016 and Statement of Profit and Loss of SVCL for the period April 01, 2015 to March 31, 2016 are given in the following tables:

तालिका 7.1 एसवीसीएल का संक्षिप्त तुलनपत्र
Table: 7.1 Abridged Balance Sheet of SVCL

(₹ लाख / lakh)

यथा 31 मार्च, 2015 (अंकेक्षित) As on March 31, 2015 (Audited)	एसवीसीएल का संक्षिप्त तुलन पत्र Abridged Balance Sheet of SVCL	यथा 31 मार्च, 2016 (अंकेक्षित) As on March 31, 2016 (Audited)
	ईक्विटी व देयताए / EQUITY & LIABILITIES	
1,500.00	शेयर पूँजी / Share capital	1,500.00
1,247.60	आरक्षितियाँ और अधिशेष/ Reserves and Surplus	1,452.73
178.99	गैर चालू देयताएँ/ Non - Current Liabilities	259.56
773.38	चालू देयताएँ/ Current Liabilities	766.03
3,699.97	**कुल / Total**	**3,978.32**

	आस्तियाँ / ASSETS	
2,321.47	गैर-चालू आस्तियाँ/ Non - Current Assets	2,515.67
1,378.50	चालू आस्तियाँ/ Current Assets	1,462.65
3,699.97	**कुल / Total**	**3,978.32**

तालिका 7.2: एसवीसीएल का संक्षिप्त लाभ-हानि विवरण
Table 7.2: Abridged Statement of Profit & Loss of SVCL

(₹ लाख / lakh)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष For the year ended March 31, 2015	एसवीसीएल का संक्षिप्त लाभ-हानि विवरण Abridged Statement of Profit & Loss of SVCL	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित) For the year ended March 31, 2016 (Audited)
	राजस्व / REVENUE	
1,448.53	परिचालनों से राजस्व / Revenue from operations	1,438.08
155.12	अन्य आय / Other Income	140.82
1,603.65	**योग / Total**	**1,578.90**
	व्यय / EXPENSES	
711.53	परिचालन व्यय / Operating expenses	673.05
9.64	मूल्यह्रास / Depreciation	5.84
721.17	**योग / Total**	**678.89**
882.48	अपवादात्मक एवं असामान्य मदों तथा कर-पूर्व लाभ Profit before exceptional and extraordinary items and tax	900.01
0.00	जोड़ें - असाधारण मदें / Add: Extraordinary items	0.00
0.02	घटाएं - पिछली अवधि के समायोजन / Less: Prior Period Adjustment	0.00
882.46	असामान्य मद एवं कर-पूर्व लाभ Profit Before extraordinary item and Taxation	900.01
0.00	घटाएं: असामान्य मद [निवेश/(आरक्षिति) के मूल्य में ह्रास] Less: Extraordinary item [provision for diminution in the value of investments / (Reversed)]	0.00
882.46	कर-पूर्व लाभ / Profit Before Taxation	**900.01**
290.00	चालू कर / Current tax	286.00
(18.23)	आस्थगित कर / Deferred tax	(3.01)
0.00	करहेतु न्यून/(अधिक)प्रावधान/Short/(Excess)provisionforIncomeTax	(47.26)
0.00	पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित आय-कर / Income tax pertaining to earlier year	1.44
15.00	सीएसआर गतिविधियों हेतु अंशदान / Contribution to CSR Activities	5.00
595.69	**अवधि में लाभ/(हानि) / Profit / (loss) for the period**	**657.84**

II. सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड(एसटीसीएल) की स्थापना 1999 में सामान्यतः ट्रस्टीशिप के कार्य करने के लिए तथा उद्यम पूँजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों के कार्यों हेतु की गई थी। एसटीसीएल वर्तमान में नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इन्डस्ट्री (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फंड(एसजीएफ), इन्डिया अपर्च्युनिटीज फंड(आईओएफ), समृद्धि फंड(एसएफ), टेक्स फंड(टीएफ), वेस्ट बंगाल एमएसएमई वीसी फंड(डब्ल्यूबी फंड) तथा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक कल्याण वेंचर फंड(एमएस फंड) के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।

एसटीसीएल का तुलन-पत्र

एसटीसीएल का 31 मार्च, 2016 का संक्षिप्त तुलन-पत्र तथा 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की लाभ-हानि का विवरणी निम्नलिखित तालिकाओं में दी जा रही है -

II. SIDBI Trustee Company Limited

SIDBI Trustee Company Limited (STCL) was established in 1999 to carry out the trusteeship functions in general and for Venture Capital Funds. STCL, at present, is acting as the Trustee for National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT), SME Growth Fund (SGF), India Opportunities Fund (IOF), Samridhi Fund (SF), TEX Fund (TF), West Bengal MSME VC Fund (WB Fund) and Maharashtra State Social Venture Fund (MS Fund).

Balance-Sheet of STCL

The abridged Balance Sheet as at March 31, 2016 and Statement of Profit and Loss for the period April 01, 2015 to March 31, 2016 for STCL are as given below :

तालिका 7.3: एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलन पत्र
Table 7.3: Abridged Balance Sheet of STCL

(₹ लाख / lakh)

यथा 31 मार्च, 2015 (अंकेक्षित) As on March 31, 2015 (Audited)	एसटीसीएल का संक्षिप्त तुलन पत्र Abridged Balance Sheet of STCL	यथा 31 मार्च, 2016 (अंकेक्षित) As on March 31, 2016 (Audited)
	इक्विटी और देयताएँ / EQUITY & LIABILITIES	
5.00	शेयर पूँजी / Share capital	5.00
507.17	आरक्षितियाँ और अधिशेष/ Reserves and Surplus	545.24
0.00	गैर चालू देयताएँ/ Non - Current Liabilities	0.00
0.80	चालू देयताएँ/ Current Liabilities	0.80
512.97	**कुल / Total**	**551.04**
	आस्तियाँ / ASSETS	
3.61	गैर-चालू आस्तियाँ/ Non - Current Assets	3.16
509.36	चालू आस्तियाँ/ Current Assets	547.88
512.97	**कुल / Total**	**551.04**

तालिका 7.4: एसटीसीएल का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता
Table 7.4: Abridged Statement of Profit & Loss of STCL

(₹ लाख / lakh)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित) For the year ended March 31, 2015 (Audited)	एसटीसीएल की संक्षिप्त लाभ-हानि विवरणी Abridged Statement of Profit & Loss of STCL	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु (अंकेक्षित) For the year ended March 31, 2016 (Audited)
	राजस्व / REVENUE	
35.67	परिचालनों से राजस्व / Revenue from operations	17.05
45.38	अन्य आय / Other Income	44.84
81.05	**कुल / Total**	**61.89**
	व्यय / EXPENSES	
6.26	परिचालन व्यय / Operating expenses	6.92
6.26	कुल / Total	6.92
74.79	**असाधारण मदों तथा कर-पूर्व लाभ Profit before extraordinary items and tax**	**54.97**
0.00	जोड़ें - असाधारण मदें / Add: Extraordinary items	0.00
0.00	घटाएं - पिछली अवधि के समायोजन Less: Prior Period Adjustment	0.00
74.79	कर-पूर्व लाभ / Profit Before Taxation	54.97
23.20	चालू कर / Current tax	17.00
0.00	आस्थगित कर / Deferred tax	0.00
0.00	आय-कर हेतु अतिरिक्त प्रावधान / Excess provision for Income Tax	(0.09)
51.59	**अवधि में लाभ/(हानि) / Profit / (loss) for the period**	**38.06**

III. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी(मुद्रा) की स्थापना सिडबी की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था के रूप में देश में वंचित सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तपोषण करने के लिए 08 अप्रैल, 2015 को हुई। मुद्रा उन बैंकों, माइक्रो फाइनांस संस्थाओं(एमएफआई) तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो सूक्ष्म/ लघु कारोबार इकाइयों को ऋण देने का कारोबार करते हैं। इस प्रकार मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित वित्तीय संस्थाओँ को उनकी पहुंच बढ़ाने हेतु पुनर्वित्त एवं अन्य विकासात्मक सहयोग प्रदान करता है। मुद्रा को सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को अर्थक्षम आर्थिक क्षेत्र में विकसित करने का अधिदेश भी मिला हुआ है।

31 मार्च, 2016 तक 27 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, 17 निजी क्षेत्र के बैंकों, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 1 राज्य सहकारी बैंक (गुजरात एससीबी), 12 शहरी सहकारी बैंकों, 46 एमएफआई (10 गैर एनबीएफसी एमएफआई सहित) तथा 26 एनबीएफसी (कुल मिलाकर 160) को सहभागी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

III. Micro Units Development & Refinance Agency [MUDRA]

MUDRA has been set up on April 8, 2015 as a wholly owned subsidiary of SIDBI for 'funding the unfunded' micro enterprises in the country. MUDRA refinances banks, Micro-finance Institutions (MFIs) and other lending institutions, which are in the business of lending to micro / small business entities. Thus, MUDRA strengthens the last mile financial institutions by extending refinance and other development support to expand their outreach. MUDRA's mandate also includes developing the micro enterprise sector into a viable economic sector.

As on March 31, 2016, 27 Public Sectors Banks, 17 Private Sector Banks, 31 Regional Rural Banks, 1 State Cooperative Bank (Gujarat SCB), 12 Urban Cooperative Banks, 46 MFIs (including 10 non NBFC MFIs), and 26 NBFCs, (totaling to 160) had been shortlisted as partner institutions.

तालिका 7.5: वित्तीय उल्लेखनीय तथ्य
Table 7.5: Financial Highlights

(₹ करोड़ / crore)

एजेन्सी / Agency	राशि स्वीकृत Amount sanctioned	राशि संवितरित Amount disbursed
बैंक / Banks	₹ 2,432	₹ 2,432
एमएफआई / MFIs	₹ 812	₹ 616
एनबीएफसी / NBFCs	₹ 250	0
आरआरबी / RRBs	₹ 239.25	₹ 239.25
पीटीसी में निवेश / Investment in PTCs	₹ 49.95	₹ 49.95
कुल / TOTAL	**₹ 3,783.20**	**₹ 3,337.20**

मार्च, 2016 के अंत तक मुद्रा ने 22 एमएफआई, 3 एनबीएफसी, 17 पीसीबी तथा 3 आरआरबी को ₹3783.20 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसमें से 31 मार्च, 2016 तक ₹3337.20 करोड़ संवितरित कर दिए गए।

साथ ही, बेंगलुरू स्थित अखिल भारतीय एनबीएफसी-एमएफआई जनलक्ष्मी वित्तीय सेवाएं लि. की प्रतिभूत आस्तियों के पास-थ्रू प्रमाण-पत्रों(पीटीसी) में ₹49.95 करोड़ का निवेश किया गया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 08 अप्रैल, 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना(पीएमएमवाई) का उद्घाटन किया गया था जिसमें सभी बैंक 10 लाख रुपये तक के आयअर्जक गतिविधियों वाले लघु कारोबार उद्यमों का वित्तपोषण करेंगे। भले ही वे मुद्रा से पुनर्वित्त प्राप्त करें अथवा नहीं। मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में उपलब्ध है - शिशु श्रेणी के अंतर्गत लघु व्यवसाय के लिए ₹50,000/- तक के ऋण उपलब्ध होंगे, किशोर श्रेणी के अंतर्गत ₹50,000/- से अधिक तथा ₹5 लाख तक के ऋण उपलब्ध होंगे। ₹5 लाख से अधिक तथा ₹10 लाख तक के ऋण तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। पीएमएमवाई ऋण सभी बैंकों जैसे पीएसयू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी), सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, माइक्रो फाइनांस संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए जाएँगे।

As at end of March 2016, MUDRA had sanctioned ₹3783.20 crore to 22 MFIs, 3 NBFCs, 17 PSBs and 3 RRBs. Out of the same, ₹3337.20 crore was disbursed as on 31st March, 2016.

Further, an investment was done in Pass-through Certificates (PTCs) of securitized assets of Janalaxmi Financial Services Ltd, a pan India NBFC-MFI, based at Bengaluru, for ₹49.95 crore.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), a scheme to finance income generating small business enterprises was launched on April 08, 2015 by the Hon'ble Prime Minister, whereby all banks are required to finance micro entrepreneurs upto ₹10 lakh, irrespective of whether they avail of refinance support from MUDRA or not. MUDRA loans are available in three categories. For small business, loans upto ₹50,000/- is available under the 'Shishu' category and beyond ₹50,000 and up to ₹5 lakh under the 'Kishor' category. It also offers loans beyond ₹5 lakh and up to ₹10 lakh under the "Tarun" category. PMMY loans are extended by all Banks such as PSU banks, Regional Rural Banks (RRBs), Cooperative Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Micro Finance Institutions and Non-Banking Finance Companies.

तालिका 7.6: पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रगति
Table 7.6: Progress under PMMY

(₹ करोड़ / crore)

योजना / Scheme	खातों की संख्या (लाख) No. of Accounts (lakhs)	स्वीकृत राशि Amount sanctioned	संवितरित राशि Amount disbursed
शिशु / SHISHU	324.02	62894	62028
किशोर / KISHOR	20.69	43053	41073
तरूण / TARUN	4.10	31502	29854
कुल / TOTAL	**348.81**	**137449**	**132955**

पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रगति

31 मार्च, 2016 तक 348.81 लाख उधारकर्ताओं को ₹1.37 लाख करोड़ की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से ₹1.33 लाख करोड़ संवितरित किए गए।

मुद्रा कार्ड

मुद्रा कार्ड एक नवोन्मेषी कार्ड उत्पाद है जिसके माध्यम से उधारकर्ता निर्बंध एवं लचीले तरीके से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट के रूप में कार्यशील पूँजी की सुविधा प्रदान करता है। चूँकि, मुद्रा रूपे डेबिट कार्य है अतएव इसका उपयोग एटीएम या व्यवसाय संवादी से नकदी आहरण या बिक्री मशीन(पीओएस) के माध्यम से खरीद करने में किया जाता है। अधिक नकदी उपलब्ध होने पर राशि की चुकौती की सुविधा भी उपलब्ध है। जिससे ब्याज लागत कम हो जाती है। मार्च, 2016 के अंत तक **₹1,477 करोड़ के** 5.17 लाख कार्ड जारी किए गए।

मुद्रा एप - 'मुद्रा मित्र'

'मुद्रा **मित्र**' मोबाईल फोन एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है जिसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी(मुद्रा) तथा इसके विभिन्न उत्पादों/ योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। यह ऋण अभ्यर्थी को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण लेने के लिए बैंकर से संपर्क करने में मदद करेगा। उपयोगकर्ता नमूना ऋण आवेदन फार्मों सहित ऋण संबंधी उपयोगी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।

मुद्रा क्रेडिट गारंटी

वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मुद्रा ऋणों के लिए **₹3000 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी** के साथ एक अलग क्रेडिट गारंटी निधि की स्थापना की गई। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी

Progress under PMMY

As on March 31, 2016, ₹1.37 lakh crore was sanctioned to 348.81 lakh borrowers, of which ₹1.33 lakh crore was disbursed.

MUDRA Card

MUDRA Card is an innovative credit product wherein the borrower can avail of credit in a hassle free and flexible manner. It provides a facility of working capital arrangement in the form of an overdraft facility to the borrower. Since MUDRA Card is a RuPay debit card, it can be used for drawing cash from ATM or Business Correspondent or make purchase using Point of Sale (POS) machine. Facility is also there to repay the amount, as and when, surplus cash is available, thereby reducing the interest cost. As at end of March 2016, 5.17 lakh cards for ₹1,477 crore issued.

MUDRA App – "MUDRA MITRA"

MUDRA MITRA is a mobile phone application available in Google Play Store and Apple App Store, providing information regarding 'Micro Units Development and Refinance Agency Ltd. (MUDRA)' and its various products/ schemes. It will guide a loan seeker to approach a banker in availing MUDRA loan under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). Users can also access useful loan related material including sample loan application forms.

MUDRA Credit Guarantee

As announced by the Hon'ble Finance Minister in the budget for FY-2015-16, a separate credit Guarantee fund was created for MUDRA Loans, with an initial corpus of ₹3000 crore. National

ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) मुद्रा क्रेडिट गारंटी योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह योजना अप्रैल, 2016 में अधिसूचित हुई थी और 08 अप्रैल, 2015 के बाद वाले सभी पात्र मुद्रा ऋणों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

सहयोगी संगठन

IV. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

सीजीटीएमएसई की स्थापना भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के परिचालन हेतु की गई थी जिसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उन ऋणों के लिए **₹100 लाख तक की** ऋण गारंटी सुविधा दी जाती है, जिनके लिए संपार्श्विक प्रतिभूति और/ अथवा तृतीय पक्ष गारंटी उपलब्ध नहीं होती। 31 मार्च, 2016 तक ट्रस्ट को इसके सेटलर यथा- एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार एवं सिडबी से **₹2500 करोड़ की** प्रतिबद्ध समूह निधि में से **₹2432** करोड़ का कुल समूह निधि अंशदान प्राप्त हुआ है।

ऋण गारंटी योजना के परिचालन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ट्रस्ट द्वारा ₹19949 करोड़ के लिए 5,13,978 गारंटियाँ स्वीकृत की इससे 31 मार्च, 2016 तक ट्रस्ट द्वारा ₹108990.85 करोड़ के लिए अनुमोदित संचयी गारंटियों की संख्या 23,23,673 हो गई।

ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 तक की संचयी कवरेज के विश्लेषण से पता चलता है कि **₹16756.57**(15.37%) करोड़ के लिए 4,72,541(20.34%) प्रस्ताव महिला उद्यमियों, **₹2549.82**(2.34%) करोड़ के लिए 1,14,815(4.94%) प्रस्ताव अनुसूचित जातियों, **₹1616.55**(1.48%) करोड़ के लिए 50,509(2.17%) प्रस्ताव अनुसूचित जनजातियों, **₹4924.13**(4.52%) करोड़ के लिए 1,53,789(6.62%) प्रस्ताव अल्पसंख्यकों से संबंधित थे।

Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) is the implementing agency for MUDRA Credit Guarantee scheme. The scheme was notified during April 2016 and all eligible Mudra loans issued after April 08, 2015 are to be covered under the scheme.

ASSOCIATES

IV. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

CGTMSE was set up in 2000 by Government of India and SIDBI to operate the Credit Guarantee Scheme (CGS) for Micro and Small Enterprises (MSEs) which guarantees credit facilities upto ₹100 lakh extended by Member Lending Institutions (MLIs) in respect of those loans, which are not backed by collateral security and / or third party guarantees. The total corpus contribution received by the Trust from its Settlors viz., Ministry of MSME, Government of India and SIDBI as on March 31, 2016 stood at ₹2,432 crore as against the committed corpus of ₹2,500 crore.

Operations of Credit Guarantee Scheme

During the FY 2015-16, the Trust approved guarantees of 5,13,978 for ₹19,949 crore taking the cumulative guarantees approved by the Trust till March 31, 2016 to 23,23,673 guarantees for an aggregate amount of ₹1,08,990.85 crore.

An analysis of the cumulative coverage under CGS as at March 31, 2016, indicates that 4,72,541 proposals (20.34%) for ₹16,756.57 crore (15.37%) were in respect of Women Entrepreneurs; 1,14,815 proposals (4.94%) for ₹2,549.82 crore (2.34%) to Scheduled Caste; 50,509 proposals (2.17%) for ₹1616.55 crore (1.48%) to Scheduled Tribe and 1,53,789 proposals (6.62%) for ₹4,924.13 crore (4.52%) to the Minorities.

ट्रस्ट ने ₹ 997 करोड़ की राशि की कुल 34,810 इकाइयों के संबंध में दावे निपटाए। समग्रतः ट्रस्ट ने 31 मार्च, 2016 तक ₹ 2493/- करोड़ के कुल 97346 दावे निपटाए। ट्रस्ट के विगत 15 वर्षों के अनुभवों तथा सीजीटीएमएसई के पोर्टफोलियो में से प्रत्येक सदस्य ऋणदात्री संस्था के एनपीए तथा दावा भुगतान अनुपात के हिस्से के आधार पर, ट्रस्ट ने गारंटी फीस की अंतर संबंधी दर की शुरूआत की है।

जागरूकता सृजन

सीजीटीएमएसई ने बैंकों एमएसई उद्योग संघों, एमएसई क्षेत्र, आदि, में ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरुकता के प्रसार हेतु प्रयास किए जैसे- प्रेस एवं प्रिंट मीडिया, कार्यशाला/ सेमिनार का आयोजन, विभिन्न जिला, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के मंचों आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता जैसे विभिन्न चैनलों का प्रयोग

The Trust settled claims in respect of 34,810 units for an aggregate amount of ₹ 997 crore. Cumulatively, the Trust had settled 97,346 claims aggregating to ₹ 2,493 crore till March 31, 2016. Based on the experience of the Trust for past 15 years and analysis of the available data as also to factor the levels of NPAs and claim payout ratios of each MLI out of the portfolio of CGTMSE, differential rate of guarantee fee has been introduced by the Trust.

Awareness Creation

CGTMSE has adopted multi-channel approach for creating awareness of the CGS amongst banks, MSE Industry Associations, MSE sector, etc. through print and press media, conducting

तालिका 7.7: 31 मार्च, 2016 (संचयी) तक स्लैबवार गारंटी अनुमोदन

Table 7.7 : Slab-wise guarantee approvals as on March 31, 2016 (cumulative)

(₹ करोड़ / crore)

क्रम S. No.	सीमा / Range	संचयी / Cumulative	
		प्रस्तावों की संख्या (लाख में) No. of Proposals (in lakhs)	ऋण राशि (₹ करोड़ में) Loan Amount (₹ crore)
1	1,00,000/- तक/ Upto 1,00,000/-	8,56,238	4,215.61
2	1,00,001 से 2,00,000/- / 1,00,001 to 2,00,000/-	5,23,863	8,105.56
3	2,00,001 से 5,00,000/- / 2,00,001 to 5,00,000/-	4,74,802	17,231.96
4	5,00,001 से 10,00,000/- / 5,00,001 to 10,00,000/-	2,38,585	18,274.70
5	10,00,001 से 25,00,000/- / 10,00,001 to 25,00,000/-	1,63,878	28,224.76
6	25,00,001 से 50,00,000 / 25,00,001 to 50,00,000/-	46,180	17,516.30
7	50,00,001 से 100,00,000/- / 50,00,001 to 100,00,000/-	20,127	15,421.96
कुल / Total		**23,23,673**	**1,08,990.85**

कृपया ध्यान दें - बीच में हुए निरसनों/ आशोधनों के कारण वास्तविक संख्या में अंतर हो सकता है।

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications

किया। वर्ष के दौरान, सीजीटीएमएसई ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा उद्योग संघों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/ सेमिनारों, भारतीय रिजर्व बैंक/ सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी एवं बैठकों में हिस्सा लिया। सीजीटीएमएसई के अधिकारियों ने इसकी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं में ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यवसाय विकास बैठकें आयोजित की।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीजीटीएमएसई ने सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैंकर मीट, व्यवसाय विकास बैठकों में हिस्सा लिया और ऋण गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए बैंक कर्मचारियों/ लघु उद्यमियों को जागरूक करने के लिए प्रस्तुतीकरण भी दिए। कार्यशालाओं/ कार्यक्रमों का आयोजन सामान्यतः सदस्य बैंकों/भा.रि.बैंक/ उद्योग संघों आदि द्वारा किया गया।

समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई के परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसाकि ऋण गारंटीप्राप्त एमएसई के कुल उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार के निम्नलिखित आंकड़ों से द्रष्टव्य है-

workshops / seminars, attending the programmes organized at various district /state/ national fora, etc. During the year, CGTMSE participated in various seminars / workshops organized by MLI and Industry Associations, exhibitions and meetings organized by RBI/ Govt. CGTMSE officials also held business development meetings with Member lending Institutions to create awareness about CGS.

During FY 2015-16, CGTMSE participated in seminars workshops/ Banker's meet/ Business development meetings and also made presentations to sensitize bank officials/ small enterprises on the various aspects of the Credit Guarantee Scheme. The workshops / programmes were generally arranged by the member banks / RBI /Industry Associations etc.

Overall Impact

CGTMSE's operations have had a positive impact on the economy in terms of turnover, exports and employment of credit guaranteed MSEs as given below:

तालिका 7.8: सीजीटीएमएसई का समग्र प्रभाव
Table 7.8: Overall Impact CGTMSE

मापदंड / **Parameters**	**यथा 31 मार्च 2016 As on March 31, 2016**
संचयी अनुमोदित गारंटियाँ / Cumulative Guarantees approved	23,23,673
ऋण राशि (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त) (₹ करोड़) Loan Amount (extended by MLIs) (₹ crore)	1,08,990.85
गारंटीप्राप्त इकाइयों का अनुमानित कारोबार (₹ करोड़) Estimated turnover of guaranteed units (₹ crore)	8,67,019.27
गारंटीप्राप्त इकाइयों से अनुमानित निर्यात (₹ करोड़) Estimated exports by guaranteed units (₹ crore)	7,290.61
अनुमानित रोजगारसृजन (लाख में) / Estimated employment generation (lakh nos.)	77.22
सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या / Number of MLIs	128

कृपया ध्यान दें - बीच में हुए निरसन/ आशोधन के कारण वास्तविक संख्या में अंतर हो सकता है।
N.B: Actuals may vary due to intervening cancellations/modifications

V. स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड

स्मेरा की स्थापना 2005 में हुई। अपनी स्थापना के समय से 31 मार्च, 2016 तक स्मेरा ने संचयी रूप से 37,554 एमएसएमई इकाइयों को रेटिंग प्रदान की है, जो विभिन्न वर्गों, उद्योगों तथा राज्यों में फैली हुई है। स्मेरा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान देता रहा है, जो इसकी कुल रेटिंग का क्रमशः 77% और 21% है।

स्मेरा को बासेल - II मानदंडों के अन्तर्गत ईसीआईए के रूप में वर्ष 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता मिली। इसके बाद से स्मेरा ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1129 बैंक ऋणों की रेटिंग की है। मान्यता-प्राप्ति के बाद संचयी रूप से स्मेरा ने 2678 बैंक ऋण-रेटिंग की है। इसके अतिरिक्त, स्मेरा ने अन्य सावधि जमा रेटिंग, गैर-कन्वर्टिबल डिबेंचर रेटिंग, वाणिज्यिक पेपर रेटिंग तथा जारीकर्ता रेटिंग जैसे अन्य नियामकीय उत्पादों के संबंध में 59 रेटिंग की है।

मुख्य विशेषताएं

- स्मेरा ने सितम्बर 2015 को अपने परिचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए।
- गैर-सब्सिडी कारोबार में सुधार के केन्द्रीकृत प्रयासों के कारण, वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्तीय

V. SMERA Ratings Limited

SMERA was set up in 2005. Cumulatively, since its incorporation, SMERA has assigned ratings to 37,554 MSME units up to March 31, 2016 spread across various categories, industries and states. SMERA has been providing special attention to micro and small enterprises which accounted for 77% and 21%, respectively, of its total ratings.

After receiving accreditation in the year 2012 from RBI as an External Credit Assessment Institutions (ECAI) under BASEL – II norms, SMERA has completed 1,129 Bank Loan Ratings during the financial year 2015-16. Cumulatively SMERA has assigned 2,678 Bank Loan Ratings. In addition, SMERA has completed 59 ratings in respect of other regulated products such as Fixed Deposit rating, Non-Convertible Debenture rating, Commercial Paper rating and Issuer rating.

MAJOR HIGHLIGHTS

- SMERA completed 10 years of operations in September 2015.
- Arising out of the focused efforts in improving non-subsidized business, the

तालिका 7.9: वित्तीय उल्लेखनीय तथ्य
Table 7.9: Financial Highlights

(₹ लाख / lakh)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2014	वित्तीय वर्ष FY 2015	वित्तीय वर्ष FY 2016
	लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
राजस्व / Revenue	3,118	3,432	2,316
व्यय / Expenditure	2,668	3,051	2,273
कर पूर्व लाभ / Profit Before Tax	449	380	43
कर पश्चात लाभ / Profit After Tax	375	300	32

वर्ष 2015-16 में बैंक ऋण रेटिंग में 37% की बढ़ोत्तरी हुई।

- स्मेरा ने एक बैंक से उनके वर्तमान एसएमई (एसएम/एसएस/एसटी) रेटिंग मॉडल तथा एमएसएमई स्कोरिंग कार्ड के स्वतंत्र वैधीकरण करवाने के लिए सफलतापूर्वक करार किया।
- स्मेरा को आईटीआई संस्थानों की ग्रेडिंग करने के लिए डिजेट में सूचीबद्ध किया गया है। 12000 से अधिक आईटीआई संस्थानों की व्यापकता देखते हुए, स्मेरा इसे एक समान अवसर के रूप में देख रहा है कि स्मेरा द्वारा रेटिंग प्रदत्त व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था का जुड़ाव स्मेरा रेटिंग प्रदत्त एमएसएमई से हो जाएगा जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर बनेंगे। इसी प्रकार, पर्यटन सुविधाओं तथा रिजॉर्ट्स की

rating numbers in respect of bank loan ratings during the FY 2015-16 increased by 37% as against the numbers during FY 2014-15.

- SMERA successfully executed a mandate from a Bank for conducting an independent validation of their existing SME (SM/SS/ST) rating models and MSME scoring card.
- SMERA has got empanelment from DGET for grading of ITI institutes. Given the universe of more than 12,000 ITI institutes, SMERA sees a symbiotic opportunity to connect SMERA rated vocational training institutes with SMERA rated MSMEs for their respective placement and employment opportunities. Similarly, the empanelment from Government of Karnataka through

सीओडीआईएसएसआईए ने इनटेक 2015 का आयोजन किया। बाएं से दाएं हैं - श्री जिजि मेमन, सिईओ मुद्रा, डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी श्री ई.के.पुन्नुस्वामी, प्रेसिडेंट, सीओडीआईएसएसआईए, श्री अजय कुमार कपूर, उप प्रबंध निदेशक सिडबी तथा श्री वी. तिरूज्ञानमा, मानद सचिव, सीओडीआईएसएसए
CODISSIA organised INTEC 2015. From left to right: Shri Jiji Mammen, CEO, MUDRA, Dr. Kshatrapati Shivaji, CMD, SIDBI, Shri E. K. Ponnuswamy, President, CODISSIA, Shri Ajay Kumar Kapur, DMD, SIDBI and Shri V. Thirugnanam, Hon. Secretary, CODISSIA.

रेटिंग के लिए आईडेक के माध्यम से कर्नाटक सरकार के साथ सूचीबद्ध होने से स्मेरा की सेवाओं के नए बाजार में विस्तार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

- स्मेरा ने वर्तमान एवं भावी बैंकरों के लिए क्रेडिट एनालिस्ट प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के डिजाइन एवं इसे शुरू करने के क्रम में एसआईईएस प्रबन्धन अध्ययन कॉलेज, नेरूल, मुम्बई के साथ सहमति करार किया है। यह तीन महीनों का एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें स्मेरा द्वारा प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी और सत्र एसआईईएस परिसर में आयोजित होंगे।

VI. इन्डिया एसएमई टेक्नॉलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल)

इन्डिया एसएमई टेक्नॉलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) सिडबी की सहयोगी संस्था है, जो ऊर्जा दक्षता संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकीय सलाह व परामर्श-सेवाएं देता है। साथ ही, यह ऊर्जा दक्षता, एमएसएमई क्षेत्र, बैंकिंग, परियोजना वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परियोजना प्रबन्धन का अनुभव रखने वाले अपने विशेषज्ञ दल की मदद से माँग पक्ष के प्रबन्धन, नवीकरणीय ऊर्जा(विशेषकर सौर ऊर्जा), एमएसएमई समूल विकास तथा मूल्यांकन अध्ययन और क्षमता विकास, जागरूकता वृद्धि और कौशल विकास की सेवा भी प्रदान करता है। आईएसटीएसएल प्रौद्योगिकी विषयक विकल्पों, मैच-मेकिंग, वित्तीय समूहन, व्यवसायिक सहयोग सम्बन्धी जानकारी की सेवा देने के साथ-साथ सेमिनार/ सम्मेलन तथा विपणन सहयोग भी प्रदान करता है।

आईएसटीएसएल द्वारा उपलब्ध सेवाएं:

- **आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता (4ई) समाधान**

  आईएसटीएसएल सिडबी के आद्योपान्त ऊर्जा दक्षता (4 ई) समाधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रियता

iDeck for the ratings of tourism facilities and resorts is also a significant step towards expanding SMERA's service offerings to a new market.

- SMERA entered into a MoU with SIES College of Management Studies, Nerul to design and launch a certified credit analyst training program for existing and aspiring bankers. This will be a 6-day training program spread over 3 months wherein SMERA will provide the training content and the sessions will be conducted in SIES premises.

VI. India SME Technology Services Limited [ISTSL]

ISTSL as associate institution of SIDBI, offers technology advisory and consultancy services for projects related to energy efficiency and demand management, renewable energy, MSME cluster development and evaluation studies, capacity building, awareness creation, skill development with help of its team of experts having extensive experinece in energy efficiency, MSME sector, banking, project finance, renwable energy & project management. ISTSL also provides services such as providing information on technology options, match making, finance syndication and business collaborations and organizing seminars/meets and providing market support.

Services Offered by ISTSL:

- End-to-End Energy Efficiency (4E) Solution:

  ISTSL is actively involved in implementation of SIDBI's End-to-End Energy Efficiency (4E) programme which is

से शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को अपनी ऊर्जा सेवाएं में सुधार लाने में मदद करना है। आईएसटीएसएल एमएसएमई उद्योगों में मापन एवं सत्यापन (एमएंडवी) लेखा परीक्षा सुविधा भी देता है। अभी तक 4 ई समाधान कार्यक्रम से 100 से अधिक एमएसएमई को लाभ मिला है जिससे कार्बन डायऑक्साइड के करीब 11500 टन ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कमी आई।

- नवीकरणीय ऊर्जा समाधान

आईएसटीएसएल एमएसएमई को सौर पीवी/ तापीय प्रणालियाँ, जैव ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में मदद करता है। आईएसटीएसएल विभिन्न एमएसएमई समूहों में जागरूकता- विकास/क्षमता-विकास/ कौशल-विकास कार्यशालाएँ/ सेमिनार आयोजित करता रहा है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने आईएसटीएसएल को ग्रिड कनेक्टेड सौर छत प्रणाली/ परियोजना की संस्थापना के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत चैनल पार्टनर के रूप में सूचीबद्ध किया है। आईएसटीएसएल विभिन्न केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों/ विभागों आदि को सौर छत प्रणाली के संबंध में परियोजना प्रबन्धन परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

- प्रौद्योगिकी सलाह एवं परामर्श

आईएसटीएसएल ऊर्जा दक्षता संबंधी परियोजनाओं/ कार्यों के लिए प्रौद्योगिकीय सलाह एवं परामर्श सेवाएं देता है। साथ ही, यह अनुभवी विशेषज्ञ दल की मदद से माँग पक्ष के प्रबन्धन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, समूह विकास, क्षमता विकास, जागरूकता वृद्धि तथा कौशल विकास की सेवा भी प्रदान करता है।

aimed at facilitating the MSMEs in Industrial and Services sector in improving their energy savings. ISTSL also facilitates Measurement and Verification (M&V) Audit at MSME industries. More than 100 MSMEs have benefitted so far from the 4E Solution programme which has resulted in GHG emissions reductions of approx 11,500 tons of CO_2.

- Renewable Energy Solutions

ISTSL facilitates adoption of Renewable Energy technologies including Solar PV/ Thermal systems, biomass, etc. by the MSMEs. ISTSL has been organizing Awareness Creation / Capacity Building/ Skill Development Workshops/ Seminars in various MSME clusters.

Ministry of New and Renewble Energy (MNRE) has empanalled ISTSL as channel partner under government category for installation of Grid connected solar rooftop systems/projects. ISTSL is providing project management consultancy for solar rooftop systems to various Central Government Ministries/Departments,etc.

- Technology Advisory & Consultancy Services

ISTSL offers technology advisory and consultancy services for projects/ assingments related to Energy Efficiency, Demand Side Management, Environment Impact Assessment, Cluster Development, Capacity Building / Awareness creation/ Skill Development, with help of experienced team of experts.

VII. इन्डिया एमएसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क)

इन्डिया एमएसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क) का निगमन 11 अप्रैल, 2008 को हुआ और इसने 15 अप्रैल, 2009 को व्यवसायिक परिचालन प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य था एमएसएमई क्षेत्र में गैर-निष्पादक आस्तियों का अभिग्रहण करना जिसके माध्यम से संभावित सक्षम इकाइयों की सत्वर पुनर्संरचना करना एवं अक्षम इकाइयों का निपटान करने में भूमिका निभाना ताकि आस्तियों का अधिकतम उत्पादक उपयोग किया जा सके। सिडबी और सिडबी वेंचर कैपिटल लि.(एसवीसीएल) आईसार्क के मुख्य प्रायोजक के रूप में शेयरधारक आधार प्रदान करते हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया तथा बैंक ऑफ बड़ौदा इसके सह-प्रायोजक हैं। अन्य शेयरधारकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा अन्य कंपनियाँ शामिल हैं। आईसार्क का निदेशक मंडल पेशेवर रूप से प्रबन्धित है जिसमें आधे से ज्यादा सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं।

कारोबार परिचालन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आईसार्क ने 3 बैंकों के आस्तियों के अभिग्रहण हेतु 9 टेंडर जमा किए, जिसमें से आईसार्क ने दो बैंकों(विक्रेता) के 2 खातों को ₹17.59 करोड़ के कुल खरीद मूल्य पर अभिगृहित किया और जिसमें से ₹11.80 करोड़ आईसार्क ने निवेश किया और शेष ₹5.79 करोड़ अन्य निवेशकों (विक्रेताओं) से आए।

वर्ष के दौरान, आईसार्क ने पिछली वर्ष के ₹28.61 करोड़ की तुलना में सर्वाधिक ₹45.54 करोड़ की वसूली की। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹14.67 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का नकदीकरण कराया गया (विगत वर्ष ₹15.96 करोड़)। यथा- 31 मार्च, 2016 तक आईसार्क के पास बकाया प्रतिभूति प्राप्तियों तथा तुलन-पत्र आस्तियों के रूप में ₹380.86 करोड़ की प्रबन्धन-अधीन आस्तियाँ हैं(सकल प्रबन्धन-अधीन आस्तियाँ ₹467.14 करोड़)।

VII. India SME Asset Reconstruction Company Limited [ISARC]

India SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC) was incorporated on April 11, 2008 and commenced its business operations on April 15, 2009 with the principal objective to acquire non-performing assets (NPAs), inter-alia, in MSME sector and catalyse speedy restructuring of potentially viable units and liquidation of unviable units, so that productive use of the assets is maximized. ISARC's shareholder base consists of SIDBI and SIDBI Venture Capital Limited (SVCL) as its principal sponsor and United Bank of India and Bank of Baroda as co-sponsors. Other shareholders include public sector banks, financial institutions and other companies. ISARC has a professionally managed Board of Directors comprising more than half of the Board members who are Independent Directors.

Business Operations

During FY 2015-16, ISARC submitted 9 tenders for asset acquisitions to 3 banks, out of which ISARC acquired 2 accounts from 2 Banks (sellers) for an aggregate purchase consideration of ₹17.59 crore out of which ₹11.80 crore was invested by ISARC and balance ₹5.79 crore came from the other investors (sellers).

During the year, ISARC achieved highest ever recovery of ₹45.54 crore as against ₹28.61 crore in the previous year. Security Receipts (SRs) worth ₹14.67 crore were redeemed during FY 2015-16 (previous year ₹15.96 crore). As of March 31, 2016, ISARC has assets under management (AUM) of ₹380.86 crore (Gross AUM – ₹467.14 crore) representing outstanding SRs and balance sheet assets.

8

तुलन-पत्र एवं लेखा-विवरण

Balance Sheet & Statement of Accounts

24 जून 2016 को लखनऊ में आयोजित सिडबी की वार्षिक सामान्य बैठक

SIDBI's Annual General Meeting was held on June 24, 2016 at Lucknow.

SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

तुलन-पत्र एवं लेखा विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण **परिशिष्ट - I** में दिए गए हैं। सिडबी और इसकी सहायक संस्थाओँ - सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल). सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि.(एसटीसीएल)एवं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.) और सहयोगी संस्थाओं - स्मेरा रेटिंग्स लि. (स्मेरा), इन्डिया एसएमई एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आइसार्क) एवं इन्डिया एमएसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड(आईएसटीएसएल), रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इन्डिया लि.(आरएक्सआईएल) व अन्य के समेकित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण **परिशिष्ट-II** में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय ₹5,784.61 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹5,741.47 करोड़ थी। समतुल्य अवधि में कुल व्यय ₹3,922.99 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3,823.24 करोड़ था। वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹1,636.47 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹2,115.24 करोड़ रहा था। वर्ष के लिए कर एवं आस्थगित कर-समायोजन-पश्चात् निवल लाभ ₹1,177.46 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,417.13 करोड़ रहा था। ₹1,217.20 करोड़ के कुल वितरण-योग्य लाभ(31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के कर समायोजन के पश्चात् ₹1,177.46 करोड़ के निवल लाभ तथा ₹39.74 करोड़ के अग्रानीत लाभ सहित) में से बैंक ने ₹486.98 करोड़ की चुकता ईक्विटी पूंजी पर 20% का लाभांश घोषित किया, जो तत्संबंधी देय लाभांश वितरण कर, अधिभार तथा उप-कर को मिलाकर ₹113.95 करोड़ होता है। वर्ष के दौरान ₹80 करोड़ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षिति में अन्तरित

Balance Sheet & Statement of Accounts

The audited Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of Small Industries Development Bank of India, for the financial year 2015-16, are given in **Appendix – I**. The consolidated Balance Sheet, along with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of SIDBI with its subsidiaries viz., SIDBI Venture Capital Ltd., (SVCL), SIDBI Trustee Company Ltd., (STCL) and Micro Units Development & Refinance Agency LTD (MUDRA Ltd) and associates viz. SMERA Ratings Ltd., (SMERA), Indian SME Asset Reconstruction Company Limited (ISARC), India SME Technology Services Ltd., (ISTSL), Receivables Exchange of India Ltd. (RXIL) and others are given in **Appendix II**.

The total income of the Bank during the year was ₹5,784.61 crore as compared to ₹5,741.47 crore during the previous year. The total expenditure during the corresponding period was at ₹3,922.99 crore as compared to ₹3,823.24 crore during the previous year. The Profit before Tax for the year was ₹1,636.47 crore, compared to ₹2,115.24 crore in the previous year. The net profit after tax and Deferred Tax Adjustment for the year was ₹1,177.46 crore as against ₹1,417.13 crore in the previous year. Out of the total distributable profit of ₹1,217.20 crore (net profit of ₹1,177.46 crore [after tax adjustment] for the year ended March 31, 2016 and brought forward profit of ₹39.74 crore), the Bank declared a dividend of 20% on paid up equity capital of ₹486.98 crore which worked out to ₹113.95 crore inclusive of dividend distribution tax, surcharge and cess payable thereon. During the year, a sum of ₹80 crore was transferred to Special Reserve created under Section 36(1) (viii)

किए गए, ₹15.79 करोड़ निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति से अन्तरित किए गए और ₹1 करोड़ का विनियोजन स्टाफ कल्याण निधि(एसडब्ल्यूएफ) में किया गया। ₹966 करोड़ का अधिशेष आरक्षिति निधि में अन्तरित किया गया और शेष ₹40.46 करोड़ लाभ-हानि खाते में धारित रखे गए।

of IT Act, 1961, ₹15.79 crore was transferred to Investment Fluctuation Reserve and appropriation of ₹1 crore was made to Staff Welfare Fund (SWF). Surplus of ₹966 crore was transferred to the Reserve Fund and balance ₹40.46 crore was retained in Profit and Loss Account.

तालिका 8.1: तुलन-पत्र आकार
Table 8.1: Balance Sheet Size

(₹ करोड़ / crore)

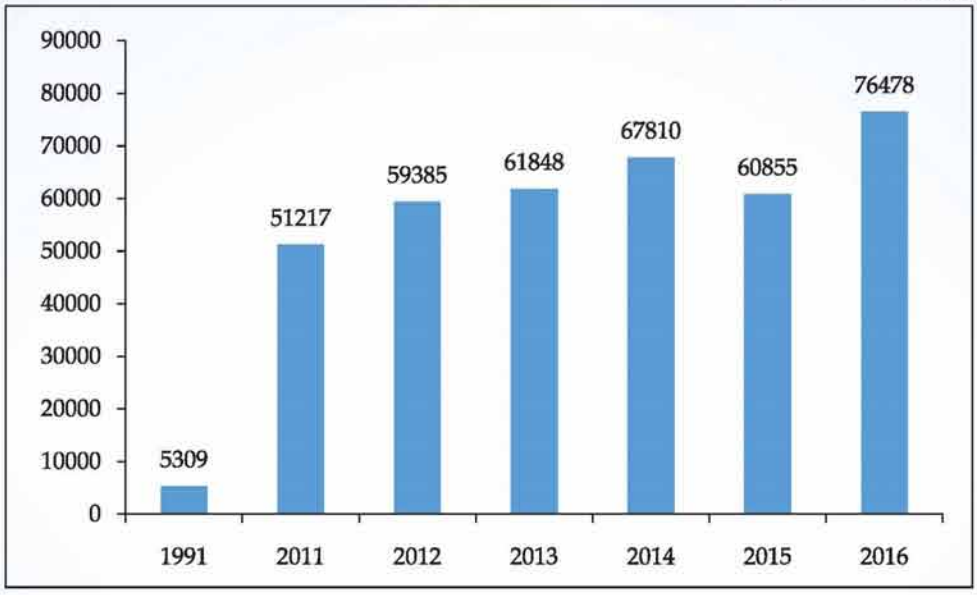

लेखा-परीक्षक

बैंक के वित्तीय वर्ष 2015-16 के खातों की लेखा-परीक्षा मेसर्स बोरकर एवं मजूमदार, सनदी लेखाकार, मुम्बई ने की। सांविधिक लेखा-परीक्षा करने के लिए उनकी नियुक्ति 22 जून, 2015 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में सिडबी अधिनियम (यथासंशोधित) की धारा 30(1) के अनुसार की गई।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें पृष्ठ सं.128 एवं 192 पर दी गई हैं।

Auditors

The accounts of the Bank for the financial year 2015-16 were audited by M/s Borkar & Muzumdar, Chartered Accountants, Mumbai who were appointed in terms of Section 30(1) of the SIDBI Act, 1989 (as amended) at the Annual General Meeting held on June 22, 2015 for carrying out the statutory audit.

The reports of the Auditors are given on Page Nos.128 and 192.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) के 31 मार्च 2016 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा-नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 10 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, जिनका हमने लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया और इसमें प्रधान कार्यालय के खातों सहित, अग्रिमों का 82.47%, जमाओं का 98.48%, उधार का 100%, अग्रिमों पर ब्याज आय का 77.59% तथा जमा एवं उधार पर ब्याज व्यय का 99.02% भी शामिल है। ये शाखाएं बैंक की सलाह से चयनित की गयी हैं। हमने बैंक की शेष शाखाओं का दौरा नहीं किया और उनके विवरणों की प्रधान कार्यालय में समीक्षा की।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा

Independent Auditors' Report

To
The Shareholders of
Small Industries Development Bank of India

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statements of Small Industries Development Bank of India ("the Bank") which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2016 and the Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 10 Branches visited by us for the purpose of audit and the same including Head Office accounts for 82.47% of Advances, 98.48% of Deposits, 100% of Borrowings, 77.59% of interest income on Advances and 99.02% of interest expense on Deposits and Borrowings. These branches have been selected in consultation with the Bank. We have not visited balance Branches of the Bank and have reviewed their returns at the Head Office.

Management Responsibility for the Financial Statements

The Bank's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000, the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and applicable RBI guidelines as issued from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for

जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्याकथन से मुक्त हों।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा-धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या-कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा-परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा-प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य संस्था की आंतरिक नियंत्रण

safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of internal controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also include evaluating the

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

प्रणाली की प्रभावोत्पादकता पर राय देना नहीं होता। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करती है, जो बैंक के लिए आवश्यक है और भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं:

क) तुलन-पत्र के मामले में, बैंक के 31 मार्च, 2016 तक के कामकाज की स्थिति

ख) लाभ-हानि खाते के मामले में, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की स्थिति

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि :

1. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the a foresaid Financial Statements give the information required by the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 in the manner so required to the extent required by the Bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2016,

b) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended 31st March 2016,

c) in the case of cash flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report that:

1. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the requirements of the Regulation 14(i) of the Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

2. हमने वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

3. हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधि के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।

4. इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण खाता-बहियों के अनुरूप है।

5. हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेन-देन बैंक की शक्तियों के अंदर ही किए गए हैं।

6. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों द्वारा प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

7. हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा-मानकों का अनुपालन किया गया है।

2. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

3. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books.

4. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with Books of Accounts.

5. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

6. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

7. In our opinion, theaforesaid financial statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 1101569 डब्ल्यू

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता सं. 133755

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 25 मई, 2016

For **Borkar & Muzumdar**
Chartered Accountants
Firm Registration No.101569W

Darshit Doshi
Partner
Membership No. 133755

Place: Mumbai
Date: May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र / Balance Sheet as at March 31, 2016

परिशिष्ट - I / Appendix - I

31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र / Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूँजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
पूँजी / Capital	I	486,98,22,500	450,00,00,000
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds	II	11108,27,11,816	9329,60,80,446
जमा / Deposits	III	15575,12,27,905	13446,81,67,994
उधार / Borrowings	IV	42356,68,51,125	30672,87,29,963
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	V	6909,47,34,117	6833,05,66,558
आस्थगित कर देयता /Deferred Tax Liability		41,94,00,171	122,68,70,161
योग /Total		**76478,47,47,634**	**60855,04,15,122**
आस्तियां /ASSETS			
नकदी एवं बैंक अतिशेष / Cash and Bank Balances	VI	1184,51,19,392	1028,53,89,874
निवेश / Investments	VII	7435,86,27,861	2929,58,50,035
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	VIII	65632,09,75,865	55342,59,38,200
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	IX	210,35,58,554	206,10,01,920
अन्य आस्तियां / Other Assets	X	2015,64,65,962	1348,22,35,093
योग /Total		**76478,47,47,634**	**60855,04,15,122**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	XI	10410,76,98,369	764076,79,911
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	XV		
लेखा टिप्पणियां / Notes to Accounts	XVI		

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी U.J. Lalwani	मनोज मित्तल Manoj Mittal	अजय कुमार कपूर Ajay Kumar Kapur	क्षत्रपति शिवाजी Kshatrapati Shivaji
मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager (निगमित लेखा वर्टिकल) (Corporate Accounts Vertical)	उप प्रबंध निदेशक Deputy Managing Director	उप प्रबंध निदेशक Deputy Managing Director	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता
Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹)

आय / INCOME	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
ब्याज एवं बट्टा / Interest and Discount	XII	5541,82,40,051	5497,05,62,165
अन्य आय / Other Income	XIII	242,78,39,244	244,40,64,201
योग / Total		**5784,60,79,295**	**5741,46,26,366**
व्यय / EXPENDITURE			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार / Interest & Financial charges		3502,07,84,082	3373,72,34,139
परिचालन व्यय / Operating Expenses	XIV	420,91,06,193	449,51,48,008
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		225,14,67,832	(197,01,25,162)
योग / Total		**4148,13,58,107**	**3626,22,56,985**
कर-पूर्व लाभ / **Profit before Tax**		**1636,47,21,188**	**2115,23,69,381**
आयकर के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी सं. 26) Provision for Income Tax (Refer note no. 26)		539,75,26,557	511,38,00,017
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता] Deferred Tax Adjustment [(Asset) / Liability]		(80,74,69,989)	186,72,66,607
कर-पश्चात लाभ / Profit after Tax		**1177,46,64,620**	**1417,13,02,757**
अग्रानीत लाभ / Profit brought forward		39,73,69,861	35,92,46,808
कुल लाभ/(हानि) / Total Profit / (Loss)		**1217,20,34,481**	**1453,05,49,565**
विनियोजन / Appropriations			
सामान्य आरक्षिति में अन्तरण / Transfer to General Reserve		966,00,00,000	1190,00,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षिति में अन्तरण Transfer to Special reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act, 1961		80,00,00,000	80,00,00,000

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता
Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹)

विनियोजन / Appropriation	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अन्य / Others			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अन्तरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		15,78,97,722	5,91,56,175
स्टाफ कल्याण निधि में अन्तरण / Transfer to Staff Welfare Fund		1,00,00,000	2,00,00,000
शेयरों पर लाभांश / Dividend on Shares		94,68,10,409	1,12,50,00,000
लाभांश पर कर / Tax on Dividend		19,27,48,322	22,90,23,529
अग्रानीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष Surplus in Profit & Loss account carried forward		40,45,78,028	39,73,69,861
योग / Total		**1217,20,34,481**	**1453,05,49,565**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन / Basic/diluted Earning Per share		24.87	31.49

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies — XV

लेखा टिप्पणियां / Notes to Accounts — XVI

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी
U.J. Lalwani
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager
(निगमित लेखा वर्टिकल)
(Corporate Accounts Vertical)

मनोज मित्तल
Manoj Mittal
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

अजय कुमार कपूर
Ajay Kumar Kapur
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

क्षत्रपति शिवाजी
Kshatrapati Shivaji
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE I		
पूंजी / Capital		
(क) प्राधिकृत पूंजी / (a) Authorized Capital		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर) - Equity Share Capital (75,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	750,00,00,000	750,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर) - Preference Share Capital (25,00,00,000 Redeemable Preference Shares of ₹10/- each)	250,00,00,000	250,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी / (b) Issued, Subscribed and Paid-up Capital :		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 45,69,82,250 ईक्विटी शेयर) - Equity Share Capital (48,69,82,250 Equity Shares of ₹10/- each)	486,98,22,500	450,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी / Preference Share Capital	–	–
योग / Total	**486,98,22,500**	**450,00,00,000**
अनुसूची / SCHEDULE II		
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds		
क) आरक्षितियां / A) Reserves		
i) सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	7628,31,73,555	6438,31,73,555
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	966,00,00,000	1190,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष /Closing Balance	**8594,31,73,555**	**7628,31,73,555**
ii) शेयर प्रीमियम / **Share Premium**		
- अथ शेष / Opening Balance	–	–
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	**713,01,77,500**	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**713,01,77,500**	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
iii) विशेष आरक्षितियां / Specific Reserves		
क) निवेश आरक्षिति / a) Investment Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	55,19,63,645	55,19,63,645
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	–	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष /Closing Balance	**55,19,63,645**	**55,19,63,645**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) of The Income Tax Act, 1961		
- अथ शेष / Opening Balance	1277,00,00,000	1197,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	80,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष /Closing Balance	**1357,00,00,000**	**1277,00,00,000**
ग) अन्य आरक्षितियाँ / c) Other Reserves		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति /Investment Fluctuation Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	**52,56,48,130**	46,64,91,955
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	15,78,97,722	5,91,56,175
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year		
- इति शेष /Closing Balance	**68,35,45,852**	**52,56,48,130**
(ख) लाभ - हानि खाते में अधिशेष / B) Surplus in Profit and Loss account	**40,45,78,028**	**39,73,69,861**
(ग) निधियाँ / C) Funds		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि / a) National Equity Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	254,08,68,273	247,11,20,023
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions / Write back during the year	1,31,93,218	6,97,48,250
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year		
- इति शेष /Closing Balance	**255,40,61,491**	**254,08,68,273**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
ख) स्टाफ कल्याण निधि / b) Staff Welfare Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	22,70,56,982	22,07,97,120
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	3,36,40,020	2,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	1,54,85,257	1,37,40,138
- इति शेष /Closing Balance	**24,52,11,745**	**22,70,56,982**
ग) अन्य / c) Others	–	–
योग / Total	**11108,27,11,816**	**9329,60,80,446**
अनुसूची / SCHEDULE III		
जमा / Deposits		
क) सावधि जमा / A) Fixed Deposits	**8,25,12,27,905**	**1157,69,17,994**
ख) बैंकों से / B) From Banks		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत / a) Under MSME Refinance Fund	10000,00,00,000	10289,12,50,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत / b) Under MSME Risk Capital Fund	1750,00,00,000	1500,00,00,000
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से / c) Others -From Foreign & Private Sector Banks	–	–
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत d) Under MSME India Aspiration Fund	500,00,00,000	500,00,00,000
ङ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत e) Under Fund for Venture Capital in MSME sector 2014-15	2500,00,00,000	–
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**14750,00,00,000**	**12289,12,50,000**
योग / Total	**15575,12,27,905**	**13446,81,67,994**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE IV		
उधारियां / Borrowings		
I) भारत में उधारियां / Borrowings in India		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से / From Reserve Bank of India	–	–
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित) / From Government of India (including Bonds subscribed by GOI)	2356,12,00,839	3084,04,85,859
3. बॉण्ड एवं डिबेंचर / Bonds & Debentures	13077,60,00,000	10443,60,00,000
4. अन्य स्रोतों से / From Other Sources		
- वाणिज्यिक पत्र / Commercial Paper	9090,00,00,000	6625,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र / Certificate of Deposits	3081,00,00,000	–
- बैंकों से सावधि ऋण / Term Loans from Banks	760,73,58,503	887,79,89,157
- सावधि मुद्रा उधारियाँ / Term Money Borrowings	–	–
- अन्य / Others	2149,42,56,515	398,77,06,490
उप-योग / Subtotal (I)	**30514,88,15,857**	**21439,21,81,506**
II) भारत से बाहर उधारियाँ / Borrowings outside India		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी / (a) KFW, Germany	1714,36,44,616	1207,58,56,266
(ख) जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका) / (b) Japan International Cooperation Agency (JICA)	4832,53,51,698	4264,85,08,020
(ग) आईएफएडी, रोम / (c) IFAD, Rome	131,44,98,429	128,75,19,696
(घ) विश्व बैंक / (d) World Bank	4661,92,78,563	3160,27,74,690
(ड) अन्य /(e) Others	501,52,61,962	472,18,89,785
उप-योग / Subtotal (II)	**11841,80,35,268**	**9233,65,48,457**
योग / Total (I & II)	**42356,68,51,125**	**30672,87,29,963**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE V		
अन्य देयताएं व प्रावधान / Other Liabilities and Provisions:		
उपचित ब्याज / Interest Accrued	264,94,67,742	301,45,42,566
अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	4813,03,00,358	4637,67,58,975
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान / Provisions for Exchange Rate Fluctuation	1398,70,64,311	1443,14,85,860
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान / Contingent provisions against standard assets	318,83,42,975	315,37,55,628
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) / Proposed Dividend (including tax on dividend)	113,95,58,731	135,40,23,529
योग / Total	**6909,47,34,117**	**6833,05,66,558**
आस्तियाँ / ASSETS		
अनुसूची / SCHEDULE VI		
नकदी और बैंक अतिशेष / Cash & Bank Balances		
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash in Hand & Balances with Reserve Bank of India	6,68,296	6,89,676
2. अन्य बैंकों में अतिशेष / Balances with Other Banks	–	–
(क) भारत में / (a) In India		
i) चालू खातों में /in current accounts	27,86,42,690	17,93,80,001
ii) अन्य निक्षेप खातों में /in other deposit accounts	307,91,98,866	103,92,63,837
(ख) भारत के बाहर / (b) Outside India		
i) चालू खातों में /in current accounts	20,48,368	21,61,73,877
ii) अन्य निक्षेप खातों में /in other deposit accounts	848,45,61,172	884,98,82,483
योग / Total	**1184,51,19,392**	**1028,53,89,874**
अनुसूची / SCHEDULE VII		
निवेश / Investments [प्रावधानों को घटाकर / net of provisions]		
क) राजकोषीय परिचालन / A) Treasury operations		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ / Securities of Central and State Governments	685,91,44,458	917,02,67,985

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

आस्तियाँ / ASSETS	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	23,95,12,137	23,95,12,137
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स / Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	2359,82,58,840	531,10,90,288
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स / Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	248,80,48,275	247,81,38,842
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना / Short Term Bills Rediscounting Scheme	–	–
6. अन्य / Others	2505,70,59,819	325,00,00,000
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**5824,20,23,529**	**2044,90,09,252**
ख) व्यवसाय परिचालन / B) Business Operations		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	61,12,61,440	60,92,61,440
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स / Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	26,77,312	26,77,312
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	369,79,19,478	502,26,43,504
4. सहायक संगठनों में निवेश / Investment in Subsidiaries	751,04,98,740	1,09,98,740
5. अन्य / Others	429,42,47,362	320,12,59,787
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**1611,66,04,332**	**884,68,40,783**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**7435,86,27,861**	**2929,58,50,035**
अनुसूची / SCHEDULE VIII		
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances [प्रावधान के बाद / Net of Provisions]		
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त / A) Refinance to		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ / Banks and Financial Institutions	46543,90,87,880	38098,83,05,725
- अल्प वित्त संस्थाएँ / Micro Finance Institutions	2013,25,42,707	1602,98,74,150
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ / NBFC	5677,54,89,100	4054,29,66,100
- बिलों की पुनर्भुनाई / Bills Rediscounted	–	–
- अन्य (संसाधन सहायता) / Others (Resource Support)	–	–
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**54234,71,19,687**	**43756,11,45,975**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

आस्तियाँ / ASSETS	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
ख) प्रत्यक्ष ऋण / B) Direct Loans		
- ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	9884,06,90,456	9501,86,05,887
- प्राप्य वित्त योजना / Receivable Finance Scheme	1512,59,23,439	2082,89,98,468
- भुनाए गए बिल / Bills Discounted	72,42,283	1,71,87,870
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**11397,38,56,178**	**11586,47,92,225**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**65632,09,75,865**	**55342,59,38,200**
अनुसूची / SCHEDULE IX		
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets **[मूल्यह्रास घटाकर / Net of Depreciation]**		
1. परिसर / Premises	208,64,41,066	204,62,60,684
2. अन्य / Others	1,71,17,488	1,47,41,236
योग / Total	**210,35,58,554**	**206,10,01,920**
अनुसूची / SCHEDULE X		
अन्य आस्तियां / Other Assets:		
उपचित ब्याज / Accrued Interest	948,51,65,690	674,53,99,425
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद) / Advance Tax (Net of provision)	237,90,50,566	193,41,63,275
अन्य / Others	418,49,97,978	156,05,16,130
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है / Expenditure to the extent not written off	410,72,51,728	324,21,56,263
योग / Total	**2015,64,65,962**	**1348,22,35,093**
अनुसूची / SCHEDULE XI		
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES		
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	245,79,68,602	212,99,95,882
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप On account of Guarantees / Letters of Credit	128,47,53,531	134,78,28,441

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

आस्तियाँ / ASSETS	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप On account of Forward Contracts	2145,38,16,573	26,40,40,369
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप On account of Underwriting Commitments	–	–
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures	–	–
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है Other items for which the Bank is contingently liable (derivative contracts etc.)	7891,11,59,663	7266,58,15,219
योग / Total	**10410,76,98,369**	**7640,76,79,911**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ -हानि खाते की अनुसूचियाँ / Schedules to Profit & Loss Account for the year ended as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE XII		
ब्याज और बट्टा / Interest and Discount		
1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा / Interest and Discount on Loans, Advances and Bills	5128,83,28,400	5157,85,57,270
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय / Income on Investments / Bank balances	412,99,11,651	339,20,04,895
योग / Total	**5541,82,40,051**	**5497,05,62,165**
अनुसूची / SCHEDULE XIII		
अन्य आय / Other Income:		
1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क / Upfront and Processing Fees	32,88,79,724	31,29,45,422
2. कमीशन और दलाली / Commission and Brokerage	2,32,35,996	2,48,91,574
3. निवेशों की बिक्री से लाभ / Profit on sale of Investments	127,72,09,428	159,19,75,700
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries / Associates	3,74,97,750	3,74,97,750
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान / Provision of Earlier Years written Back	–	–
6. अन्य (संदर्भ : टिप्पणी सं. 18) / Others (Refer note no.18)	76,10,16,346	47,67,53,755
योग / Total	**242,78,39,244**	**244,40,64,201**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ -हानि खाते की अनुसूचियाँ /
Schedules to Profit & Loss Account for the year ended as at March 31, 2016

(₹)

व्यय / EXPENDITURE	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE XIV		
परिचालन व्यय / Operating Expenses:		
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान / Payments to and provisions for employees	2,81,14,72,022	3,21,64,08,021
किराया, कर और बिजली / Rent, Taxes and Lighting	20,30,00,481	19,40,75,820
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री / Printing & Stationery	1,03,73,383	80,76,678
विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	4,20,17,486	3,51,34,259
बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास /परिशोधन / Depreciation / Amortisation on Bank's Property	14,03,49,020	13,55,74,500
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय / Directors' fees allowances and expenses	78,31,739	52,15,034
लेखापरीक्षकों की फीस / Auditor's Fees	82,81,009	59,65,360
विधि प्रभार / Law Charges	1,70,66,086	1,68,29,194
डाक, कुरियर, दूरभाष, आदि / Postage, Courier, Telephones etc.	29,65,358	30,93,964
मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	9,54,25,280	9,21,18,469
बीमा / Insurance	50,56,312	47,74,952
सीजीटीएमएसई को अंशदान /Contribution to CGTMSE	17,74,75,000	18,74,75,000
अन्य व्यय / Other Expenditure	68,77,93,017	59,04,06,757
योग / Total	**4,20,91,06,193**	**4,49,51,48,008**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

अनुसूची XV
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियाँ और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

SCHEDULE XV - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 and regulations thereof, prudential norms prescribed by Reserve Bank of India, applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and practices prevailing in the Banking Industry. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. Except otherwise mentioned, the accounting policies that are applied by the Bank, are consistent with those used in the previous year.

Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in accordance with the requirements of the respective accounting standard.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

2. राजस्व निर्धारण

1) आय

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा जमा प्रमाणपत्र तथा वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में प्राप्त बट्टा राशि को लिखतों की मीयाद के अनुसार संविभाजित कर दिया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया हैः

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

2. REVENUE RECOGNITION

A) INCOME

i. Interest income including penal interest is accounted for on accrual basis, except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization.

ii. Income in the Profit and Loss Account is shown gross i.e. before provisions as per RBI guidelines and other provisions as per Bank's internal policy.

iii. Discount received in respect of bills discounted / rediscounted and on discounted instruments is recognised over the period of usance of the instruments.

iv. Commitment charges, service charges on seed capital / soft loan assistance and royalty income are accounted for on accrual basis in respect of standard (performing) assets.

v. Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognized as income when realized.

vi. Income from Venture Capital funds are accounted on realization basis.

vii. Recovery in non-performing assets (NPA) is to be appropriated in the following order :

(a) overdue interest upto the date of NPA,

(b) principal,

(c) cost & charges,

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दण्डात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. निवेश को बिक्री में लाभ या हानिः किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री में लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

2) व्यय

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया हैः

(d) interest and

(e) penal interest.

viii. Gain/loss on sale of loans and advances through direct assignment is recognized in line with the extant RBI guidelines.

ix. Profit or loss on sale of investment: Profit or loss on sale of investments in any category is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments under "Held to Maturity" category an equivalent amount is appropriated to Capital Reserves.

B) EXPENDITURE

i. All expenditure are accounted for on accrual basis except Development Expenditure which is accounted for on cash basis.

ii. Discount on Bonds and Commercial papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.

3. INVESTMENTS

(i) In terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India, the entire investment portfolio is categorized as "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading". Investments are valued in accordance with RBI guidelines. The investments under each category are further classified as:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) हेतु प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है।

a) Government Securities,

b) Other approved securities,

c) Shares,

d) Debentures & Bonds,

e) Subsidiaries/ joint ventures and

f) Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Certificate of Deposits etc.)

(a) Held to Maturity

Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized under Held to Maturity. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments under this category is provided for each investment individually.

(b) Held for Trading

Investments acquired for resale within 90 days with the intention to take advantage of the short-term price/ interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued scrip-wise and net appreciation /depreciation is recognized in the profit & loss account, with corresponding change in the book value of the individual scrips.

ग) **बिक्री हेतु उपलब्ध**

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii. निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

iii. जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

iv. निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

v. अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

vi. ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

vii. बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(c) **Available for Sale**

Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrip under this category is revalued and net depreciation under any of the classification mentioned above is recognized in the profit & loss account. Net appreciation under any classification is ignored. The book value of individual scrip is not changed after the revaluation.

ii Recording purchase and sale transactions in Investments is done following 'Settlement Date' accounting.

iii The debentures / bonds / shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms applicable to loans & advances.

iv Cost of investments is determined on the weighted average cost method.

v Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition/ sale are recognized in the profit & loss account.

vi Broken period interest paid / received on debt investment is treated as interest expenses / income and is excluded from cost / sale consideration.

vii In respect of unquoted investments in industrial concerns under Seed Capital Scheme, full provision has been made.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एसएस)-11 के अनुसार किया गया है।

1. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।
2. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।
3. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।
4. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

5. व्युत्पन्नी

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय

4. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies. Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS)-11 issued by Institute of Chartered Accountants of India, as per following provisions;

1. Foreign currency Assets and Liabilities are translated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI') as at the Balance sheet date.
2. Foreign currency Income and Expenditure items are translated at monthly intervals through actual sale/ purchase and recognized in the profit and loss account accordingly.
3. The revaluation difference on foreign currency LoC is adjusted and recorded in a special account opened and maintained, in consultation with GOI for managing exchange risk.
4. The Bank follows hedge accounting in respect of foreign exchange contracts and derivative transactions as per RBI guidelines.

5. DERIVATIVES

The Bank presently deals in currency derivatives viz., Cross Currency Interest Rate swaps for hedging its foreign currency liabilities. Based on RBI guidelines, the above derivatives undertaken for hedging purposes are accounted on an accrual basis.

आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण और अग्रिम

1. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
2. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।
3. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।
4. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

Contingent Liabilities on account of derivative contracts at contracted rupee amount are reported on the Balance Sheet date.

6. LOANS AND ADVANCES

1. Assets representing loan and other assistance portfolios are classified as performing and non-performing based on the RBI guidelines. Provision for non-performing assets is made in accordance with the RBI guidelines.
2. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for non-performing advances, and restructured assets.
3. General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.
4. Floating provision is made and utilized as per RBI guidelines.

7. TAXATION

(i) Tax expense comprises both current tax and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with Income Tax Act,1961.

(ii) Deferred income taxes reflects the impact of the current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iii) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Unrecognized deferred assets of earlier years are re-assessed and recognized to the extent that it has become reasonably certain that future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

8. प्रतिभूतीकरण

बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई

8. SECURITISATION

The Bank purchases credit rated Micro, Small and Medium Enterprises Asset pools from Banks / Non Banking Finance Companies by way of pass- through certificates issued by the Special Purpose Vehicle. Such securitisation transactions are classified as Investments under Held for Trading / Available for Sale category depending upon the investment objective.

The Bank purchases credit rated pool of Micro, Small and Medium Enterprises assets under bilateral direct assignment. Such direct assignment transactions are accounted for as 'advances' by the Bank.

The Bank enters into sale of Loans & Advances through direct assignment. In most of the cases, the Bank continues to service the Loans & Advances sold under these transactions and is entitled to the Residual interest on the Loans & Advances sold. Assets sold under direct assignment are derecognized in the books of the Bank based on the principle of surrender of

आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है। बैंक वचन-पत्र के रूप में भी ऋण प्रदान करता है।

बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ,

control over the assets. The Bank also provides credit enhancement in the form of letter of commitment.

The residual income on the Loans & Advances sold is being recognised over the life of the underlying Loans & Advances.

9. SALE OF FINANCIAL ASSETS TO ASSET RECONSTRUCTION COMPANIES (ARCs)

(i) The sale of NPAs is on cash basis or investment in Security Receipt (SR) basis. In case of sale on SR basis, the sale consideration or part thereof is treated as investment in the form of SRs.

(ii) The assets if sold at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss A/c. In case the sale value is higher than NBV, the excess provision held can be reversed to profit and loss account in the year the amounts are received. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

10. PROVISIONING FOR STAFF BENEFITS

A] Post retirement benefits

(i) Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account.

(ii) Gratuity liability and Pension liability are defined benefit obligations and other long term employee benefits like

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(iv) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज़ किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

(v) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

क) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

compensated absences, post retirement medical benefits, leave fare concession etc. are provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance sheet date using the projected unit credit method as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits.

(iii) New Pension Scheme is a defined contribution scheme and is applicable to employees who have joined bank on or after Dec 1, 2011. Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss Account.

(iv) Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

(v) Payments made under the Voluntary Retirement Scheme are charged to the Profit & Loss account in the year of expenses incurred.

B] Benefits (Short – term) while in service

Liability on account of Short term benefits are determined on an undiscounted basis and recognised over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

11. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

ख) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

(i) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

(iii) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

(iv) विद्युत संस्थापनाएंः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

(v) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

ग) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/ निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

घ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

एएस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत करता है और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है

b) Depreciation for the full year, irrespective of date of capitalization, is provided on :

(i) Furniture and fixture : For assets owned by Bank @ 100 percent

(ii) Computer and Computer Software @ 100 percent

(iii) Building @ 5 percent on WDV basis

(iv) Electrical Installations: For assets owned by Bank @ 50 percent on WDV basis.

(v) Motor Car - Straight Line Method @ 50 percent.

c) Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale/disposal.

d) Leasehold land is amortised over the period of lease.

12. PROVISION FOR CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS.

In accordance with AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions involving substantial degree of estimation in measurement when it has a present obligation as a result of past event, it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक हुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

1) क्षति-हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

2) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

and are disclosed in the balance sheet and details given by way of Schedule to the Balance Sheet. Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

13. GRANTS AND SUBSIDIES

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted as per the terms and conditions of the agreement.

14. OPERATING LEASE

Lease rentals are recognized as an expense/ income in the Profit and Loss Account as they become due for payments.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date, if there is any indication of impairment based on internal/external factors, to recognize,

a) the provision for impairment loss, if any required; or

b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

16. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents for the purpose of cash flow statement include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and investment in Mutual fund with an original maturity of three months or less.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

		31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE XVI - लेखा की टिप्पणियां / NOTES TO ACCOUNTS			
1	**अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं :** **'Bonds and Debentures' under Borrowings in schedule IV includes the following :**		
	क) प्रतिभूतिरहित बॉण्ड / a) Unsecured Bonds	13077,60,00,000	10443,60,00,000
2	**अनुसूची V में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत 'अन्य' में निम्नलिखित शामिल हैं :** **'Others' under Other Liabilities and Provisions in schedule V include the following :**		
	क) सिडबी अक्षमता सहायता निधि / a) SIDBI Disability Assistance Fund	56,000	2,54,07,762
	ख) सिडबा स्वास्थ्य सहायता योजना b) SIDBI Medical Assistance Scheme	19,87,99,999	19,61,99,634
3	**अनुसूची X में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं :** **'Expenditure to the extent not written off' under Other Assets in schedule X includes the following:**		
	क) आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम a) Premium on transfer of RBI NIC(LTO) to GoI Bonds	25,38,80,166	45,23,25,904
	ख) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - जमा पत्र b) Discount paid in Advance Certificate of Deposit	218,76,87,171	–
	ग) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र c) Discount paid in Advance - Commercial Paper	163,84,72,553	275,30,66,324
	घ) अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय d) Expenditure on Issuance of Unsecured Bonds	2,72,11,839	3,67,64,035
4	**ब्याज व वित्तीय प्रभार / Interest and Financial Charges**		
	क) उधारियों पर ब्याज / a) Interest on Borrowings	1919,20,07,158	1885,99,73,478
	ख) जमा पर ब्याज / b) Interest on Deposits	1017,89,40,323	974,69,49,906
	ग) वित्तीय प्रभार / c) Financial Charges	564,98,36,601	513,03,10,755
	योग / Total	**3502,07,84,082**	**3373,72,34,139**
5	अप्रावधानित पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account not provided for (net of advance paid)	2,61,30,118	1,62,64,651

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

6	परिसर में परिसर अभिग्रहण से संबंधित अग्रिम राशियां ₹12,34,099 (पिछले वर्ष - ₹9,21,17,099) एवं प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य से संबंधित ₹86,61,549 (पिछले वर्ष - ₹83,76,726) शामिल हैं। Premises include advances towards acquisition of Premises ₹12,34,099 (Previous Year - ₹9,21,17,099) and Capital Work in Progress ₹86,61,549 (Previous Year - ₹83,76,726).
7	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन -जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत (31 मार्च 2016 तक 14.63 बिलियन जापानी येन) प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण मूलधन खाते में आए ₹399,25,28,223 के अंतर (पिछले वर्ष - ₹328,82,93,718) को भारत सरकार की अनुमति के स्वरूप विनिमय दर उतार-चढ़ाव निधि में समायोजित किया गया है। यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा । यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है, तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा । In respect of foreign currency borrowings of JPY 30 billion (JPY 14.63 billion as on March 31, 2016) under Line V from Japan International Cooperation Agency (JICA) (previously known as Japan Bank of International Cooperation-JBIC), Exchange Rate Fluctuation Fund (ERFF) has been created as per terms agreed with Government of India (GOI) and included in Foreign Currency Fluctuation Reserve Fund. The difference on account of exchange fluctuation arising on principal account amounting to ₹399,25,28,223 (Previous Year - ₹328,82,93,718) has been netted off against ERFF as permitted by the Government of India. Adjustment to the Fund Account, if necessary, will be made as per directions of Government of India in future. If the balance in the Fund is insufficient, the claim will be on Government of India.
8	जेबीआईसी ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹348,87,11,064 (पिछले वर्ष - ₹392,47,99,946) की उधारी को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV - उधारियाँ' में अपने ऐतिहासिक रुपए मूल्य में अग्रेनीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2016 को शेष ₹319,50,28,876(पिछले वर्ष - ₹343,87,54,657) है। The borrowing of ₹348,87,11,064 (Previous Year - ₹392,47,99,946) from Govt. of India under the JICA IV loan is carried forward in the 'schedule IV - Borrowings' to the Balance Sheet at its historic rupee value since SIDBI's liability towards principal repayment under the agreement, is not expected to exceed the aggregate of rupee borrowings and the balance in the ERFF maintained for this loan. The balance as on March 31, 2016 in ERFF maintained for this loan is ₹319,50,28,876 (Previous Year - ₹343,87,54,657).
9	अनुसूची XIII में दी गई आय - वित्त वर्ष 2015- 16 हेतु "अन्य आय" में पूर्व अवधि की आय ₹(49,07,708) [पिछले वर्ष - ₹4,70,78,493)] शामिल है तथा अनुसूची XIV के अन्य व्यय वित्त वर्ष 2016 हेतु परिचालनगत व्ययों में पूर्व अवधि की व्यय राशि ₹1,80,56,736 [पिछले वर्ष - ₹72,20,600] शामिल है। Income in schedule XIII - 'other income' for FY 2015-16 includes Prior Period Income of (₹49,07,708) [Previous Year (₹4,70,78,493)] and Other expenditure in schedule XIV - 'Operating Expenses' for FY 2016 includes Prior Period Expenditure of (₹1,80,56,736) [Previous Year (₹72,20,600)].
10	बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की । यह टिकाऊ और उत्तरदायित्वपूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के तुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया फंड जारी किया, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो । तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक 88.20 मिलियन अमेरिकी डालर (₹584.45 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष 82.98 मिलियन अमेरिकी डालर (₹518.77 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्वारा विदेशी मुद्रा वायदा करार के जरिए किया जा रहा है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियां' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

	The Bank has contracted a line of credit for USD 300 million from World Bank for scaling up Sustainable and Responsible Micro Finance Project including IDA portion aggregating SDR 65.9 million (equivalent of USD 100 million). Under IDA line, Govt. of India is the borrower and rupee funds are lent to SIDBI by GOI though the exchange risk on the underlying is required to be borne by SIDBI as per the terms of the agreement. Thus, though GOI released rupee funds to SIDBI the same was recorded as SDR liability in the books of SIDBI to depict correct position so that revaluation difference gets suitably reflected in the year end figures. Accordingly the drawal effected under the above line aggregating USD 88.20 million (equivalent to ₹584.45 cr.) as on March 31, 2016 [Previous Year USD 82.98 million (equivalent to ₹518.77 cr.)] from GOI is recorded as SDR liability and the underlying has been hedged by way of Foreign Exchange Forward Contract. The same has been grouped under schedule IV - 'Borrowings in India'.
11	भारत सरकार ने सिडबी में ₹300 करोड़ की समूह निधि वाली "इंडिया माइक्रोफाइनान्स इक्विटी निधि" सृजित की है। इस निधि का उपयोग सामाजिक रुझान वाली छोटी माइक्रोफाइनान्स कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टियर - II तथा टियर - III की उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं तथा गैर-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं को ईक्विटी सहायता अथवा किसी अन्य रूप में पूँजी प्रदान करते हुए किया जाएगा, जिनका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा देश के असेवित और अल्पसेवित भागों में परिचालनों का दीर्घावधि टिकाऊपन हासिल करना है। इस निधि का परिचालन/प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है, जिस हेतु सिडबी को एक प्रशासनिक शुल्क प्राप्त होता है। साथ ही, आगम व निर्गम राशियों को फंड को डेबिट/क्रेडिट किया जाता है। अतः, निवेश को हटाकर आईएमईएफ फंड का शेष, तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31मार्च 2016 तक निधि में अथशेष ₹187,16,01,094 करोड़ (पिछले वर्ष ₹191,73,32,174 करोड़) रहा। Government of India (GOI) has created "India Microfinance Equity Fund" with SIDBI with a corpus of ₹300 crore. The Fund shall be utilised for extending equity or any other form of capital to Tier – II and Tier – III NBFC MFIs and all Non-NBFC MFIs, with a focus on smaller socially oriented MFIs with the objective of poverty alleviation and achieving long term sustainability of operations in unserved and underserved parts of the country." The fund is operated/managed by SIDBI for which an administrative fee for managing the fund is received by SIDBI. Further, the inflows and outflows are debited/credited to the fund. Hence, fund balance of IMEF, net of investment is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet and all gains/losses/income/expenditure are the part of the fund. The balance in the fund is ₹187,16,01,094 as on March 31 2016 (Previous year ₹191,73,32,174).
12	एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹60 करोड़ की आकंक्षा निधि का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित स्टार्ट-अप/ नये उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में आगे-पीछे वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। चूंकि ये निवेश सिडबी द्वारा न्यासी हैसियत से किये गए हैं अतः इसे तुलनपत्र में अन्य देयताओं के संवर्ग में समूहित किया गया है। ASPIRE Fund is a ₹60 Crore Fund of Funds, allocated by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India, to be managed by SIDBI. The Fund would be utilized to make investment in Venture Capital Funds targeting Start Ups/ early stage enterprises promoting Innovation, Entrepreneurship, Forward Backward linkage with multiple value chain of manufacturing and service delivery, Accelerator support, etc. in the Agro based Industry verticals to galvanize the rural economy. As these investments are held by SIDBI in fiduciary capacity it is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet.
13	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स की ईक्विटी में सहायता के लिए निधियों की निधि योजना बनायी है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। सरकार ने उक्त प्रस्तावित कार्पस निधि से ₹500 करोड़ सिडबी को दिए हैं। चूंकि ये निवेश सिडबी द्वारा न्यासी हैसियत से किये गए हैं अतः इसे तुलनपत्र में अन्य देयताओं के संवर्ग में समूहित किया गया है। The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has formulated a Scheme for Fund of Funds for Startups (FFS) with the principal objective of enhancing the equity availability to Startups. Under the Scheme, an amount of ₹10,000 Crore has been proposed as FFS to be managed by SIDBI. The Government has since released an amount of ₹500 Crore out of the corpus of FFS to SIDBI. As these investments are held by SIDBI in fiduciary capacity it is grouped under "Other Liabilities" in the Balance Sheet.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

14	भारत सरकार के 23 जून 2015 के पत्र के अनुसार 14 अगस्त 2015 को भारत सरकार के टियर I के ₹750 करोड़ के बांडों को ₹202.80 प्रति शेयर के बही मूल्य पर परिवर्तित कर, बैंक के 36,982,250 ईक्विटी शेयरों को सरकार के पक्ष में परिवर्तित किया गया । तदनुसार बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर ₹486,98,22,500 हो गयी। अंकित मूल्य और बही मूल्य के अंतर को ₹713,01,77,500 शेयर प्रीमियम (आरक्षिती) खाते में जमा किया गया। In terms of GoI letter dated June 23, 2015, the GoI Tier-I Bonds aggregating ₹750 crore were converted into equity at book value of ₹202.80 per share by allotting 36,982,250 equity shares of the Bank to the Govt. of India on August 14, 2015. Accordingly, the paid –up share capital of the Bank has increased to ₹486,98,22,500 crore.The difference between the Face Value and book value aggregating to ₹713,01,77,500 has been credited to Share Premium (Reserve) Account.
15	भारत सरकार ने सिडबी की इक्विटी पूंजी में ₹100 करोड़ संवितरित किये। भारत सरकार के 10 मई 2016 के पत्र द्वारा परामर्श दिया गया कि सरकार के पक्ष में शेयर अंतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर ₹100 करोड़ मुद्रा की शेयर पूंजी में अंतरित करें. भारत सरकार को शेयरों के जारी होने की प्रकिया के लंबित होने तक तुलन पत्र में यह राशि "अन्य देयताओं" के तहत दर्शायी गयी है। GOI has disbursed ₹100 crore towards equity capital of SIDBI. GOI vide its letter dated May 10, 2016 has advised to initiate the process for issue of shares to GOI and transfer ₹100 crore to MUDRA Ltd towards its share capital. Pending issuance of shares to GOI, amount has been shown under "Other Liabilities" in the Balance Sheet.
16	बैंक ने कुल ₹642,82,00,000(बही मूल्य ₹640,75,02,234) [गत वर्ष ₹905,00,00,000 (बही मूल्य ₹898,57,35,777] की भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) हेतु क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखा है। साथ ही, बैंक ने आईडीबीआई बैंक के साथ कार्यशील पूँजी व्यवस्था के अंतर्गत अपने परिचालनों के लिए आईडीबीआई बैंक के पास सावधि जमा राशियां रखी हैं। The Bank has pledged Government Securities & Treasury Bills aggregating to face value ₹642,82,00,000 (book value ₹640,75,02,234) [Previous Year ₹905,00,00,000 (book value ₹898,57,35,777)] with Clearing Corporation of India Ltd. for Collataralised Borrowings and Lending Obligations (CBLO). The Bank has placed Fixed Deposits with IDBI Bank to cover its operations under Working Capital arrangement with IDBI Bank.
17	हेजिंग रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन निक्षेपों के प्रति भारतीय रुपये में ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है। इन उधारों के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को बकाया राशि ₹733,18,58,503 (गत वर्ष ₹797,79,89,157) थी । इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के उधारों पर देय ब्याज से मेल खाता है। As a part of hedging strategy, the Bank has placed foreign currency deposits with scheduled commercial banks out of the funds drawn under various lines of credit and have availed overdraft facility in INR against these foreign currency deposits. Outstanding balances under these overdraft facility aggregated to ₹733,18,58,503 as on March 31, 2016 (Previous Year ₹797,79,89,157). As on March 31, 2016, the interest receivable on these foreign currency deposits matches with the interest payable on borrowings under various lines of credit.
18	अन्य आय में शामिल हैं - विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹53,19,24,584 (गत वर्ष ₹32,80,44,756) Other income includes recoveries on account of advances written off in earlier years ₹53,19,24,584 (previous year ₹32,80,44,756).
19	कतिपय अधिकारी फ्लैटों के विक्रय विलेख विधिक मामले लंबित होने के कारण निष्पादित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च, 2016 को इन फ्लैटों का निवल मूल्यह्रासित मूल्य ₹8,28,35,519(गत वर्ष - ₹8,71,95,283) है। Conveyance deed in respect of certain Officer's Flats has not been executed due to pending legal matter, the net W.D.V. of these flats is ₹8,28,35,519 (Previous year - ₹8,71,95,283) as on March 31, 2016.
20	आईएफएडी ने, 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। IFAD had extended a foreign currency loan to SIDBI of SDR 16.35 million, vide loan agreement dated February 18, 2002. As per the terms of loan agreement, IFAD had disbursed loan in USD and it is to be repaid in USD equivalent to SDR. The Bank has accounted accordingly in the books of account.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

21 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

"कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (2005 में संशोधित) पर इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :
In accordance with the Accounting Standard on "Employee Benefits" (AS 15) (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank has classified the various benefits provided to the employees as under:

(क) (a) सुपरिभाषित अंशदान प्लान / Defined contribution plan

बैंक ने निम्नलिखित राशियों को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया है :
The Bank has recognized the following amounts in Profit & Loss Account:

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान Employer's contribution to Provident fund	4,37,26,850	4,49,61,077
नयी पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान Employer's contribution to New Pension Scheme	82,59,836	55,70,866

(ख) (b) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है।
The Bank is having defined benefit Pension Plans and Gratuity Scheme which are managed by the Trust.

₹ करोड़ / Crore

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015
1.	**पूर्वानुमान / Assumptions**				
	भुनाई दर / Discount Rate	7.76%	7.70%	7.96%	7.95%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की दर / Rate of Return on Plan Assets	7.76%	8.70%	7.96%	8.70%
	वेतन बढोतरी / Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
	भुनाई दर / Attrition rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका Table showing change in Benefit Obligation**				
	वर्ष के आरंभ में देयता / Liability at the beginning of the year	305.51	221.08	72.45	62.57
	ब्याज लागत / Interest Cost	23.52	20.54	5.76	5.83
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	12.23	8.73	4.62	4.02
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ) Past Service Cost (Non Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) / Past Service Cost (Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

₹ करोड़ / Crore

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015
	देयता अंतरण आगम / Liability Transferred in	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गम) / (Liability Transferred out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ) / (Benefit Paid)	(8.34)	(6.00)	(3.45)	(3.21)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain) / loss on obligations	11.35	61.16	(6.29)	3.24
	वर्ष के अंत में देयता / Liability at the end of the year	**344.27**	**305.51**	**73.09**	**72.45**
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं Tables of Fair value of Plan Assets**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	83.39	80.27	101.49	95.21
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	7.25	6.98	8.83	8.28
	अंशदान / Contributions	8.34	0.00	0.00	0.99
	अन्य कंपनी से अंतरण / Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरण) / (Transfer to other company)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ) / (Benefit Paid)	(8.34)	(2.43)	(3.46)	(3.21)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	(0.17)	(1.43)	(0.40)	0.21
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**90.47**	83.39	**106.46**	101.48
4.	**बीमांकिक लाभ (हानि) पहचान तालिका Table of Recognition of Actuarial Gains/ Losses**				
	अवधि के लिए दायित्व बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial (Gains)/ Losses on obligation for the period	11.35	61.16	(6.29)	3.24
	अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial (Gains)/ Losses on asset for the period	0.17	1.43	0.40	(0.21)
	आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial (Gains)/ Losses recognized in Income & Expense Statement	**11.52**	62.59	**(5.89)**	3.03

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

₹ करोड़ / Crore

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015
5.	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल** **Actual Return on Plan Assets**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	7.25	6.98	8.83	8.28
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets	(0.17)	(1.43)	(0.40)	0.21
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual Return on Plan Assets	**7.09**	5.55	**8.43**	8.49
6.	**तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि** **Amount Recognised in the Balance Sheet**				
	वर्ष के अंत में देयता / Liability at the end of the year	(344.27)	83.39	(73.09)	101.48
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the year	90.47	(305.51)	106.46	(72.45)
	अंतर / Difference	(253.80)	(222.12)	33.37	29.03
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित परिवर्ती देयता Unrecognised Transitional Liability at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि **Net Amount recognised in the Balance Sheet**	**(253.80)**	**(222.12)**	**33.37**	**29.03**
7.	**आय विवरणी में निर्धारित व्यय** **Expenses Recognised in the Income Statement**				
	चालू सेवा लागत / Current Service Cost	12.23	8.73	4.62	4.02
	ब्याज लागत / Interest Cost	16.27	20.54	(3.07)	5.83
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	0.00	(6.98)	(5.89)	(8.28)
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ) Past Service Cost (Non Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्ती देयता का निर्धारण Recognition of Transition Liability during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) /हानि / Actuarial (Gain) / Loss	11.52	62.59	0.00	3.03
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय **Expense Recognised in Profit & Loss account**	**40.02**	**84.87**	**(4.34)**	**4.60**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

₹ करोड़ / Crore

		पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
		वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015
8.	**तुलनपत्र समाधान / Balance Sheet Reconciliation**				
	आरंभिक निवल देयता / Opening Net Liability	222.12	140.82	**(29.03)**	(32.64)
	यथोक्त व्यय / Expense as above	40.02	84.87	(4.34)	4.60
	नियोक्ता का अंशदान / Employers' Contribution	(8.34)	(3.57)	0.00	(0.99)
	तुलनपत्र में निर्धारित राशि Amount recognised in the Balance Sheet	**253.80**	**222.12**	**(33.37)**	**(29.03)**
9.	**अन्य विवरण/ Other Details**				
	बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप होता है। Salary escalation is considered as advised by the Bank which is in line with the industry practice considering promotion, demand and supply of the employees.				
	अगले वर्ष (12 महीने) के लिए अनुमानित अंशदान Estimated Contribution for next year (12 months)	**22.33**	**20.68**	**0.00**	0.00
10.	**आस्तियों की श्रेणी / Category of Assets**				
	भारत सरकार आस्तियाँ / Government of India Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
	कारपोरेट बॉण्ड / Corporate Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर Equity Shares of Listed Companies	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपत्ति / Property	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां (भारतीय जीवन बीमा निगम) Insurer Managed Funds (LIC of India)	90.47	83.39	106.46	101.49
	अन्य / Other	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग / Total	**90.47**	**83.39**	**106.46**	**101.49**
11.	**अनुभव समायोजन / Experience Adjustment:**				

	योजनागत देयता (लाभ) / हानि पर On Plan Liability (Gain)/Loss	22.70	(0.90)	24.34	(2.72)	35.64	(6.20)	(0.56)	(3.72)	(0.11)	14.18
	योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर On Plan Asset (Loss)/Gain	(0.17)	(1.43)	0.32	0.70	5.78	(0.40)	0.21	0.62	0.65	(0.78)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

₹ करोड़ / Crore

(ग) (C) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ -हानि खाते में प्रभारित की गईं, इस प्रकार हैं
The following are the amount charged to Profit & Loss Account relating to other long term benefits plan based on the actuarial valuation provided by independent actuary.

क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 को As on March 31, 2016	31 मार्च, 2015 को As on March 31, 2015
1	साधारण अवकाश नकदीकरण / Ordinary Leave Encashment	4.79	10.51
2	छुट्टी किराया रियायत / Leave Fare Concession (LFC)	2.00	3.26
3	बीमारी अवकाश / Sick Leave	1.99	0.82
4	पुनर्वास व्यय / Resettlement Expenses	0.02	0.00
5	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना * Post Retirement Medical Scheme Facilities*	0.03	8.76

* अधिवास संबंधी दावों के 2% बढ़ने का अनुमान किया गया है।
* Domiciliary claim has been assumed to go up by 2%.

22. जैसा कि लेखांकन मानक-17 'खंड रिपोर्टिंग' के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने "व्यवसाय खंड" का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है, अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है। बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी- ये तीन रिपोर्टिंग खंड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए गए हैं। पिछले वर्ष के आँकडों को चालू वर्ष की पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

As required under Accounting Standard-17 'Segment Reporting' the Bank has disclosed "Business segment" as the Primary Segment. Since the Bank operates in India, there are no reportable geographical segments. Under Business Segment, the Bank has identified Direct Finance, Indirect Finance and Treasury as its three reporting segments. These segments have been identified after considering the nature and risk profile of the products and services, the organization structure and the internal reporting system of the Bank. Previous year's figures have been regrouped and reclassified to conform to the current year's methodology.

	कारोबारी खंड Business Segments	प्रत्यक्ष वित्त Direct Finance		अप्रत्यक्ष वित्त Indirect Finance		ट्रेजरी Treasury		योग / Total	
	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015
1	**खंड राजस्व Segment Revenue**	1,376	1,554	3,888	3,726	521	461	5,785	5,741
	असाधारण मदें Exceptional Items							-	
	योग / Total							**5,785**	**5,741**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

₹ करोड़ / Crore

	कारोबारी खंड Business Segments	प्रत्यक्ष वित्त Direct Finance		अप्रत्यक्ष वित्त Indirect Finance		ट्रेजरी Treasury		योग / Total	
	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015	वित्तीय वर्ष 2016 FY 2016	वित्तीय वर्ष 2015 FY 2015
2	**खंड परिणाम Segment Results**	75	363	1,474	1,716	204	144	1,753	2,223
	असाधारण मदें Exceptional Items								
	योग / Total							**1,753**	**2,223**
	अविनिधानीय खर्चे Unallocable Expenses							117	108
	परिचालनगत लाभ Operating profit							**1,636**	**2,115**
	आयकर (पुनरांकन के बाद) Income Tax (Net of write back)							459	698
	निवल लाभ / Net profit							**1,177**	**1,417**
3	**अन्य सूचनाएँ Other information**								
	खंड आस्तियाँ Segment Assets	11,490	11,623	55,987	45,631	7,727	1,820	75,204	59,074
	अविनिधानीय आस्तियाँ Unallocated Assets							1,274	1,781
	कुल आस्तियाँ / Total Assets							**76,478**	**60,855**
	खंड देयताएँ Segment Liabilities	8,475	8,459	49,274	40,303	5,835	1,345	63,584	50,107
	अविनिधानीय देयताएँ Unallocated Liabilities							1,299	968
	योग / Total							**64,883**	**51,075**
	पूँजी / आरक्षितियाँ Capital / Reserves	3,024	3,269	6,623	6,012	1,948	499	11,595	9,780
	योग / Total							**11,595**	**9,780**
	कुल देयताएँ / Total Liabilities							**76,478**	**60,855**
23	**संबंधित पार्टी संव्यवहार / Related party transactions** **'संबंधित पार्टी प्रकटन' के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्ष निम्नवत हैं -** **As per the Accounting Standard on "Related Party Disclosures" (AS-18) issued by Institute of Chartered Accountant of India, the related parties of the Bank are as follows.**								

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

क A	**सहायक संस्थाएं :** **Subsidiaries:**
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) / SIDBI Venture Capital Limited (SVCL)
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) / SIDBI Trustee Company Limited (STCL)
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लि.) Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA Ltd)
ख **B**	**सहयोगी संगठन** **Associates**
1	भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (आईएसएआरसी) लिमिटेड India SME Asset Reconstruction Company (ISARC) Ltd.
2	स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड (स्मेरा) / SMERA Ratings Ltd. (SMERA)
3	भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड (आईएसटीएसएल) / India SME Technology Services Ltd. (ISTSL)
4	रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) / Receivable Exchange of India Limited (RXIL)
ग **C**	**बैंक के मुख्य प्रबंध कार्मिक :** **Key Managerial Personnel of the Bank:**
1	डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman & Managing Director
2	श्री अजय कुमार कपूर, उप प्रबंध निदेशक , (22 जनवरी 2016) Shri Ajay Kumar Kapoor, Deputy Managing Director (w.e.f January 22, 2016)
3	श्री मनोज मित्तल, उप प्रबंध निदेशक , (22 जनवरी 2016) Shri Manoj Mittal, Deputy Managing Director (w.e.f January 22, 2016)
	उपरोक्त सूची में सरकार नियंत्रित उद्यम शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के परिच्छेद 9 द्वारा छूट प्राप्त हैं। The above list does not include State Controlled Enterprises since the same are exempted vide para 9 of Accounting Standard - 18 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
घ **D**	**संबद्ध पक्षों के लेनदेन से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण** **Disclosures of details pertaining to related party transactions :**
क) a)	वर्ष के दौरान बैंक के प्रमुख प्रबंधकर्मिकों को प्रदत्त सकल वेतन, जिसमें अनुलाभ भी शामिल हैं, निम्नवत हैं : The gross salary including perquisites paid to the Key Managerial Personnel of the Bank during the year is as under :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

क) a)	वर्ष के दौरान बैंक के प्रमुख प्रबंधकर्मिकों को प्रदत्त सकल वेतन, जिसमें अनुलाभ भी शामिल हैं, निम्नवत हैं : The gross salary including perquisites paid to the Key Managerial Personnel of the Bank during the year is as under :		
		वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014 -15 FY 2014 -15
1)	डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Dr. Kshatrapati Shivaji, Chairman & Managing Director	20,81,296	1,63,530
2)	श्री अजय कुमार कपूर, उप प्रबंध निदेशक, (22 जनवरी 2016) Shri Ajay Kumar Kapoor, Deputy Managing Director (w.e.f January 22, 2016)	2,92,472	–
3)	श्री मनोज मित्तल, उप प्रबंध निदेशक , (22 जनवरी 2016) Shri Manoj Mittal, Deputy Managing Director (w.e.f January 22, 2016)	4,27,342	–
ख) b)	उपर्युक्त व्यक्तियों को मंजूर ऋणों की 31 मार्च को बकाया राशियां Outstanding balances of loans as on March 31st in respect of above persons:	शून्य	शून्य
ग) c)	प्रमुख प्रबंधकार्मिकों को वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज Interest on loans granted to Key Managerial Personnel during the year:	शून्य	शून्य
घ) d)	बैंक के प्रमुख प्रबंधकार्मिकों के संबंध में यथा 31 मार्च को सावधि जमा के अंतर्गत बकाया शेष : Outstanding balances under Fixed Deposits as on March 31st in respect of Key Managerial Personnel of the Bank:		
	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014 -15 FY 2014 -15
	वर्ष के दौरान स्वीकार जमा / Deposits accepted during the year	11,92,823	31,66,431
	वर्ष के दौरान वापसी अदायगी / Repayment during the year	3,00,000	25,12,682
	अंतिम शेष / Closing Balance	11,92,823	62,76,511
	वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज / Interest expended during the year	1,38,315	6,57,611

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

* e)	संबद्ध पक्ष / Related Party	सहायक संस्थाएं / Subsidiaries			सहयोगी संस्थाएं / Associates			
	विवरण / Particulars	एसवीसीएल SVCL	एसटीसीएल STCL	मुद्रा लि. Mudra Ltd	स्मेरा SMERA	आईएसएआरसी ISARC	आईएसटीएसएल ISTSL	आरएक्सआईएल RXIL
	शेयरों में निवेश **Investment in Shares** वर्ष के दौरान संव्यवहार Transactions during the Year	– (–)	– (–)	749,95,00,000 (5,00,000)	– (–)	– (–)	– (–)	20,00,000 (–)
	वर्ष के अंत में बकाया Outstanding at end of the year	1,00,00,000 (1,00,00,000)	5,00,000 (5,00,000)	7,49,95,00,000 (5,00,000)	5,10,00,000 (5,10,00,000)	15,00,00,000 (15,00,00,000)	1,00,00,000 (1,00,00,000)	20,00,000 (–)
	प्राप्त आय / Income received बैंक द्वारा प्राप्त राशि Amount received by Bank	3,85,75,327 (4,73,47,446)	90,000 (60,000)	76,32,255 (–)	60,46,877 (1,00,10,370)	12,37,693 (12,06,22,669)	– (–)	– (–)
	वर्ष के अंत में प्राप्य राशियां Receivables at end of the year	– (–)	– (–)	– (–)	(5,06,204)	– (–)	– (–)	– (–)
	व्ययों की प्रतिपूर्ति **Reimbursement of expenses** बैंक द्वारा दावाकृत राशि Amount claimed by Bank	13,31,899 (27,62,961)	– (–)	2,75,34,022 (6,07,672)	– –	78,58,420 (49,79,539)	69,91,282 (–)	– (–)
	वर्ष के अन्त में प्राप्य राशियाँ Receivables at end of the year	37,853 (7,868)	– (–)	27,62,869 (6,07,672)	– (–)	5,800 (5,634)	69,91,282 (39,44,583)	(–)
	व्ययों का भुगतान **Payment of expenses** बैंक द्वारा प्रदत्त राशि Amount paid by Bank - शुल्क / कमीशन - Fees / Commission	– (–)	– (–)	(NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
	- ब्याज - Interest	– (–)	– (–)	उ.न. (NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के अंत में देय Payables at end of the year - शुल्क /कमीशन - Fees/Commission	– (–)	– (–)	(NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
	- ब्याज - Interest	– (–)	– (–)	(NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
	जमा / Deposits वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the Year	– (–)	– (–)	(NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के दौरान वापसी Repaid during the year	– (–)	– (–)	(NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
	वर्ष के अन्त में बकाया Outstanding at end of the year	– (–)	– (–)	(NA)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)

(कोष्ठकों में दी गई राशियां पिछले वर्ष की हैं) / (Figures in brackets represents previous year's amount)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

24	**प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (लेखांकन मानक 20)* :** **Earning Per Share (EPS) (AS-20)*:**	**31 मार्च, 2016** **March 31, 2016**	**31 मार्च, 2015** **March 31, 2015**
	प्रति शेयर अर्जन परिकलन के लिए निवल लाभ (₹) Net Profit considered for EPS calculation (₹)	1177,46,64,620	1417,13,02,757
	प्रति शेयर ₹10 के अंकित मूल्य के ईक्विटि शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted Average Number of equity shares of face value ₹10 each	47,34,05,205	45,00,00,000
	प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earning per share (₹)	24.87	31.49
	* मूलभूत प्रतिशेयर अर्जन तथा अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन समान हैं, क्योंकि अवमिश्रणीय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं । * Basic & Diluted EPS are same as there are no dilutive potential Equity Shares.		
25	लेखांकन मानक 22 आय पर कर हेतु लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर व्यय/बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखे में ₹80,74,69,989/- की राशि (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता ₹186,72,66,607थी) आस्थिगित कर आस्ति मानी है। यथा 31 मार्च, 2016 आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) के अलग अलग घटक निम्नलिखित हैं : As per the Accounting Standard 22, Accounting for Taxes on Income, the Bank has reviewed the Deferred Tax Expenditure / Saving and recognised an amount of ₹80,74,69,989 as Deferred Tax Asset (Previous year - Deferred Tax Liability was ₹186,72,66,607) in the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016. The Break up of Deferred Tax Asset/ (Liability) as on March 31, 2016 is as follows :		
	समय अंतर / Timing Difference	**31.03.2016 को आस्थगित कर आस्ति / (देयता)** **As at March 31, 2016 Deferred Tax Asset/ (Liability)**	**31.03.2015 को आस्थगित कर आस्ति / (देयता)** **As at March 31, 2015 Deferred Tax Asset/ (Liability)**
क) a)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for Depreciation	(1,68,645)	15,58,955
ख) b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	(3,97,58,92,976)	(3,63,29,74,887)
ग) c)	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Provisions for Bad & Doubtful Debts	2,12,05,54,201	1,27,94,44,842
घ) d)	भारत सरकार के बॉण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on GOI Bonds	(8,79,10,650)	(15,37,45,575)
ङ) e)	खातों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान Provision for Restructuring of Accounts	14,02,21,289	16,46,37,417
च) f)	अन्य Others	1,38,37,96,609	1,11,42,09,087
	निवल आस्थगित कर आस्ति /(देयता) **Net deferred tax Asset/(Liability)**	**(41,94,00,172)**	**(1,22,68,70,161)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

26 **आयकर हेतु प्रावधान में शामिल हैं : / Provision for Income Tax includes:** (₹)

क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
(i)	चालू आयकर प्रावधान / Current Income Tax Provision	540,51,60,216	512,01,72,759
(ii)	गत वर्षों हेतु किए गए कम /(बेशी) आयकर प्रावधान Short/(Excess) Income Tax Provision of Earlier Years	(76,33,659)	(63,72,742)

27 आकस्मिक देयताएँ ₹241,61,56,475 (गत वर्ष - ₹208,80,31,755/-) की हैं, जिसमें आयकर एवं सेवाकर की देयता शामिल है। बैंक इससे सहमत नहीं है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹50,66,98,988/- (गत वर्ष - ₹50,66,98,988/-) शामिल हैं, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर अपील से संबंधित है।
Contingent liabilities of ₹241,61,56,475 (Previous Year - ₹208,80,31,755) represents income tax, and service tax liability. This is being disputed by the Bank and based on expert's opinion the provision is not considered necessary. It includes an amount of ₹50,66,98,988 (Previous Year - ₹50,66,98,988) pertaining to appeals filed by Income Tax Department against the Bank.

28 प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिए से, बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है।
In the opinion of the Management, there is no material impairment of the fixed assets of the Bank in terms of Accounting Standard 28- Impairment of Assets.

29 **आकस्मिक देयताओं के प्रावधान के संबंध में लेखांकन मानक - 29 के अंतर्गत प्रकटन**
Disclosures under Accounting Standard 29 for provisions in contingencies. (₹)

विवरण / Particulars	बकाया वेतन / प्रोत्साहन Wage Arrears / Incentive	अन्य प्रावधान Other Provisions
आरंभ शेष / Opening Balance	**50,98,62,303**	**3,75,81,575**
परिवर्धन : / Additions:	33,53,00,000	
उपयोग : / Utilisations:	1,18,60,000	
पुनरांकन / Write back	40,02,303	
अंतिम शेष / Closing Balance	**82,93,00,000**	**3,75,81,575**

अन्य प्रावधान में वे दावे शामिल हैं जो विभिन्न विधिक मामलों और ऐसी आकस्मिक देयताओं से संबंधित हैं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है और जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक के विरुद्ध दायर किए जाते हैं।
Other Provision represents claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases and other claims for which Bank is contingently liable.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

30	वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। During the year ended March 31, 2016 and March 31, 2015, the Bank has not exceeded the prudential exposure limit.
31	बैंक ने अपने अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेनेवाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है.आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के पत्र संख्या डी बी ओ डी बी पी बी सी 85/ 21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डी बी ओ डी बी पी बी सी 116/ 21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेनेवाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2016 तक ₹0.21 करोड़ (गत वर्ष ₹0.14 करोड़) का प्रावधान किया गया है जिसमें मानक आस्तियों का प्रावधान भी शामिल है. इसके अलावा 31 मार्च 2016 तक यूएफसीई के संदर्भ में अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता "शून्य" है. (गत वित्तीय वर्ष) The Bank has put in place a mechanism to manage credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures (UFCE) of its borrowers. A review of the UFCE across its portfolio is undertaken by the Bank on periodic basis. In terms of RBI circular DBOD No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15.01.2014 & subsequent clarification vide circular DBOD NO.BP.BC. 116/21.06.200 /2013-14 dated 03.06.2014, based on available data, the provision for UFCE works out to ₹0.21 crore as on March 31, 2016 (Previous year ₹0.14 crore) which has been included under provisions for standard assets. Further, the additional capital requirement on account of UFCE works out to 'Nil' as on March 31, 2016 (Previous year Nil).
32	**निवेशकों की शिकायतें : / Investor's Complaints:** यथा 1 अप्रैल 2015 तक बैंक के पास निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं थीं. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा मार्च 31, 2016 तक कोई शिकायत निपटान हेतु लंबित नहीं है। As on 1st April, 2015 the Bank had Nil pending investor's complaints. During the current financial year "Nil" complaints were received from Investors and "Nil" complaints were disposed off during the year. Thus,"Nil" complaints are pending for disposal as on March 31, 2016.
33	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में भारतीय लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएएफ) तथा सामान्य निधि के अंतर्गत लेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु अलग प्रारूप विनिर्दिष्ट है। चूंकि केन्द्र सरकार ने अलग से कोई एसआईडीएएफ अधिसूचित नहीं किया है, अतः सिडबी उसे नहीं रखता है। Regulation 14 of Small Industries Development Bank of India General Regulations, 2000 prescribes separate format for presentation of accounts under Small Industries Development Assistance Fund(SIDAF) and General Fund. As no separate SIDAF has been notified by the Central Government, the same is not being maintained by SIDBI.
34	बैंक के पास मुख्यतया व्युत्पन्नी संविदा की प्रकृतिवाली दीर्घकालिक संविदाएं हैं, जिन्हें भविष्य में संभावित महत्त्वपूर्ण भौतिक हानियों की दृष्टि से आकलित किया गया है। वर्ष के अंत में बैंक ने ऐसी दीर्घकालिक संविदाओं की समीक्षा की है और भविष्य में संभावित महत्त्वपूर्ण हानियों के लिए खाता-बही में आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रावधान किये हैं तथा वित्तीय विवरणों में संगत टिप्पणियों के अंतर्गत उनका प्रकटन किया है। The Bank has long term contracts mainly in nature of derivative contracts which are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and recorded adequate provision as required, for material foreseeable losses on such long term contracts in the books of account and disclosed the same under the relevant notes in the financial statements.
35	जहाँ आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आँकड़ों का पुनर्समूहन और पुनर्वर्गीकरण किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आँकडों से तुलना-योग्य बनाया जा सके । Previous year's figures have been re-grouped and re-classified wherever necessary to make them comparable with the current years figures.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण / Additional disclosures as per RBI guidelines			
क. A.	पूँजी / Capital	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
	क) जोखिम आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) a) Capital to Risk Assets Ratio [CRAR]	29.86%	36.69%
	मुख्य सीआरएआर / Core CRAR	29.86%	35.59%
	अनुपूरक सीआरएआर / Supplementary CRAR	0.00%	1.10%
	ख) जुटाए गए गौण ऋण की राशि तथा टियर-II पूँजी के रूप में बकाया राशि b) The amount of subordinated debt raised and outstanding as Tier II capital	शून्य Nil	शून्य Nil
	ग) जोखिम भारित आस्तियाँ-तुलन-पत्र में समाहित और इससे इतर मदों हेतु पृथक-पृथक c) Risk weighted assets-separately for on and off-balance sheet items		
	तुलन-पत्र में / On Balance sheet	31611.15	27699.05
	तुलन-पत्र के अलावा / Off Balance sheet	559.65	475.92
	घ) तुलन-पत्र की तिथि को शेयर धारिता का स्वरूप d) The share holding pattern as on the date of the Balance sheet	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयर धारिता का प्रतिशत / Percentage of shareholding
	भारत सरकार / Govt. of India	3,69,82,250	7.59
	वित्तीय संस्थाएं / Financial Institutions	2,39,00,000	4.91
	बीमा कंपनियां / Insurance Companies	9,84,50,000	20.20
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / PSU Banks	32,76,50,000	67.30
	योग / Total	**48,69,82,250**	**100.00**
ख. B.	आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेद्रण Asset quality and credit concentration	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
	क) निवल ऋण और अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत a) Percentage of net NPAs to net loans and advances	0.73%	0.78%
	ख) प्रावधान कवरेज अनुपात * b) Provisioning Coverage Ratio (PCR) *	79%	76%
	* प्रावधान कवरेज अनुपात की गणना करते समय चल प्रावधान को हिसाब में नहीं लिया गया । * Floating provision has not been considered while calculating PCR.		

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ग) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत, निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और उनका प्रतिशत
c) Amount and percentage of net NPAs to net advances under the prescribed asset classification categories

	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16		वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	
श्रेणी / Category	राशि Amount	प्रतिशत Percentage	राशि Amount	प्रतिशत Percentage
अव-मानक आस्तियाँ * / Sub-standard assets*	376.67	0.57	291.05	0.53
संदिग्ध आस्तियाँ * / Doubtful assets*	104.74	0.16	140.39	0.25
योग / Total	**481.41**	**0.73**	**431.44**	**0.78**

* गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों से संबंधित समायोजित प्रावधान. वित्तीय वर्ष 2014-15 की निवल गैर निष्पादक आस्तियां शून्य होंगी, यदि चल प्रावधान राशि को उसके साथ समायोजित किया जाए ।

* Adjusted provision for diminution in fair value and Balance in Sundries Liabilities Account (Interest Capitalisation) in respect of restructured accounts classified as NPA. The Net NPA for FY 2014-15 will be NIL if the amount of floating provision is adjusted against the same.

घ) मानक आस्तियों, गैर-निष्पादक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम के रूप में किए गए निवेशों से इतर) तथा आयकर के प्रति वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की राशि
d) Amount of provisions made during the year towards Standard assets, NPAs, Investments (other than those in the nature of an advance) and Income Tax

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
मानक आस्तियाँ / Standard Assets	3.46	–
गैर-निष्पादक आस्तियाँ / NPAs	296.91#	(251.55)*
निवेश / Investments	(75.22)#	54.54
खातों की पुनर्संरचना / Restructuring of Accounts	–	–
आयकर (आस्थगित कर तथा अतिरिक्त प्रावधानों, यदि हों, के पुनरांकन सहित) Income Tax (including Deferred tax and write back of excess provision, if any)	459.01	698.11

* निवल अतिरिक्त गैर-निष्पादक आस्तियाँ प्रावधान ₹232.42 करोड़
* Net of additional NPA provision of ₹232.42 crore.
# चल प्रावधान का पुनरांकन घटाने के बाद
Net of write back of floating provision.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ङ) गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन / e) Movement of Non Performing Assets (NPAs)		
विवरण / **Particulars**	**वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15**
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ Gross NPA at the beginning of the financial year	741.11	1153.12
जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the year	536.83	478.34
उप जोड़ (क) / Sub total (A)	**1277.94**	**1631.46**
घटाइये :- / Less:-		
i) उन्नयन / Upgradations	11.94	34.61
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	59.09	506.39
iii) विवेकपूर्ण बट्टे खाते / Prudential Write-offs	198.73	106.41
iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त जो बट्टे खाते डाले गए Write-offs other than those under (iii) above	–	242.94
उप जोड़ (ख) / Sub total (B)	**269.76**	**890.35**
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ (क-ख) Gross NPA at the close of the financial year (A - B)	**1008.18**	**741.11**
च) गैर निष्पादक आस्तियों के प्रावधान में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधानों को छोड़कर) f) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष / Opening Balance at the beginning of the financial year	266.11	867.01
जोड़िये : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / Add: Provisions made during the year	442.48	232.42
घटाइये : बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off / write-back of excess provisions	201.07	833.32
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष / Closing balance at the close of the financial year	**507.52**	**266.11**
छ) निवल गैर निष्पादक आस्तियों में परिवर्तन g) Movement in Net NPAs		
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अथ शेष / Opening Balance at the beginning of the financial year	431.44	277.05
जोड़िये : वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year	94.35	245.91
घटाइये : वर्ष के दौरान कमी / Less: Reductions during the year	68.69	57.02
घटाइये : गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुँनर्संरचित खातों के उचित मूल्य गिरावट हेतु प्रावधान * Less: Provision for dimunition of fair value of restructured accounts classified as NPA*	2.89	(6.78)
घटाइये : पुनर्संरचित गैर निष्पादक आस्तियों के बाबत खुदरा देयता खातों में अवशेष (ब्याज का पुंजीकरण) Less: Balance in Sundries Liabilities Account (Interest Capitalisation) in respect of Restructured NPA Accounts	(27.20)	41.28
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष / Closing balance at the close of the financial year	**481.41**	**431.44**

* गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचित खातों के उचित मूल्य में गिरावट हेतु प्रावधान की राशि यथा 31 मार्च, 2016, ₹ 5.17 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2015 को आरंभिक शेष में से पहले ही सक्रिय राशि ₹ 2.28 करोड़, थी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के आंकड़ों की गणना की गई है।

* Provision for diminution in fair value of restructured accounts classified as NPA as on March 31, 2016 is ₹5.17 crore , as against ₹2.28 crore already considered in opening as on March 31, 2015. Accordingly the figure has been worked out for FY 2015-16.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ग. / C. ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure

क) निम्नलिखित के बारे में पूँजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रति ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत :
a) Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets, in respect of :

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 / FY 2015-16		वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15	
		कुल आस्तियों के % के रूप में As % to Total Assets	पूँजी निधियों के % के रूप में As % to Capital funds	कुल आस्तियों के % के रूप में As % to Total Assets	पूँजी निधियों के % के रूप में As % to Capital funds
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता The largest single borrower	10.25	66.30	8.30	43.57
	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह The largest borrower group	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अतः आस्ति उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है। As large borrowers are Primary Lending Institutions, the concept of borrower group is not applicable.			
2	10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता The 10 largest single borrowers	53.65	346.92	48.16	252.90
	10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह The 10 largest borrower group	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ हैं, अतः उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं है। As large borrowers are Primary Lending Institutions the concept of borrower group is not applicable.			

ख) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण
b) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets :

उद्योग का नाम / Name of Industry	वित्तीय वर्ष 2015-16 / FY 2015-16		वित्तीय वर्ष 2014-15 / FY 2014-15	
	बकाया राशि Amount Outstanding	कुल ऋण आस्तियों के प्रति % % to total loan assets	बकाया राशि Amount Outstanding	कुल ऋण आस्तियों के प्रति % % to total loan assets
परिवहन उपकरण / Transport Equipment	1,474.46	2.25	1,652.02	2.99
वस्त्र उद्योग (जूट सहित) / Textiles (Including Jute)	1,045.63	1.59	1,325.68	2.40
विद्युत उत्पादन / Electricity Generation	1,002.54	1.53	1,093.53	1.98
धातु उत्पाद / Metal Products	892.23	1.36	1,324.61	2.39
निर्माण / Constructions	667.94	1.02	793.55	1.43

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

घ. D.	जमा, अग्रिम, एक्स्पोज़र एवं एनपीए का संकेंद्रण Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
	क) जमा संकेंद्रण **a) Concentration of Deposits**		
	बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा (₹ करोड़) Total Deposits of twenty largest depositors (₹ Crore)	572.85	922.65
	बैंक के कुल जमा के प्रति बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत / Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	69.43	79.69
	ख) अग्रिमों का संकेंद्रण **b) Concentration of Advances**		
	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (₹ करोड़) Total Advances to twenty largest borrowers (₹ Crore)	48434.65	37536.00
	बैंक के कुल अग्रिम के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	73.80	67.82
	ग) एक्स्पोज़र का संकेंद्रण **c) Concentration of Exposures**		
	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्स्पोज़र (₹ करोड़) Total Exposures to twenty largest borrowers / customers (₹ Crore)	52057.56	39744.07
	उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल ऋण एक्स्पोज़र के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों में ऋण जोखिम का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to total exposures of the bank on borrowers / customers	64.06	57.75
	घ) गैर निष्पादक आस्तियों का संकेंद्रण - शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्स्पोज़र (₹ करोड़) **d) Concentration of NPAs - Total Exposure to top four NPA accounts (₹ Crore)**	412.52	319.50
	ङ) क्षेत्रवार गैर-निष्पादक आस्तियाँ / e) Sector wise NPAs		
	विवरण / Particulars	**उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत** **Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector**	
	कृषि और सहवर्ती गतिविधियाँ Agriculture & allied activities	–	–
	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े) / Industry (Micro, small, medium and large)	0.79	0.76
	सेवाएँ / Services	7.21	6.18
	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
	च) विवेकपूर्ण बट्टे खाते वाले खातों में परिवर्तन **f) Movement of Prudential Write-off (PWO) Accounts**		
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विवेकपूर्ण बट्टे खाते Prudential Written-off Accounts at the beginning of the financial year	1233.02	1210.61
	जोड़िए : वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण बट्टे खाते Add : Prudential write-off during the year	198.73	106.41
	उप जोड़ (क) / Sub total (A)	**1431.75**	**1317.02**
	घटाइए : वास्तविक बट्टे खाते / Less: Actual write off	0.88	51.20
	घटाइए : वर्ष के दौरान गतवर्षों के विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गयी वसूलियाँ **Less: Recoveries made from previously prudential written-off accounts during the year**	53.17	32.80
	उप जोड़ (ख) / Sub total (B)	**54.05**	**84.00**
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवेकपूर्ण बट्टे खाते (क - ख) **Prudential Written-off Accounts at the close of the financial year (A-B)**	**1377.70**	**1233.02**
	छ) विदेशों में आस्तियाँ, गैर-निष्पादक आस्तियाँ तथा राजस्व **g) Overseas Assets, NPAs and Revenue**		
	कुल आस्तियाँ / Total Assets	–	–
	कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ / Total NPAs	–	–
	कुल राजस्व / Total Revenue	–	–

		वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16		वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	
		प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of SPV Sponsored		प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of SPV Sponsored	
		घरेलू Domestic	विदेशों में Overseas	घरेलू Domestic	विदेशों में Overseas
	ज) तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है) **h) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**	–	–	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ड. E निवेश Investments

क) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान
a) Provisions for depreciation in Investments

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अथ शेष Opening balance as at the beginning of the financial year	65.95	71.87
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year	–	–
जोड़िए : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति लेखा से विनियोग, यदि कोई हो Add: Appropriations, if any, from Investment Fluctuation Reserve account	–	–
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Less : Write off during the year	–	–
घटाइए : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति लेखा में अंतरण, यदि कोई हो* Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve account*	15.79	5.92
घटाइए : वित्तीय वर्ष के दौरान जी-सेक को एएफएस से एचटीएम में अतंरित करने के कारण किए गए विनियोग Less: Appropriations made on account of shifting of G-Sec from AFS to HTM during FY	–	–
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष **Closing balance at the close of the financial year**	**50.16**	**65.95**

*निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण में से वित्तवर्ष 2015-16 के दौरान किया गया ₹11.65 करोड़ तथा वित्तवर्ष 2014-15 के दौरान किया गया ₹4.51 करोड़ का प्रावधान घटा दिया गया है।

* Transfer to Investment Fluctuation Reserve is net of provision of ₹11.65 crore made during FY 2015-16 and ₹4.51 crore made during FY 2014-15.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ख) किए गए निवेश के संबंध में जारीकर्ता श्रेणियाँ : / b) Issuer Categories in respect of Investment made:

जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निम्नलिखित की राशि / Amount of			
		निजी प्लेसमेंट के जरिए निवेश Investment made through private placement	निवेश ग्रेड से नीचे की धारित प्रतिभूतियाँ Below Investment Grade Securities Held	बिना रेटिंग वाली धारित प्रतिभूतियाँ Unrated securities held	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ Unlisted securities
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	1488.72	–	–	–	–
वित्तीय संस्थाएँ / FIs	183.83	103.83	–	–	72.03
बैंक / Banks	2668.54	143.00	–	–	–
निजी कंपनियाँ / Private Corporates	1132.33	272.64	–	9.42	270.48
सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम Subsidiaries/Joint ventures	751.04	751.05	–	–	251.05
अन्य / Others	575.65	563.37	–	–	575.66
उप-जोड़ / Sub-Total	**6,800.11**	**1,833.89**	–	**9.42**	**1,169.22**
मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	(50.16)				
योग / Total	**6,749.95**	**1,833.89**	**–**	**9.42**	**1,169.22**

ग) गैर निष्पादक निवेश : / c) Non-performing Investments:

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
वित्तीय वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening balance as at the beginning of the financial year	529.85	319.99
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1st April	148.55	226.16
उक्त अवधि में कमी / Reductions during the above period	57.26	16.30
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इति शेष Closing balance at the close of the financial year	**621.14**	**529.85**
धारित कुल प्रावधान/ Total Provisions held	497.78	358.35

घ) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री व अंतरण :
d) Sale & transfers of securities to /from HTM category:

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशानुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्यम पूंजी निधियों में निवेशों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया। उर्पयुक्त के अलावा एचटीएम श्रेणी से/को निवेश का कोई अंतरण नहीं हुआ।

During the current FY, the Bank shifted investments in Venture Capital Funds from HTM to AFS category in accordance with extant RBI guidelines. Except for the above, there was no shifting of investments to/from HTM category.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

च F.	पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts																					
क्र. Sl	पुनर्संरचना का प्रकार → Type of Restructuring →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई-पुनर्संरचन प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					योग Total				
	आस्ति वर्गीकरण → Asset Classification →		मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total
	विवरण ↓ / Details ↓																					
1	वित्त की 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक संख्या)* Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	1	3	5	–	9	–	–	–	–	–	168	21	33	–	222	169	24	38	–	231
		बकाया राशि Amount outstanding	9.46	134.04	181.27	–	324.77	–	–	–	–	–	1,223.72	36.26	83.96	–	1,343.94	1,233.18	170.30	265.22	–	1,668.71
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.60	0.24	1.54	–	6.37	4.60	0.24	1.54	–	6.37
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित मामले उधारकर्ताओं की संख्या Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	9	4	–	–	13	9	4	1	–	14
		बकाया राशि Amount outstanding	–	–	122.13	–	122.13	–	–	–	–	–	140.60	9.14	0.27	–	150.00	140.60	9.14	122.40	–	272.13
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	1.66	–	1.66	–	–	–	–	–	1.77	0.09	1.46	–	3.32	1.77	0.09	3.12	–	4.98
3	वित्त के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	3	-1	-2		–	3	-1	-2	–	–
		बकाया राशि Amount outstanding	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.58	(0.21)	(3.37)		–	3.58	(0.21)	(3.37)	–	–
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.06	(0.01)	(0.05)		–	0.06	(0.01)	(0.05)	–	–
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर वित्त के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ अथवा अतिरिक्त जोखिम भार नहीं हैं और इसलिए उन्हें अगले वित्त के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	-1				-1	–				–	-43				-43	-44				-44
		बकाया राशि Amount outstanding	(9.46)				(9.46)	–				–	(75.55)				(75.55)	(85.01)				(85.01)
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–				–	–				–	(0.50)				(0.50)	(0.50)				(0.50)
5	वित्त के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers		-3	3		–	–	–	–	–	–	-18	3	15		–	-18	0	18	–	–
		बकाया राशि Amount outstanding		(134.04)	134.04		–	–	–	–	–	–	(69.35)	46.02	23.33		–	(69.35)	(88.02)	157.37	–	–
		उनपर प्रावधान Provision thereon		–	–		–	–	–	–	–	–	(1.80)	1.64	0.16		–	(1.80)	1.64	0.16	–	0.00

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

च F.	पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts																					
क्र. Sl	पुनर्संरचना का प्रकार → Type of Restructuring → / आस्ति वर्गीकरण → Asset Classification → / विवरण ↓ / Details ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई-पुनर्संरचन प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					योग Total				
			मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	योग Total
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers			-2		-2	–	–	–	–	–	-28	-4	-6		-38	-28	-4	-8	–	-40
		बकाया राशि Amount outstanding			(108.80)		(108.80)	–	–	–	–	–	(128.79)	(14.29)	(22.81)		(165.89)	(128.79)	(14.29)	(131.61)	–	(274.69)
		उनपर प्रावधान Provision thereon			–		–	–	–	–	–	–	(1.40)	(0.56)	(1.39)		(3.35)	(1.40)	(0.56)	(1.39)	–	(3.35)
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अन्तिम संख्या)* Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borrowers	–	–	7	–	7	–	–	–	–	–	91	23	40	–	154	91	23	47	–	161
		बकाया राशि Amount outstanding	–	–	328.65	–	328.65	–	–	–	–	–	1,094.21	76.92	81.37	–	1,252.49	1,094.21	76.92	410.01	–	1,581.14
		उनपर प्रावधान Provision thereon	–	–	1.66	–	1.66	–	–	–	–	–	2.72	1.40	1.72	–	5.84	2.72	1.40	3.38	–	7.50

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आँकड़ों को छोड़कर, जिनपर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)।
*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

टिप्पणी: क्रमांक 2 के आंकड़ों में मौजूदा उधारकर्ताओं के संबंध में ₹27.80 करोड़ की बकाया राशि में वृद्धि तथा ₹4.76 करोड़ का प्रावधान शामिल है। क्रमांक 6 के आंकड़ों में ₹120.80 करोड़ (32 उधारकर्ता तथा ₹2.58 करोड़ का प्रावधान) की राशि शामिल है, जो वसूली के रूप में मौजूदा संरचित खातों में / से कमी / वसूली है।

Note: Figures at Sr. No. 2 includes increase in outstanding of ₹27.80 crore & provision of ₹4.76 crore in respect of existing borrowers. Figures at Sr. No.6 includes ₹120.80 crore (32 borrowers & provisions of ₹2.58 crore) which is reduction/recovery from existing restructured accounts by way of recovery.

छ. प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई आस्तियाँ
G. Assets sold to Securitisation Company / Reconstruction Company

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2015-16	वित्तीय वर्ष FY 2014-15
खातों की संख्या / Number of Accounts*	–	–
एससी / आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate Value (net of provisions) of Accounts sold to SC / RC	–	–
सकल प्रतिफल / Aggregate Consideration	–	–
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल अतिरिक्त प्रतिफल Additional Consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	–	–
निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि / Aggregate Gain / Loss over net Book Value	–	–

* वित्तवर्ष 2015-16 के दौरान, ₹7.02 करोड़ (ब्याज सहित मूलधन / अन्य देय राशियाँ) को विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाला गया एक उधार खाता ₹5.25 करोड़ के सकल प्रतिफल पर एआरसी को बेचा गया।
* During the FY 2015-16, one prudentially written off borrowal account amounting to ₹7.02 crore (principal with interest/ other dues) was sold to ARC for the aggegrate consideration of ₹5.25 crore.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ज. H.	31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्षों के दौरान प्रतिभूति रसीदों में कोई निवेश नहीं था। There was no investments in security receipts during year ended March 31, 2016 and during the year ended March 31, 2015.

झ. तरलता
I. Liquidity

रुपया और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता स्वरूप (जैसा प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया और लेखा परीक्षकों ने जिस पर विश्वास किया)
Maturity pattern of rupee and foreign currency assets and liabilities (As compiled by the management and relied upon by the auditors)

मदें / Items	1 वर्ष से कम या उसके बराबर Less than or equal to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक More than 1 year upto 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक More than 3 years upto 5 years	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक More than 5 years upto 7 years	7 वर्ष से अधिक More than seven years	योग Total
रुपया आस्तियाँ / Rupee assets	46,113	28,558	6,231	1,837	4,982	87,721
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (समतुल्य रुपये) Foreign currency assets (Rupee Equivalent)						
डॉलर / Dollar	1,495	630	1,383	609	1,887	6,004
यूरो / Euro	1,046	788	211	84	100	2,229
येन / Yen	654	1,003	923	1,033	458	4,071
ब्रिटिश पाउंड / GBP	–	–	–	–	–	–
कुल आस्तियाँ / Total Assets	**49,308**	**30,979**	**8,748**	**3,563**	**7,427**	**1,00,025**
रुपया देयताएँ / Rupee liabilities	30,447	23,681	4,292	5,566	19,709	83,695
विदेशी मुद्रा देयताएँ (समतुल्य रुपये) Foreign currency liabilities (Rupee Equivalent)						
डॉलर / Dollar	143	300	1,357	592	2,908	5,300
यूरो / Euro	355	864	424	157	251	2,051
येन / Yen	349	735	852	847	1,252	4,035
ब्रिटिश पाउंड / GBP	–	–	–	–	–	–
कुल देयताएँ / Total Liabilities	**31,294**	**25,580**	**6,925**	**7,162**	**24,120**	**95,081**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ञ. J.	परिचालन परिणाम / Operating results			
	क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2015-16	वित्तीय वर्ष FY 2014-15
	क) a)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय* / Interest income as a percentage to average working funds*	8.42	8.73
	ख) b)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय / Non-interest income as a percentage to average working funds	0.29	0.33
	ग) c)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व) Operating profit as a percentage to average working funds (before provisions)	2.80	3.03
	घ) d)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान के लिए प्रावधान पूर्व) Return on average assets (before provisions for taxation)	2.46	3.34
	ङ) e)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़) Net Profit per employee (₹ crore)	1.11	1.34
	* ब्याज आय में अशोध्य ऋणों से वसूली गई राशि भी शामिल है। * Interest income includes recoveries out of bad debts			

ट. K.	वायदा दर करार और ब्याज दर विनिमय Forward Rate Agreements & Interest Rate Swaps			
	क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2015-16	वित्तीय वर्ष FY 2014-15
	i)	विनिमय करारों का आनुमानिक मूल / The notional principal of swap agreements	–	–
	ii)	इस करार के तहत अन्य पक्ष द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	–	–
	iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	–	–
	iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	–	–
	v)	विनिमय बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

ठ. L.	ब्याज दर व्युत्पन्नों के संबंध में विवरण / Details in respect of Interest Rate Derivatives:		
	विवरण / Particulars	**वित्तीय वर्ष FY 2015-16**	**वित्तीय वर्ष FY 2014-15**
	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) / Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument – wise)	–	–
	यथा 31 मार्च, बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) / Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31 (instrument – wise)	–	–
	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) / Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument – wise)	–	–
	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument – wise)	–	–

ङ M.	व्युत्पन्नों में जोखिम का प्रकटीकरण / Disclosure of risk exposure in derivatives
	क. गुणात्मक प्रकटीकरण / a) Qualitative Disclosures
	(i) बैंक अपनी आस्तियों एवं देयताओं में असंतुलन से हुए ब्याज दर तथा विनिमय जोखिम की बचाव-व्यवस्था व्युत्पन्न का इस्तेमाल करके करता है। बैंक के सभी व्युत्पन्न उन विदेशी मुद्रा उधार के प्रति जोखिम बचाव के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं किन्तु केवल परिवर्तित हैं। बैंक व्युत्पन्नों का व्यापार नहीं करता है। The Bank uses Derivatives for hedging of interest rate and exchange risk arising out of mismatch in the assets and liabilities. All derivatives undertaken by Bank are for hedging purposes with underlying as Foreign Currency borrowings, which are not MTM, but only translated. The Bank does not undertake trading in Derivatives.
	(ii) आंतरिक नियंत्रण दिशा-निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्न संरचनाओं का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति/बोर्ड को भी दी जाती है। Internal Control guidelines and accounting policies are framed and approved by the Board. The derivative structure is undertaken only after approval of the competent authority. The particulars of derivative details undertaken are also reported to ALCO/Board.
	(iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से हुए जोखिम से निपटने के लिये प्रणालियां निर्धारित की हैं। बैंक व्युत्पन्न सौदों से होने वाले लेन-देनों का लेखांकन उपचय पद्धति के अनुसार करता है। The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

			वित्तीय वर्ष FY 2015-16		वित्तीय वर्ष FY 2014-15	
	क्रसं. Sr. No.	विवरण / Particulars	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate Derivatives
		ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण b) Quantitative Disclosures				
	1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
		(i) बचाव के लिए / For hedging	7,891.12	–	7,266.58	–
		(ii) व्यापार के लिए / For trading	–	–	–	–
	2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1] Marked to Market Positions [1]				
		(i) आस्ति (+) / Asset (+)	318.52	–	(320.76)	–
		(ii) देयता (–) / Liability (–)	–	–	–	–
	3	ऋण जोखिम (2) / Credit Exposure [2]	874.20	–	632.17	–
	4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पीवी 01) / Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
		(i) बचाव व्युत्पन्नों पर / On hedging derivatives	228.39	–	172.28	–
		(ii) व्यापार व्युत्पन्नों पर / On trading derivatives	–	–	–	–
	5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पीवी 01 Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year				
		(i) बचाव पर / On hedging	228.39/161.58	–	174.74/157.98	–
		(ii) व्यापार पर / On trading		–	–	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2015-16	वित्तीय वर्ष FY 2014-15
N	**प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies**		
	लाभ- हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के अलग विवरण Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account		
	निवेश पर मूल्यह्रास / एनपीआई के लिए प्रावधान Provisions for depreciation/NPI on Investment	(75.22)#	54.54
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान Provision towards NPA	296.91#	(251.55)*
	आयकर (आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताएं भी शामिल हैं) के लिए प्रावधान Provision made towards Income tax (Including Deferred Tax Assets/Liability)	459.01	698.11
	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (संपूर्ण विवरण के साथ) Other Provision and Contingencies (with details)$	3.46	–
	* गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान ₹232.42 करोड़ * Net of additional NPA provision of ₹232.42 crore # चल प्रावधान का पुनरांकन घटाने के बाद / Net of write back of floating provision. $ मानकआस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard asset.		
O	**चल प्रावधान / Floating Provisions**		
	चल प्रावधान खाते का प्रारम्भिक अथशेष Opening balance in the floating provisions account	2639.91	2639.91
	दबावग्रस्त आस्तियों के प्रावधान से स्थानांतरित / लेखा वर्ष के दौरान किये गए चल प्रावधानों की मात्रा The quantum of floating provisions made in the accounting year / transferred from stressed asset provision	–	–
	लेखा-वर्ष के दौरान किए गए आहरण के कारण आई कमी की राशि Amount of draw down made during the accounting year*	306.00	–
	अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष Closing balance in the floating provisions account	2333.91	2639.91
	* दिनांक 21 जुलाई 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.एफआईडी.सं.1164/03.01.11/2015-16 के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार * as per approval received from RBI vide RBI letter No.DBR.FID.No.1164/03.01.11/2015-16 dated July 21, 2015.		
P	**आरक्षितियों से आहरित / Draw down from Reserves** पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान अरक्षितियों से कोई राशि आहरित नहीं की गयी There is no draw down from reserves during the current year and previous year.		

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

Q **शिकायतों का प्रकटीकरण / Disclosure of Complaints**

A. ग्राहक शिकायतें / Customer Complaints

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष FY 2015-16	वित्तीय वर्ष FY 2014-15
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	5	8
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	59	32
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	62	35
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	2	5
B. बैंकिंग लोकपाल द्वारा किया गया अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman		
वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित न किये गए अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	–	–
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	–	–
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards implemented during the year	–	–
वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किये गए अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	–	–

R **बैंक द्वारा जारी कंफर्ट पत्रों का प्रकटीकरण**
Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किये गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं के विवरण निम्न हैं:
The particulars of Letters of Comfort (LoCs) issued during the year, assessed financial impact, and assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued in the past and outstanding is as under:

(₹ करोड़ / Crore)

यथा 31 मार्च 2015 को एल ओ सी के बकाए LoCs outstanding as on March 31, 2015		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी LoCs issued during the year		वर्ष के दौरान भुनाए गए एल ओ सी LoCs redeemed during the year		यथा 31 मार्च 2016 को एल ओ सी के बकाए LoCs outstanding as on March 31, 2016	
एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount	एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount	एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount	एल ओ सी की संख्या No of LoC	राशि Amount
2	2.51	1	0.87	1	0.11	2	3.27

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹ करोड़ / Crore)

S	**बैंकएश्योरेंस व्यवसाय / Bancassurance Business:** चालू वर्ष (पिछले वर्ष - शून्य) के दौरान बैंक द्वारा बैंक एश्योरेंस का कोई व्यवसाय नहीं किया गया. The Bank has not undertaken any bancassurance business during the current year (Previous Year: Nil).
T	**पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन** **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities** पेंशन और उपदान देयताओं को बीमांकिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ -हानि खाते में लिया जाता है, उनका परिशोधन नही होता है. The pension and gratuity liability are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of each financial year based on the projected unit credit method. The acturial gains/ losses are immediately taken to the profit and loss account and are not amortized.
U	**प्रतिभूतीकरण / Securitisation** पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एसपीवी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है The Bank had no Off-balance sheet SPVs sponsored during the current year and previous year.
V	**ऋण चूक विनिमय / Credit Default Swaps** बैंक ऋण चूक विनिमय में संव्यवहार नहीं करता The Bank does not deal in credit default swaps.

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी	मनोज मित्तल	अजय कुमार कपूर	क्षत्रपति शिवाजी
U.J. Lalwani	Manoj Mittal	Ajay Kumar Kapur	Kshatrapati Shivaji
मुख्य महाप्रबंधक	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chief General Manager	Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
(निगमित लेखा वर्टिकल)			
(Corporate Accounts Vertical)			

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹)

31 मार्च, 2015 March 31, 2015	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2016 March 31, 2016
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		
2115,23,69,380	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before tax as per P & L Account		**1636,47,21,187**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for :		
13,55,74,500	मूल्यह्रास / Depreciation	14,03,49,020	
54,54,02,483	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान Provision for net depreciation in investments	115,71,97,341	
(119,30,27,645)	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद) Provisions made (net of write back)	170,14,30,345	
(159,19,75,700)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल) / Profit on sale of investments (net)	(127,72,09,428)	
	स्थिर आस्तिओं की बिक्री से लाभ / Profit on sale of fixed assets	36,54,403	
(18,25,59,111)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / Dividend Received on Investments	(13,35,20,358)	159,19,01,323
1886,57,83,907	**परिचालनों से उपार्जित नकदी / Cash generated from operations**		**1795,66,22,510**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले) (Prior to changes in operating Assets and Liabilities)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustments for net changes in :		
147,93,48,261	चालू आस्तियाँ / Current assets	(622,93,43,579)	
110,27,14,057	चालू देयताएँ / Current liabilities	153,56,13,489	
775,79,03,839	विनिमय बिल / Bills of Exchange	568,94,34,285	
5725,68,49,021	ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	(11074,23,44,445)	
(4945,15,86,426)	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	11683,81,21,162	
(3981,44,69,425)	प्राप्त जमा / Deposits received	2128,30,59,911	
(2166,92,40,673)			**2837,45,40,823**
(280,34,56,766)			4633,11,63,333
(603,28,09,971)	कर अदायगी / Payment of Tax	(585,00,47,507)	(585,00,47,507)
(883,62,66,737)	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह **Net Cash flow from operating Activities**		**4048,11,15,826**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities		
(25,01,81,961)	स्थिरआस्तियोंकानिवल(क्रय)/विक्रय/Net(Purchase)/Saleoffixedassets	(18,65,60,057)	
172,18,72,668	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	(4539,91,71,680)	
18,25,59,111	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / Dividend Received on Investments	13,35,20,358	
165,42,49,818	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net cash used in Investing Activities**		**(4545,22,11,379)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹)

31 मार्च, 2015 March 31, 2015	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2016 March 31, 2016
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities		
–	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय Proceeds from issuance of share capital & share premium	750,00,00,000	
(130,98,21,008)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(134,63,89,870)	
(130,98,21,008)	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी Net cash used in Financing Activities**		**615,36,10,130**
(849,18,37,928)	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents**		**118,25,14,577**
1927,72,27,801	5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period		**1078,53,89,874**
1078,53,89,874	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the period		**1196,79,04,451**
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी-तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं Cash and cash equivalents at the end of the period includes		
6,89,676	हाथ में नक़दी / Cash in Hand		6,68,296
39,55,53,877	बैंक में चालू खाते में अतिशेष / Current account balance with Bank		28,06,91,058
50,00,00,000	म्यूचुअल फ़ंड / Mutual Funds		12,27,85,059
988,91,46,321	जमाराशियाँ / Deposits		1156,37,60,038

टिप्पणीः नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस-3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

Note : Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies **XV**

लेखा टिप्पायणाँ / Notes to Accounts **XVI**

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी
U.J. Lalwani
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager
(निगमित लेखा वर्टिकल)
(Corporate Accounts Vertical)

मनोज मित्तल
Manoj Mittal
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

अजय कुमार कपूर
Ajay Kumar Kapur
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

क्षत्रपति शिवाजी
Kshatrapati Shivaji
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक) तथा इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं (बैंक, उसके सहायक एवं सहयोगी घटक मिलकर 'समूह' बनते हैं) के 31 मार्च 2016 तक के संलग्न वित्तीय विवरणों और लाभ-हानि के समेकित विवरण तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा-नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना ('समेकित वित्तीय विवरण') की लेखा-परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से

Independent Auditors' Report

To
The Board of Directors of
Small Industries Development Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Small Industries Development Bank of India ("the Bank") and its subsidiaries and associates (the Bank, its subsidiaries and associates constitute "the Group") as on March 31, 2016 which comprises the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016, and the consolidated Statement of Profit and Loss and consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information ("the consolidated financial statements").

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of internal

काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्याकथन से मुक्त हों, और जैसाकि पहले कहा गया, जिनका उपयोग बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा-परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा-धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या-कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा-परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा-प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर कोई राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Bank's management, as aforesaid.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा-परीक्षकों ने नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित अपनी रिपोर्ट के अनुसार लेखा-परीक्षा के जो प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा-परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसाकि नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित है, सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के विभिन्न वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के संबंध में अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनज़र, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैः

i) समूह के काम-काज की यथा 31मार्च 2016 के समेकित तुलनपत्र के मामले में,

ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के लाभ के लिए समेकित लाभ-हानि खाता विवरण के मामले म।

iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

बलाधीन विषय

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं-

1) 6 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध। की टिप्पणी संख्या 4ख और 4घ, जिसमें प्रबन्धन के अनुसार निवेशों की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their report referred to in the 'Other Matters' paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statement.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and on consideration of the report of the other auditor on separate financial statements and on other financial information of the subsidiaries and associates, as mentioned in the 'Other Matter' paragraph below, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2016,

ii) in the case of the Consolidated Statement of Profit & Loss Account, of the profits of the Group for the year ended on that date,

iii) In the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to:

a) Note nos 4B and 4D of Annexure I to Consolidated Accounts with regard to non-consolidation of 6 associates wherein as per the management the carrying amount of the investments are not realisable and are fully provided for.

2) 7 सहयोगी संस्थाओं के गैर-समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ग और 4 घ, जो प्रबन्धन के अनुसार महत्त्वपूर्ण घटक नहीं हैं और इसलिए समेकन के लिए उन पर विचार नहीं किया गया है।

इस मामले के सम्बन्ध में हमारे मत का कोई प्रयोजन नहीं है।

अन्य मामले

हमने 3 सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखा-परीक्षा नहीं की। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के इनके वित्तीय विवरण में ₹58,73,33,04,600/- की कुल आस्तियाँ, ₹3,80,35,46,426/- का कुल राजस्व और ₹24,30,89,18,783/- का निवल नकदी प्रवाह द्रष्टव्य है, जो समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। हमने 1 सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना की भी लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसका 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में समूह में निवल हानि का हिस्सा ₹43,12,120/- का था, जो मार्च 2015 को समाप्त उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित था, और जिसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। ये वित्तीय विवरण एवं अन्य वित्तीय सूचनाएं अन्य लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित हैं, जिनकी रिपोर्ट प्रबन्धन ने हमें प्रदान की है, और जहाँ तक इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया दूसरे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹2,00,08,894/- का निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल किया गया है, जो 4 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की हमने लेखा-परीक्षा नहीं की है। उक्त वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर-लेखा-परीक्षित हैं और हमें प्रबन्धन द्वारा प्रदान किए गए हैं और जहाँ तक उन सहायक एवं

b) Note nos 4C and 4D of Annexure I to Consolidated Accounts with regard to non-consolidation of 7 associates, as in view of the management these are not significant components and hence not considered for consolidation.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Other Matters

We did not audit the financial statements/financial information of the 3 subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of ₹58,73,33,04,600/- as at March 31, 2016, total revenue of ₹3,80,35,46,426/- and net cash flows amounting to ₹24,30,89,18,783/- for the year then ended, as considered in the consolidated financial statements. We also did not audit the financial statements/financial information of the 1 associate in whose Group's share of net loss amounting to ₹4,312,120/- for the year ended March 31, 2016, based on its audited financial statement for the year ended March 2015, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements and other financial information have been audited by other auditor whose report has been furnished to us by the Management, and our opinion and our report on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associate, is based solely on the report of the other auditors.

The Consolidated financial statement also includes the Group's share of net profit of ₹2,00,08,894/- for the year ended March 31, 2016, as considered in the consolidated financial statements in respect of 4 associates, whose financial statements/ financial information has not been audited by us. The financial statements/ financial information are unaudited and have been furnished to

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया ऐसे गैर-लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर आधारित है। यदि उपर्युक्त सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा की गई होती तो उसके परिणामस्वरूप यथा 31 मार्च 2016 समूह के लाभ के हिस्से पर क्या प्रभाव पडा होता, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए अर्थगर्भित नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, दूसरे लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी रिपोर्टों और प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता की दृष्टि से इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस)23, "सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" की अपेक्षानुरूप तथा बैंक, उसकी सहायक और सहयोगी संस्थाओं के पृथक-पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए हैं।

2. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

us by the Management and our opinion and our report on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary and associates, is based solely on such unaudited financial statement / financial information. We are unable to comment upon resultant impact, if any, on the Group's share of profit as at March 31, 2016, had the aforesaid associates been audited. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements /financial information are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statement is not qualified in respect of this matter with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We report that:

1. The consolidated financial statements have been prepared by the Bank's Management in accordance with the requirements of Accounting Standards (AS) 21, "Consolidated Financial Statements", Accounting Standards (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on basis of the separate financial statements of the Bank, its subsidiaries and associates.

2. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements and have found them to be satisfactory.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report

3. हमारी राय में, जहाँ तक उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में अपेक्षित खाता-बहियों की जाँच से और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है, उक्त खाता-बही तैयार करने संबंधी कानून के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता-बही रखी गई हैं।

4. इस रिपोर्ट के संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि खाता विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गई खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

5. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

3. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statement have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

4. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with Books of Account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

5. In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards.

कृते **बोरकर एंड मजूमदार**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 1101569 डब्ल्यू

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता सं. 133755

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 25 मई 2016

For **Borkar & Muzumdar**
Chartered Accountants
Firm Registration No.101569W

Darshit Doshi
Partner
Membership No. 133755

Place: Mumbai
Date: May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

परिशिष्ट - II / Appendix - II

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूँजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
पूँजी / Capital	I	486,98,22,500	450,00,00,000
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds	II	11230,06,69,051	9381,13,60,325
जमा / Deposits	III	20575,12,27,905	13446,81,67,994
उधार / Borrowings	IV	42356,68,51,125	30672,87,29,963
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	V	6925,96,89,195	6836,06,06,711
आस्थगित कर देयता /Deferred Tax Liability		41,74,30,482	122,51,33,111
योग /Total		**81616,56,90,258**	**60909,39,98,104**
आस्तियां /ASSETS			
नकदी एवं बैंक अतिशेष / Cash and Bank Balances	VI	3285,38,58,558	1046,44,60,399
निवेश / Investments	VII	7126,29,58,093	2962,78,33,463
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	VIII	68873,79,41,265	55342,59,38,200
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	IX	210,57,37,391	206,21,60,820
अन्य आस्तियां / Other Assets	X	2120,51,94,951	1351,36,05,222
योग /Total		**81616,56,90,258**	**60909,39,98,104**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	XI	10410,76,98,369	7640,76,79,911

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणीयाँ (अनुबंध I)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)

उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी	मनोज मित्तल	अजय कुमार कपूर	क्षत्रपति शिवाजी
U.J. Lalwani	Manoj Mittal	Ajay Kumar Kapur	Kshatrapati Shivaji
मुख्य महाप्रबंधक	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chief General Manager	Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Chairman & Managing Director
(निगमित लेखा वर्टिकल)			
(Corporate Accounts Vertical)			

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता / Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹)

आय / INCOME	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
ब्याज एवं बट्टा / Interest and Discount	XII	5879,07,90,854	5498,92,61,930
अन्य आय / Other Income	XIII	281,25,34,352	254,64,25,750
योग / Total		**6160,33,25,206**	**5753,56,87,680**
व्यय / EXPENDITURE			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार / Interest & Financial charges		3745,39,10,605	3373,72,34,139
परिचालन व्यय / Operating Expenses	XIV	431,90,42,570	455,94,83,423
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		234,87,18,729	(197,01,25,162)
योग / Total		**4412,16,71,904**	**3632,65,92,400**
कर-पूर्व लाभ / Profit before Tax		**1748,16,53,302**	**2120,90,95,280**
आयकर के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी सं. 26) Provision for Income Tax (Refer note no. 26)		582,33,90,333	514,51,20,017
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति)/देयता] Deferred Tax Adjustment [(Asset) / Liability]		(80,77,02,628)	186,54,43,928
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा Share of earning/(loss) in associates		**1,57,86,774**	**2,19,54,949**
कर-पश्चात लाभ / Profit after Tax		**1248,17,52,371**	**1422,04,86,284**
अग्रानीत लाभ / Profit brought forward		61,30,43,673	53,92,84,228
कुल लाभ/(हानि) / Total Profit / (Loss)		**1309,47,96,044**	**1475,97,70,512**
विनियोजन / Appropriations			
सामान्य आरक्षिति में अन्तरण / Transfer to General Reserve		1011,66,00,000	1190,60,49,385
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षिति में अन्तरण Transfer to Special reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act, 1961		80,00,00,000	80,00,00,000
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 - आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण Transfer to Statutory Reserve u/s 45-IC of RBI Act, 1934		13,18,69,340	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2016

(₹)

	अनुसूचियां SCHEDULES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अन्य / Others			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अन्तरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		15,78,97,722	5,91,56,175
स्टाफ कल्याण निधि में अन्तरण / Transfer to Staff Welfare Fund		1,00,00,000	2,00,00,000
शेयरों पर लाभांश / Dividend on Shares		94,68,10,409	112,50,00,000
लाभांश पर कर / Tax on Dividend		20,50,44,472	23,65,21,279
अग्रानीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष Surplus in Profit & Loss account carried forward		72,65,74,101	61,30,43,673
योग / Total		**1309,47,96,044**	**1475,97,70,512**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन / Basic/Diluted Earning Per Share		26.37	31.60

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणीयाँ (अनुबंध I)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)

उक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं। / The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी
U.J. Lalwani
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager
(निगमित लेखा वर्टिकल)
(Corporate Accounts Vertical)

मनोज मित्तल
Manoj Mittal
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

अजय कुमार कपूर
Ajay Kumar Kapur
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

क्षत्रपति शिवाजी
Kshatrapati Shivaji
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE I		
पूंजी / Capital		
(क) प्राधिकृत पूंजी / (a) Authorized Capital		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर) - Equity Share Capital (75,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	750,00,00,000	750,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर) - Preference Share Capital (25,00,00,000 Redeemable Preference Shares of ₹10/- each)	250,00,00,000	250,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी / (b) Issued, Subscribed and Paid-up Capital		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 48,69,82,250 ईक्विटी शेयर) - Equity Share Capital (48,69,82,250 Equity Shares of ₹10/- each)	486,98,22,500	450,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी / Preference Share Capital	–	–
योग / Total	**486,98,22,500**	**450,00,00,000**
अनुसूची / SCHEDULE II		
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां / Reserves, Surplus and Funds		
क) आरक्षितियां / A) Reserves		
i) सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	7658,27,79,622	6468,17,73,193
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	1012,44,85,755	1190,10,06,429
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष /Closing Balance	**8670,72,65,377**	**7658,27,79,622**
ii) शेयर प्रीमियम / **Share Premium**		
- अथ शेष / Opening Balance	–	–
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	**713,01,77,500**	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**713,01,77,500**	–

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
iii) विशेष आरक्षितियां / Specific Reserves		
क) निवेश आरक्षिति / a) Investment Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	55,19,63,645	55,19,63,645
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	–	–
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष /Closing Balance	**55,19,63,645**	**55,19,63,645**
ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 36 (1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां b) Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) of The Income Tax Act, 1961		
- अथ शेष / Opening Balance	1277,00,00,000	1197,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	80,00,00,000	80,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष /Closing Balance	**1357,00,00,000**	**1277,00,00,000**
ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 - आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षिति c) Statutory Reserve created u/s 45-IC of Reserve Bank of India Act.		
- अथ शेष / Opening Balance	–	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	**13,18,69,340**	
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year		
- इति शेष /Closing Balance	**13,18,69,340**	
घ) अन्य आरक्षितियाँ / d) Other Reserves		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति /Investment Fluctuation Reserve		
- अथ शेष / Opening Balance	52,56,48,130	46,64,91,955
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	15,78,97,722	5,91,56,175
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year		
- इति शेष /Closing Balance	**68,35,45,852**	**52,56,48,130**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
(ख) लाभ - हानि खाते में अधिशेष / B) Surplus in Profit and Loss account	**72,65,74,101**	**61,30,43,673**
(ग) निधियाँ / C) Funds		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि / a) National Equity Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	254,08,68,273	247,11,20,023
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions / Write back during the year	1,31,93,218	6,97,48,250
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	–	–
- इति शेष / Closing Balance	**255,40,61,491**	**254,08,68,273**
ख) स्टाफ कल्याण निधि / b) Staff Welfare Fund		
- अथ शेष / Opening Balance	22,70,56,982	22,07,97,120
- वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	3,36,40,020	2,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग / Utilisations during the year	1,54,85,257	1,37,40,138
- इति शेष /Closing Balance	**24,52,11,745**	**22,70,56,982**
ग) अन्य / c) Others	–	–
योग / Total	**11230,06,69,051**	**9381,13,60,325**
अनुसूची / SCHEDULE III		
जमा / Deposits		
क) सावधि जमा / A) Fixed Deposits	**825,12,27,905**	**1157,69,17,994**
ख) बैंकों से / B) From Banks		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत / a) Under MSME Refinance Fund	10000,00,00,000	10289,12,50,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत / b) Under MSME Risk Capital Fund	1750,00,00,000	1500,00,00,000
ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से / c) Others -From Foreign & Private Sector Banks	–	–
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत d) Under MSME India Aspiration Fund	500,00,00,000	500,00,00,000
च) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत e) Under Fund for Venture Capital in MSME sector 2014-15	2500,00,00,000	–
f) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अंतराल के अंतर्गत f) Under Priority Sector Shortfall	5000,00,00,000	–
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**19750,00,00,000**	**12289,12,50,000**
योग / Total	**20575,12,27,905**	**13446,81,67,994**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE IV		
उधारियां / Borrowings		
I) भारत में उधारियां / Borrowings in India		
क) भारतीय रिजर्व बैंक से / a) From Reserve Bank of India	–	–
ख) भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित) / b) From Government of India (including Bonds subscribed by GOI)	2356,12,00,839	3084,04,85,859
ग) बॉण्ड एवं डिबेंचर / c) Bonds & Debentures	13077,60,00,000	10443,60,00,000
घ) अन्य स्रोतों से / d) From Other Sources		
- वाणिज्यिक पत्र / Commercial Paper	9090,00,00,000	6625,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र / Certificate of Deposits	3081,00,00,000	–
- बैंकों से सावधि ऋण / Term Loans from Banks	760,73,58,503	887,79,89,157
- सावधि मुद्रा उधारियाँ / Term Money Borrowings	–	–
- अन्य / Others	2149,42,56,515	398,77,06,490
उप-योग / Subtotal (I)	**30514,88,15,857**	**21439,21,81,506**
II) भारत से बाहर उधारियाँ / Borrowings outside India		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी / (a) KFW, Germany	1714,36,44,616	1207,58,56,266
(ख) जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका) / (b) Japan International Cooperation Agency (JICA)	4832,53,51,698	4264,85,08,020
(ग) आईएफएडी, रोम / (c) IFAD, Rome	131,44,98,429	128,75,19,696
(घ) विश्व बैंक / (d) World Bank	4661,92,78,563	3160,27,74,690
(ड) अन्य /(e) Others	501,52,61,962	472,18,89,785
उप-योग / Subtotal (II)	**11841,80,35,268**	**9233,65,48,457**
योग / Total (I & II)	**42356,68,51,125**	**30672,87,29,963**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE V		
अन्य देयताएं व प्रावधान / Other Liabilities and Provisions:		
उपचित ब्याज / Interest Accrued	266,45,52,527	301,45,42,566
अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	4817,06,23,603	4639,93,01,378
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान / Provisions for Exchange Rate Fluctuation	1398,70,64,312	1443,14,85,860
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान / Contingent provisions against standard assets	328,55,93,872	315,37,55,628
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) / Proposed Dividend (including tax on dividend)	115,18,54,881	136,15,21,279
योग / Total	**6925,96,89,195**	**6836,06,06,711**
आस्तियाँ / ASSETS		
अनुसूची / SCHEDULE VI		
नकदी और बैंक अतिशेष / Cash & Bank Balances		
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash in Hand & Balances with Reserve Bank of India	6,74,499	6,92,473
2. अन्य बैंकों में अतिशेष / Balances with Other Banks		
(क) भारत में / *(a) In India*		
i) चालू खातों में /in current accounts	27,90,41,457	18,00,04,333
ii) अन्य निक्षेप खातों में /in other deposit accounts	2408,75,33,062	121,77,07,232
(ख) भारत के बाहर / *(b) Outside India*		
i) चालू खातों में /in current accounts	20,48,368	21,61,73,877
ii) अन्य निक्षेप खातों में /in other deposit accounts	848,45,61,172	884,98,82,484
योग / Total	**3285,38,58,558**	**1046,44,60,399**
अनुसूची / SCHEDULE VII		
निवेश / Investments [प्रावधानों को घटाकर / net of provisions]		
क) राजकोषीय परिचालन / A) Treasury operations		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ / Securities of Central and State Governments	685,91,44,458	917,02,67,984

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

आस्तियाँ / ASSETS	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	23,95,12,137	23,95,12,137
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स / Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	2359,82,58,840	531,10,90,288
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स / Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	248,80,48,275	247,81,38,842
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना / Short Term Bills Rediscounting Scheme	–	–
6. अन्य / Others	2505,70,59,819	325,00,00,000
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**5824,20,23,529**	**2044,90,09,251**
ख) व्यवसाय परिचालन / B) Business Operations		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर / Shares of Banks & Financial Institutions	61,12,61,440	60,92,61,440
2. बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स / Bonds & Debentures of Banks & Financial Institutions	5,92,10,312	5,26,77,312
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स Stocks, Shares, bonds & Debentures of Industrial Concerns	369,79,19,478	502,26,43,504
4. सहायक संगठनों में निवेश / Investment in Subsidiaries	–	–
5. अन्य / Others	865,25,43,334	349,42,41,956
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**1302,09,34,564**	**917,88,24,212**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**7126,29,58,093**	**2962,78,33,463**
अनुसूची / SCHEDULE VIII		
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances [प्रावधान के बाद / Net of Provisions]		
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त / A) Refinance to		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ / Banks and Financial Institutions	49209,31,38,280	38098,83,05,725
- अल्प वित्त संस्थाएँ / Micro Finance Institutions	2589,54,57,707	1602,98,74,150
- गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियाँ / NBFC	5677,54,89,100	4054,29,66,100
- बिलों की पुनर्भुनाई / Bills Rediscounted	–	–
- अन्य (संसाधन सहायता) / Others (Resource Support)	–	–
उप-योग (क) / Subtotal (A)	**57476,40,85,087**	**43756,11,45,975**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

आस्तियाँ / ASSETS	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
ख) प्रत्यक्ष ऋण / B) Direct Loans		
- ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	9884,06,90,456	9501,86,05,887
- प्राप्य वित्त योजना / Receivable Finance Scheme	1512,59,23,439	2082,89,98,468
- भुनाए गए बिल / Bills Discounted	72,42,283	1,71,87,870
उप-योग (ख) / Subtotal (B)	**11397,38,56,178**	**11586,47,92,225**
योग (क+ख) / Total (A+B)	**68873,79,41,265**	**55342,59,38,200**
अनुसूची / SCHEDULE IX		
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets **[मूल्यह्रास घटाकर / Net of Depreciation]**		
1. परिसर / Premises	208,64,41,065	204,62,60,684
2. अन्य / Others	1,92,96,326	1,59,00,136
योग / Total	**210,57,37,391**	**206,21,60,820**
अनुसूची / SCHEDULE X		
अन्य आस्तियां / Other Assets:		
उपचित ब्याज / Accrued Interest	1040,51,91,079	675,30,55,345
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद) / Advance Tax (Net of provision)	238,17,96,704	193,41,63,275
अन्य / Others	428,07,98,454	158,36,22,667
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है / Expenditure to the extent not written off	413,74,08,714	324,27,63,935
योग / Total	**2120,51,94,951**	**1351,36,05,222**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

आस्तियाँ / ASSETS	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE XI		
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES		
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	245,79,68,602	212,99,95,882
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप On account of Guarantees / Letters of Credit	128,47,53,531	134,78,28,441
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप On account of Forward Contracts	2145,38,16,573	26,40,40,369
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप On account of Underwriting Commitments	–	–
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures	–	–
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है Other items for which the Bank is contingently liable (derivative contracts etc.)	7891,11,59,663	7266,58,15,219
योग / Total	**10410,76,98,369**	**7640,76,79,911**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 के समेकित लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ / Schedules to consolidated Profit & Loss Account for the year ended as at March 31, 2016

(₹)

पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2015 March 31, 2015
अनुसूची / SCHEDULE XII		
ब्याज और बट्टा / Interest and Discount		
1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा / Interest and Discount on Loans, Advances and Bills	5178,93,84,941	5157,85,57,270
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय / Income on Investments / Bank balances	700,14,05,913	341,07,04,660
योग / Total	**5879,07,90,854**	**5498,92,61,930**
अनुसूची / SCHEDULE XIII		
अन्य आय / Other Income:		
1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क / Upfront and Processing Fees	37,77,29,724	31,29,45,422
2. कमीशन और दलाली / Commission and Brokerage	2,32,35,996	2,48,91,574
3. निवेशों की बिक्री से लाभ / Profit on sale of Investments	151,32,42,701	159,32,46,600
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries / Associates	–	–
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान / Provision of Earlier Years written Back	92,953	28,304
6. अन्य (संदर्भ : टिप्पणी सं. 18) / Others (Refer note no.18)	89,82,32,978	61,53,13,850
योग / Total	**281,25,34,352**	**254,64,25,750**
अनुसूची / SCHEDULE XIV		
परिचालन व्यय / Operating Expenses:		
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान / Payments to and provisions for employees	287,83,26,650	326,07,32,434
किराया, कर और बिजली / Rent Taxes and Lighting	21,43,44,291	20,51,06,885
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री / Printing & Stationery	1,14,83,935	87,39,538
विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	4,35,60,584	3,63,71,339
बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास /परिशोधन / Depreciation / Amortisation on Bank's Property	14,10,29,220	13,65,39,000
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय / Directors' fees allowances and expenses	83,41,739	55,15,034
लेखापरीक्षकों की फीस / Auditor's Fees	86,71,009	60,95,360
विधि प्रभार / Law Charges	1,94,18,324	1,83,61,648
डाक, कुरियर, दूरभाष, आदि / Postage, Courier, Telephones etc	34,43,438	37,45,400
मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	9,59,02,333	9,23,38,098
बीमा / Insurance	52,68,564	50,13,041
सीजीटीएमएसई को अंशदान /Contribution to CGTMSE	17,74,75,000	18,74,75,000
अन्य व्यय Other Expenditure	71,17,77,483	59,34,50,646
योग / Total	**431,90,42,570**	**455,94,83,423**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

समेकित लेखे के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ / Additional Notes to Consolidated Accounts

अनुबंध - महत्वपूर्ण लेखा नितियाँ / Annexure - I - Significant Accounting Policies

1	एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का पालन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में भी किया गया है। All the significant accounting policies as mentioned in Schedule XV of the standalone financial statements have also been followed in the preparation of consolidated financial statements.
2	एएस-21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुरुप अंतःसमूह अतिशेष एवं अंतर-समूह संव्यवहार पूर्णरूपेण हटा देने के बाद, आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्य एक साथ जोड़कर बैंक एवं इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण पंक्ति पर पंक्ति आधार पर एकीकृत किए गए हैं। जैसा कि एएस-23 "समेकित वित्तीय विवरणों" में सहयोगी संगठनों में निवेश संबंधी लेखांकन में विनिर्दिष्ट है, सहयोगी संगठनों का लेखांकन ईक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करके किया गया है। The financial statements of the Bank and its subsidiary companies are combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of Assets, Liabilities, Income and Expenses after fully eliminating intra group balances and inter group transactions in accordance with AS-21" Consolidated Financial Statements". The Associates are accounted for using the equity method as prescribed by AS-23 " Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".
3	समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नवत हैं : Details of Subsidiaries included in consolidated financial statements are:

(₹)

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the subsidiary	स्थापना का देश Country of Incorporation	स्वामित्व का अनुपात Proportion of ownership	लाभ/हानि Profit/Loss
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लि (एसवीसीएल) SIDBI Venture Capital Ltd. (SVCL)	भारत India	100%	6,56,47,894
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लि. (एसटीएसएल) SIDBI Trustee Company Ltd. (STCL)	भारत India	100%	38,06,384
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.) (18 मार्च 2015 से प्रभावी) Micro Units Development & Refinance Agency (Mudra Ltd.) (w.e.f. March 18, 2015)*	भारत India	100%	65,93,46,699
	कुल / Total			**72,88,00,977**

सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित है।

* कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, जब कोई कंपनी या निगमित निकाय किसी वर्ष की 01 जनवरी के दिन या उसके बाद स्थापित होता है, तो उसके संबंध में वित्तवर्ष अगले वर्ष की 31 मार्च तक लिया जाता है। तदनुसार, मुद्रा लि. का पहला वित्तीय विवरण 18 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक तैयार किया गया है।

Financial statements of the subsidiaries except Mudra Ltd. are audited.

* As per Companies Act -2013, any company or body corporate, when incorporated on or after the 1st day of January of a year, the financial year will be taken on the 31st day of March of the following year. Accordingly, the first financial statement of Mudra Ltd has been prepared from March 18, 2015 to March 31, 2016.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

4.क समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नवत हैं:
4.A Details of Associates included in consolidated financial statements are as follows :

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	(%) धारिता (%) Holding	विवरण Description	निवेश Investment	लाभ/(हानि) का हिस्सा Share of Profit/(loss)	आरक्षित निधि में हिस्सा * Share in reserves *
1	स्मेरा SMERA	34.29	एसएमई की क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी Credit Rating Agency for SME's	5,10,00,000	9,41,813	1,00,66,348
2	आईएसटीएसएल ISTSL	22.73	एसएमई की प्रौद्योगिकी सहायता Technology Support to SME's	1,00,00,000	5,31,510	27,44,736
3	आईएसएआरसी ISARC	26.00 **	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी Asset Reconstruction Company	26,00,00,000	1,86,25,571	4,54,34,574
4	डीएफसी DFC	23.76	राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporation	6,27,75,000	(43,12,120)	11,19,43,204
5	आरएक्सआईएल RXIL	26.00#	व्यापार संबंधी प्राप्त राशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए ऑनलाइन मंच (ट्रेड्स) Online platform for factoring / discounting of Trade Receivables (TReDS)	20,00,000	–	–
	योग / Total			**38,57,75,000**	**1,57,86,774**	**17,01,88,862**

* समेकित तुलनपत्र की अनुसूची II क (i) में ₹86,707,265,377 (₹76,582,779,622) की आरक्षिति निधि में शामिल।
Included in Reserve Fund of ₹86,707,265,377 (Previous year ₹76,582,779,622) in Schedule II A(i) of the Consolidated Balance sheet.

** इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक संस्था) की 11% धारिता शामिल है
Includes 11% holding by SVCL (100% subsidiary of SIDBI)

29 फरवरी 2016 को नई कंपनी अर्थात रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआईएल) की स्थापना के लिए आरंभिक पूंजी के प्रति सिडबी द्वारा प्रदत्त ₹20 लाख का निवेश। आरएक्सआईएल के वित्तीय आंकड़े समेकन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए केवल निवल राशि रिपोर्ट की जा रही है।
Investment of ₹20 lakh towards infusion of initial capital by SIDBI for incorporation of new company viz., Receivables Exchange of India Ltd. (RXIL) on February 29, 2016. The financial data of RXIL was not available for consolidation, hence only the investment amount is reported.

क्र. Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	(%) धारिता (%) Holding	विवरण Description	निवेश Investment	लाभ/(हानि) का हिस्सा Share of Profit/(loss)
1	बीएसएफसी / BSFC	48.43	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	18,84,88,500	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी / GSFC	28.41	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	12,66,00,000	(12,66,00,000)
3	जेकेएसएफसी / JKSFC	28.65	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	10,46,20,000	(10,46,20,000)
4	एमएसएफसी / MSFC	39.99	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	12,52,41,750	(12,52,41,750)
5	पीएफसी / PFC	25.92	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	5,23,51,850	(5,23,51,850)
6	यूपीएसएफसी / UPSFC	24.18	राज्य वित्तीय निगम / State Financial Corporation	21,67,59,000	(21,67,59,000)
	योग / Total			**81,40,61,100**	**(81,40,61,100)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(₹)

ख) B)	समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम सम्मिलित नहीं हैं। तथापि, वित्तीय विवरणों में हानियों के हिस्से के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। The results of the following associates are not included in the consolidated financial statements. However, full provision has been made in the financial statements for share of the losses.

ग निम्नलिखित निकायों के मामले में, हालाँकि बैंक के पास 20% से अधिक का मताधिकार है, तथापि, इन्हें एस 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन के अंतर्गत सहयोगी संस्थाओं में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि इन्हें ऐसा महत्त्वपूर्ण निवेश नहीं समझा गया है, जिसका समेकन किया जाए।

C In case of following entities, though the bank holds more than 20% of voting power, they are not treated as investment in associate under AS 23 'Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements', because they are not considered as material investments requiring consolidation.

क्र. Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	(ऊ) धारिता (%) Holding	विवरण Description	निवेश Investment
1	एपीआईटीसीओ लि. / APITCO Ltd.	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	54,70,975
2	केआईटीसीओ लि. / KITCO Ltd.	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	24,95,296
3	बिहार औद्योगिक एवं तकनिकी परामर्श संगठन लि. Bihar Industrial and Techinical Consultancy Organisation Ltd.	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
4	पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि. North Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
5	उड़ीसा औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन लि. Orissa Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	1
6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक परामर्शदाता लि. U.P Industrial Consultants Ltd.	48.99	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	15,33,472
7	पश्चिम बंगाल परामर्श संगठन लि. West Bengal Consultancy Organisation Ltd.	21.67	तकनीकी परामर्श संगठन Technical Consultancy Organisation	4,86,783
	योग / Total			**99,86,529**

घ. 4 क एवं 4 ख में उल्लिखित राज्य वित्तीय निगमों से इतर सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है । यूपीएसएफसी से इतर अन्य राज्य वित्तीय निगमों के आँकड़े 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के मामले में, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के अंतिम परिणाम उपलब्ध हैं ।

बैंक ने ऊपर 4 ख एवं 4 ग में उल्लिखित सहयोगी संस्थाओं की ओर से कोई दायित्व नहीं लिया है । और न ही कोई भुगतान किया है, तथा न ही सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए नुकसान के बारे में उक्त सहयोगी संस्थाओं में अपने निवेश मूल्य से अधिक कोई गारंटी अथवा वचनबद्धता की है ।

D Financial statements of the associates other than State Financial Corporations's (SFC) mentioned in 4A and 4B are unaudited for the year ended March 31,2016. The figures for SFC's other than UPSFC are based on audited results for the year ended March 31,2015. In respect of UPSFC, provisional results are available for the year ended March 31,2013.

The Bank has not incurred any obligation or made payment on behalf of associates mentioned in 4B and 4C above or otherwise provided guarantee or commitment for the losses made by the associates in excess of its investment value in the associates.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

5 सहयोगी संस्थाओं के साथ महत्त्वपूर्ण लेन-देन का विवरण निम्नवत है ।
Details of significant transactions with associates are as under:

क्रमांक Sr. No.	सहयोगी संस्था का नाम Name of the Associate	विवरण / Particulars	संवितरण / Disbursements	चुकौती / Repayments
1	डीएफसी / DFC	पुनर्वित्त सहायता / Refinance assistance	–	4,33,33,340

6 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मूल्यह्रास नीति में आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति/मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति से पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है, जब कि सहायक संस्थाएँ और सहयोगी संस्थाएँ मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति से करती हैं । इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ₹14,10,29,220/- (पिछले वर्ष ₹13,65,39,000/-) के कुल मूल्यह्रास में से ₹680,200 जो की 0.71% (पिछले वर्ष ₹9,64,500 - 0.56%) राशि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किए गए मूल्यह्रास के आधार पर निर्धारित की गई है ।
As against depreciation policy of SIDBI whereby assets are depreciated on SLM / WDV at pre-determined rates, the subsidiaries and associates compute depreciation on SLM/ WDV basis as per Schedule II of the Companies Act, 2013. Thus out of the total depreciation of ₹14,10,29,220 (Previous Year ₹13,65,39,000) included in Consolidated Financial Statements, ₹680,200 being 0.48% (Previous Year ₹9,64,500 being 0.71%) of the amount is determined based on Depreciation provided as per the Companies Act, 2013.

7 चूँकि सहायक संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्त्व में है, अत अल्पांश शेयरधारकों के हित के संबंध में अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है ।
As all shares of the subsidiaries are owned by SIDBI directly or indirectly, no separate disclosure relating to minority interest is reflected.

8 एसवीसीएल एवं मुद्रा लि. के पूर्णकालिक निदेशकों को अदा सकल पारिश्रमिक क्रमशः ₹52,90,989 (पिछले वर्ष ₹50,08,647) तथा ₹37,15,637 (पिछले वर्ष शून्य)
Aggregate remuneration paid to whole time director of SVCL is ₹52,90,989 (Previous Year ₹50,08,647) and Mudra Ltd. is ₹37,15,637 (Previous Year Nil).

9

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) / Earning Per Share (EPS):	31 मार्च, 2015 March 31, 2016 (₹)	31 मार्च, 2014 March 31, 2015 (₹)
ईपीएस के परिकलन के लिए लिया गया निवल लाभ Net Profit considered for EPS calculation	1248,17,52,371	1422,04,86,284
प्रति शेयर ₹10 के अंकित मूल्य के ईक्विटि शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted Average Number of equity shares of face value ₹10 each	47,34,05,205	45,00,00,000
प्रति शेयर अर्जन / Earning per share	26.37	31.60

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

10	**आकस्मिक देयताएँ** **Contingent Liabilities** नगरपालिका करों के प्रति एसवीसीएल की विवादित देयता है, जिसकी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । SVCL has disputed liability towards municipal taxes, the amount of which cannot be determined.
11	मूल एवं सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों की सही और सच्ची स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं और साथ ही, गैर-महत्त्वपूर्ण मुद्दें से संबंधित सूचनाएँ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऑफ इन्डिया (आइसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है । Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statments and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

यू. जे. लालवानी
U.J. Lalwani
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager
(निगमित लेखा वर्टिकल)
(Corporate Accounts Vertical)

मनोज मित्तल
Manoj Mittal
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

अजय कुमार कपूर
Ajay Kumar Kapur
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

क्षत्रपति शिवाजी
Kshatrapati Shivaji
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹)

31 मार्च, 2015 March 31, 2015	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2016 March 31, 2016
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities		
2120,90,92,073	लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before tax as per P & L Account		**17,48,16,53,301**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for :		
13,65,39,000	मूल्यह्रास / Depreciation	14,10,29,220	
54,54,02,483	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान Provision for net depreciation in investments	115,71,97,341	
(119,07,49,629)	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद) Provisions made (net of write back)	184,36,74,056	
(159,19,75,700)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल) / Profit on sale of investments (net)	(127,72,09,428)	
	स्थिर आस्तिओं की बिक्री से लाभ / Profit on sale of fixed assets	36,54,403	
(16,37,08,548)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / Dividend Received on Investments	(11,39,38,261)	175,44,07,331
1894,45,99,679	**परिचालनों से उपार्जित नकदी / Cash generated from operations**		**1923,60,60,632**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले) (Prior to changes in operating Assets and Liabilities)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustments for net changes in :		
150,63,57,500	चालू आस्तियाँ / Current assets	(720,61,65,968)	
107,84,43,959	चालू देयताएँ / Current liabilities	153,84,62,354	
775,79,03,839	विनिमय बिल / Bills of Exchange	568,94,34,285	
5725,68,49,021	ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	(14315,93,09,845)	
(4945,15,86,426)	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ Net Proceeds of Bonds and Debentures & other borrowings	11683,81,21,162	
(3981,44,69,425)	प्राप्त जमा / Deposits received	7128,30,59,911	
(2166,65,01,532)			**4498,36,01,899**
(272,19,01,853)			6421,96,62,531
(606,53,12,713)	कर अदायगी / Payment of Tax		(628,34,52,472)
(878,72,14,566)	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह **Net Cash flow from operating Activities**		**5793,62,10,059**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities		
(25,10,76,650)	स्थिरआस्तियोंकानिवल(क्रय)/विक्रय/Net(Purchase)/Saleoffixedassets	(18,82,60,796)	
171,96,50,081	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन Net (Purchase)/sale/redemption of Investments	(4591,65,51,476)	
16,29,23,125	निवेशों पर प्राप्त लाभांश / Dividend Received on Investments	11,44,81,179	
163,14,96,556	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी **Net cash used in Investing Activities**		**(4599,03,31,093)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹)

31 मार्च, 2015 March 31, 2015	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 March 31, 2016	31 मार्च, 2016 March 31, 2016
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities		
0	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय Proceeds from issuance of share capital & share premium	1499,95,00,000	
(131,68,18,758)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(139,92,95,746)	
(131,68,18,758)	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी Net cash used in Financing Activities**		**1360,02,04,254**
(847,25,36,768)	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents**		**2554,60,83,220**
1943,69,97,167	5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period		**1096,44,60,399**
1096,44,60,399	6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the period		**3651,05,43,619**
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी-तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं Cash and cash equivalents at the end of the period includes		
11,92,473	हाथ में नक़दी / Cash in Hand		6,74,499
39,56,78,210	बैंक में चालू खाते में अतिशेष / Current account balance with Bank		28,10,89,825
50,00,00,000	म्यूचुअल फ़ंड / Mutual Funds		365,66,85,061
1006,75,89,716	जमाराशियाँ / Deposits		3257,20,94,234

टिप्पणी: 1. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस-3 (संशेधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

Note: 1. Cash Flow statement has been prepared as per the Indirect Method prescribed in AS-3 (Revised) 'Cash Flow Statement'issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

2. वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंकों में चालू खाते में अतिशेष, सावधि जमाराशियाँ तथा म्यूचुअल फंड शामिल हैं।

2. Cash and cash Equivalents at the end of the year consists of Cash in hand, Current Account Balance with Banks, Fixed Deposit and Mutual funds.

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुबंध I) / Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Annexure I)

बोर्ड के आदेशानुसार / BY ORDER OF THE BOARD

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते बोरकर एंड मजूमदार
For BORKAR & MUZUMDAR
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन : 101569 डब्ल्यू
FRN. : 101569W

दर्शित दोशी / Darshit Doshi
साझेदार / Partner
एम. सं. / M. No. : 133755

मुंबई, मई 25, 2016
Mumbai, May 25, 2016

यू. जे. लालवानी
U.J. Lalwani
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager
(निगमित लेखा वर्टिकल)
(Corporate Accounts Vertical)

मनोज मित्तल
Manoj Mittal
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

अजय कुमार कपूर
Ajay Kumar Kapur
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

क्षत्रपति शिवाजी
Kshatrapati Shivaji
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस.के.वी. श्रीनिवासन / S.K.V. Srinivasan
निदेशक / Director

आर. रामचंद्रन / R. Ramachandran
निदेशक / Director

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक शाखाओं का नेटवर्क / SIDBI BRANCH NETWORK

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उत्तर प्रदेश)
फोन: 0522-2288546-50, फैक्स: 0522-2288455-59

Head Office : SIDBI Tower, 15, Ashok Marg, Lucknow – 226001, Uttar Pradesh
Tel. : 0522-2288546-50 Fax : 0522-2288455-59

क्षेत्रीय कार्यालयें	शाखाएं
अहमदाबाद	अहमदाबाद, वड़ोदरा, गांधीधाम, जामनगर, मोरबी, राजकोट, सूरत, वटवा
बंगलूरु	बंगलूरू, होसुर, हुबली, मैसूर, पीन्या
चंडीगढ	चंडीगढ़, जालंधर, जम्मू, लुधियाना, शिमला
चेन्नै	अम्बत्तूर, चेन्नै, पुदुचेरी
कोयम्बतूर	कोयम्बतूर, कोच्ची, तिरुपुर, ईरोड, त्रिची, मदुरै,
फरीदाबाद	फरीदाबाद, गुड़गाँव
गुवाहाटी	अगरतला, आईजाल, दीमापुर, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, शिलांग
हैदराबाद	बालानगर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम
इंदौर	भोपाल, इंदौर, नागपुर, रायपुर
जयपुर	अलवर, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, उदयपुर
कोलकाता	भुवनेशर, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, रांची, राउरकेला
लखनऊ	आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
मुंबई	अंधेरी, मुंबई बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पणजी, ठाणे
नई दिल्ली	बहादुरगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, नई दिल्ली, नई दिल्ली आर एफ एस, नोएडा, ओखला, रुद्रपुर
पुणे	अहमदनगर, औरंगाबाद, चिंचवड़, कोल्हापुर, नासिक, पुणे

Regional Offices	Branches
Ahmedabad	Ahmedabad, Vadodara, Gandhidham, Jamnagar, Morbi, Rajkot, Surat, Vatva
Bengaluru	Bengaluru, Hosur, Hubli, Mysuru, Peenya
Chandigarh	Chandigarh, Jalandhar, Jammu, Ludhiana, Shimla
Chennai	Ambattur, Chennai, Puducherry
Coimbatore	Coimbatore, Erode, Kochi, Madurai, Tirupur, Trichy
Faridabad	Faridabad, Gurgaon
Guwahati	Agartala, Aizawl, Dimapur, Gangtok, Guwahati, Imphal, Itanagar, Shillong
Hyderabad	Balanagar, Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam
Indore	Bhopal, Bilaspur, Nagpur, Raipur
Jaipur	Alwar, Jaipur, Jodhpur, Kishangarh, Udaipur
Kolkata	Bhubaneshwar, Jamshedpur, Kolkata, Patna, Ranchi, Rourkela
Lucknow	Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi
Mumbai	Andheri, BKC, Panaji, Thane
New Delhi	Bahadurgarh, Dehradun, Ghaziabad, Greater Noida, Kundli, New Delhi, New Delhi RFS, Noida, Okhla, Rudrapur,
Pune	Ahmednagar, Aurangabad, Chinchwad, Kolhapur, Nasik, Pune

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

www.sidbi.in www.sidbistartupmitra.in www.standupmitra.in

Designed & Printed by Acme Packs & Prints Pvt. Ltd.